राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 49 वां दिवस [संख्या 25

बृहस्पतिवार,

दिनांक 21 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 608

सोजत उपखण्ड क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के मामलों में कार्यवाही

608 श्री भैरू सिंह गुर्जर (सारवी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1). शराबबन्दी के बाद सोजत उपखण्ड में कितने पुरुषों एवं महिलाओं को देशी व अंग्रेजी शराब पीने के परमिट प्रदान किये गये हैं ?

(2) आबकारी निरीक्षक, सोजत द्वारा उपखण्ड क्षेत्र में अवैध शराब के कितने केस बनाये गये एवं न्यायालयों द्वारा कितने केसेज पर फैसला दिया गया ?

उपमंत्री, आबकारी (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) 316 पुरुष एवं 31 महिलाओं को ।

(2) दिनांक 1-4-80 से 31-7-80 तक 28 मामले पंजीकृत किये गये है। इस अवधि में न्यायालय द्वारा तीन मामलों का फैसला किया गया ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 316 पुरुष और 28 महिलाओं की संख्या बताई गई है, क्या इनमें कोई सरकारी कर्मचारी भी है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत उपखण्ड क्षेत्र के अन्दर 316 पुरुष और 31 महिलाओं को परमिट प्रदान किये गये हैं और 28 केस दर्ज हुए हैं जो इस प्रकार राजस्थान भर में काफी केसेज दर्ज हुए होंगे । बिहार सरकार और यू.पी. की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जब जनता शराब पीना चाहती है तो शराबबन्दी को हटाया जाय । क्या

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)
हमारी सरकार भी इस पर विचार करेगी कि शराब बन्दी को हटाया जाय ?

श्री रामपाल उपाध्याय : ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा ।

पंचायत समिति, गिरवा के निलम्बित सरपंच

609. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मार्च, 1980 के पश्चात् पंचायत समिति, गिरवा, जिला उदयपुर में कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया ? निलम्बन के क्या कारण थे ?

पंचायत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : मार्च, 1980 के पश्चात् पंचायत समिति, गिरवा, जिला उदयपुर के दो सरपंचों ग्राम पंचायत नाई एवं बड़ी उन्दरी को गेहूं का दुरुपयोग करने, अनियमित निर्माण कार्य कराने के कर्त्तव्य पालन में अपेक्षा के आरोपों में निलम्बित किया गया है ।

श्री **नन्द लाल मीणा** : क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत बड़ी उन्दरी, भारतीय जनता पार्टी का विधान सभा का उम्मीदवार था इसलिए इसे निलम्बित किया गया ? यदि यह सही नहीं है, तो उन्होंने क्या-क्या अनियमितताएं की ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : उनके विरुद्ध दो अनियमितताओं के आरोप हैं :—

(1) आपने प्राथमिक विद्यालय, पीपलवास स्कूल भवन निर्माण का कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृति प्राप्त नहीं कर, प्रारम्भ कराया ।

(2) आपने छोटी उन्दरी से कोलिवरी सड़क के निर्माण कार्य भी काम बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृति संबंधित अधिकारी से प्राप्त नहीं कर, प्रारम्भ कराया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह प्रश्न उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । इस सबंध में, मैं अधिक इसलिये नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इस पर रिट याचिका विचाराधीन है ।

श्री **अध्यक्ष** : सबजुडिस मैटर है ।

श्री **नन्दलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है । जो दो अनियमितताये बताई गई, क्या यह सत्य है कि गांव के लोगों ने पीपलवास स्कूल बनाने के लिये अपने श्रमदान के रूप में उसकी नीवें खोदी ? गांव के लोगों से बयान लिये, उससे यह साबित हुआ है या नहीं हुआ है ? क्या यह सत्य है पिछली 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने आदिवासी सरपंच के नाते उसे सम्मानित किया था ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : मैंने कहा सबजुडिस है । रिट याचिका विचाराधीन है तो मेरे खयाल से....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो चार्जेज हैं, उसमें कोई गंभीरता नहीं होते हुए, चूंकि वह विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर के रूप में इलैक्शन में खड़ा हुआ था, इसलिये राजनैतिक द्वेष के कारण उसके साथ अन्याय किया गया है। वहां स्कूल की नीवें खोदनी थी उसकी स्वीकृति नहीं मिली। न कोई उसने पेमेन्ट लिया, न कोई गेहूं खाया है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में विचाराधीन होते हुए भी आप चाहे तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। क्योंकि, मैं स्वयं इसमें पार्टी हूं उन्होंने मुझे पार्टी बनाया है इसलिये मेरा कहना उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

नियमों में ऐसा प्रावधान है जो मैटर सबजुडिस है, यानि अदालत के समक्ष विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी। इसका औचित्य क्या है, क्या नहीं है, इस प्रश्न की गहराई में जाना, मैं समझता हूं, इस अवसर पर उपयुक्त नहीं होगा।

श्री नन्द लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट से स्टे आया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सबजुडिस है, एक बात। दूसरी बात, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस कार से केस चल रहा है, क्या इन आरोपों के आधार पर और सरपंचों को निलम्बित किया गया है?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, सारे सरपंचों के बारे में मंत्री महोदय के पास जानकारी हो, तो यह भी बतादें कि कितने सरपंचों को जनता पार्टी ने अपने शासन के अन्दर सस्पेंड किया और उनमें से कितने हाई कोर्ट के द्वारा बहाल कर दिये गये? यह ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विवाद का विषय नहीं बनायें। मंत्रीजी, सरपंच निलम्बित किये गये हैं, उनके बारे में आपके पास जानकारी हो तो बता दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारा भी पूरक प्रश्न करने का अधिकार है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, बड़ी उन्दरी और नाई के सरपंच, दोनों, के सम्बन्ध में जानकारी के लिये क्योंकि आपने पूछ लिया है इसलिये मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 18-9-79 को कलेक्टर ने रिकमंड किया कि इनको सस्पेण्ड किया जाय, लेकिन 18-9-79 से सरकार के पास उनके मामले पड़े रहे उसका कोई फैसला नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत में जिलाधीश ने रिकमण्ड किया था लेकिन राजनैतिक पक्षपात के कारण आपने विचार नहीं किया। बड़ी उन्दरी के सरपंच के संबंध

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
में 6-3-0 को जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जिलाधीश ने 17 (4) की कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को लिखा उसके ऊपर राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं। बिना काम की स्वीकृति के ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: मैं कहना यह चाहता हूं कि इसको राजनैतिक रूप दिया जा रहा है पहले काम प्रारंभ किये जाने की नीयत को देखना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि लोक सभा चुनाव के एक दिन पहले काम प्रारंभ किया गया, मजदूरों को लगाया गया और जैसे ही 6 तारीख को लोक सभा के परिणाम निकले, काम बन्द कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। धीरज रखिये, माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्नकर्ता।

श्री नन्दलाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत बड़ी उन्दरी, पीपलवास में जो स्कूल भवन बनाये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई स्वीकृति दी है क्या? दूसरे, बड़ी उन्दरी से सड़क निर्माण का कार्य चलाया गया, वह सरपंच केशूलाल द्वारा चलाया गया था क्या? यह बता दीजिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका भी जवाब साथ में आ जायेगा।

क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे?

(व्यवधान)

जो उप सरपंच ने काम शुरू करवाये, उनका सरपंच ने स्पष्टीकरण दिया कि उसको मालूम ही नहीं था? काम शुरू किये इस बात का क्या स्पष्टीकरण दिया गया था?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: जब काम करवाये, तब स्वीकृति नहीं थी, बाद में..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: इतना गुस्सा क्यों आ रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, जिस सरपंच को निलंबित किया गया, क्या वह विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: मैंने निवेदन किया, निश्चित रूप से जनता पार्टी का उम्मीदवार था....

(व्यवधान)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सिफारिश 6 मार्च को जिलाधीश से प्राप्त हो गई थी, चुनाव में खड़े होने से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी दो कारण इसको सस्पेण्ड करने के बताये, निर्माण की स्वीकृति नहीं ली। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि क्या ऐसे सरपंच, जिनके विरुद्ध 40-40 हजार के गबन साबित हो चुके हैं.

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि जिलाधीश की रिपोर्ट 6-3-80 को आ गई थी तो फिर इतने लम्बे समय तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : राज्य सरकार 18 जून को बनी है, उसके बाद फैसला हुआ। जांच के सम्बन्ध की रिपोर्ट 18 को आ गई।

(व्यवधान)

सुनिये, सुनिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

माननीय सदस्य, मैं किसी पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री समर्थलाल।

(व्यवधान)

कृपया सहयोग करें, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

कृपया, स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री समर्थलाल।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री भैरोसिंह गुर्जर: XXX
श्री अहमद बक्स सिंधी: XXX
श्री गुलाबचन्द कटारिया: XXX
श्री नन्दलाल मीणा: XXX

श्री अध्यक्ष: इससे समस्या का कोई हल नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। थोड़ा नियमों का ख्याल करें। आप स्वयं जानते हैं। हो सकता है कि आपके, आपके दल के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो, किसी तरह से दल के साथ, उसकी नीति के साथ जुड़ा हुआ हो। इस पर बहुत से प्रश्न हो सकते हैं परन्तु फिर भी नियमों के अन्तर्गत काम करना होता है। यह प्रश्न सबजुडिस है। हाई-कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी माननीय सदस्य चाहते थे कि वे कुछ क्वेरीज करें। इसलिये मैंने इजाजत दे दी। इसके बाद समय का इस तरह से उपयोग करना, मैं समझता हूं जनहित में नहीं है अपने स्वयं के हित में नहीं

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(6)

(श्री अध्यक्ष)

हैं थोड़ी देर बाद यह प्रश्न आएगा कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं, उनके उत्तर से माननीय सदस्य वंचित रह गये हैं। आपकी नाराजगी है, आपने नाराजगी जाहिर कर दी। मैं समझता हूं कि मुझे, आसन को बाध्य न करें कि नियमों को कड़ाई से लागू करूं, आसन से नाम लेकर माननीय सदस्य को संबोधित करना पड़े। कितनी ही बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, आसन ने हमेशा उससे बचने की कोशिश की है। पुनः मेरा निवेदन है कि इस तरह की परिस्थिति बार बार सदन के सामने पैदा न हों, एसी व्यवस्था रखें खास तौर से मेरा दल के चीफ ह्विप और पार्टी के नेतागण से निवेदन है कि सदन के अन्दर आपके सहयोग से ही कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है, मैं समझता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। सदन का समय बहुत कीमती है इसलिये . . . .

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोर्ट से स्टे मिल गया है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री समर्थलाल।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मजबूरी है। आर्डर प्लीज। No supplimentry कोर्ट में केस चल रहा है। अब मैं आगे विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य विराज जाएं।

यह कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : इनकी आत्मा दुख पा रही है। इन्होंने घोटाले किए हैं।

श्री अध्यक्ष : इस समस्या का हल यहां नहीं हो सकता . . . .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सस्पेन्ड इसलिए कर दिया . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इनकी आत्मा इसलिए दुख पा रही है कि इन्होंने घोटाले किये हैं। इनके मंत्रित्व काल में जितन घोटाले किए गये हैं उनकी जांच करायी जाए।

श्री अध्यक्ष : यह समय का दुरुपयोग है। बार बार कहने पर भी आसन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है यह दुर्भाग्य की बात है।

अगला प्रश्न। भाषा में संयम बरतें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदीः आता नहीं है।

राजगढ़ (अलवर) में सहायक अभियन्ता विद्युत (ओ एण्ड एम) का कार्यालय खोलना

610. श्री **समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता विद्-

(श्री समर्थलाल)

रण (ओ. एण्ड एम.) का कार्यालय राजगढ़, अल में स्थापित करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : राजगढ़ में सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) का कार्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके औचित्य की जांच पड़ताल, कार्य-भार, स्टाफिंग पैटर्न व मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए मण्डल सचिवालय में की जा रही है। फिलहाल स्टाफ की नई भर्ती के बारे में प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रस्ताव मण्डल द्वारा स्वीकार होने से पूर्व कार्यालय कब तक स्थापित हो जावेगा इसके बारें में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

श्री समर्थलाल : क्या यह सही है कि 6 महीने पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा यह निर्णय हो चुका है कि राजगढ़ में सहायक अभियन्ता ओ. एण्ड एम. का दफ्तर खोला जाए ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जैसा कि निवेदन किया है यह प्रस्ताव मण्डल के विचाराधीन है।

श्री समर्थलाल : यह प्रस्ताव मण्डल के सामने कब आयेगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): यह लिखा हुआ नहीं है।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आप द्वारा मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि विद्युत मण्डल ने यह निर्णय कर लिया था कि राजगढ़ में सहायक अभियन्ता, ओ. एण्ड एम. का दफ्तर खोला जाए।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न से और खराबी हुई है। आपने ना करवा दिया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया, बात न करें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : 6 महिने पहले खोलने का निर्णय था तो इसका सवाल ही नहीं था। यह विचाराधीन है।

श्री समर्थलाल : राजगढ़ में दफ्तर खोला जाएगा, यह निर्णय 6 महीने पहले हो चुका था।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसका निर्णय नहीं हुआ है। विचाराधीन का मतलब है कि विचार चल रहा है।

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 611।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि क्या विद्युत मण्डल की कोई री-आर्गेनाइजेशन की स्कीम थी और उसके तहत राजगढ़ में दफ्तर खोलने की योजना थी?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या वहां यह कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी थी?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : नहीं दी गयी। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सहायक अभियन्ता, वितरण का कार्यालय खोलने की बात अभी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : उस पर कार्यवाही हो रही है।

अगला प्रश्न। श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री **समर्थलाल** : अध्यक्ष महोदय, यह शिड्यूल्ड कास्टस का एरिया है, वहां विद्युत के सहायक अभियन्ता, ओ. एण्ड. एम. का कार्यालय नहीं होने से लोगों को अलवर जाना पड़ता है।

(व्यवधान)

राजगढ़ से 40-45 किलोमीटर दूर है पंचायत समिति, वहां से लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता है। इसी आधार पर वहां सहायक अभियन्ता, ओ.एण्ड. एम. का कार्यालय खोलने का निर्णय हो चुका था। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि निर्णय हो चुका है तो आप उसको कब तक चालू कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री **अब्दुल रहमान चौधरी** : कोई निर्णय नहीं लिया गया, मैंने आपसे निवेदन किया।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने आज से 5 महीने पहले विद्युत मंडल से जानकारी की थी तो मंडल ने जवाब दिया था कि इस प्रकार का निर्णय लिया गया है।

श्री **अब्दुल रहमान चौधरी** : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि उनके और विद्युत मंडल के बीच में क्या पत्र-व्यवहार हुआ है।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री श्रीराम गोटेवाला।

रामनगर उपनगरी, जयपुर में भूमि के कटाव की रोकथाम

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्षा में रामनगर, नाहरी का नाका, जयपुर में नौ दुकानों के पीछे काफी भूमि का कटाव हो जाता है? यदि हां, तो इसके स्थायी समाधान हेतु क्या नगर विकास न्यास कोई उपाय करेगा? यदि हां, तो कब तक?

नगर आयोजन मंत्री : (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : जी नहीं।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : आप क्या मेरे सारे प्रश्नों का यही जवाब देंगे?

आपने कहा कि वहां भूमि का कटाव नहीं हो रहा है। मैं, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि फिर यह सारी मिट्टी आ कहां से रही है, नाहरी के नाके की? मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसके स्थायी समाधान के लिये पक्के पत्थरों को लगाने की कोई योजना है?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : आपने केवल पूछा था नौ दुकान के पीछे का।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : आप आगे का भी बता दीजिये।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : आपका सवाल था कि वर्षा में राम नगर की 9 दुकानों के पीछे मिट्टी का कटाव होता है। उनके पीछे कभी कभी मामूली कटाव होता है उसको रोकने को थैलों में मिट्टी भरकर रखने का

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) :
प्रबन्ध कर दिया जाता है। आज की तारीख में वहां कोई स्कैटर नहीं है।

श्री श्रीराम गोटे वाला : आगे यह पूछा था कि इसके स्थायी समाधान के लिये नगर विकास न्यास, क्या कोई उपाय करेगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न संख्या 612

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री गोविन्द सिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि सदस्य आपस में बैठे बैठे बातें न करें, बहुत परेशानी होती है। कभी कभी माननीय सदस्य जब पूरक प्रश्न पूछते हैं तो वह मुझे सुनाई नहीं देता है। कृपया, शान्त रहें, आपस में बातें न करें।

नाथूसिंह।

तहसील बांसीकुई में रेहड्या बांध का निर्माण

613. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बांदीकुई तहसील में रेहड्या बांध के निर्माण की स्वीकृति कब हुई थी और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(2) निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है, तथा अब तक कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया है ? कृपया, पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उपमंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) रेहड्या बांध की प्रथम प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1970 में हुई, उसके पश्चात् संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1980 में हुई, इसके अनुसार इस पर लगभग 60.67 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(2) बांध व नहर के निर्माण का कार्य चल रहा है। बांध का कार्य चेन 0 से 15 तक पूरा हो चुका है एवं चेन 15 से चेन 22 का काम चल रहा है। 8 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर लम्बी नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शेष कार्य प्रगति पर है। अब तक बांध का 2 ठेकेदारों को ठेका दिया गया एवं नहर पर भी 2 ठेकेदारों को ठेका दिया गया, जिनका विवरण इस प्रकार है:—

बांध का कार्य

(1) श्री बलराम सिंह

(2) श्री मित्तल एण्ड ब्रदर्स।

नहर का कार्य

(1) मैसर्स महालक्ष्मी श्रमिक ठेका सहकारी समिति

(2) श्री बाबूलाल गर्ग।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मंत्री महोदय ने बताया रेहड्या बांध की स्वीकृति 70 में हुई थी, लेकिन अभी तक यह बांध बन कर तैयार नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि अब तक बन कर क्यों नहीं तैयार हुआ है ? कौनसी कठिनाइयां थीं जिनके कारण यह बांध 10 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका ?

(10)

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : पहले बताया कि स्वीकृति 70 में हुई थी, मगर धनाभाव के कारण इसका एक्चुअल काम 76-77 से पहले शुरू नहीं हो सका, और 77-78 में शुरू हुआ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि 7 साल तक, 70 से लेकर 77 तक इसका काम क्यों नहीं शुरू किया गया ? इसके पीछे क्या कारण थे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : धनाभाव के कारण ।

श्री नाथूसिंह : अब जो काम चल रहा है, मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें मुख्य कठिनाई यह आयी कि जो इसका फैलाव होता है उसमें जमीन किसानों से ली गयी उसका किसानों को पूरी तरह मुआवजा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्री नाथूसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया, क्या वह ठेकेदार उस काम को कर सके या दूसरे ठेकेदार बदले गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : बांध का काम बलराम को दिया गया। था उन्होंने पूरा नहीं किया । दो काम दिये गये थे, एक को पूरा कर दिया और दूसरे को पूरा नहीं किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया ।

श्री नाथूसिंह : इसके क्या कारण थे कि उनको जो ठेका दिया गया था उन्होंने उसकी कन्डीशन्स को पूरा नहीं किया ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें ।

श्री नाथूसिंह : जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था क्या उसके कारण बांध बनाने में दिक्कत आयी ? उस ठेकेदार ने आगे काम करने से मना कर दिया, इसके पीछे क्या कारण थे ? और आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अलग प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न । श्री लच्छूराम ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । जैसा उन्होंने कहा, 70 में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी थी और धनाभाव के कारण आरम्भ नहीं हो सकी । तो क्या प्रशासनिक स्वीकृति बिना धन उपलब्ध हुये ही हो जाती है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 614

श्री लच्छूराम

(अनुपस्थित : कृपया, आगे देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लच्छूराम जी नहीं हैं। मुझे यह प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपको लिखित में दिया हो तो बताइये।

आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न।

नाथद्वारा क्षेत्र के विद्यालयों की क्रमोन्नति

615. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इस वर्ष नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के किन किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा? कृपया, सूची के सदन पटल पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : विद्यालय कहां कहां खोले जायेंगे, यह अभी विचाराधीन है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय को बताना चाहिए। 1980 में किन कारणों से अभी तक उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया है? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न की परिधि में बात आ गई है।

श्री सी. पी. जोशी : या तो प्रश्न को स्थगित करना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : यह नहीं बोल रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : क्या हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखते हैं?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कैंसर के इलाज की प्रभावकारी दवा का आविष्कार

616. **श्री सुख लाल सेणचा** (रायपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की जानकारी में है कि भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा कैंसर के इलाज की दवा का आविष्कार किया गया है और इस दल में पुणे के विज्ञान व टैक्नोलोजी के "अ" श्रेणी के वैज्ञानिक शामिल हैं?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां। अखबार में छपी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आपके अपने मरीजों के देखने के लिए।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह था कि उस दवा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। उस दवाई का इन्तजाम यहां पर कहां तक हो रहा है?

(12)

श्री अध्यक्ष : यह वहां के मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है ।

श्री शीराम गोटेवाला : उन्होंने डाक्टरों की राय के आधार पर दिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 30 जुलाई, 80 की राजस्थान पत्रिका में यह खबर छपी है । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवाई का पता लगा लिया है । यह दवाई पहले से ही चालू है । पहले उसकी डेढ़ हजार कीमत थी । अब वह सस्ती हो गई है । उसका प्रयोग हो रहा है । वह फाईनल हो जाएगी, तो सोचेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

ग्राम रूपलीसर के कुओं की सीढ़ियों के सामने निर्मित दीवार

617. श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील (जिला चूरू) की रूपलीसर पंचायत के सरपंच व उसके सहायोगियों ने रूपलीसर के कुएं पर सीढ़ियों के आगे दीवार बना कर हरिजनों को कुएं पर आने से रोक दिया है ? यदि हां, तो अब यह दीवार कब तक हटा दी जावेगी तथा क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : जी हां । यह सही है कि रूपलीसर गांव में कुएं पर दीवार का निर्माण हुआ था । अब यह दीवारें तुड़वा दी गई है । शिकायत की जांच करवाई जाकर, दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री मोहनलाल शर्मा : यह कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पहले जिलाधीश से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ।

श्री मोहनलाल शर्मा : यह कानूनी कार्यवाही कब तक चलेगी ?

एक माननीय सदस्य: हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री बनवारीलाल ।

राज्य के सिनेमा गृह

618. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने सिनेमा गृह कार्यरत हैं और उनसे सरकार को मनोरंजन कर व विज्ञापन कर के रूप में कितनी सालाना आय होती है ?

(2) सरकार सिनेमाओं से कर वसूली पर सालाना कितना व्यय करती है और वसूल हुए कर में से आज तक सिनेमा व्यवसाय के विकास पर कितना व्यय किया है ?

(3) क्या सिनेमाओं के कार्यरत कर्मचारियों व दर्शकों की सुरक्षा आदि हेतु सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है ?

उपमंत्री गृह (श्री रामपाल उपाध्याय):
(1) वर्ष 1979-80 में राजस्थान में नगर पालिका क्षेत्र में 190 छबिगृह कार्यरत रहे हैं। इनसे राज्य सरकार को वर्ष 1979-80 में रु. 597.62 लाख की आय हुई जिसका विवरण इस प्रकार है:-

मनोरंजन कर	रु.	586.41 लाख
अतिरिक्त मनोरंजन कर	रु.	9.57 लाख
विज्ञापन कर	रु.	1.64 लाख
योग	रु.	597.62 लाख

(2) वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, जो बिक्री कर के प्रशासन का कार्य करते हैं, ही सिनेमाओं से भी कर वसूल करते हैं। अतः मनोरंजन कर वसूली के लिए अलग से कोई व्यय नहीं किया जाता है। वसूल हुए कर में सिनेमा व्यवसाय के विकास के लिए खर्च का कोई प्रोविजन नहीं है।

(3) सिनेमाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं दर्शकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से सिनेमा मालिकों का है। उनके मांगने पर पुलिस उनकी मदद करती है।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सिनेमा व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक पैसा भी सरकार को इन्वेस्ट नहीं करना होता है। और 100% आय होती है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उसका डवलपमेण्ट करने के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि इसका कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बनवारीलाल : इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : कोई विचार हो तो वह कह दें।

श्री बनवारीलाल : अन्य उद्योगों को आप सहायता देते हैं तो सिनेमा व्यवसाय को सहायता देने के लिए क्या विचार रखते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सिनेमा की आय क्या राज्य सरकार नगर पालिकाओं को हस्तांतरित करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री बनवारीलाल : जो वसूली में खर्च किया जाता है, जब वह नहीं होता है तो वह नगर के डवलपमेण्ट में खर्च किया जाएगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव को, मैं यह जानकारी दूं कि जितना पैसा सिनेमा से सरकार के पास आता है, वह विकास के अन्य कार्य पर खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि गत तीन वर्षों में नगरपालिका को 17 लाख 63 हजार की आय हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : सिनेमा मालिकों पर कितना रुपया बकाया है ?

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला: सिनेमा टिकटों की दरों को जो बढ़ाया है, उससे आम आदमी में रोष है। सिनेमाओं के पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है और दूसरी अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। आप इनको प्राप्त कराने का प्रयास करायेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, सिनेमा मालिक और राज्य सरकार के बीच में जो व्यवस्था की बात है, वह मैंने निवेदन कर दी है। पीने के पानी और सफाई आदि की व्यवस्था करने का सवाल है वह समय-समय पर सिनेमा मालिकों की ओर से होता है, और होता रहेगा। इस ओर सिनेमा मालिक ध्यान दें। मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

आर्डर प्लीज ! आर्डर आर्डर !

श्री नाथूसिंह: आपकी नजर इधर भी हो जाये।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : नगरपालिका 17 लाख रुपये देती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री मानसिंह। अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका थर्ड पार्ट पढ़िये। आप कह रहे हैं कि अलग से प्रश्न है। मैं इसका थर्ड पार्ट पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने जितनी उचित समझी, उतनी इजाजत दे दी, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। समय का ध्यान रखें। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह ! माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवा निवृत्त स्टाफ के पेन्शन प्रकरण

619. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवा निवृत्त कर्म-

(श्री मानसिंह देवड़ा)
चारियों के किस कारण से कितने मामले शेष हैं, जिनको 1974 से अभी तक पेन्शन आदि नहीं मिली है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री पुरुषोत्तम दास शर्मा जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाहोता, जिला जयपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद से दिनांक 1 अप्रेल, 1974 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अभी तक पेन्शन स्वीकार नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या ऐसे मामलों को तुरन्त निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ये मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जावे ।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया ।

अगला प्रश्न ।

श्री नरपतराम बरवड़ !

ग्राम बासनी के काश्तकारों की कृषि भूमि का गैर-कानूनी आवंटन

620. श्री **नरपतराम बरवड़** (सूरसागर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बासनी (व्यासजी की बावड़ी), तहसील जोधपुर के 108 काश्तकारों की कृषि भूमि को जिलाधीश, जोधपुर ने बिना कोई मुआवजा दिये गैर कानूनी तरीके से राजस्थान औद्योगिक विकास एवं पूंजी विनियोजन निगम को आवंटित कर दी, जब कि इन काश्तकारों का कब्जा मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने से भी पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि करीब दो साल से काश्तकार अपनी पट्टा शुदा व कब्जा शुदा भूमि पर यहां से काश्त करते आ रहे हैं परन्तु निगम पुलिस के जरिये खड़ी फसल को नष्ट करवा देता है, जिससे मौके पर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है ?

(3) क्या सरकार इन 108 काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि अथवा मुआवजा देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक व कितना मुआवजा अथवा भूमि दी जावेगी ? यदि नहीं, तो किस कारण से ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री राम पाल उपाध्याय) : (1) ग्राम बासनी, तहसील जोधपुर के कथित 108 काश्तकारों की कृषि भूमि का गैर कानूनी तरीके से राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को कोई आवंटन नहीं किया गया । बल्कि सही बात यह है कि राजकीय भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके इस निगम को आवंटन किया गया है । इन कृषकों का इस क्षेत्र में अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा होने से इन्हें किसी प्रकार के अधिकार भूमि पर प्राप्त नहीं होते ।

(2) यह सही नहीं है कि राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को आवंटित की गई भूमि इन कृषकों की पट्टा सुदा भूमि है । वैसे इनमें से कुछ लोगों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट-

(16)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

याचिकायें भी दायर कर रखी हैं जो विचाराधीन हैं। दिनांक 7-8-80 को इन कृषकों का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर जिलाधीश को यह आदेश भी दिये गये हैं कि कृषकों की खड़ी फसल को जबरन नष्ट करके भूमि नहीं ली जाए। फसल की समाप्ति पर भूमि का अधिग्रहण किया जाये और तथ्यों की जानकारी दी जाये।

(3) यह भूमि राजकीय है। इस कारण कोई मुआवजा देय नहीं बनता। फिर भी जिलाधीश से तथ्यों के बाबत विस्तृत विवरण प्राप्त होने पर, इस पर आगे विचार किया जा सकेगा।

श्री नरपतराम बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बासनी गांव का सन् 1957 में सैटलमेन्ट हुआ और 108 काश्तकारों के कदीमी कब्जे होने के आधार पर पट्टे जारी किये गये ?

दूसरी बात, क्या यह सही है कि 1957 से 76 तक आठ काश्तकार सरकार को लगान अदा करते रहे हैं ?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या इन काश्तकारों के पट्टे कैन्सिल कर दिये गये ? यदि कैन्सिल कर दिये गये तो क्या उनको नोटिस दिये गये तथा कानून के अनुसार निर्णय लिया गया ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्पूर्ण रूप से समाधान करने हेतु माननीय सदस्य महानुभाव का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1953 में तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने इस क्षेत्र की भूमि के बारे में यह आदेश दिये थे कि यह भूमि नगर के विकास के लिए सुरक्षित हो सकती है। इसके बाद यह तय किया गया कि शहर विकास समिति भूमि का विकास तब तक नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिवर्ष उन काश्तकारों को खेती करने की इजाजत दी जाया करे। यह इजाजत 1955 से पहले दी जाती रही। संयोग से 1956 में एक उप खण्ड अधिकारी ने कुछ पट्टे जारी कर दिये। इसके बाद इसके विरोध में अपील हुई अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय में, और पट्टों को खारिज किया गया। इसके बाद इस आधार पर सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी ने 1970 में जितने भी पट्टे जारी किये थे, उनको खारिज किया, और इस भूमि को सिवाय चक घोषित करने के आदेश दिये गये। इसके बाद अभी अभी माननीय उच्च न्यायालय में कई मामले विचाराधीन हैं, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया।

तीसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूं अभी 12 कृषकों ने रिट याचिकायें दायर की हैं और उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किये हैं कि 31-10-79 को खड़ी फसल को एकत्रित करने तक बेदखल नहीं किया जावे। इस तरह इस भूमि पर आवंटन हुआ था 70 तक था और उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद जो अतिक्रमण किया गया, उसको निश्चित तौर पर आरक्षित भूखण्ड रखा गया है उसीके आधार पर उसकी क्रियान्विति जरूरी है, फिर भी 7-8-80 को जिलाधीश को आदेश दिये गये हैं कि वर्तमान फसल जब तक पक कर उपयोग नहीं कर ली जाये तब तक उनको किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जावे। इस प्रकार कुल मिलाकर यह निवेदन है कि 1953 में जो प्रक्रिया निर्धारित की

(श्री रामपाल उपाध्याय)
गई और भू-खण्ड शहर के विकास के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। साल दो साल जब तक वहां पर किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगाया जाता, वर्ष वाइज अलॉटमेंट करने को लिखा गया है। यह भ्रम है कि आवंटन सही है, और बेदखल किया जा रहा है। सरकार ने समय-समय पर किसानों के हितों की रक्षा की है, फिर भी मामला विचाराधीन है न्यायालय के इसलिए सबजुडिस है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या यह सही है कि 107 काश्तकार वासनी गांव के ही हैं? वासनी गांव, जोधपुर शहर से पांच-सात मील दूरी पर ही आया हुआ है। 47 से पहले महाराजा जोधपुर की यह प्राइवेट की जमीन थी। 47 के बाद जमीन का रिजम्पशन हो गया, तो लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से वह लोग काबिज हैं। एक-दो साल के बाद ही रेवेन्यू लाज के अनुसार जमीनों का नियमन हो जाता है। आज 35 साल के बाद भी उनकी जमीन नहीं मानी जा रही है। उनको किसी प्रकार का कम्पनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है, क्या यह न्यायोचित है? गरीब आदमी हैं और 50 पर्सेन्ट से अधिक लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब तबके के हैं। क्या आप इस पर पुनर्विचार करके, उनको मुआवजा देने पर विचार करेंगे?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 53 से 7-8-80 तक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश दिये गये, उनका हवाला देकर तथ्यात्मक जानकारी मैंने माननीय सदस्य महानुभाव के समक्ष प्रस्तुत की है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने निवेदन किया, यह सारा मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, जैसे भी न्यायालय के आदेश होंगे उनकी पालना करना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : 47 से 53 के बीच में किन-किन व्यक्तियों के कब्जे थे, यह आप स्पष्ट कर देंगे? यह गिरदावरों से मालूम कर सकते हैं। उसके आधार पर 57 में इनको पट्टे मिले हैं।

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मौके पर गया हूं। वहां पर खड़ी फसल पर ट्रेक्टर फेर दिये गये। क्या सरकार आश्वासन देगी,....

श्री अध्यक्ष : अलग सवाल है, माननीय सदस्य।

श्री नरपतराम बरवड़ : क्या यह सही है कि आर. आई. एम. डी. सी. वासनी गांव में आबादी भूमि में इण्डस्ट्री के लिए प्लाट आवंटन कर रहा है और लोगों को घर से बेदखल कर रहा है?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न नहीं है। सौ आदमियों को उजाड़ कर, आप उद्योगपतियों को बसाना चाहते हैं। यह आबाद हुए लोगों की और गांव वालों की जिन्दगी का प्रश्न है, आप उद्योगपतियों को बसाना....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न को अलग तरीके से उठावें।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न । श्री राम कंवार बैरवा !

श्री रामसिंह विश्नोई : आप कोई ऐसा आश्वासन दिलायें जिसमें कि यह समस्या हल हो सके····

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : उसे कौन दिलायेगा···

श्री अध्यक्ष : इसे अन्य किसी तरीके से उठायें ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न ।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम तो यह जानना चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं ? आप इसका उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष : मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस बात का उत्तर···

श्री तिलोक सिंह (फतेहपुर) : मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : स्थिति आपको मालूम नहीं है । यह जो कब्जा पुराना है, पिछले टाइम से चला आ रहा है, उस पर गहराई से विचार करें तो अच्छा होगा, प्रश्न करने से हल नहीं होगा ।

श्री राम कंवार बैरवा : माननीय मंत्री महोदय, इतना लम्बा जवाब देते है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज,

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरा अनुरोध है कि जो जानकारी सरकार के पास है वह 1953 से 80 तक की थी । मैंने आपके माध्यम से सदन में····

श्री अध्यक्ष: इसका आप गहराई से अध्ययन करें, इसकी तह में आप जायें, सहानुभूतिपूर्वक उत्तर दें ।

अगला प्रश्न ।

10+2+3 शिक्षा प्रणाली

621. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को राजस्थान में लागू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या शिक्षा प्रणाली में समानता लाने के लिए सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किया जायेगा? नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) अभी यह समस्त मामला विचाराधीन है ।

(2) इसका उत्तर प्रथम बिन्दु में दे दिया गया है ।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली दिल्ली में लागू हुई, वह किस मंशा से लागू हुई थी ? क्या यह राज्य सरकार की बिना राय के लागू की गई थी ? इसके बाद जितने भी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन हुए या उनमें चर्चा हुई, वह किस नतीजे पर पहुंचे ? यह स्पष्ट बतायें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : राजस्थान में इस प्रश्न पर 19-10-79 को मंत्रिमंडल में विचार हुआ। उस समय एक समिति का गठन किया गया। 1979 में ही उस पर विचार हुआ। उस समय 21 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार होने वाला था और वह 1979 के बाद से आज की तारीख में और बढ़ जाता है। 1979 में जो समिति बनी, उस समिति ने विचार किया होगा। उस समिति का कार्यकाल 30 मार्च तक और बढ़ाया गया है। इन सारे प्रश्नों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। जहां तक केन्द्र नीति का प्रश्न है, वह अलग है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : क्या राज्य सरकार विचार करेगी ?

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मेरा 623 संख्या का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि, बराबर 15 दिन हो चुके हैं मेरा प्रश्न कभी भी स्थगित नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है, इस कारण से स्थगित नहीं हो सका।

(व्यवधान)

स्थगित नहीं किया गया। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं करें। यह असाधारण स्थिति है, आपको मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है।

श्री राधेश्याम : यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानता हूं, हाउस की मजबूरी है। इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। और प्रश्न स्थगित नहीं होंगे। दो दिन का समय शेष है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

"अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर"

अजमेर जिला न्यायालयों में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना

612. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर में जून, 1980 के अन्त तक कितने दीवानी व फौजदारी दावें, केस व अपील विचाराधीन थे ?

(2) क्या अजमेर जिला न्यायालयों में अधिक कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुये सरकार एक अतिरिक्त जिला जज की नियुक्ति का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर में दिनांक

(२०)

(विधि मंत्री) :

30-6-80 को निम्न मुकद्दमें पेंडिंग थे—

	जिला एवं सत्र न्यायालय	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय
1. दीवानी—	728	575
2. दी. अपील	125	353
योग :	853	928
1. फौजदारी	99	78
2. फौ. अपील	275	196
योग :	374	274

(2) उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि अजमेर स्थित न्यायालय में अधिक कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समकक्ष, अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित करने का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सरकारी राशि के दुरुपयोग के मामले में ग्राम पंचायत, डाबड़ी धीरसिंह के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही.

614. **श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत, डाबड़ी धीरसिंह, जिला झुंझुनू के सरपंच के विरुद्ध ग्राम बाजला व डाबड़ी की गार्डन स्कीम की धनराशि के दुरुपयोग की जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) क्या सरकार का सरपंच के विरुद्ध विभागीय जांच कराने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर—

(1) जी हां। जिलाधीश, झुन्झुनू से जांच कराई जा रही है।

(2) जी हां। जिलाधीश से प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सरपंच के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित होता है तो नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर शहर में हुई सड़क दुर्घटनाएं

489. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1976 से अब तक जिला बीकानेर में वर्षवार कुल कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं ? कृपया हर थानेवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन सड़क दुर्घटनाओं में भारी वाहनों से कितनी दुर्घटनायें हुई ? क्या आलोच्य अवधि में बीकानेर में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक दुर्घटनायें घटीं ? इन दुर्घटनाओं की भविष्य में कमी हो, इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर—

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1976

(गृह मंत्री)
में 69, 1977 में 127, 1978 में 98, 1979 में 103 एवं 1980 में माह जुलाई तक 60 सड़क दुर्घटनायें हुई। थानेवार सूची संलग्न है।

(2) भारी वाहनों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या उपरोक्त सूची में दर्शाई गई है। आलोच्य अवधि में बीकानेर जिले में कुछ जिलों की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाएं कुछ कम, कुछ जिलों से अधिक घटित हुई हैं। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

दुबई से आने वाले श्रमिकों द्वारा थाना दांतारामगढ़ में दर्ज कराई गई रिपोर्ट

490. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दुबई से आये हुए श्रमिकों ने दांतारामगढ़ थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि असामाजिक तत्वों ने एजेन्ट बनकर उनसे दस-दस हजार रुपया लिया है ? यदि हां, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 16-7-80 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(2) अपराधियों द्वारा 18,500/रु. लेना प्रथम सूचना में अंकित करवाया है जिसके विरुद्ध अभियोग संख्या 44/80, दिनांक 16-7-80, धारा 420, ता. हि. थाना दांतारामगढ़ पर पंजीबद्ध होकर अनुसंधान जारी है।

तहसील प्रतापगढ़ में हुए अपराध

491. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में जनवरी, 1980 से अब तक कितनी हत्याएं, चोरियां, डकैतियां एवं बलात्कार हुए ? सूची सदन की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(2) अब तक प्रत्येक घटना पर पुलिस द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-80 से दिनांक 18-7-80 तक हत्या के 9 मुकदमे, तथा चोरी के 51 मुकदमे दर्ज हुए हैं। डकैती एवं बलात्कार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

(2) सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अन्ता (कोटा) के ग्रिड सब स्टेशन पर कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था करना

492. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्ता, जिला कोटा के ग्रिड

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सब-स्टेशन विद्युत कार्यालय से कितनी दूर है ? क्या वहां दूरभाष लगाया हुआ है ?

(2) क्या सरकार वहां कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अन्ता, जिला कोटा में 33 के. वी. का सब-स्टेशन विद्युत् कार्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तथा वहा दूरभाष नहीं है ।

(2) जी हां, वित्तीय साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, वहां कन्ट्रोल रूम बनाने पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

तहसील रामगंजमण्डी एवं लाडपुरा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

493. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) व **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला कोटा की रामगंज मंडी एवं लाडपुरा तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो इस पर अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) इन गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । लाडपुरा क्षेत्र के ग्रामों की एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना स्वीकृत कराई जा चुकी है तथा रामगंज-मण्डी क्षेत्र की योजना निगम की टिप्पणियों के अनुसार साध्य नहीं है ।

(2) लाडपुरा क्षेत्र की योजना का कार्यकाल पांच वर्ष का है जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है । रामगंज मण्डी के ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

राजस्थान नहर की मूल परियोजना रिपोर्ट में पुगल शाखा पर विद्युत उत्पादन

494. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पुंगल शाखा पर कुल 51 फीट का फाल है, और राजस्थान नहर की मूल परियोजना रिपोर्ट में पुंगल शाखा पर 51 फीट का फाल देकर विद्युत् उत्पादन का प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

उत्तर

यह सही है कि पुंगल शाखा पर आर. डी. शून्य (0) से लेकर 96.4 तक 101 फीट का फाल है परन्तु यह फाल 19 मील की लम्बाई में विभिन्न स्थानों पर, लगभग 11 जगहों पर स्थित है। इसके अलावा इस शाखा में आर.डी. 17.5 तक 609 क्यूसेक निकास क्षमता है जब कि इसके आगे यह 542 क्यूसेक रह जाती है, जो कि आर.डी. 48.59 पर घट कर 494 क्यूसेक रह जाती है । इस दृष्टि से इन फाल्स का उपयोग प्रथम चार आर.डी. (जिसकी लम्बाई लग-

(विद्युत मंत्री)

10.8 मील होगी) में ही किया जा सकता है। जहां कि कुल मिलकार 32 फीट का फाल मिलता है। तद नुसार केवल सवा से डेढ़ मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

विद्युत उत्पादन की दृष्टि से यह बहुत छोटी योजना है परन्तु फिर भी इस विषय में अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि यह योजना तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त होगी या नहीं। बाकी फाल एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, जो कि छः फीट से लेकर 11 फीट तक के फाल हैं, परन्तु निकास क्षमता कम होने के कारण इसकी उपयोगिता तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से सम्भवतः ठीक नहीं होगी, क्योंकि इन से विद्युत उत्पादन 500 किलोवाट से भी कम हो सकेगा।

जिला जैसलमेर में चूना, पत्थर व जिप्सम आदि की उपलब्धता के आधार पर योजना

495. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला जैसलमेर में चूना, पत्थर व जिप्सम और उसके आस-पास गैस होने के आधार पर सरकार कोई उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

जैसलमेर जिले में चूने के पत्थर, जिप्सम तथा गैस पर आधारित उद्योग लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि कोई उपक्रमी इसके लिये रुचि रखेगा, तो उद्योग स्थापित करने हेतु हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी जमीनों का बेचान

496. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,

क्या राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी जमीनों को बेचने की अनुमति दी गई है? यदि हां तो क्या वे सभी कानून सम्मत हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर (1)

जी हां। जिन व्यक्तियों को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में खातेदारी भूमि विक्रय की स्वीकृति दी गई है, वह नियमानुसार दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया (परिशिष्ट 4 देखें।)

तहसील रामगंजमंडी में निर्माणाधीन एनीकट

497. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) व **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील रामगंजमंडी, कोटा में कहां-कहां एनीकट बनाये जा रहे हैं तथा ये कब तक बनकर पूर्ण हो जावेंगे? पूरा ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

रामगंजमण्डी, तहसील कोटा में सिंचाई विभाग के माध्यम से कोई एनिकट नहीं

(सिंचाई मंत्री)

बनाये जा रहे हैं तथा कोई एनीकट सिचाई विभाग के माध्यम से बनाने का प्रस्ताव भी नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति, संगरिया द्वारा पुल के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग में जमा कराई राशि

498. श्री महेन्द्र सिंह : (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, सांगरिया ने सादूलशहर ब्रांच की आर. डी. 54,670 (संगरिया) के पुल के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमान सिंचाई विभाग के आधार पर दिनांक 14-8-75 को 1,20,000/- रुपये की राशि सिंचाई विभाग में जमा करवाई ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम अनुमान के उपरान्त सिंचाई विभाग ने द्वितीय अनुमान 2,63,000,- रुपये दिनांक 25-8-76, तृतीय अनुमान 6,06,000/- रुपये दिनांक 24-10-77, चतुर्थ अनुमान 6,48,700/- रुपये दिनांक 17-11-77 एवं पंचम अनुमान 6,67,500/- रुपये दिनांक 9-1-78 द्वारा पुनः मांग की और कृषि उपज मंडी द्वारा इस की पूर्ति में 1,20,000/- रुपये की राशि दिनांक 14-8-75 एवं 5,47,500/- रुपये की राशि दिनांक 23-7-79 को जमा करवाई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जमा करवाई गई राशि के अतिरिक्त सिंचाई विभाग ने मंडी समिति से दिनांक 19-12-79 को 3,82,600/- रुपये की और मांग की है जिसको जमा करवाने हेतु संगरिया मंडी समिति ने सहमति दे दी है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुल का निर्माण वर्ष 1975 में सिंचाई विभाग द्वारा न करवाने के फलस्वरूप कृषि उपज मंडी समिति को 9,30,100/- रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

(5) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) अब कब तक उक्त कार्य आरंभ कर दिया जावेगा और कितने समय में पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। 1,20,000/- रुपये की रकम जमा की गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि दर आधार सारणी (बी.सी.आर.) वर्ष 1975 के अनुसार अधिशाषी अभियंता ने तखमीना 2,63,000/- रुपये का बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया था। तकनीकी कमियों को सुधार कर रुपये 6,67,500/- का तखमीना स्वीकृत हुआ। दिनांक 23-7-79 को कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बकाया राशि 5,47,500/- रुपये जमा करवाई गई।

(3) यह सही है कि टेंडर 67 प्रतिशत ऊंचा आने के कारण अतिरिक्त राशि 3,82,600/- की मांग की गई थी। परन्तु यह रकम अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(4) यह सही नहीं है। सही तखमीना स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य संभव होता है व कृषि उपज मंडी समिति, संगरिया द्वारा समय पर रकम नहीं जमा कराने से टेंडर ऊंचे आये और लागत में वृद्धि हुई है।

(सिंचाई मंत्री)

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) पूरी रकम समिति द्वारा जमा कराने के बाद कार्य शुरू किया जाकर शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

लाडपुरा एवं रामगंज मण्डी तहसील के हैण्ड पम्प

499. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) व श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की लाडपुरा एवं रामगंजमंडी तहसीलों में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकतर हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो ये कब तक ठीक कर दिये जायेंगे ?

(3) सरकार का कितने नये हेण्ड पम्प कहां-कहां लगाने का विचार है ?

उत्तर

(1) कुल 215 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) खराब हैण्ड पम्पों के विषय में सर्वेक्षण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही इन्हें तुरन्त ठीक करने की कार्यवाही की जाती है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में हैण्ड पम्प लगाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिनकी सूची संलग्न है। कुछ और ग्रामों की सूची को अभी अन्तिम रूप देना शेष है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—5 देखें।)

बीकानेर शहर की पेयजल व्यवस्था

500. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर शहर की प्रतिदिन औसत पेयजल खपत क्या है और कुल खपत का कितना भाग राजस्थान कैनाल से प्राप्त किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि नहर का पानी बीकानेर शहर तक लाने वाली पाइप लाइन पुरानी व जंग लगी हुई है ?

(3) उपरोक्त पाइप लाइन जलदाय विभाग ने कब, किससे और कितनी राशि में खरीदी तथा इसकी बिछाई का कार्य किसके द्वारा कितने खर्च और कितने समय में पूरा किया गया ?

(4) इस पाइप लाइन से पानी लेना कब से प्रारम्भ हुआ और क्या पानी लेना चालू करने से पूर्व जंग लगी पाइप लाइन की अन्दर से सफाई की गई थी ?

(5) क्या यह सही है कि पिछले दिनों बीकानेर शहर को गंदला व कीड़ों से युक्त पानी सप्लाई किया गया ?

(6) बीकानेर में कितने विभागीय कुएं हैं और उनसे कितना जल प्राप्य है ?

(26)

उत्तर

(1) बीकानेर नगर में पीने के पानी की सप्लाई प्रतिदिन औसतन 85 लाख गैलन है। राजस्थान कैनाल से करीब 4 से 5 लाख गैलन अर्थात लगभग 4.5 प्रतिशत पानी लिया जा रहा है।

(2) योजना पर लगे पाइप पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना में काम में लिये गये थे। लोहे (माइल्ड स्टील) के पाइपों पर जंग की कुछ मात्रा होना, अस्वाभाविक नहीं है।

(3) उपरोक्त पाइप लाइन जलदाय विभाग ने राजस्थान नहर परियोजना विभाग से वर्ष 78-79 में 13,22,396/- रु. से क्रय की थी। उक्त लाइन के बिछाने का कार्य श्री मोहम्मद अली, ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया। इस लाईन के बिछाने एवं ढुलाई पर कुल रु. 3,16,736/- की राशि व्यय हुई। योजना की स्वीकृति मार्च, 1978 में की गई व कार्य जून, 1978 में पूर्ण हुआ।

(4) राजस्थान नहर से दिनांक 10-5-80 को पानी लेना प्रारम्भ किया गया था एवं पानी वितरण करने से पूर्व इस लाइन को पूर्ण रूप से सफाई की गई थी।

(5) जी नहीं, पेयजल में समुचित मात्रा में क्लोरिन मिलाई जाती है व समय पर जांच की जाती है। अतः जल में कीड़े इत्यादि नहीं पाये गये हैं।

(6) इस समय विभाग के पास बीकानेर शहर में 33 कुएं हैं जिनमें औसतन 80 से 81 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त किया जाता है।

सांगानेर क्षेत्र की विचाराधीन सड़कें

501. श्री **रामकंवर बैरवा** (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर से ग्राम साडीपुरीया, मदोरयावाला, लाखणा, बासड़ी, बावड़ी, पहाड़िया, बोकडावास, मस्ता डावीच तक सड़क बनावाने के लिये वहां की जनता तथा पंचायत समिति द्वारा सरकार से सड़क की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क से तहसील सांगानेर, चाकसू व फागी जाने के लिये मार्ग खुलेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सांगानेर फागी राजकीय मार्ग नं. 12 के किलोमीटर 17 से रेनवाल से पहाड़िया तक 7 किलोमीटर लम्बाई की सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 7 लाख रुपये की स्वीकृत है। इस सड़क का कार्य प्रगति पर है। अन्य गांवों की जनसंख्या जनगणना 1971 के अनुसार 1500 से कम व धनाभाव की कमी होने के कारण अभी इस मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य विचाराधीन नहीं है। प्रश्न में चाही गई सड़क की लम्बाई करीब 25 किलोमीटर है।

(2) जी हां। सांगानेर से चाकसू व फागी जाने के लिये राजकीय मार्ग नंबर 1 (जयपुर टौंक सड़क) व 12. सांगानेर मालपुरा (सड़क) उपलब्ध है।

भवानी मण्डी से डग सड़क का निर्माण

502. श्री **बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में भवानी मंडी से डग तक बन रही सड़क के सम्पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा ? उस सड़क पर कुल छोटी-मोटी कितनी पुलियाँ बनाई गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन पुलियाओं में से गत गर्मी के मौसम में कोई पुलिया टूट गई थी ? यदि हां, तो किस कारण टूटी ?

उत्तर

(1) झालावाड़, भवानी मंडी, डग व आगरा सड़क का निर्माण कार्य मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जायेगा । इस सड़क पर कुल छोटी-मोटी 20 पुलियायें बन रही हैं ।

(2) नहीं, यह सही नहीं है कि गत गर्मी के मौसम में इनमें से कोई पुलिया टूट गई थी । एक पुलिया की आर. सी. सी. की छत झुक गई थी, जिसको दुबारा ठीक कर दिया गया है । छत झुकने का कारण, अल्प समय में ऊपर से ट्रैफिक निकल जाना था ।

टौंक जिले के अकाल राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु का प्रकरण

505. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टौंक में अकाल राहत कार्यों में कार्यरत कितने श्रमिकों की मृत्यु कब और किन-किन कारणों से हुई है ?

(2) मरने वाले किस-किस जाति के थे तथा उनकी उम्र क्या थी ?

(3) उनके परिवार जनों के भरण-पोषण हेतु सरकार ने क्या कोई सहायता दी है ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में 4 महिलाओं की मृत्यु हुई। इनमें से एक 10 जून को व 3 की 18 जून को हुई । मृत्यु का कारण हृदय रोग, उल्टी, दस्त एवं बुखार तथा लू लगना था ।

(2) मृतक 2 बैरवा, 1 मीणा एवं 1 हरिजन जाति के थे एवं उनकी आयु क्रमशः 45, 25, 35 एवं 40 वर्ष थी ।

(3) यद्यपि वर्तमान नियमों में इसका कोई प्रावधान नहीं है परन्तु मानवीय आधार पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

पंचायत समिति, इटावा से अकाल राहत कार्यों में कराये गये कार्य

506. श्री **हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत पंचायत समिति इटावा, में क्या-क्या कार्य किन-किन एजन्सियों के माध्यम से कराये गये ? कृपया, निम्न तालिका में विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें ।

1	2	3
नाम एजेन्सी	गांव का नाम	काम का नाम

4	5
कुल खर्चा अनाज रुपये	कार्य स्थिति

उत्तर

पंचायत समिति, इटावा में अकाल राहत के अन्तर्गत 111 कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा एक सड़क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये गये हैं। कार्य का विस्तृत विवरण निर्धारित तालिका में संलग्न है।

(तालिका के लिए कृपया, परिशिष्ट-6 देखें।)

पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये विकास कार्य

507. श्री **हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पीपल्दा क्षेत्र में आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्या क्या विकास कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा जून, 1977 से जून 1980 तक कराये गये कृपया विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में देने की कृपा करें:-

1 नाम ग्राम	2 पंचायत गांव	3 कार्य	4 खर्चा

5
कार्य की स्थिति

1 अनाज किलों में व कीमत	2 रुपये कितने किस संस्था द्वारा	3 कुल खर्चा

उत्तर

पीपल्दा क्षेत्र में वर्ष जून, 1977 से जून, 1980 तक कुल 342 विकास कार्य करवाये गये हैं। विस्तृत विवरण निर्धारित तालिका में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जोधपुर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संकाय में सीटें

508. श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संकाय में इस वर्ष कुल कितनी सीटें हैं? क्या यह सही है कि जोधपुर विश्व-विद्यालय इंजीनियरिंग संकाय में पहले की अपेक्षा सीटें कम कर दी गई हैं? अगर हां, तो क्यों?

(2) जोधपुर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संकाय में ज्यादा से ज्यादा सीटें किस वर्ष रखी गई थी और सब से कम सीटें किस वर्ष रखी गई? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जोधपुर की जन-संख्या एवं विद्यालयों की बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग संकाय की सीटें इसी वर्ष से बढ़ाना उचित समझती है जिससे विद्यार्थियों में फैल रहा असंतोष, समाप्त हो सके?

उत्तर

(1) इस वर्ष 195 सीट हैं। जी हां। राज्य सरकार ने 25 सीट 78-79 में बढ़ाई थी लेकिन कक्षा के कमरों व छात्रावास आदि के लिये धनराशि उपलब्ध न होने के कारण 79-80 में उपरोक्त सीटों पर प्रवेश नहीं दिया गया, और इस प्रकार सीटों की संख्या 195 रही।

(2) ज्यादा से ज्यादा सीटें वर्ष 78-79 में व कम से कम सीटें वर्ष 75-76 में थीं। सूची संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

ग्राम थाणू, तहसील डीडवाना में काम के बदले अनाज योजना में सम्पन्न कार्य

509. श्री **उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम थाणू, पंचायत सूपका, तहसील डीडवाना में काम के बदले अनाज में सरपंच ने कार्य करवाया है ? यदि हां, तो ग्राम थाणू में क्या-क्या कार्य कराये गये तथा उन पर कितना अनाज खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम थाणू, पंचायत सूपका में निर्माण कार्य में बिना पका चूना तथा कच्चा पत्थर काम में लिया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त कार्यों हेतु कोई टेन्डर मांगे गये थे ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने इस कार्य हेतु अपना घरेलू ट्रेक्टर कार्य में लिया ? यदि हां, तो उन्होंने कितने रुपये ट्रेक्टर खाते उठाये ?

(5) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज ग्राम थाणू में नहीं बांट कर पंचायत सूपका में बांटा गया और सरपंच द्वारा फर्जी मस्टर रोल भरे गये ?

उत्तर

(1) ग्राम थाणू (ग्राम पंचायत सूपका, पंचायत समिति, डीडवाना, जिला नागौर) में सरपंच ग्राम पंचायत सूपका ने काम के बदले अनाज योजना एवं राहत कार्यों के अन्तर्गत जो कार्य करवाये व उन पर कितना अनाज व्यय हुआ, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

योजना	कार्य जो करवाया गया	अनाज खर्च हुआ
1. काम के बदले अनाज योजना	1. थाणू कुई की मरम्मत	16-21-500
2. राहत कार्य	2. साई शाला निर्माण थाणू	19-96-000
	3. गांवाई तलाव खुदाई, ग्राम थाणू	128-04-000

(2) कनिष्ठ अभियंता के अनुसार जो निरीक्षण कर बतलाया गया कि चूना पका हुआ काम में लिया गया है तथा पत्थर के संबंध में यह बताया कि थाणू कुई मरम्मत कार्य में घाटू का पत्थर काम में लाया गया है, और साई शाला निर्माण में लोकल पत्थर (जिसे जाजडिया पत्थर कहते हैं) जो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है, काम में लिया गया है।

प्रश्न के भाग (3), (4), व (5) जांच से संबंधित है जो अभी अवशेष है। जांच हेतु विकास अधिकारी, डीडवाना एवं संबंधित कनिष्ठ अभियंता दिनांक 18-8-80 को ग्राम पंचायत मुख्यालय सूपका गये थे, लेकिन सरपंच बीकानेर गये हुए होने के कारण जांच नहीं की जा सकी।

श्री पूरणाराम, सरपंच, कोलायत (बीकानेर) के विरुद्ध जांच

510. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बीकानेर के कोलायत सरपंच, श्री पूरणाराम के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों की जांच क्रमांक 268/13-5-76, 130/25-8-79 द्वारा तहसीलदार, कोलायत ने जिलाधीश बीकानेर को भेजी व एक अन्य शिकायत की जांच रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा 7-7-79 को जिलाधीश को प्रेषित की गई ? यदि हां, तो जिलाधीश ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरपंच, कोलायत, श्री पूरणाराम के खिलाफ शिकायतों में क्या-क्या आरोप हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) श्री पूरणाराम, सरपंच, कोलायत के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट तहसीलदार, कोलायत के द्वारा दिनांक 13-5-76 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट अपूर्ण थी जिससे जिलाधीश द्वारा तहसीलदार कोलायत को पूर्ण रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, कोलायत ने यह सूचना दी कि शिकायतकर्ता द्वारा यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ कि वह इस जांच में कोई आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहते ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर यह शिकायत दिनांक 3-8-76 को दाखिल दफ्तर कर दी गई ।

(2) तहसीलदार, कोलायत ने अन्य शिकायत के संबंध में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट पृष्ठांकन संख्या 130, दिनांक 25-8-79 को श्री पूरणाराम, सरपंच के विरुद्ध जांच जिला स्तर पर प्रेषित की जिसमें आरोपो के संबंध में पूर्ण सूचना भजने हेतु जिलाधीश द्वारा तहसीलदार, कोलायत को लिखा गया है। यह जांच अभी तक विचाराधीन चल रही है। उसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत कोलायत के पंचगण द्वारा दिनांक 7-7-79 को उक्त सरंपच के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र भेजा गया। यह शिकायती पत्र भी पृष्ठाकंन 130 दिनांक 25-8-79 में वर्णित आरोपों से संबंधित है। इसकी जांच तहसीलदार, कोलायत के यहां विचाराधीन चल रही है ।

(2) श्री पूरणाराम, सरपंच, कोलायत के खिलाफ प्रस्तुत शिकायती-पत्र, जिसकी जांच विचाराधीन है, में जिन आरोपों का वर्णन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट-8 देखें ।)

कचहरी रोड, अजमेर की दुकानों की लीज-डीड

511. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कचेहरी रोड, अजमेर की दुकानों की छत की नीलामी के तीन वर्ष बीतने पर भी उनकी लीज-डीड नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और अब कब तक लीज-डीड करा दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। लीज-डीड नीलामी की स्वीकृति के पश्चात् ही हो सकती है। नीलामी की स्वीकृति का मामला विचाराधीन है ।

उप निदेशक, आयुर्वेद, कोटा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां

512. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) व श्री **राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

क्या सरकार को उप निदेशक, आयुर्वेद, कोटा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां।

ये नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई थीं। अतः इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

लाडपुरा एवं रामगंजमंडी के ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

513. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) व श्री **राम किशोर मीणा** (सिकराय) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के लाडपुरा एवं रामगंज मंडी के ग्राम रानपुर, अलोद और खीमच में औषधालय खोलने की मांग जनता द्वारा लम्बे समय से की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गांवों में जन-सहयोग से औषधालय के लिए भवन तैयार हैं ? यदि हां, तो फिर सरकार कब तक औषधालय स्थापित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग को इन गांवों में तैयार भवनों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(12.03 म. प.)

(भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा सदन प्रांगण में प्रवेश कर व सदन को सम्बोधित कर सदन की अवमानना)

कई माननीय सदस्य : ये सदन के अन्दर कैसे घुसे।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : सार्जेन्ट कहां गया ?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री **अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:--

(1) श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अम्बावाड़ी, जयपुर में लगे हुए एक सार्वजनिक नल को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा काटने के प्रश्न के विषय में।

(2) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, रैणी, जिला अलवर के करीब 70 ग्रामों की फसलें जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर देने के विषय में।

(3) सुश्री पुष्पा जैन, सर्वश्री घनश्याम तिवाड़ी, हंसराज शर्मा, गुलाबचन्द कटारिया, भैरोंसिंह शेखावत व अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चतुरपुर, थाना आमेर में गत 19 मार्च को पड़ी डकैती में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के विषय में।

(4) श्री मोहन लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत विचकराई, तहसील सरदार शहर के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना में घोटाले करने के विषय में।

(32)

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा भंग नगर विकास न्यास के करीब 40 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी न करने के विषय में।

(6) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर में रोजगार नियोजन कार्यालय द्वारा कारखानों में काम करने वाले लोगों को रोजगार न दिलाने के विषय में।

(7) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बूंदी आगार में टायरों की कमी के कारण बसें काम में नहीं आ रही हैं, इस विषय में।

(8) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत सतेरण द्वारा काम के बदले अनाज योजना में प्राप्त करीब 70 हजार रुपयों की राशि का उपयोग न करने के विषय में।

(9) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गोविन्दगढ़, जिला अलवर में एक प्राचीन किले को सरपंच द्वारा एक ट्रस्ट को निःशुल्क दे देने के विषय में।

ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं और इन्हें मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

बड़े दुःख की बात है। माननीय सदस्य, बातें नहीं करें। सभी माननीय सदस्य जिनके प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये हैं, दो दो मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : मैंने आठ अगस्त को ....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री **राम नारायण डूंडी** : भूतपूर्व एम. एल. ए., श्री मदन सिंह दांता यहां खड़े थे। यहां अंदर आकर उन्होंने चतुर्वेदीजी की तरफ पर्चा फेंका....

श्री **अध्यक्ष** : उसमें उचित कार्यवाही हो रही है।

श्री **राम नारायण डूंडी** : इस प्रकार कोई आदमी अंदर आ जायेगा। प्रहरी खड़े थे। उन्होंने रोका नहीं, न कुछ उनसे बोले। उन्होंने अंदर आकर पर्चा फेंक दिया......

श्री **अध्यक्ष** : कार्यवाही हो रही है। उनको रोका नहीं गया, और उन्होंने प्रवेश किया, इस पर कार्यवाही हो रही है।

एक माननीय सदस्य : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री **अध्यक्ष** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मुझे जानकारी नहीं है। चेम्बर में मिल लें।

श्री **नाथू सिंह** : 8 अगस्त को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री **अध्यक्ष** : किस बारे में ?

श्री **नाथू सिंह** : बंधुआ मजदूरों के बारे में, फागी में हरिजनों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने सरकार को जानकारी के लिए भेजा था, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने 8 अगस्त को भेजा था।

श्री अध्यक्ष : या तो एक दो दिन इंतजार करिए अन्यथा मैं, आपको अवसर दूंगा, आप अपनी बात फर्मा देना ।

श्री नाथूसिंह : दूसरा . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा । जो जानकारी लेना चाहें, चैम्बर में आकर लें।

श्री नाथूसिंह : चैम्बर में, मैं आपसे मिला था । आपने कहा था, इजाजत दूंगा । मैंने आवासन मंडल, जयपुर के मकानों के लिए काल अटेन्शन मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : उस बारे में भी मैंने व्यवस्था दी है। मालूम कीजिए, शायद वह प्रश्न सदन में आएगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा भी . . . .

श्री अध्यक्ष : आपको इजाजत मिलेगी । मामला काफी सेन्सेटिव है, उसमें थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा । थोड़ा इस तरह फर्मायें कि बात न बढ़े ।-आपको अवसर मिलेगा ।

श्री त्रिलोक सिंह ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर व्यवस्था यहां नहीं दी जाती है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : समय देंगे ? मंत्री महोदय का जवाब होने देंगे ?

श्री अध्यक्ष : उस बारे में व्यवस्था कर देंगे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अन्य प्रक्रिया है ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य के गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अम्बावाड़ी क्षेत्र जो चोमू रोड पर है जहां मजदूर रहते हैं वहां सार्वजनिक पीने के पानी का नल है उसको कुछ असामाजिक तत्व काटना चाहते हैं। वे गुण्डे लेकर जाते हैं । मैंने सुना है कि पुलिस उनकी मदद के लिए बार-बार जाती है । कुछ प्रभावशाली लीडर्स हैं, खास तौर से कांग्रेसी लीडर्स, वह नल को कटाना चाहते हैं । इसके पीछे इरादा क्या है ? वे चाहते हैं कि मजदूरों को वहां से बेदखल किया जाए ? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह हरकत कि मजदूरों को उनके आवास से बेदखल किया जाए, हरगिज बरदाश्त नहीं की जाएगी । जयपुर का मजदूर, जयपुर का संगठित मजदूर, इस बात को कतई बरदाश्त नहीं करेगा कि मजदूर के जीने का जरिया, पानी के नल काट दिये जायें । यह जयपुर शहर में हो जाए, फिर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार किस मर्ज की दवा है ? पीने के पानी का नल असामाजिक तत्व काट देंगे, उनको अपने आवास से बेदखल कर देंगे, तो फिर क्या और जगह यह हरकत नहीं होगी ? तो मैं अपनी बात एक वजनदार आवाज में पेश करना चाहता हूं। यह हरकत फौरन रोकी जाए । अगर नहीं रोकी गई तो जयपुर शहर का मजदूर एक संगठित ताकत के साथ इस जुल्म का मुकाबला करेगा, और अपने हक पर काबिज रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : वे कौन आदमी हैं जो नल कटवाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर, आपस में करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत प्रभावशाली आदमी हैं उस क्षेत्र के, इसलिए मैं कहना चाहती हूं पानी पीने की इजाजत नहीं देते . . .

(व्यवधान)

श्री **बालचन्द आर्यवीर** (डग) : मैं थोड़ा सा.

श्री **अध्यक्ष** : पहले समर्थलालजी । बाद में आपको अवसर दूंगा ।

श्री **समर्थलाल** ।

(अनुपस्थित)

श्री **पुष्पा जैन,** श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री हंसराज शर्मा, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री अनंग कुमार जैन । ग्राम चतुरपुरा में डकैती के संम्बन्ध में, क्योंकि विषय एक ही है, इसलिए कोई एक माननीय सदस्य कह दें ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): अध्यक्ष महोदय, गत 19 मार्च को चतुरपुरा में श्री कन्हैयालाल महाजन के यहां रात को डकैत जीप में बंदूकों से लैस होकर पहुंचे और जाकर श्री कन्हैयालाल महाजन, जो अपने मकान मे नीचे के कमरे में सोए हुए थे, को जगाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उन्होंने कन्हैयालाल को दबा दिया, उसके शोर व चीख पुकार मचाने पर, जब पूरे गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, तो बन्दूकों से हवाई फायर करके पूरे गांव को आतंकित कर दिया । डकैत डकैती करने में सफल होकर, हवाई फायर करके बाहर चले गए ।

अध्यक्ष महोदय, अभी समाचार-पत्रों से जैसा कि ज्ञात हुआ, 19 मार्च को चतुरपुरा कांड के डकैत पकड गए और न सिर्फ पकड़े गए, बल्कि जुडिशियल कस्टडी में जो आइडेन्टीफिकेशन परेड हुई उसमें श्री कन्हैयालाल महाजन ने उन्हें आइडेन्टीफाई भी कर दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को बताना चाहूंगी कि मुमकिन है इन्हीं डकैतों ने तीन दिन पहले नानूलाल कुम्मावत के यहां डकैती डाली। नानूलाल कुम्मावत ने डटकर मुकाबला किया, बदले में पुरस्कार स्वरूप 91 छर्रे उसके पांव में लगे जिससे वह पांव से लाचार हो गया है। आज यह स्थगन प्रस्ताव रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है, जैसा मालूम हुआ है; बहुत ही उच्च स्तरीय राजनैतिक संरक्षण इन मुल्जिमान को मिल रहा है। मुझे डर है कि अगर इन मुल्जिमान को राजनैतिक उच्च स्तरीय संरक्षण मिला, तो इन मुल्जिमान के जरिए राज्य सरकार को करीब 12-13 वारदात के जो बहुत संगीन मामले हैं उनमें जो मालूमात होने वाली हैं, वह नहीं होंगी, सारे मुकदमें दबा दिए जायेंगे और ये अपराधी छूटकर इस प्रांत में जगह-जगह अपराध करते फिरेंगे, मुझे बड़ा खेद है यह कहते हुए कि राजनैतिक संरक्षण का मैंने हवाला दिया, वह राजनैतिक संरक्षण हमारे यहां के एक माननीय विधायक के जरिए दिया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है सारी तफतीश को होचपोच किया जा रहा है । उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है । इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करूंगी कि इस केस की पूरी तफतीश की जाए । साथ ही दूसरे नानूलाल वाले केस में भी तफतीश की जाए । उसको 91 छर्रे लगे, यह मामूली बात नहीं है। नानूलाल कुम्मावत पुलिस के जरिए अस्पताल में भर्ती रहा जहां इलाज चला और आज तक इन मुल्जिमान के पकड़े जाने के बावजूद उस केस की तफतीश नहीं चली। मुझे दुःख है इस बात का इन्हीं मुल्जिमान ने दो जगह ही नहीं, करीब 12 जगह डकैती और कत्ल किया उसके

(सुश्री पुष्पा जैन)
बावजूद इन मुल्जिमान को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है राजनैतिक ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पुन: राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि अगर इस तरह से संरक्षण इन मुल्जिमान को मिले तो फिर आप जो बार बार इस बात को दुहराते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं इस मुल्क से प्रांत से, अपराधों में कमी हो, अपराध न हों वह नहीं हो पाएगा । मैंने एक बार पहले भी सदन में कहा था कि जब सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का । आज फिर कह रही हूं कि इस तरह का उच्च स्तरीय राजनैतिक प्रोटेक्शन मुल्जिमान को दिया जाए तो फिर मुल्जिमान को खुली छूट मिल जाएगी, उनको डर नहीं रहेगा और भय नहीं रहेगा, और समाज का तबका भयभीत होकर इनके अपराधों के नीचे दबता रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल शर्मा । ग्राम पंचायत.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी विस्तृत जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि बहुत से सदस्यों के नाम हैं उनमें से एक को चुन लें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल इन्हीं को ।

श्री अध्यक्ष : सबको इजाजत नहीं दूंगा । पहले मुझे बता दीजिए कितने जने बोलेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गुलाबजी और मैं ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो हाल ही में घटनायें हुई हैं वह कोई छोटी मोटी घटनायें नहीं हैं । इन घटनाओं के पीछे बहुत बड़ा राजनैतिक संरक्षण उन डाकुओं को है । बहुत बड़ा स्टेटमेन्ट हो सकता है, अगर मैं इसका वर्णन करूं तो उससे यह सिद्ध होगा कि हमारे यहां बैठे हुए माननीय सदस्य हैं जिन्होंने उन्हें राजनैतिक संरक्षण दिया है । अध्यक्ष महोदय, चुनावों के समय एक व्यक्ति राजकुमार उनके साथ बॉडी गार्ड की तरह मई, 1980 में खुली बन्दूक लिये हुए घूमता रहता था, वह चौबीसों घन्टे उनके साथ रहता था । वह व्यक्ति, अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, बल्कि चार बार डकैतियों के मामले में पकड़ा जा चुका है, और उन माननीय सदस्य द्वारा उसको बार बार छुड़ाया गया है । अध्यक्ष महोदय, भगतवाटिका में चतुर्भुज कुमावत के संबंधियों के यहां डाली गयी डकैती के बाद गांधी नगर थाने द्वारा इस राजकुमार को पकड़ कर पुलिस कस्टडी में रखा गया । अध्यक्ष महोदय, तीन दिन तक वह पुलिस कस्टडी में रहा । राजकुमार से माल की बरामदगी हुई, लेकिन माननीय सदस्य तीन दिन बाद पुलिस पर दबाव डाल कर उसको छुड़ा कर ले आये । इन माननीय सदस्य की करौली में खानें हैं इन खानों की करौली में सारी देख रेख इसके द्वारा ही की जाती है । अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि जिन लोगों की करौली में खाने हैं उन खान वालों की डाकुओं से सांठ गांठ होती है, उनको सांठ गांठ रखनी भी पड़ती है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : ग्रान ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ।

(36)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है कि माननीय सदस्य के बारे में सदन में माननीय सदस्यों की तरफ से स्वीपिंग रेफरेन्स किये जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल खानों का है, कई माननीय सदस्यों की करौली में खानें हो सकती हैं । मैं जानता हूं—कई माननीय सदस्यों को । करौली में, माननीय सदस्य जनार्दन सिंह गहलोत की खाने हैं, मैं जानता हूं । हो सकता है ट्रेजरी बन्चैज पर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों की भी खानें वहां हों । इस तरह माननीय सदस्यों पर स्वीपिंग रेफरेन्स करना कहां तक उचित है, इसके लिए आप अभी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने नाम तो लिया नहीं । बिना नोटिस दिये मैं नाम लेने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्वीपिंग रेफरेन्स किसी भी माननीय सदस्य पर है ।

(व्यवधान)

मेरे खान नहीं है । आप बैठ जाइये । अध्यक्ष महोदय, इस पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इस पर क्या व्यवस्था दूं । नाम तो इन्होंने लिया नहीं । नोटिस दिया नहीं, इसलिये नाम लेने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, यह तो एक स्वीपिंग रेफरेन्स हो गया । आप देख लें, यह रूल 134 के अन्दर आ गया स्वीपिंग रेफरेन्स है ।

श्री अध्यक्ष : स्वीपिंग रेफरेन्स कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति राजकुमार है जिसने चम्बल पावर हाउस के सामने 30-5-80 को कम्युनिस्ट पार्टी के श्रमिकों के ऊपर जीप चढ़ा दी, और धरना दिये लोगों को घायल कर दिया तथा उन लोगों की साइकिलें तोड़ दीं, टेन्ट तोड़ दिया, और दरियां और अन्य सभी चीजों को जीप में लाद कर इस व्यक्ति ने सारा सामान माननीय सदस्य के घर पर लाकर डाल दिया । अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले जो डाकू लोग पकड़े गये है, यह वही लोग हैं जिन्होंने चतरपुरा में डकैती डाली । वह लोग पकड़े गये, उन्होंने अपने बयान में पुलिस को यह कहा कि उन्होंने 35 हजार रुपये राजकुमार को दिये हैं ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल में एक घटना और हुई । करीब एक माह पूर्व ही स्वेज-फार्म के पास एक खेत में अडू के पेड़ पर दोपहर में एक व्यक्ति जो यू. पी. का था, लटका पाया गया । उसकी लाश दो दिन तक लटकी रही । उसके बाद में पुलिस ने जांच की । अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने इस केस को रफा-दफा उसी माननीय सदस्य के घर पर बैठकर किया । अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कोई जांच नहीं की, और न ही किसी के बयान लिये । इस केस के अन्दर यह कह दिया कि यह तो आत्म हत्या का मामला था । अध्यक्ष महोदय, इन सारे मामलों में एक कांग्रेस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(ग्राई) के माननीय सदस्य का संरक्षण दिया हुआ है ।

इस प्रकार, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी पिछले दो-तीन महीनों में 22 गोदाम क्षेत्र में श्री माधोलाल माली के यहां भी बन्दूक की नोक पर डकैती डाली गयी । यह व्यक्ति भी उसी दाल मील के पास रहता है, जहां पर राजकुमार रहता था पर ग्रभी तक कोई सुराग नहीं मिला, सभापति महोदय ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रध्यक्ष महोदय ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, ग्रध्यक्ष महोदय, sorry मुझे बार बार प्रद्युम्न सिंह जी याद ग्रा जाते हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय, इसी तरह नन्दपुरी जहां माननीय सदस्य का मकान है, मैं उनके घर के पीछे एक व्यक्ति के यहां करीब बीस हजार रुपये की चोरी हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला, ग्रध्यक्ष महोदय ।

इसी के साथ दिनांक 19-3-80 की रात, थाना ग्रामेर के ग्रन्तर्गत चतुरपुरा में कन्हैया लाल महाजन के यहां पड़ी डकैती में राजकुमार सहित 5 व्यक्ति बाबू, भंवर सिंह, बजरंग लाल ग्रौर राजू थे । किन्तु वे पकड़ में नहीं ग्राये। वह दूसरी जगह पकड़े गये । ग्रध्यक्ष महोदय, इनका बहुत बड़ा गैंग है । इस गैंग को इन सफेद पोश लोगों का राजनैतिक संरक्षण है। यह सफेद पोश कांग्रेस (ग्राई) के संबंधित हैं जो यह कान्ड करवाते हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । इन डाकुग्रों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है । इन्होंने चुनावों में डकैतों से मदद लेकर हिस्सा लिया है ग्रौर जीते हैं । ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सारे मामलों में जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाये । मेरा यह भी निवेदन है कि इनकी जांच सी. बी. ग्राई. से करवायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर । मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा । श्री मोहन लाल ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शिवराम शर्मा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : मैं यहीं हूं । मैं तो ग्राप के पीछे सन् 62 से लगा हुग्रा हूं । ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी जो मामला सदन में उठाया गया, ग्रौर यह कहा गया कि 22 गोदाम के पास रहते हैं, नन्दपुरी में रहते हैं, ग्रौर कांग्रेस (ग्राई) सदस्य हैं, यह जो नाम लिये गये हैं...

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर । ग्रध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव चल रहे है, एक माननीय सदस्य ग्रपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ग्रौर ये माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं । इनका नाम नहीं लिया ।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : नियमों में ऐसा प्रावधान है कि व्यक्तिशः नाम नहीं लिया जाय, पर इन्होंने समझ लिया है । जब यह खुद ही जो इन पर ग्रारोप लगाये गये हैं उन पर ग्रपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
आर्डर आर्डर ।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुलासा कर रहा हूं । इनको बहुत तकलीफ हो रही है । इन्होंने यहां पर सारी भूमिका बान्ध दी कि वह माननीय सदस्य 22 गोदाम में रहते हैं, नन्दपुरी में रहते हैं । तो 22 गोदाम में मैं रहता हूं नन्दपुरी में मेरा मकान है । कांग्रेस (आई) का विधायक है, कांग्रेस है तो मैं कांग्रेस (आई) का विधायक हूं, कांग्रेसी हूं और हमेशा कांग्रेसी रहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि राजकुमार नाम के एक व्यक्ति ने चतुरपुरा में डकैती डाली । इस बारे में एक बार अखबारों में भी जिक्र आया था । यह कहा गया कि दाल मिल में अन्दर विधायक गये और वहां पर माल बरामद हुआ । तो, अध्यक्ष महोदय, वह मेरा क्षेत्र है । दूसरे मैं तो कहीं आग लगे तो भी जाता हूं, कहीं पर शादी ब्याह होते हैं वहां पर भी जाता हूं । मुझे तो जहां भी जनता का काम होता है जाना पड़ता है । माननीय सदस्य ने जो कहा कि डाके का माल बरामद हुआ और बीस हजार की चोरी हुई, चालीस हजार की चोरी हुई । माननीय सदस्य ने इतने चोरी और डकैती के मामले बताये लेकिन यह तो नहीं कहा कि सन् 78 में, जुलाई 1978 में, चोरी हुई, अध्यक्ष महोदय, 21 जुलाई, 1978 को मेरे यहां पर चोरी हुई, उसका हवाला तो माननीय सदस्य ने नहीं दिया । इसके अलावा मैं, माननीय सदस्य को और विरोधी दल के नेता को निवेदन करना चाहूंगा, वह इस तरह दूसरे माननीय सदस्यों से कहलवा रहे हैं । यह स्पष्ट तौर से कहूंगा कि वह मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और शुरू से ही जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं उनको चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विरोधी दल के सदस्यों को कहता हूं कि मेरा इसमें एक प्रतिशत भी हाथ नहीं है, और न ही मेरे द्वारा किसी भी डाकू को संरक्षण दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, वह अगर इसको प्रमाणित कर दें, तो मैं इस सदन से आज ही त्याग-पत्र देने को तैयार हूं । अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें पांच प्रतिशत भी सत्यता निकल जावे तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं । नहीं तो मेरा विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के सदस्यों से यही निवेदन है कि वह अपने मुंह पर हाथ लगा लें । बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ।

श्री **शिवराम शर्मा** : माननीय सदस्य का मतलब यह है कि सारी चोरियां हमने ही करायी हैं ।

(व्यवधान)

आप जांच करा लें ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ।

श्री **शिवराम शर्मा** : मैंने तो खुद ने एस. पी. साहब को कहा है कि आप जांच करायें ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के जरिये सरकार पर निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरियें दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राजकुमार आपके लेफ्टीनेन्ट चुनावों में नहीं रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री **शिवराम शर्मा** : मेरे तो हजारों आदमी रहे हैं

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

कृपया, स्थान ग्रहण कीजिए। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य। कृपया, स्थान ग्रहण कीजिए। यह विचारणीय विषय नहीं है। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर

(व्यवधान)

कृपया, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकार पर निराधार आरोप लगाना कहां तक उचित है? चेयर को प्रोटेक्शन देना चाहिए। आप इसके बारे में व्यवस्था दें ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : राजकुमार तो जेल में बन्द हैं ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : जेल में बन्द है तो यह क्या करें । कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा तो जेल में जायेगा। इसमें यह क्या करें। इनका क्या है ।

श्री **गलाबचन्द कटारिया**... 1-6-80

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, यह वादविवाद का विषय नहीं होगा।

(व्यवधान)

आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं या यों ही चर्चा कर रहे हैं ?

व्यवस्था का प्रश्न
सदन में आरोप लगाने से पूर्व माननीय अध्यक्ष को सूचना

श्री **हरिसिंह** (फुलेरा): पाइन्ट आफ आर्डर ही उठा रहा हूं ....

श्री **अध्यक्ष** : कहिये,

श्री **हरिसिंह** (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है कि जिस सदस्य के ऊपर आरोप लगाये जायें उसको पहले सूचना देनी चाहिए। यह मसला जिस तरह से उठाया गया है और इनडाइरेक्टली एक माननीय सदस्य के खिलाफ में आरोप लगाये गये हैं, इस पर आप व्यवस्था दें कि आइन्दा ऐसा नहीं हो। वैसे कोई भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी क्रिमिनल आ सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि कुछ तथ्य मुझे मालूम हैं कि चीफ मिनिस्टर के घर पर भी 307 और 302 के क्रिमिनल्स गये हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर को क्या मालूम कि इन क्रिमिनल्स के खिलाफ यह केसेज हैं। शक्ल पर लिखा नहीं रहता है। तो अगर माननीय विधायक महोदय किसी घटना स्थल पर चले गए तो उस घटना से उनको जोड़ना

(40)

(श्री हरीसिंह)

गैरवाजिब है। मैं समझता हूं कि आप व्यवस्था दें, जो सदस्य ऐसा करें उनको आप हिदायत दें, इन्सट्रक्ट करें कि in future they should not do.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य।

इस घटना को अब चर्चा का विषय यहां नहीं बनाया जायेगा। जहां तक तिवाड़ी जी का प्रश्न है, कुछ आक्षेप लगाये गये थे तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। उनका कहना वाजिब है।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मान हानिकारक मामले यहां उठाये जा सकते हैं या नहीं। आप जानते हैं विधान सभा में विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है। कौनसी बात कही, कौनसी नहीं कही, यह निर्णय स्वयं माननीय सदस्य करते हैं। आम तौर से इस प्रकार के विषय उठाने चाहिये जिससे जन कल्याण हो सके। मान हानिकारक मामले भी उठाये जा सकते हैं, उनके लिये नियमों में एक प्रक्रिया दी हुई है। मानहानिकारक मामले यदि उठाये जाते हैं, और नाम यदि लेते हैं तो पूर्व में सूचना देनी होती है। मगर बिना सूचना ही यदि उठाते हैं और जिस व्यक्ति से यह संबंधित है वह व्यक्ति सदन के माननीय सदस्य हैं और वह उपस्थित हैं तो उनको यह अधिकार है कि उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण उसी वक्त दे दें। इस केस में स्पष्टीकरण दे दिया गया। अब इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया जाता है। जहां तक विचारों की स्वतंत्रता का प्रश्न है, उस की पूर्ण छूट है। कौनसा प्रश्न आये कौनसा नहीं आये, यह माननीय सदस्य के ऊपर है। कैसा विषय किस तरीके से किस भाषा में लायें उसके बैस्ट जजेज वही हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि मानहानिकारक मामला है और यदि उसको नहीं कहने से जनहित नहीं होता है तो यथा सम्भव कहना जरूरी हो जाता है, अन्यथा नहीं उठाना चाहिए। यही मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन लाल शर्मा, ग्राम पंचायत पिचकराई, तहसील सरदार शहर के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना में घोटाले करने के विषय में।

श्री **मोहन लाल शर्मा** (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरदार शहर, पिचकराई ग्राम पंचायत है वहां पर दो जगह पटवारखाने बनाने की स्वीकृति दी गयी। वह पटवार खाने पंचायत के सरपंच के मार्फत बनवाये गये। सरपंच ने 6-7 अगस्त को यह रिपोर्ट दे दी कि दोनों पटवारखानों का काम सम्पूर्ण हो गया है और सारा निर्माण पूरा कराया जा चुका है लेकिन उसकी यह झूठी रिपोर्ट है। झूठा नक्शा पेश किया उसने, तो गांव वालों ने तारीख 11-को दोनों पटवारखानों की फोटो खिंचवाकर कलेक्टर के सामने पेश की। सम्पूर्ण करने की रिपोर्ट, नक्शा और रिपोर्ट पेश की वह गलत पेश की हैं, ऐसा गांव वालों ने कलेक्टर के सामने कहा। उन्होंने कहा कि यह फोटो है। पटवारखाना बिलकुल प्लिन्थ लेवल तक ही बनाया गया है और उनका पेमेन्ट उन्होंने बीस-बीस हजार रुपया

(श्री मोहनलाल शर्मा)

लिया। यह 11 तारीख को रिपोर्ट की तो मालूम हुआ कि सरपंच 14 तारीख को एक पट्टियों का ट्रक किसी प्रकार से वहां यह बताने के लिए लाये कि काम के लिए आया है। उसको वहां से ले जाने लगे तो मौके पर आये हुए एस. डी. एम., तहसीलदार और पुलिस को वह ट्रक जागरूक कार्यकर्त्ताओं ने पकड़वा दिया, लेकिन न मालूम क्यों, किस तरह की साजिश से उस ट्रक को छोड़ दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि 14 तारीख को ट्रक को पकड़वाया और उसके खिलाफ रिपोर्ट देने पर भी, कार्यकर्त्ताओं द्वारा साबित करने पर भी कि पटवारखाने पूर्ण नहीं हुए हैं, और पूरा पेमेन्ट उठा लिया गया है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तो मेरा ध्यान आकर्षित करने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जुल्म होते हैं। मैं पहले ही 4-5 जुल्मों के बारे में सरकार से निवेदन कर चुका हूं, लेकिन इस तरह हमारे चूरू जिले में जुल्मों की संख्या बढ़ रही है और जुर्म बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि सरकार है वह सक्रिय हो, सजग हो। इस प्रकार के जुर्म करने वाले हैं, और सरे आम गबन करने वाले हैं जिनके खिलाफ कार्यकर्त्ताओं ने गबन को साबित कर दिया है फोटो के जरिये से, रिपोर्ट के जरिये से जो सरपंच ने नक्शा पेश किया है उसके जरिये से पूरा पेमेन्ट उठाया है किन्तु निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराया है। इस प्रकार सरपंच के खिलाफ कार्यवाही नहीं करके सरकार सोती रही, तो मैं समझता हूं कि हमेशा यह जुर्म बढ़ते रहेंगे और ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी कि कोई भी सरकार के बश की बात नहीं रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्यवाही की जाकर, मुकदमा दर्ज कराया जा कर, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाये।

कृपया, समय का ध्यान रखें। आज सूची बहुत लम्बी है, और 4.30 बजे मुखबंद का भी प्रयोग होगा। अतः थोड़े-थोड़े में ही अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, भीलवाड़ा भंग नगर विकास न्यास के करीब 40 कर्मचारी हैं जिनमें से कुछ कर्मचारी वर्ष से और कुछ कर्मचारी दो वर्ष से, कुछ कर्मचारी 4 वर्ष से डेली वेजेज पर, वर्क चार्ज पर रखे गये, नगर परिषद और यू. आई. टी. को सम्मिलित कर दिया गया, आज की तारीख में नगर विकास न्यास को भंग कर दिया गया है, फिर भी वहां दोनों का अलग-अलग एक्ट के तहत काम जारी है जब कि नगर विकास का काम नगर परिषद के एक्ट के तहत चलना चाहिए, तरीका यह है। लेकिन आज तक उनके दोनों के काम अलग-अलग एक्ट के तहत जारी है। नगर परिषद में कई, ऐसे चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं जिनको साल भर नौकरी करने के बाद, दैनिक वेतन पर नौकरी करने के बाद परमानेन्ट याने स्थाई कर दिया गया, लेकिन जो यह 40,42 कर्मचारी हैं, जिनको 5-5, 6-6 वर्ष हो गये हैं उनको स्थाई नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से कई बार कोरस्पान्डेन्स की, पत्र व्यवहार किया, और कई बार उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर से भी मांग की। पेरेन्ट डिपार्टमेंट से भी लिखा-पढ़ी की, लेकिन आज

(श्री बंशीलाल पटवा)

तक उनके लिये कार्यवाही नहीं की गई, मजबूर होकर उन्होंने पिछले दिनों एक महीने का नोटिस दिया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में पिछले दिनों से 40, 50 कर्मचारी हड़ताल पर हैं . . .

श्री **अध्यक्ष** : संक्षेप में।

श्री **बंशीलाल पटवा** : धरणा देकर बैठे हैं। वहां की नगर परिषद ने 6-6 साल के बाद भी उनको नियमानुसार स्थाई नहीं किया है, और उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता रहा है। परिषद के हरिजन कर्मचारी, दूसरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके साथ हड़ताल में शरीक हो सकते हैं। यदि नगर परिषद के कर्मचारी, यू. आई. टी. के कर्मचारी 40,42 कर्मचारियों के साथ हो गये तो सारे शहर की स्थिति खराब हो सकती है सफाई की दृष्टि से। इस दृष्टि से मैं आपके माध्यम से स्वायत शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी कमिश्नर आदि हैं वे ध्यान नहीं देते हैं, 8-8 वर्ष से जो काम कर रहे हैं उनको स्थाई नहीं करते हैं। दूसरे कर्मचारियों को एक साल में स्थाई कर देते हैं, तो इनको क्यों नहीं करते हैं? इस दृष्टि से मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास करें।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री **बंशीलाल पटवा** : वे मांग कर रहे हैं कि वे ओवर-एज हो चुके हैं। अगर उनको नौकरी से निकाल दिया तो वे ऐसी स्थिति में है कि काम नहीं कर सकते। नौकरी से महरूम रहेंगे . . . .

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री **बंशीलाल पटवा** : इस दृष्टि से उन 40,42 कर्मचारियों को नियमानुसार स्थाई किया जाय और उनको राहत दी जाये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री दाऊ दयाल जोशी। कोटा नगर में रोजगार नियोजन कार्यालय द्वारा कारखानों में काम करने वाले लोगों को रोजगार न दिलाने के विषय में।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जहां राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से कदम से कदम मिलाता हुआ सारे हिन्दुस्तान में आगे बढ़ रहा है वहां पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में बढ़ती जा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि राजस्थान में 15 लाख 88 हजार 846 पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। सैकण्डरी पास 56,888, हायर सैकण्डरी पास 54,383, स्नातक 43,375 और स्नातकोत्तर 4,04,983-इतने व्यक्ति एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं, हमें नौकरी चाहिये, हमारे हाथ खाली हैं। दुर्भाग्य है, राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान में बड़े-बड़े जो उद्योग स्थापित हैं, उनमें इनको नौकरी दिलाने में असमर्थ रही है। मैंने एक प्रश्न पूछा था। 30 जुलाई को उसका उत्तर दिया गया। प्रश्न पूछा था, को:

(श्री दाऊदयाल जोशी)
डी.सी.एम. और श्री राम फर्टीलाइजर उद्योग चलते हैं पिछले तीन साल में उनमें राजस्थान के कितने लोगों को नौकरी मिली। राजस्थान के उद्योग मंत्री ने यह उत्तर दिया कि यह उनका आंतरिक मामला है। नौकरियां देने का मामला उनका आन्तरिक मामला है। राजस्थान सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। कोटा में जे.के. सिन्थेटिक्स और डी.सी.एम. ने राजस्थान के कितने इन्जीनियरों को नौकरी दी, यह आंकड़े नहीं है। मैंने प्रश्न किया था कि जे.के. सिन्थेटिक्स में केवल कानपुर और दिल्ली के लोगों को नौकरियां दी जाती है...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा स्थित अधिकतर उद्योगों के कानपुर और दिल्ली स्थित हैड आफिस द्वारा नियुक्तियां दी जाती हैं। कोटा में जितने कारखाने हैं उनके हैड आफिस दिल्ली या कानपुर में हैं। दिल्ली में बैठकर नौकरियां दी जाती हैं और केवल थर्ड ग्रेड कर्मचारियों के लिये लोकल एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज को लिख दिया जाता है। सन् 77 में जे.के. में 77 जगहों के लिये 315 लोगों को आहूत किया गया, और नौकरी दी गई केवल 11 आदमियों को। 1978 में 100 जगह खाली थीं। 659 आदमियों को बुलाया और केवल 14 व्यक्तियों को नौकरी दी गई। 1979 में 75 जगहों के लिये 306 लोग एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से बुलाये गये और 14 लोगों को नौकरी दी ...

(12.46 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पदासीन)

श्री राम उद्योग में सन् 77 में 67 जगह खाली हुईं, 676 लोगों को बुलाया लेकिन नौकरी दी केवल 1 व्यक्ति को। आखिर यह बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जे.के. सिन्थेटिक्स और डी.सी.एम. में अधिकारी वर्ग वाले सिर्फ दिल्ली से भर्ती कर लेते हैं लेकिन थर्ड ग्रेड कर्मचारियों के लिये कोटा से भर्ती करते हैं। 676 लोगों को बुलाकर केवल एक व्यक्ति को नौकरी दी, इससे बढ़ कर राजस्थान सरकार के लिये, राजस्थान के नौजवानों के लिये और शर्म की बात नहीं हो सकती। सन् 1978 में 80 जगह खाली हुई, 511 को बुलाया गया, नौकरी दी केवल 5 व्यक्तियों को। 1979 में 52 जगहों के लिये 273 को बुलाया गया, और नौकरी दी 6 व्यक्तियों को। इसी प्रकार कोटा में श्रीराम फर्टीलाइजर उद्योग चलता है उन्होंने सन् 77 में 175 जगहों के लिये 666 व्यक्तियों को बुलाया और 6 व्यक्तियों को नौकरी दी। सन् 78 में 250 जगह खाली हुईं, 1466 व्यक्तियों को बुलाया और 23 को नौकरी दी। 1979 में 143 जगहों के लिये 345 व्यक्तियों को बुलाया और 3 व्यक्तियों को नौकरी दी गई।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोटा की बात नहीं करता, राजस्थान में 15 लाख 88 हजार 846 पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी पास हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। सरकार डी.सी.एम. को सस्ती बिजली देती है, और छूट दे रखी है। राजस्थान में सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं। यह सरकार का नैतिक दायित्व है, कम्पनियों का आन्तरिक मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके की बात सरकार नहीं कह सकती।

(८५)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रश्न के द्वारा जानकारी चाही थी कि डी.सी.एम. कन्सर्न में बिजली जो सस्ती दर से दी जाती है उससे राजस्थान विद्युत बोर्ड को कितना नुकसान होता है। सरकार ने जवाब दिया। 78-79 की बात बताऊं बिजली की दर में छूट देने से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 17 लाख 81 हजार की आय का नुकसान हुआ है, इसके बाद के आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, डी.सी.एम. कन्सर्न और जे. के. सिन्थेटिक्स को सस्ते दर पर पानी देते हैं, सस्ती दर पर बिजली देते हैं। जनता को एक रुपये की दर पर देते है और इनको चार आना की दर से दिया जाता है . . .

(व्यवधान)

तो उस पर बकाया कितना है। सरकार ने कहा है, डी. सी. एम. पर और जे. के. सिन्थेटिक्स पर पांच लाख रुपया पानी का बकाया है . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजस्थान की इस सरकार ने घोषणा की थी कि डी.सी.एम. कन्सर्न के सरकार ने तीन करोड़ बट्टे खाते मान्ड दिये हैं। आज की रिपोर्ट में आया है। इस कांग्रेस की सरकार ने, नई सरकार ने डी.सी.एम. पर जो लाखों रुपया बकाया था उसमें पांच करोड़ बट्टे खाते मान्ड दिया। दुर्भाग्य की बात है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है इस सवाल के द्वारा यह रिपोर्ट आई है कि श्री राम केमिकल, कोटा की बकाया तीन करोड़ 50 लाख की रकम डूबत खाते मान्ड दी गई। जब डूबते खाते में मांड दी तो राजस्थान के मुख्य मंत्री. . .

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सांठगांठ करके यह सरकार इन पूंजीपतियों-सोहन लाल सिंघानिया, कोटा को और राजस्थान के धन्ना सेठों को दे रही है। यह समाचार आया है कोटा में जे. के. सिन्थेटिक्स और डी. सी. एम. में वहां के लोगों को नौकरियां नहीं दी गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जोरदार आन्दोलन होगा, और उस आन्दोलन से राजस्थान की यह सरकार तहस-नहस हो जायेगी। मुझे मालूम है पहले भी कोटा में आन्दोलन चला था, सैकड़ों लोगों पर लाठी गोलियां चलाई गई थीं और जेलों में भेजा गया था. . . .

श्री सभापति : आपने विस्तार से ध्यान आकर्षित कर दिया, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

बहुत विस्तार से ध्यान आकर्षण कर दिया है। अब कृपया, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह अभी राजस्थान की धरती से जुड़ा हुआ है। कोटा के कारखाने और धन्ना सेठ कोटा के लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आज स्थिति यह हो रही है कि कोटा के जवान बाजारों में बेकार घूमें . . .

श्री अहमद बख्श सिन्धी (जोधपुर) : आप क्यों फिक्र कर रहे हो, कोटा भी आपके हाथ से निकल रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : है कोई माई का लाल जो पैदा हुआ है । कोटा हमारा है और हमारा रहेगा . . .

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अहमद बक्श जी, आपको चैलेन्ज है । मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी इस्तीफा दें दें और कोटा से चुनाव लड़कर देख लें . . .

(व्यवधान)

अगर आप फिर विधान सभा में आ जाना तो कह देना . . .

श्री अहमद बक्श सिंधी : मुझे चैलेन्ज मंजूर है ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, दो माननीय सदस्यों ने एक दूसरे को कोटा से चुनाव लड़ने के लिये आह्वान किया है तो मेरा निवेदन है कि दोनों ही माननीय सदस्यों से रिजाइन करवा दिया जाय और फैसला हो जाये . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

अब आप स्थान ग्रहण करें । नियमों में तो चैलेन्ज का प्रावधान है ही नहीं . . .

श्री दाऊदयाल जोशी : अहमद बक्श जी, जमानत जब्त हो जायेगी ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, एक बात कह कर समाप्त करता हूं ।

इसके पहले भी आन्दोलन हुए हैं । सरकार के सामने फैक्ट्री वाले आये और जिलाधीश के यहां मीटिंग हुई । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है । जी हां, आन्दोलन हुए थे, और उद्योगों द्वारा लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया । यह सरकार उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, केपिटलिस्टों और धन्ना सेठों की रही है । मेरा निवेदन है कोटा में कोई बड़ा आन्दोलन न फैले . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को आगाह कर देता हूं कि कोटा में जन-आक्रोश न उभरे और आन्दोलन की आग न फैले, इसलिये कोटा के उद्योगों में उन लोगों को नौकरियां देने का प्रयास करें वरना कोटा धूं-धूं करके जलेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की होगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है, उसके ऊपर बात कहने से पहले मैं आपकी इजाजत से एक निवेदन करना चाहता हूं कि दो माननीय सदस्यों ने आपस में चुनौती दी है . . . .

46

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा आपका स्थगन प्रस्ताव है उसी पर बोलें । आसन ने चेलेन्ज का कोई कानूनीजेन्स नहीं किया है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, दोनों ही माननीय सदस्यों को अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है । माननीय पहाड़िया जी को अभी चुनाव लड़ना है . . . . .

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि उनको कोटा से चुनाव लड़वा दें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य ।.

श्री गोपाल पचेरवाल : हाड़ौती के लोग हैं कोटा के ।

माननीय सभापति । महोदय, मैंने राजस्थान परिवहन निगम के बूंदी आगार के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है । मेरे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने यह निवेदन किया है कि बूंदी जिले में आपके आगार में 51 बसें आज की तारीख में उपलब्ध हैं जो आपकी प्रगति रिपोर्ट है उसके आधार पर 23 मार्गों पर बसें चल रही हैं । 51 बसों में से 11 बसें तो टायर के अभाव में बेकार पड़ी हैं और अन्य दूसरी खराबियों के कारण भी बेकार पड़ी हुई हैं जिनका जन-सुविधाओं के लिये उपयोग नहीं किया जा रहा है । बड़े आश्चर्य की बात है बूंदी आगार की बसें खराब होने के कारण कोटा आगार में पड़ी हुई हैं । हमारे जिले के अधिकारी इस तरह चुप बैठे हुए हैं जैसे उन्हें कोई चिन्ता ही नहीं । उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि वह बसें कोटा आगार से लाकर ठीक कराई जायं । जो 39 बसें आज की तारीख में चल रही हैं उनमें से किसी में बूंदी से पाटन के लिये रवाना होते हैं तो हम यह आशा नहीं करते हैं कि बूंदी से रवाना होने के बाद पाटन समय पर पहुंच जायेंगे । बूंदी, लाखेरी और नैनवा से प्रातः जो बसें चलती हैं उनमें जो लोग सुबह न्यायालय के लिये चलते हैं वे यह नहीं सोच सकते हैं कि हम पहुंच भी सकेंगे या नहीं । अगर टायरों के अभाव में नहीं चल रही हैं तो वह ठीक हैं लेकिन जो चल रही हैं उनकी भी हालत ऐसी है । सभापति महोदय, अगर मुझे विस्तार से कहने की इजाजत दी जाय तो मैं पूरी अनियमितताओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । कई लोगों को तारीखों पर न पहुंचने के कारण कितने गम्भीर परिणाम भुगतने पड़े हैं । सभापति महोदय, नैनवा, लाखेरी आदि जगहों से लोगों को तारीखों में जाना होता है और उन्हें बूंदी में आना पड़ता है । कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि समय पर न पहुंच पाने के कारण उनकी जमानतें जब्त हुई हैं और जेल की सजा भी हुई है । ऐसी खतरनाक स्थितियों में भी बसों के समय पर न पहुंच पाने के कारण लोगों को पड़ना पड़ा है श्रीमन्, रिपोर्ट में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है कि 51 बसों द्वारा बूंदी में यात्रियों को सुविधायें दी जा रही हैं लेकिन वास्तविक स्थिति आज यह है कि 51 बसों में से केवल 39 बसें ही 23 मार्गों पर चल रही हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं बूंदी आगार में आपके किसी अधिकारी को यह देखने भेजें कि

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वहां बसेज किस हालत में पड़ी हुई हैं। मंजिल तक पहुंच पाती है या नहीं। तो मेरा निवेदन है इस सारी स्थिति का जायजा लिया जाकर, बसेज की व्यवस्था को सुधारा जाय।

एक मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि जो "बी" श्रेणी का आगार है उसको "ए" श्रेणी का घोषित करें।

श्री **सभापति** : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति नागौर जिले के अन्तर्गत आती है इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्री तुलसी राम ने एक लाख 18 हजार रुपया अपने उपयोग के लिए ले लिया। इन 1 लाख 18 हजार रुपये में से सिर्फ 89 हजार रुपये ऐसे तालावों में लगाये हैं, जिन तालाबों में वास्तव में देखा जाय तो पानी सिर्फ महीने-डेढ़ महीने भरा रहता है। वास्तव में उनमें रुपया बिलकुल नहीं लगाया गया है। आज भी उन तालाबों को जाकर देखें तो जो कुछ मिट्टी बाहर निकली हुई है, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। 89 हजार रुपये में से मेरा ऐसा अंदाजा है, और गांव वालों से भी मेरी बातचीत हुई थी कि कोई 5–7 हजार रुपया तो लगा दिया होगा, बाकी पूरा का पूरा रुपया हजम कर गये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार के पास में पिछले दो महीने में लगातार रिपोर्ट की जा रही हैं लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। शुरू में जब स्वीकृतियां की गयी थीं, उस वक्त जनता पार्टी का शासन था, जनता पार्टी के नेता थे, सरपंच थे, इसलिए 1 लाख 18 हजार रुपये में से शेष कोई 15–20 हजार रुपये का काम हुआ जो पक्के काम हैं, उनमें कुछ पैसा लगा, जैसे हरिजनों, मेघवालों का टांका, कुओं की मरम्मत, पंचायतों के भवनों की मरम्मत, इसके अलावा तालावों में यह पैसा बिल्कुल नहीं लगा है। करीब–करीब यह पूरा का पूरा पैसा सरपंच महोदय ने हजम कर लिया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इतने अर्से तक रिपोर्ट करने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत इन तालाबों में जो पैसा लगाया है, वह पैसा पूरा का पूरा करीब–करीब गबन कर लिया गया है। इसकी जांच की जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय। बस।

श्री **सभापति** : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले में गोविन्द गढ़ कस्बा है, वहां पर एक बहुत पुराना किला है, उस किले के अन्तर्गत 39 बीघा जमीन भी है। उसके अन्दर 8 मंदिर हैं। प्राच्य किलों की दृष्टि से यह किला बहुत महत्वपूर्ण स्थान अलवर जिले में रखता है। यह 39 बीघा जमीन 1975 के अन्दर तत्कालीन कलेक्टर ने वहां के पिछड़ी जाति के और गरीब वर्ग के लोगों को आवंटित करने के लिए पंचायत को दे दी, लेकिन क्योंकि कस्बे से किला दूर है इसलिए वहां लोगों ने जाकर बसना उचित नहीं समझा। यह जमीन ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह जमीन काफी कीमती भी है। अभी तक कोई बैरी

(48)

(श्री जीतमल जैन)

टेबल ट्रस्ट है जिसके व्यवस्थापक महोदय इंगलैण्ड के अन्दर कहीं रहते हैं, उन्होंने सारे किले की जमीन को किसी उपयोग के लिए मांगा। किस उपयोग के लिए लेंगे, यह उन्होंने उस प्रस्ताव के अन्दर कहीं नहीं उद्धृत किया। यह ट्रस्ट एक सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। ऐसा लगता है, गांव वालों का कहना है कि सरपंच ने कहीं कुछ सांठ गांठ करके निःशुल्क सारा किला ट्रस्ट को दे दिया है। उनका ख्याल है, यह भी ध्यान देने की बात है कि उसके अन्दर 7-8 मंदिर हैं, उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी और मंदिरों की तोड़-फोड़ कर दी जायेगी। मेरा इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव देने का एक ही केवल उद्देश्य है कि इस प्रकार की जो कार्यवाही सरपंच ने किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण की है, उसके कारण दो सम्प्रदायों, जो इस समय काफी समय से अच्छे 'सौहार्दपूर्ण वातावरण में, निवास कर रहे हैं, आपस में कोई द्वष नहीं है, एक दूसरे के सुख-दुःख में साथ चलते हैं; के अन्दर एक विद्वेष की भूमिका सरपंच के इस कार्य ने बोदी है। उसके कारण सारे गांवों के लोग, एक सम्प्रदाय विशेष के लोग बहुत उत्तेजित हैं। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें और जो कुछ कार्यवाही हुई है निःशुल्क किले और जमीन को देने की, उसको रोका जाय ताकि इन दो सम्प्रदायों के बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं रहे। इस स्थिति को अगर नहीं रोका गया तो मुझे आशंका है, भविष्य में उस कस्बे में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है और सरकार के लिए......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नया सिर दर्द हो सकता है। दो सम्प्रदायों के बीच एक विद्वेष की भूमिका सदा के लिए बोदी है। कलेक्टर महोदय ने भी, जहां तक मुझे जानकारी है कि उसको देने के लिए तारीख 8-8 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं समझता हूं कि सारे मामले को रोका जाय। और कोई भी सरकारी अधिकारी जाय और उसकी देख-रेख के अन्दर ग्राम के सारे लोगों को एकत्रित करके इस विषय में राय ली जाय। इस मामले को रोका जाय, वरना यह सम्प्रदायिक विद्वेष की भूमिका होगा, दो सम्प्रदायों के अन्दर जो सौहार्द अब तक चला आ रहा है, मैं समझता हूं वह समाप्त हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंण्टी)

अभी समाप्त करूंगा।

यह मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही करे।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। माननीय सदस्य, आप पूर्व में बोल चुके हैं; कृपया, संक्षेप में।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो मेरे क्षेत्र के सहकारी बैंक में 56 हजार रुपये का गबन है इस सम्बन्ध में है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो कृष्ण चन्द आनन, जो कि कैशियर है; 15 जुलाई से 56 हजार रुपये और बैंक की दो चाबी लेकर फरार है। अभी तक पुलिस ने उसकी जांच नहीं की है। इतना मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कैशियर एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता का एक रिश्तेदार है जिसने विधान सभा का चुनाव में भी लड़ा

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

हुआ है। वर्तमान में जो हीरो हुआ है, उसका रिश्तेदार है। वह भूतपूर्व कोआपरेटिव के चेयरमैन भी रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है। आज इस स्थिति में वर्तमान में वहां के किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है, वहां के किसान मारे-मारे फिर रहे हैं, वहां किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 19 तारीख को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार हुआ है कि वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वे उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वह कांग्रेसी रिश्तेदार है। अभी तक कोई जांच इस सम्बन्ध में नहीं हुई है, न कोई गिरफ्तार किया गया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, और मांग करता हूं कि उस व्यक्ति को, उस कैशियर को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और उसकी जांच की जाय ताकि किसानों का हित हो सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि उस व्यक्ति को कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो कि चुनाव लड़ा था, ने आश्रय दे रखा है। यदि इस सम्बन्ध में जांच नहीं की गयी तो किसानों का आन्दोलन होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाय।

श्री **सभापति** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री **चांदमल जोशी** : सभापति महोदय, मैंने इत्तिहादे वाहमी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर आर्डर :

श्री **अनंगकुमार जैन** (झालरा-पाटन) : सभापति महोदय, इसमें मेरा भी नाम था।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, श्री बाल चन्द्रजी ने काफी विस्तार से प्रकाश डाल दिया है।

श्री **समर्थलाल** : सभापति महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री **सभापति** : आप गैर हाजिर थे। मैंने आपका नाम पुकारा था तब आप गैर हाजिर थे, अब मैं समय देने में असमर्थ हूं।

श्री **समर्थलाल** : अब तो हाजिर हो गया हूं।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री **अनंगकुमार जैन** : सभापति महोदय, सहकारिता के अन्दर भ्रष्टाचार के मामलों पर कल भी इस सदन में काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर भी दिया था लेकिन बहुत सी बातों को चबा भी गए। माननीय सभापति महोदय, यह जो 56 हजार का घोटाला किया गया है इसके अन्दर मूल बात यह है कि 15 जुलाई को कैशियर 56 हजार रुपये लेकर फरार हो गया और बैंक की दोनों चाबियां भी कैशियर ले गया। बैंक की जो चाबियां होती हैं उनमें से एक तो कैशियर के पास रहती है और एक चाबी मैनेजर के पास रहती है। दोनों चाबियां लेकर वह कैशियर रवाना हो गया, यह कैसे हुआ ? सभापति महोदय, बैंक की प्रणाली में आम जनता की साख होती है।

(श्री अनंगकुमार जैन)

आम जनता यह महसूस करती है कि बैंक की प्रणाली में कोई बेईमानी नहीं होती है। यहां पर ईमानदारी से काम होता है। जब एक चाबी मैनेजर के पास रहती है तो फिर दोनों चाबियां कैशियर के पास किस प्रकार से पहुंच गई, और किस प्रकार से दोनों चाबियां लेकर, और 56 हजार रुपये लेकर वह गायब हुआ? सभापति महोदय, इसमें मूल बात यह है कि 15 जुलाई को वह रुपया लेकर फरार होता है, और चार दिन तक वहां के मैनेजर द्वारा उच्च अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी जाती है। 19 तारीख को उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है। सभापति महोदय, 19 जुलाई को कोआपरेटिव बैंक झालावाड़ के जनरल मैनेजर को सूचना मिलती है। उसके बाद 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जनरल मैनेजर कोआपरेटिव बैंक कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। बैंकों के अन्दर, सभापति महोदय, अगर दस रुपया भी कम हो जाय या दस रुपयों का भी घोटाला हो जाय तो उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है लेकिन 56 हजार रुपया और बैंक की दोनों चाबियां लेकर यह कैशियर गायब हो गया उस पर जनरल मैनेजर कोआपरेटिव बैंक झालावाड़ कोई कार्यवाही नहीं करे तो इसका क्या मतलब निकलता है। आजकल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जिलाधीश हैं, वे भी एक सप्ताह तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते, और इस प्रकार से पन्द्रह दिन गुजार देने के बाद जनरल मैनेजर मौके पर पहुंचते हैं। इस गबन के अन्दर हो सकता है कि जनरल मैनेजर और दूसरे उच्च अधिकारियों का हाथ हो। उस चीज को दबाने के लिए राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन है कि मंत्री महोदय जवाब देते समय तो बहुत आवेश में आकर राजनीति की बात कर जाते हैं लेकिन हम इस बात को राजनैतिक परिप्रेक्ष में नहीं करते। मेरा विनम्र निवेदन है कि इतनी बड़ी राशि का गबन हो जाय और 15 दिनों तक उच्चाधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं तो जो उच्चाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय और गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं हों।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाही थी और उन्होंने कहा था कि...

श्री सभापति : किस विषय में?

श्री दाऊदयाल जोशी : इत्तिहादे वाहमी के बारे में।

(विराम)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बड़ा सैंसेटिव मामला है। आपने जो आसन को आश्वासन दिया है, आसन अपेक्षा करता है कि आप अपने आश्वासन को पूरा करेंगे। मैं आपको इसके लिए दो मिनट से अधिक समय नहीं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : पांच मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आसन ने आपके आग्रह को स्वीकार कर

(श्री सभापति)

लिया तो क्या आप आसन के आग्रह को स्वीकार नहीं करेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : पांच मिनट में केवल एक पत्र को पढ़ कर सदन के सामने रखना चाहता हूं । सिर्फ एक पत्र पढ़ देता हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था . . . .

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाही थी । पांच मिनट में एक पत्र पढ़कर सदन के सामने रखना चाहूंगा । वह पत्र मैं पढ़ कर सुना रहा हूं । यह इत्तिहादे वाहमी नामक संस्था है जो अभी चार महीनों से कोटा के अन्दर आई है । सबसे पहले सीसवाली में काण्ड हुआ और उस काण्ड की चर्चा हुई । उसके बाद बारां में काण्ड हुआ, अन्ता में हुआ । उसके बाद कोटा नगर के अन्दर इस इत्तिहादे वाहमी संस्था ने साम्प्रदायिकता की आग को सुलगाने का पूरा-पूरा प्रयास किया । मेरा निवेदन करना यह है . . . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने आश्वासन से डेवीयेट नहीं हों, कृपया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा । मैं केवल फैयाजखान बागी का पत्र पढ़ता हूं । यह बागी कोटा के घण्टा घर पर गया, और दिनांक 8 जुलाई के राष्ट्रदूत में उसका पत्र छपा है । यह मुसलमान का पत्र है, मेरा नहीं है या किसी जाति विशेष का नहीं है । वह पत्र मैं यहां पढ़ कर, सभापति महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । उसके बाद शासन निश्चित रूप से, गंभीरता से इस पत्र को लेगा और कोटा को साम्प्रदायिकता की आग से बचाने का प्रयास करेगा । महोदय, इत्तिहादे वाहमी नामक एक संस्था इन दिनों तेजी से पनप रही है जो इस्लामी जमात को मुल्क के दीगर समुदायों से एक रस होने में नित नई दिक्कतें खड़ी कर रही हैं । इस संस्था की दो बैठकों में इनके नेताओं की तकरीरें सुनने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह भारतीय मुस्लिम समाज के लिए किसी दीमक से कम नहीं । अलग अलग बहानों से मजहबी कट्टरता को उभार कर, यह संस्था अन्दर ही अन्दर मुस्लिम समाज की तरक्की को चाट रही है । मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई रचनात्मक काम शुरू करने के बजाय इत्तिहादे वाहमी फक्त फिरकापरस्ती फैला रही है । क्या मुसलमानों को कौम परस्त बनाने की बजाए फिरकापरस्त बना कर भारत में उनकी तरक्की की उम्मीद की जा सकती है ? कौमी एकता की राह में फिरकापरस्ती बहुत बड़ी रुकावट है ।

हाड़ोती क्षेत्र में भी इत्तिहादे वाहमी के कायम होने के अंदर से इस इलाके में साम्प्रदायिकता का जहर अपना असर दिखाने लगा है । पिछले दिनों कोटा जिले के सीसवाली कस्बे में हुई दुखान्तिका और गत 22 जुलाई को अन्ता कस्बे में हुई शर्मनाक वारदात को हवा देने में वाहमी का अहम रोल रहा है । सीसवाली की आग को यह संस्था चार महीने बाद भी नहीं बुझने दे रही है और अब फिर अन्ता को केन्द्र बना कर नये गुल खिलाये जा रहे हैं । ऐसी घटनाओं के साये में ही साम्प्रदायिक संस्थायें अपने पैर जमाती हैं ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने वाली ऐसी संस्थाओं पर फौरन पाबन्दी लगाई जानी चाहिये। मुसलमानों को भी बाहमी की खाल हटा कर इसकी असली शक्ल पहचाननी चाहिये। मजहब के नाम पर कोई हमें गुमराह न कर सके, इसकी सावधानी रखने की जरूरत है। जो धर्म के नाम पर लड़ता है वह सबसे बड़ा अधार्मिक है। मशहूर शायर इकबाल भी कह गये हैं "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना"। फैयाज खान बागी घंटाघर, कोटा।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : जिस प्रकार से कश्मीर के शेख अब्दुला ने कहा है कि जमायते इस्लामी कश्मीर के अन्दर अरब कण्ट्रीज के साथ साँठ-गांठ करके।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

आप समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसी तरह से यह इत्तिहादे बाहमी भी अरब कण्ट्रीज के पैसे से कोटा में और सारे राजस्थान में . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने आश्वासन दिया था और आसन को आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप अपने आश्वासन के बाद में . . .

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : एक सैकन्ड में . . .

श्री सभापति : मैं इस पर और चर्चा अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गृह मंत्री जी के सहयोग के लिए एक सैकन्ड में . . .

श्री सभापति : आप गृह मंत्रीजी को दे दें। मैं इस विषय पर अब कोई चर्चा अलाउ नहीं करूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

सीमावर्ती इलाकों में गाय के अलावा अन्य पशुओं के लिए गोचर भूमि नहीं होने सम्बन्धी। श्री अमीन खां।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर आपने सरकार से जानकारी चाही थी . . .

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य, अध्यक्षजी से उनके चेम्बर में मिल कर अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं एक लाइन में . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं चर्चा अलाउ नहीं करूंगा। अध्यक्षजी का निर्देश था, उसके

(श्री सभापति)
अनुसार मैंने जोशीजी को अलाउ किया है। अब आगे इस पर चर्चा अलाउ नहीं करूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीमावर्ती इलाकों में गाय के अलावा अन्य पशुओं के लिये गोचर भूमि का अभाव

श्री **अमीन खां** (शिव) : सभापति महोदय, राजस्थान के रेवेन्यू कानून में सिर्फ आठ पशु को घास चरने का कानून बनाया है। आठ पशु ऐसे हैं जिनका देहात और गरीब इलाकों में पशुओं से गहरा संबंध है। गाय है, बकरी है, भेड़ है, गधा है, ऊंट है, घोड़ा है, भैंस है। इन पशुओं में से भी भेड़ और बकरी जिस इलाके में और जिस गोचर में रहती हैं, वहां गाय को दरअसल चरने को कतई घास नहीं रहती। सबसे ज्यादा घास का चारा जो खाती है वह बकरी और भेड़ खाती हैं। गांव के जिस इलाके में पीने के पानी की समस्या है, जो इलाके रेगिस्तानी है, वहां के समस्याग्रस्त इलाके में गरीब तबकों के साथ गधा पानी भर कर गांव में लाने की दृष्टि से बहुत बड़ा जरिया है। चालीस पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं जिनका काश्तकारी के साथ गधों के साथ सम्बन्ध रहता है। गधा ऐसा जानवर है जो रातदिन चारा चरता रहता है और आराम और नींद भी बहुत कम लेता है। हमारे इलाके में काफी लोग ऐसे हैं, नब्बे पर्सेन्ट लोग हैं जिनका पशुओं पर ही गुजारा निर्भर है। प्रथम गाय बकरी, भेड़ और ऊंट, इनके बिना कतई कोई जरिया नहीं है। खेती का हमने औसत हिसाब लगाया है कि 20 किलो बाजरी और ग्वार की प्रति बीघा आमदनी है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र जैसलमेर की शिव तहसील में कतई जरिया नहीं है। हमने बार बार अनुभव किया है, मेरे घर से अनुभव किया हैं, मेरे खुद के घर परिवार में हम तीन भाई है। 600 बीघा जमीन है, काश्त करते हैं। उस पर भी हमारा आराम से गुजारा नहीं होता है। मगर 100 भेड़ें और 20 गायें हैं, उनसे हमारे घर का गुजारा चलता है। तो राजस्थान के कानून में यह बार-बार जमीन काट रहे हैं और अलाट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कानून में सिर्फ गाय को आधा बीघा जमीन दी गई है, बाकी किसी जानवर के लिये गोचर का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार गायों की जितनी संख्या हैं, उसके हिसाब से गोचर जमीन दी है, बाकी को नहीं दी है। वहां हजारों-लाखों लोग वर्षों से रह रहे हैं। खेती का उनका कोई धंधा नहीं है। सारे राजस्थान में कहीं बिजली से सिंचाई होती है, कहीं कुओं से सिंचाई होती है, दो फसली एरिया होता है। उस जगह 15-15 किलोमीटर पीने का पानी नहीं है। गोचर का कानून समान नहीं है। रेगिस्तानी इलाके में घास जमीन में पैदा होती है। हर क्षेत्र के विधायक और चुने हुए प्रतिनिधि सरकार में हैं तो अलग-अलग जिले की समस्या पर विचार करना चाहिये।

हमारे इलाके में जो घास पैदा होती है, शायद सब सदस्यों को मालूम नहीं है कि उस घास का नाम क्या है। हमारी जमीन में, मुरड़, घटिया, रेवड़, कंटी घास पैदा होती है। यह हर क्षेत्र में नहीं है। यह कमजोर जमीन में होती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारी शिव तहसील में सोंदरा है। वहां लोग काश्तकार नहीं है। उनका रोजगार पशु के आधार पर है। इसलिये हमारा सरकार से निवेदन है कि इसका कानून में प्रावधान कर दिया जाये, और कानून में प्रावधान करना सरकार के लिये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। यह आम गरीब आदमी के हित की बात है। जिस जगह

(श्री अमीन खां)

लाखों-हजारों का पशु ही गुजारे पर जरिया है, उसके लिये ध्यान रखा जाना चाहिये।

शिव तहसील में कई ऐसे बड़े-बड़े तालाब हैं, जिनमें एक-एक साल तक पानी ठहरता है। उन तालाबों के आस पास पशुपालकों के गांव बसे हुए हैं, उनकी व्यवस्था के लिए कानून में प्रावधान किया जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां के पशुपालक इन पशुओं से महरूम रह जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री समापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : पशु सारे खतम हो जायेंगे और वह आदमी सरकार के पीछे रोजी के लिये घूमते रहेंगे और लोगों के सामने हमेशा के लिये भारी समस्या पैदा होगी। इसलिये मेरी राय में सबको यह मंजूर होगा, किसी को आपत्ति नहीं होगी। वहां खराब जमीन है, फसल कम होती है, केवल पशु पर आदमी गुजारा करते हैं। उसके लिये कानून में गोचर भूमि का प्रावधान करना भारी नहीं पड़ेगा, कानून बना दो सबको मंजूर है। जहां पर लोग पशु पर गुजारा करते हैं, खेती पर निर्भर नहीं रहते हैं उस जगह पशु को बचाने के लिये कानून में सारे राजस्थान के लिये मंजूर नहीं कर सकते हो तो जिला जैसलमेर और बीकानेर के कुछ हिस्से और बाड़मेर शिव तहसील के लिये तय कर दें ताकि हर पशु के लिये एक-एक बीघा गोचर भूमि कायम रहे। दूसरे पशुओं को पशु नहीं गिनते, केवल गाय के लिये आधा बीघा रखी है। इससे गांव के समझदार लोग कहते हैं, यह कानून बनाने वाले कहां के मूर्ख हैं, गाय को पशु मानते हैं तो दूसरे पशुओं को किसमें गिनते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि बड़े-बड़े पशुपालकों की समस्या है, इसके समाधान के लिये ईमानदारी से कानून में एकदम परिवर्तन करें। यदि कोई चीज आड़े आती है तो 134 आदमी बैठते हैं हाथ खड़ा करने के लिये, शायद विरोधी पक्ष के भी पशुपालकों के मामले में हां में हां कर दें। कानून में एक पैरा जोड़ कर सात पशुओं की जो नस्ल है, उनके लिये सारे राजस्थान के लिये व्यवस्था नहीं करें तो जहां पशुओं पर लोगों का गुजारा है उस क्षेत्र के लिये कानून में व्यवस्था की जाये ताकि पशुपालकों के गुजारे की व्यवस्था हो सके और जो लोग पशुओं पर गुजारा करते हैं वह हमेशा के लिये सुरक्षित रहें और उनके लिये रोजगार का भय पैदा न हो। नहीं तो सारे जानवर इस कानून के द्वारा खतम हो जायेंगे और भविष्य में पशुपालकों के लिये रोजी का जरिया नहीं रहेगा। इसलिये वह गरीब लोग यह चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री समापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपने अपनी बात कह ली। माननीय मंत्री जी।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप-मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदय, गौ वंश के अतिरिक्त अन्य पशुओं के लिये भी चरागाह कायम किया जावे या नहीं इस बाबत कानूनी स्थिति यह है कि राजस्थान टिनेन्सी नियम, 1955 के नियम 6 में यह व्यवस्था है कि जिन क्षेत्रों में चरागाह कम है उनमें अनाधिवासित भूमि में से ग्राम पंचायत से परामर्श करके चरागाह कायम करने की कार्यवाही तहसील-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

दर से प्रस्ताव आने पर उपखण्ड अधिकारी करेगा। ऐसा करते समय वह गांव के कुल पशुओं की संख्या को ध्यान में रखेगा और इस काम के लिये मोटे तौर पर आधा बीघा भूमि प्रति पशु का प्रमाण रखेगा। और ऐसा करते में . . .

श्री अमीन खां : मंत्री महोदय, प्रति पशु का नहीं, प्रति गाय का है।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये, उसके पश्चात प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : और ऐसा करने में न केवल गांव की पशु संख्या को ध्यान में रखेगा वरन गांव के समस्त अनाधिवासित भूमि क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनमें खेती की गई है, तथा खेती के निमित्त भूमि की जरूरत को भी ध्यान में रखेगा।

नियम 6 (क) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत है, चरागाह भूमि गांव की असिंचित बंजर भूमि तथा अन-कमाण्ड भूमि में से ही निर्धारित की जाकर चरागाह हेतु तय की जायेगी।

इस प्रावधान को देखने से विदित होगा कि प्रति पशु आधा बीघा की दर से चरागाह की कायमी करने की अनुमति नियमों में दी गई है। ऐसा करने के लिये न केवल पशुओं की संख्या को ध्यान में रखा जावेगा वरन अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जायेगा। यह देखा जावेगा कि उस गांव में कुल पड़त सरकारी भूमि कितनी है एवं कृषि प्रयोजन के लिये भूमि की मांग कितनी है। इस रूप में देखने पर यह बात सामने आयेगी कि चरागाह की कायमी करते समय न केवल पशु संख्या को ध्यान में रखना होगा वरन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि गांवों में भूमिहीनों की भूमि की मांग कितनी है। जहां तक पशु शब्द का संबंध है, शब्द कोष के अनुसार इसमें गोवंश के अतिरिक्त भैंस, भैंसे, पाड़े, ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरी आदि सब आ जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : गधे भी हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : गधे भी समझ लो।

परन्तु राज्य सरकार ने परिपत्र एफ 1 (255) राज/ग/56 दिनांक 21 जनवरी 1957 जारी करके यह स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 6 के प्रयोजन के लिए पशु शब्द में भेड़, बकरी, ऊंट एवं घोड़े शामिल नहीं होंगे एवं इसका आशय केवल गाय, भैंस एवं उनके वंश से होगा। इस प्रकार चरागाह की कायमी में केवल उन्हीं का ध्यान रखा जाता है। सारे राज्य में चरागाह की कायमी में यदि भेड़ बकरियों की संख्या का भी ध्यान रखा जाने लगे और इनके लिये भी चरागाह भूमि छोड़ी जावे तो स्पष्टतः समस्या भूमि की उपलब्धि की आवेगी क्योंकि इनकी संख्या बहुत है जो निम्न आंकड़ों से प्रकट है। वर्ष 72 की गणना के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूं।

गायें आदि	1,24,70,000
भैंस आदि	45,93,000
भेड़ें	85,56,000
बकरियां	1,31,62,000
घोड़े एवं खच्चर	48,000
गधे	1,86,000

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह ज्यादा है, गधों की कमी नहीं है।

श्री बालकदयाल जोशी : इसमें गधे ज्यादा नजर आ रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : ऊंट 7,45,000

यदि गाय भैंस इनके वंश को छोड़ कर शेष के लिये भी चरागाह कायमी का प्रस्ताव किया जाये तो इनके लिये भूमि की मांग दुगुनी हो जायेगी। व्यवहार में इतनी भूमि उपलब्ध कराना स्पष्ट ही असंभव होगा।

जहां तक राज्य के पश्चिमी सूखा संभावित जिलों यथा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली, बीकानेर एवं चूरू जिलों का संबंध है इनमें भूमि के आवंटन पर रोक लगाई हुई है और इस रोक से केवल निम्न मामलों को ही छूट दी हुई है :-

(1) एक हैक्टेयर तक टुकड़ों के आवंटन की छूट।

(2) सीलिंग कानून के तहत अवाप्ति की गई सरप्लस भूमि के आवंटन पर रोक नहीं है,

(3) अन्त्योदय योजना के तहत चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के लिये आवंटन किया जा सकता है।

(4) पिछले भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

उपरोक्त को छोड़ कर अन्य प्रकार के इन जिलों में भूमि का आवटन रोका हुआ है। इसका कारण यह है कि इन जिलों की भूमि कृषि पैदावार की दृष्टि से कमजोर है एवं खेती का अधिक बोझा सहन नहीं कर सकती, इसे चरागाह विकास एवं वृक्षारोपण के लिये ही अधिक उपयुक्त समझा गया है। इस प्रावधान का स्वाभाविक परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों में चरागाह का विकास होगा एवं वृक्षारोपण भी अधिक होगा। इस प्रकार निर्धारित से अधिक क्षेत्र में न केवल चरागाह कायम होने की व्यवस्था की गई है वरन् राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत इस बात के लिये भी व्यवस्था कर रही है कि इनमें सुचारु रूप से चरागाह क्षेत्र का विस्तार हो। इसका लाभ सभी प्रकार के मवेशियों को प्राप्त हो रहा है जिनमें ऊंट, भेड़, बकरी आदि भी शामिल हैं।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि दूसरे पशुओं को भी शामिल करते हैं। हमारे यहां पंचायतों में बाकायदा कलेक्टर, एस. डी. ओ. प्रस्ताव लेते हैं, हमने क्लियर सुना है, वह जाहिर करते हैं कि गायें के सिवाय आधा बीघा कतई नहीं होता है। यही नहीं, वह क्लियर कहते हैं गोचर जमीन के लिये वे मना करते हैं। आधा बीघा से ज्यादा राज्य सरकार का कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरा आपने कहा कि छूट है। हजार शरणार्थियों, अन्त्योदय के हजारों आदमियों को, इस तरह से सारे आदमियों को 2–3 तहसीलों में अलाट करते हैं तो डी. पी. ए. पी. में जमीन कहां बचेगी। तो या तो इस पर सख्ती कायम रखें, हम सब कर लेंगे। रहा सवाल पशुओं का, आपने खुद संख्या बता दी। लेकिन सरकार पशुओं के लिये व्यवस्था नहीं करेगी तो लोग बरबाद हो जायेंगे, हमेशा के लिये दिवा-

(श्री अमीन खां)

लिया, कंगाल हो जायेंगे । लाखों आदमियों के रोजगार का सवाल है । यहां कोई अपनी मशहूरी, बड़ा नाम करने के लिये प्रस्ताव नहीं लाये हैं । जहां लोग 15–20 मील से पानी कंधों पर लाकर पीते हैं वहां पशुओं के मरने का सवाल है । पता नहीं, कैसे अधिकारियों ने पैरा जोड़ कर बता दिया । वहां तो साफ कहते हैं, कतई मना करते हैं, गोचर जमीन नहीं है । काश्तकारों को जो जमीन थी वह दे दी । लेकिन बिला कब्जा, सैटलमेंट की पड़ी हुई जमीन को आप कायम रखें और पशुओं का बचाव करें नहीं तो शहरों में घोड़ों पर सवार होकर रंग लेते हैं लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जायेगी । हम तो कहते हैं धोरों पर आप आदमी को इतनी आजादी दो, उनकी आज जमीन कायम रखने के लिये कानून में कुछ करो ।

श्री सभापति : मंत्री द्वारा उतर । क्या इस पर मंत्री महोदय कुछ कहेंगे ।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, राज्य सरकार की जो नीति चली आ रही है उसके बारे में विस्तार से माननीय सदस्य महानुभाव से निवेदन किया गया है । पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि डी. पी. ए. पी. का क्षेत्र उनके लिये देते हैं और जो सही है, वह पहले भी इसमें प्रावधान है । जो मैंने 3–4 अपवाद बताये हैं उनके अलावा किसी प्रकार का भी आवंटन नहीं है । जहां तक शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रश्न है, भू आवंटन का प्रश्न है उसके बारे में पुनर्वास मंत्रालय तेजी से देख रहा है । वहां पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये समुचित कदम उठाने के विचार कर रहे हैं । अन्त्योदय और दूसरी योजनाओं का जहां तक प्रश्न है उन्हें भी बहुत थोड़ी जमीन एक हैक्टेयर तक देनी होती है । मैं समझता हूं आज के दिन जो जमीनें बेचते हैं वह सारी जमीनें वृक्षारोपण के लिये और चरागाह के लिये ही बेचते हैं । ऐसी परिस्थिति में कौन से पशु जोड़ें, न जोड़ें, मैं नहीं समझता उनका समाधान किससे होगा । सरकार ने भू आवंटन पर रोक लगा दी है । ऐसी जमीनें जिनके सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय है और उनकी उस राय के आधार पर कृषि के लिये आवंटन करने के अयोग्य मानी है वह जमीन वृक्षारोपण व चरागाह विकसित करने के लिये है । ऐसी परिस्थिति में यही चाहते हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है वह व्यवस्था बनाई रखी जाय ।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, बारह हजार...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे, निवेदन करूंगा स्टेटमेंट देने के बाद, इरिगेशन की डिमाण्ड पर भी वाद-विवाद होना है । माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य की मांग है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दे की बात कही हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिये । जो अलाटमेंट पर बैन लगा कर कैटेगरी बना रखी है वहां अलाटमेंट हो रहा है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, आप कृपया, सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

कृषि मंत्री, श्रीमती कमला ।

(58)

शासकीय वक्तव्य

कृषि विभाग द्वारा लगभग 150 कृषि स्नातकों को दिनांक 1-6-77 से दिये गये 475 रुपये के वेतनमान को 375 रुपये के वेतनमान में अवनति

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल सेवा नवीन वेतनमान नियम, 1976 के अन्तर्गत कृषि विभाग के फील्ड मैन को निम्न वेतनमान स्वीकार किये गये थे । फील्ड मैन, नान मैट्रिक, वेतन श्रृंखला (6), वेतनमान 295–500, फील्ड मैन (मैट्रिक) वेतनमान 7, वेतन श्रृंखला 355–570, फील्ड मैन (कृषि स्नातक) 355–570, न्यूनतम प्रारंभिक वेतन 475/-। वेतन मान (7) 355–570 में कृषि स्नातकों को प्रारंभिक न्यूनतम वेतन 475/- रु. दिये जाने का प्रावधान था । इस प्रावधान के तहत नियुक्त किये गये कृषि स्नातकों, फील्ड मैन को प्रारम्भिक उच्च वेतन 475/- दिया गया था । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20-4-77 द्वारा कृषि विभाग के फील्ड मैन, गार्डन सुपरवाइजर, ग्रेप प्रूनर्स, ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं एवं सहायकों के पदों को एकीकृत करके उनका नया नाम और पद कृषि पर्यवेक्षक रखा गया ।

मैट्रिक (कृषि) और हायर सैकण्डरी (कृषि), इनको वेतनमान (7) 355–570 दिये जाने का प्रावधान किया गया । इसी आदेश द्वारा कृषि पर्यवेक्षकों के 20 प्रतिशत पदों के लिये चयनित वेतन श्रृंखला (10) 440–770, दिये जाने का भी प्रावधान है, परन्तु कृषि स्नातक कृषि पर्यवेक्षकों को वेतनमान (7) 355–570 में उच्च प्रारंभिक वेतन दिये जाने का कोई प्रावधान 1-4-77 के पश्चात् नहीं है । जब विभाग को यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ स्थानों पर अभी भी पूर्व की वेतन श्रृंखलाओं के अनुसार भुगतान हो रहा है तो विभाग ने दिनांक 18-6-80 के आदेश के अनुसार सभी कृषि पर्यवेक्षकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान संख्या 7, 355-570 दिए जाने का निर्देश जारी किया । इस आदेश में उच्च शिक्षा के कारण उच्च प्रारंभिक वेतन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः जिन व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के कारण प्रारंभिक उच्च वेतन 1-4-77 के बाद दिया गया है वह नियमानुकूल नहीं है इसलिए वसूली योग्य है । संयुक्त निदेशक कृषि, उदयपुर के आदेश संख्या एफ-स्थापना 79–80 दिनांक 19-1-79 एवं आदेश संख्या - दिनांक 25-1-79 के जरिए 14 कृषि स्नातकों को कृषि पर्यवेक्षक के पद पर वेतनमान संख्या 7, 355–570 में नियुक्त किया गया था और उन्हें 475/- प्रारंभिक उच्च वेतन स्वीकार किया गया था वह नियमानुकूल नहीं था । इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, कृषि, उदयपुर को पूर्व में ही निदेश दिए गए थे कि प्रारंभिक उच्च वेतन नियमानुसार नहीं है अतः आदेश पुनः संशोधित करें । तदनुसार उन्होंने अपने आदेश दिनांक 15-2-79 द्वारा उपरोक्त आदेश को संशोधित किया । साधारणतया 1-4-77 से पूर्व नियुक्त किए गए फील्ड असिस्टेन्ट से वसूली करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए फिर भी विस्तृत जानकारी संकलित की जा रही है ।

जहां तक कृषि पर्यवेक्षकों के पद पर कार्यरत कृषि स्नातकों के भविष्य का सवाल है, कृषि स्नातक लोक सेवा आयोग द्वारा

(श्रीमती कमला)
सहायक कृषि अधिकारी के पद पर वेतन मान 15, 550–1010 में चयन किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्नातक होने के नाते इनका चयन सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान कृषि सेवा, बैंक सेवा एवं अन्य सेवाओं में हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार कृषि स्नातकों द्वारा प्रस्तुत मांगों पर सभी दृष्टिकोणों से विचार कर रही है और विचार के उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप दो, तीन प्रश्न एक साथ पूछ लीजियेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : जैसा कि मंत्री महोदय ने 1-4-77 के पहले का कोई आदेश का हवाला दिया है, मैं मंत्री महोदया के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। आपका जो 1-6-77 का आदेश है, उस आदेश के अन्तर्गत जो भाषा लिखी गयी है वह अपने आप में स्पष्ट है। मैं इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। जैसा मैंने कहा है यह बिलकुल स्पष्ट लिखा है – उच्च वेतन 475I- एवं नियमानुसार भत्ते। -एम. एससी. और बी. एससी. यदि कृषि क्षेत्र सहायक के पद पर नियुक्त हो तो उसको 475/- रुपये बेसिक पे होगी और इस वेतन पर उसकी नियुक्ति होगी। यह आर्डर है 1-6-77 का। इसके बाद आपका दूसरा आर्डर है दिनांक 22-2-77 का इसके तहत जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें कृषि पर्यवेक्षक लिखा गया है। आपने यह कहीं कि 77 में अलग-अलग नामों को हटा-कर कृषि पर्यवेक्षक का नाम देकर उसकी 355 की ग्रेड रख दी। उस आदेश में जो एम एससी. बी. एससी एग्रीकल्चर थे उनको वेतन 475/- दिया गया है। दूसरा आर्डर है उसके अन्तर्गत भी यही लिखा है। एक दूसरा आदेश 6-4-77 का है उसमें भी 475/- रुपये का है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो एम. एससी., बी. एससी. थे वे आपके विभाग में नौकरी करने को आये। उनको उस वक्त यह पता था कि उनको 475/- रुपये मिलेंगे इसीलिए उन्होंने सर्विस जोइन की। उसके आधार पर सर्विस, नौकरी में आना स्वीकार किया। आज भी वे नौकरी कर रहे हैं और 3 वर्ष 16 दिन के पश्चात् यह आदेश निकलता है कि आपको 355 की ग्रेड में रहने का हक है। आप इस ग्रेड के हकदार हैं। तो गलती हुई आपके अधिकारियों की जिन्होंने उनको आदेश देते समय ध्यान नहीं रखा। अब जो रिकवरी की बात है उसकी सजा अधिकारियों को मिलनी चाहिए जिन्होंने आदेश निकालते समय ध्यान नहीं रखा। इसमें इन विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। अब आपने जो आदेश निकाला है उसमें एम. एससी., बी. एससी., हाई स्कूल आदि के लिए एक ही ग्रेड है। आपने रिकवरी का लैटर निकाल दिया। मेरे पास में यह सूचना है कि एक-एक से 3500/-, 4000/- रुपये तक की रिकवरी होगी। यह एक मजाक है। मानवता के आधार पर किसी ले मेन से भी पूछ लें, इसमें विद्यार्थियों को क्या गलती है। आपके 475/- रुपये देने के कारण ही वे सर्विस में आए। इसके कारण आसमान टपक नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसको रेगुलराइज कर सकते हैं। अब यह आपके ध्यान में आया है। आगे आने वालों को आप 355 की ग्रेड दें। वे चाहेंगे तो आना स्वीकार करेंगे। परन्तु मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम जो एम. एससी., बी. एससी. पास विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें नौकरी कर ली है, इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
उनका कोई फाल्ट नहीं है। नये को आप 355 की ग्रेड में ही लगावें परन्तु पुराने से रिकवरी न्यायसंगत नहीं है। इतने दिन से क्या आपके अधिकारी सो रहे थे ? उन्होंने उनको उच्च वेतन क्यों दिया ? इन लोगों की गर्दन पर तलवार लटक रही है। आज वे ओवर ऐज हो गये हैं। कहीं और नौकरी के लिए नहीं जा सकते हैं। 150 लोगों की जिन्दगी तबाह हो रही है। इसलिए आप इस आर्डर पर विचार करें। भविष्य में उच्च वेतन नहीं दें परन्तु एक बार जो उच्च वेतन दे दिया है, 3 साल 16 दिन बाद आप उनसे यह वसूली करें यह तो न्यायसंगत नहीं हो सकता। मंत्री महोदया, आप विश्वास दिलाएंगी, आश्वस्त करेंगी कि उनके साथ न्याय होगा।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी। माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा आप प्रश्न पूछें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मन्त्री महोदया, ने यह माना है कि क्वालिफिकेशन में अन्तर था। हाई स्कूल वाले को कम वेतन और जो बी. एससी, एम. एससी. थे उनको उच्च वेतन प्रारम्भ में दिया गया है। क्या यह सत्य है कि उनको जो अपाइन्टमेंट आर्डर दिया गया है उसमें उनको 475/- रुपया प्रारंभ में वेतन दिया गया है ? बाद में यह रिकमण्डेशन आई कि एक ही तरह का नाम, इन्टीग्रेटेड ग्रेड आप उनको देना चाहते हैं। श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल राजस्थान सरकार यह सोचे कि थर्ड ग्रेड टीचर, सीनियर टीचर और कालेज के लेक्चरार, इन सब को अध्यापक ही कहा जाए। उनकी ग्रेड आप 550 से 1010 कर दें, 76 से उसको लागू कर दें और उनसे वसूली करें तो यह पासिबल नहीं है। जो आपने रिकवरी का आदेश दिया है वह उचित नहीं है। यह आपने आदेश दिया है कि उनसे रिकवरी की जाएगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप यह स्पष्ट करें कि जिन्होंने जोइन कर लिया और जिन्हें 475/- प्रारंभ में उच्च वेतन दे दिया उनसे कोई रिकवरी न हो यह जो अन्तर है यह अधिकारियों के कारण है। इसकी सजा छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए। आज जो रिकवरी कर रहे हैं उनसे रिकवरी करना उचित और न्यायसंगत नहीं है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, इस वक्तव्य के दौरान में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम का सन्दर्भ देना भूल गई। यहां जो माननीय सदस्यों का प्रस्ताव आया था उसके पहले ही इन स्नातकों ने एक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था। उस वक्त उनसे जो रिकवरी की जा रही थी उसको रोक दिया गया था। यह आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार इसको वापस एग्जामिन करे और एग्जामिन करने के बाद जैसा फैसला हो, अगर पुराना वेतनमान उनको दिया जाना है उच्च वेतनमान हिसाब से तो उनसे रिकवरी नहीं होगी। अगर पुनर्विचार के बाद यह उचित समझा गया कि जो ग्रेड दी गयी है वह उचित है तो जो रकम बकाया निकलती है उसकी वसूली की किस प्रकार व्यवस्था की जाए, यह बाद में विचारणीय है।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई। शिक्षा मंत्री जी।

राजस्थान विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान एक अनशनकारी श्री बहादुर सिंह की मृत्यु

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) श्री बहादुर सिंह 7-8-80 को श्री भीमसिंह

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

के साथ क्रमिक भूख हडताल पर बैठे थे। फिर दिनांक 10-8-80 को 11.00 बजे प्रातः से ही श्री भीमसिंह व श्री बहादुर सिंह क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे । 11-8-80 को प्रातः 5-15 बजे के लगभग श्री भीमसिंह ने विश्व-विद्यालय अधिकारियों को सूचना दी कि श्री बहादुरसिंह की हालत चिन्ताजनक है। उसी समय विश्वविद्यालय चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी डा. एस. एन. पारीक को बुलाया गया जिन्होंने श्री बहादुर सिंह का परीक्षण किया और उसे मृत घोषित किया। जिस वक्त श्री बहादुर-सिंह को डाक्टर ने देखा उस समय वहां उसके द्वारा उल्टी किया गया रक्त था। उसकी दरी पर भी रक्त गिरा हुआ था।

श्री बहादुर सिंह के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम सवाई मानसिंह अस्पताल में किया गया। जिसकी रिपोर्ट में टी. बी. की बीमारी का उल्लेख किया गया है। श्री बहादुर सिंह विगत वर्षों से टी. बी. के मरीज होने के कारण उपचार ले रहे थे। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में जो ओपीनियन मेडिकल आफिसर ने दी है उसके अनुसार ट्यूबरक्ल केवेटियों तथा ग्रन्थिकाओं में छेद हो जाने के कारण हुये तीव्र रक्त स्राव के कारण जो सदमा हुआ वही मृत्यु का कारण था।

क्रमिक भूख हडताल का कारण दफ्तरियों का आन्दोलन है। विश्वविद्यालय ने दफ्तरियों की मांगों के संबंध में 24-5-80 को नया वेतनमान 255-420 देने का निर्णय लिया। पुनः 2-8-80 को दफ्तरियों ने मांग की कि उनका वेतनमान 295-500 किया जाय और 1-9-76 से वेतन निर्धारण किया जाय। यह मांग नहीं मानी गई तो 6-8-80 से क्रमिक भूख हडताल पर बैठेंग और 11-8-80 से श्री केशरलाल सोनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जायेंगे। कुलपति यह आदेश दे चुके थे कि जो दफ्तरी 420 रुपये तक पहुंच जायेंगे उन्हें 295-500 का वेतनमान दे दिया जावेगा। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि 23-5-80 का निर्णय यानी 255-420 का वेतनमान 1-9-76 से लागू किया जा सकता है और 295-500 की ग्रेड के लिये मामला पुनः विचार के लिये फाइनेन्स कमेटी और सिन्डिकेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

(1-51 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

यदि उक्त कमेटियों से यह ग्रेड स्वीकृत नहीं हो तो वे किसी प्रकार का आन्दोलन इस उद्देश्य हेतु नहीं करेंगे। इन सबके बावजूद 10-8-80 को श्री भीमसिंह एवं श्री बहादुर सिंह भूख हडताल पर बैठे और दुखद घटना हुई।

विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने श्री बहादुर सिंह के परिवार के सहायतार्थ निम्नलिखित घोषणा की है :—

(1) स्व. बहादुर सिंह के परिवार को रु. 5,000/ की एक मुश्त राशि सहायतार्थ दी जायेगी।

(2) स्व. बहादुरसिंह की पत्नी को विश्वविद्यालय नौकरी देगा व उन्हें वही वेतन दिया जायेगा जो कि स्व. बहादुर सिंह को मिल रहा था। इसके साथ ही उनके लिये आवास की भी व्यवस्था की जायेगी।

(3) यदि स्व. बहादुर सिंह की पत्नी विश्वविद्यालय में सेवा करना स्वीकार न करें तो विश्वविद्यालय प्रति माह 200/- रु. की

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
व्यवस्था तब तक के लिये करेगा जब तक कि उनका बड़ा पुत्र बालिग होकर सेवारत न हो जाये। विश्वविद्यालय उनके बड़े पुत्र के चाहने पर बालिग होने पर विश्वविद्यालय में सेवा का अवसर देगा।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, बस ठीक है।

श्री **सी. पी. जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इसके संबन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं। यह जो घटना हुयी है इस घटना से यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी चाहे वह कर्मचारियों का आन्दोलन हो चाहे प्राध्यापकों का या छात्रों का हो सिंडीकेट के निर्णय देने के नाम मे खराब वातावरण पैदा करना चाहते हैं। हालांकि जो अभी दुखद घटना हुयी है यह सही है कि इसमें विश्वविद्यालय के जो अधिकारी थे उनका बस नहीं था। लेकिन सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के यह ध्यान में है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं जिनके कारण ये दुखद घटनायें हो रही हैं? यदि राज्य सरकार वाकई स्थिति को ठीक करना चाहती है तो सरकार सदन को आश्वास्त करें कि सिंडीकेट हो या सीनेट हो या एकेडेमिक कौंसिल के इन निर्णयों के नाम पर ऐसी स्थिति नहीं बने कि आन्दोलन चले। मैं चाहूंगा कि जो ऐसी दुखद घटना घटी है उससे सबक लेकर कम से कम सदन को यह आश्वासन दें कि चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो या जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय हो उनमें जो स्थितियां बन रही हैं, उनके निपटारे के लिये राज्य सरकार उन विश्वविद्यालयों की जो सिंडीकेट है, सीनेट है, एकेडेमिक कौंसिल है उनको भंग करके ऐसी स्थिति बनायेगी, उनकी जो जायज मांगें हैं, सही मांगें हैं उनका निर्णय सही समय पर सही तरीके से हो जाय।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर इस दुखद स्थिति में नहीं जाना चाहूंगा। जो दुखद प्रसंग है उस पर सिंडीकेट ने स्पष्ट व्यवस्था की है जो ठीक है।

श्री **अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुयी।

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1980-81, द्वितीय अवस्था

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1980-81 पर विचार अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मांग संख्या 46

श्री **रामपाल उपाध्याय** : मैं....

श्री **ललित किशोर** चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। उप मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : यह उनका आंतरिक मामला है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह सारी बातें हुयी थीं।

मुख्य मंत्री हैं उनको उपस्थित रहना चाहिये।

मांग संख्या 46-सिंचाई व 38-लघु सिंचाई व भूमि संरक्षण

श्री **रामपाल उपाध्या** (उप **मंत्री**, सिंचाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46, सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,64,72,59,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(63)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 38.

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,36,55,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

1. राजस्थान नहर को जल्दी पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

2. राजस्थान नहर से जोधपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

3. जैतपुरा नदी पर डेम बना कर गुजरात में जाता हुआ पानी रोक कर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) व

श्री जीतमल जैन (अलवर):

4. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वृहद् सिंचाई योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री नाथू सिंह (बांदी कुई),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन),

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) व

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा):

5. सम्पूर्ण राजस्थान की कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये एक समयबद्ध योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):

6. राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण की एवं सिंचाई हेतु जल वितरण की धीमी गति से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

7. उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटन में व्याप्त अनियमितताओं के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

8. सीकर जिले में सिंचाई हेतु सीमा-भर्ती नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर):

(9) सिंचाई कार्यों में धन के दुरूपयोग के कारण जहां जरूरत थी वहां सिंचाई कार्य नहीं किये गये हैं, उस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल):

10. दामण गांव के खेतों एवं बेरों की सैकड़ों बीघा जमीन जल निकास न होने से खराब हो जाने के विषय में चर्चा के लिये।

54

(श्री सूरजपाल सिंह)

11. बमल, ब्राव, धुम्बडिया, वाटोरा आदि बांधों का निर्माण कार्य पुनः अविलम्ब शुरू कराने के विषय में चर्चा के लिये।

12. जालौर जिले में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

13. जालोर जिले की जैतपुरा, बडगांव नवी सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में सरकार द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

14. रामपुरा गांव के पास ई. बी. सी. को क्रास करने वाली ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. पीपल्दा क्षेत्र में कई नहरों के बढ़ाने से पलो द्वारा सिंचाई हो सकती है उन्हें आगे बढ़ाने हेतु व भूकनी नामक स्थान पर एकत्रित पानी की ड्रेन बनाकर निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. गैता डिस्ट्रीब्यूटरी की सभी नहरों के टेल पर पानी नहीं पहुंचने तथा इस समस्या को दूर करने हेतु रामपुरा के पास से ई. बी. सी. में से नई नहर निकाल कर ककरावदा डिस्ट्रीब्यूटरी में मिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग):

17. झालावाड़ जिले में सिंचाई के बांधों का कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

18. रानीवाड़ा में पंचायत समिति में काफी नदियों का पानी गुजरात में जा रहा है उसको रोक कर रानीवाडा क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

19. कोटा जिले की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा करने व बारां से अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

20. सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कारण नहरों की मरम्मत एवं सफाई, बैड कटिंग आदि नहीं कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

21. सिंचाई विभाग में नियुक्त मोबाइल मजिस्ट्रेट को सक्रिय करने हेतु चर्चा के लिये।

22. जिला बून्दी में असिंचित क्षेत्र में भी पिलाई की अवैध वसूली पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

23. नहरों के टेल पर सिंचाई हेतु समुचित मात्रा में पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

24. केशवराय पाटन क्षेत्र की पंचायत क्षेत्र के उतराना, गैन्डोली, फोलाई आदि गांवों को सिंचाई विभाग द्वारा नहर सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से काश्तकारों को कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

25. केशोरायपाटन क्षेत्र में अनेक गांवों में सिपेज के कारण खराब हो रही

(श्री गोपाल, पचेरवाल)
भूमि की रोक में विभाग की लापरवाही पर चर्चा लिये ।

26. सिंचाई हेतु जल वितरण व्यवस्था सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह गुजर (खारची) :

27. खारची तहसील के बान्धों की दीवार ऊंची उठाने की चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) :

28. राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में होने वाली धांधली पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) व

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) :

29. धौलपुर व उसके आस-पास की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु वृहत सिंचाई योजना बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

30. बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत उदयपुर शहर को बचाने के लिये गुमानिया नाला व आयड़ नदी के किनारे पक्के बनाने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये नादेश्वर महादेव में बनाये जा रहे बांध के विषय में चर्चा के लिये ।

31. उदयपुर जिले में सीपेज के कारण हजारों बीघा जमीन ऊसर होने से बचाने तथा माण्डक बांध बनाकर नाथद्वारा एवं मावली तहसील को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

32. देवास योजना का द्वितीय एवं तृतीय चरण जल्दी ही पूरा किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर (नसीराबाद) :

33. बनास नदी पर बांध बनाकर लिफ्ट योजना के द्वारा राजमहल क्षेत्र की भूमि को पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) :

34. राजस्थान में जवाहर लाल नेहरू कैनाल को लाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

35. परबतसर तहसील में पिछले वर्ष सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांध बनाने का सर्वे किया था उन बांधों का कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) व

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

36. बनास नदी पर बांध बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा काश्तकारों की जमीन सिंचित करने के बारे में चर्चा के लिये ।

37. नहरों से दिये जाने वाले पानी की पिलाई में अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) व

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

38. राजस्थान कनाल के पानी को लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा जोधपुर जिले में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

39. आधुनिकीकरण स्कीम को सिकराय क्षेत्र के बांधों में लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

40. छोई नदी के पानी के स्थाई निकास की लम्बे अर्से से व्यवस्था नहीं किये जाने से व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगून्दा) :

41. सिंचाई विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

42. चम्बल की लिफ्ट सिंचाई योजना एवं परवन लिफ्ट सिंचाई योजना का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानूराम (आसीन्द) :

43. खारी बांध की मोडर्नाइजेशन स्कीम को लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

44. कंटालियां बांध बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

45. भोजपुरा फीडर निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

46. भीमसागर व हरिश्चन्द सागर की नहरों के पानी को सांगोद क्षेत्र में आगे बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये।

47. चांवल की फसल कट जाने के बाद चने की फसल को पानी नहीं पिलाने के बावजूद भी कोटा में विभाग द्वारा पिलाई राशि वसूल की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

48. काली सिंध पर सांगोद तहसील के आजादपुरा ग्राम से ऊपर एक बांध बनाकर सिंचाई साधन बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये।

49. सिंचाई विभाग में वर्षों से बेकार पड़ी मशीनें व वाहनों की नीलामी कराने बाबत चर्चा के लिये।

50. चम्बल सिंचाई योजना के तहत केचमेंट का जो कार्य चल रहा है उसमें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है इस पर चर्चा के लिये।

51. चम्बल नहर की माइनर, सब-माइनर नहरों पर विभागीय पुलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

53. कोटा जिले को सांगोद तहसील में सावन-भादों प्रोजेक्ट के नाम से जो सर्वे हो चुका है और जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी (दिल्ली) द्वारा भी स्वीकृत हो चुकी है उसका, कार्य शीघ्र शुरू करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

54. राजसमन्द तालाव की नहरों को पक्की करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

55. राज्य सरकार माही योजना के कारण खान्दू गांव को बचाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुरसिंह)

56. राज्य सरकार माही विस्थापितों को अभी तक काश्त की भूमि देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

57. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में अनास नदी पर बांध बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

58. राज्य सरकार चोटिया बांध की नहर बनाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

59. राज्य सरकार मस्का बग बांध का ओटा बन्द कर अधिक पानी रोकने व नये ओटा निकालने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लये।

श्री हीरा लाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) :

60. पहाड़ी क्षेत्र में मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये बी. सी. रेश्यो निर्धारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. लिफ्ट इरिगेशन तथा नहर द्वारा सिंचाई की असमान दरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. राजस्थान नहर से लिफ्ट इरिगेशन की योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) :

63. सरेरी तथा खारी बांधों का सिंचाई हेतु पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

64. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

65. करौली निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई साधनों को बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा कोई बड़ी योजना नहीं बनाई इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

66. बांधों की वेस्ट वेयरों पर पुलिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. क्षेत्र में नहरों के आखरी छोर तक पानी पहुंचाये जाने हेतु विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

68. टोंक जिले में सिंचाई हेतु बनास नदी पर बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (विलाड़ा) :

69. सिंचाई हेतु राजस्थान की सभी नदियों का सर्वे कराकर उस पर बड़े बांधों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

70. राजस्थान नहर सिंचाई योजना का लाभ जोधपुर क्षेत्र को भी प्राप्त हो इस बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) :

71. चंबल की मुख्य बांयी नहर से सिंचित होने वाली पीपल्या, ख्यांवदा, देलूदा, रायथल अजेता आदि पंचायतों के गांवों में समुचित पानी सिंचाई के लिए न देने से उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) व

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

72. जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई

168

(श्री चुन्नीलाल व श्री हंसराज शर्मा) विभाग द्वारा विना बजट के लाखों का सामान खरीद कर डाल दिया है और उसका आज तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा) :

73. सिद्धमुख नहर परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में चालू कराने के संबन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) :

74. राजस्थान कैनाल को जैसलमेर क्षेत्र में ले जाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

75. सिंचाई योजनाओं का विस्तार करने तथा फालतू पानी को कृषि के प्रयोग में लाने एवं सर्वेशुदा योजनाओं का निर्माण कराने बावत चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

76. वृहत्त सिंचाई योजना का सर्वे कराकर नाथद्वारा में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

77. बस्सी क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कानोता प्रोजेक्ट शीघ्र स्वीकृत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) :

78. गंगा नदी का जल चूरू जिले में लाने की योजना को क्रियान्वित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

79. भीमसागर बांध के पेटे में डूब में आई भूमि के विस्थापितों तथा उनको आवंटन हेतु आरक्षित कृषि भूमि पर काश्त करने वाले कृषकों की कृषि भूमि आवंटन कराने हेतु चर्चा के लिये।

80. मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र की परवन, नवेज और गुलेंडी नदी के अथाह पानी के देहों पर लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु सर्वे कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

81. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत घाटोली ग्राम के समीपवर्ती छापी नदी पर बांध का सर्वे कार्य पूरा हो जाने के बाद उस योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

82. सवाई माधोपुर की बनास नदी पर लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सुरतगढ़) :

83. राजस्थान नहर योजना को शीघ्र पूरा करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

84. सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने हेतु सिंचाई नहरों एवं मोगों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

85. राजसमन्द में पानी की क्षमता बढ़ाने के लिये खारी फीडर को चौड़ा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह आमलिया (चौरासी) :

86. जिला डूंगरपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) :

87. जिला डूंगरपुर में सिचाई विभाग की लापरवही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

88. जिला डूंगरपुर में सिचाई योजना को सफल बनाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

89. राजस्थान कैनाल से चूरू जिले को भी पानी दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

90. माही सागर बांध, कडाणा बांध तथा मारगिया बांध से प्रभावित लोगों को बकाया मुआवजा का भुगतान तथा उन्हें कृषि की जमीन इसी क्षेत्र में आवटन बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

91. नागौर जिले की भूमि की सिन्चाई हेतु कोई बड़ी योजना नहीं बनाई गई, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

92. सावी नदी पर बांध निर्माण कराने संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

93. उपनिवेशन क्षेत्र में आबादी भूमि के आवासीय भू-खण्ड पट्टे देने के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

94. कोलायत तहसील उपनिवेशन क्षेत्र में कदीमी काश्तकारों का वोटर लिस्ट 1952 में नाम न होने के कारण समरी सैटलमेंट में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

95. उपनिवेशन क्षेत्र में जहां काश्तकार काबिज हैं वहीं चकबन्दी में फिट करने व निशानदेही देने में पटवारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये।

96. उपनिवेशन क्षेत्रों में किये गये अस्थाई आवंटन का 4-5 साल बाद आवंटन रद्द करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

97. सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमिततायें करने से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मख्खनलाल मेहता (पाली) :

98. बड़े बांध बनाने की अपेक्षा मध्यम बांध बनाये जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री शोभाराजमल (चित्तौड़गढ़) :

99. सिंचाई साधनों के व्यापक प्रसार एवं नवीन बांध निर्माण हेतु सर्वे कराया जाकर उनकी स्वीकृति दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

100. सिंचाई हेतु पाली जिले में नदियों पर छोटे-छोटे बांध बांधने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(70)

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

101. जवाई बांध की सिंचाई की नहरों की समय पर मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) व

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

102. कृषि के लिये समुचित सिंचाई व्यवस्था करने में राज्य सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुन्झूनू) :

103. झुंझुनू जिले में नहर से सिंचाई करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना):

104. चम्बल परियोजना क्षेत्र में जल रिसाव (सीपेज) को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना स्वीकृत कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) :

106. चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में केचमेंट क्षेत्र में आये गांवों के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं होने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

107. राजस्थान प्रदेश को गंगा एवं यमुना नदियों से जो जल का भाग मिलना चाहिये उसके न मिलने तथा राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास के नितान्त अभाव पर चर्चा के लिये।

108. राजस्थान राज्य को अधिकार रूप से जो भी संभावित सिंचाई साधन उपलब्ध हो सकते हैं उनको उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान राज्य की ओर से अब तक वांछित एवं आवश्यक प्रयास के नितान्त अभाव पर चर्चा के लिये।

109. रावी एवं व्यास नदियों के पानी का जो भाग (80 लाख एकड फीट पानी) राजस्थान राज्य को सन् 1955 के अन्तर-प्रदेशीय समझौते अनुसार) मिलना था उनका समुचित रूप से उपयोग न होने पर चर्चा के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) :

110. गंग कैनाल की मरम्मत हेतु प्रचुर मात्रा में राशि आवंटित करने हेतु चर्चा के लिये।

111. गंगा का पानी झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

112. गांधी सागर, जवाहरसागर व राणा प्रताप सागर के केचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई बांधों के बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

113. चम्बल क्षेत्र में जहां जहां नहरों के जल का उपयोग नहीं हो रहा है वहां लिफ्ट सिंचाई योजना को गतिमान बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

114. आरु नदी पर 'सावन भादों परियोजना' का अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने के विषय में चर्चा के लिये।

115. राजस्थान के लिये सिंचाई सम्बन्धी मास्टर प्लान बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

(71)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

116. बांधों के निर्माण कार्य को अल्प समय में एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण करने : विषय में चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

117. हरिजन बस्ती गोपाल पुरा के पास चम्बल परियोजना की साउथ कैनाल पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. पणराहेड़ा से बावड़ी पंचायत जाने हेतु चम्बल परियोजना की साउथ कैनाल पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

119. बीसलपुर परियोजना के निर्माण कार्य को तीव्र प्रगति प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

120. अकलेरा तहसील की वृहत सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति को गति देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुरा):

121. सिंचाई की योजनाओं की क्रियान्विति में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

122. सिंचाई विभाग में पदोन्नतियों में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

123. सिंचाई विभाग की राशि से जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में आर. एस. एस. भवन निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण):

124. उदयपुर डिवीजन की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कोई वृहत योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़):

125. सिंचाई विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

126. राजस्थान नहर से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को अविलम्ब प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

127. अन्तर्राज्यीय जल योजनाओं में राजस्थान के हितों की सम्पूर्ण निगरानी बरतने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 38 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

1. लघु सिंचाई के अन्तर्गत तहसील डेगाना, जिला नागौर के तालाबों की मरम्मत न की जाने से उनके टूटने की संभावना पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) व

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

2. जोधपुर जिले में लूणी नदी पर छोटे छोटे लघु बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) व

श्री जीतमल जैन (अलवर):

3. भूमिगत जल का सर्वेक्षण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

(72)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री अनंग कुमार (झालरापाटन),

श्री नाथू सिंह (वांदीकुई),

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) व

श्री बंशीलाल पटवा (भिलवाड़ा) :

4. कृषि भूमि को कटाव से रोके जाने सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर):

5. बीकानेर के पास कोलायत, गजनेर व बीकानेर माइनर लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों को बंद कर दिया जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

6. सीकर जिले में लघु सिंचाई की व्यवस्था कराने एवं भू-संरक्षण हेतु व्यापक कदम उठाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह (जैतारण):

7. जैतारण तहसील में ग्राम टुकड़ा, कुडीकी, लाम्बीया वकुपुरा, रास तथा बलाडा में उपयुक्त कृषि भूमि होने के बावजूद आज तक कोई लघु सिंचाई योजना हेतु तालाब बनाने पर चर्चा लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (सीनमाल):

8. जालोर जिले को जवाई, खांडो, सागी नदियों के किनारे बसे गांव कोमता, घुम्बी ... वाला, सुराणा, तिलोड़ा तथा मोरसीम आदि गांवों की सुरक्षा तथा भूमि कटाव को रोकने सम्बन्धी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़):

9. श्री प्रतापगढ़ तहसील में लघु सिंचाई के अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

10. राज्य में मिट्टी की जांच के लिए लेबोरेटरीज के घोर अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द आर्यवीर (डग):

11. झालावाड़ जिले के तालाबों की मरम्मत कराने तथा उनसे सिंचाई की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) :

12. योजना बना कर प्रतापगढ़ तहसील के नदी व नालों का पानी सिंचाई के उपयोग हेतु काम में लिया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

13. केशवराय पाटन क्षेत्र में विशेष-रूप से कुओं से पम्प सेट लगाने के लिये ऋण उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

14. भू-जल विभाग द्वारा जिला बूंदी एवं केशवराय पाटन में नल कूपों के निर्माण को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

15. हर खेत को पानी दिया जाय इस हेतु बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी योजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

16. जिला बून्दी के असिंचित ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

17. लघु सिचाई एवं भूमि संरक्षण कार्य में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

18. केशवराय पाटन के असिंचित क्षेत्र में लघु सिचाई हेतु भूमिगत जल का सर्वे करने हेतु चर्चा के लिये।

19. लघु सिचाई को योजनाबद्ध तरीके से व्यापक रूप देकर प्रभावी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़):

20. भूमिगत जल का सर्वे एवं लघु सिचाई हेतु कुएं गहरे करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) व

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार):

21. किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में सिंचाई हेतु कुएं बनवाये जाने के लिये चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

22. उदयपुर नगर की विभिन्न झीलों में निरन्तर मिट्टी भरते जाने व जल कुंभी के फैलाव को नहीं रोक पाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

23. लघु सिचाई हेतु कुओं को गहरा करने हेतु सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की जाय इस हेतु चर्चा के लिय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद):

24. अजमेर जिले में भू-संरक्षण के अपर्याप्त कार्य पूरे किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):

25. सिकराय क्षेत्र में छोई नदी से होने वाले कटाव को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

26. लघु सिचाई योजनाओं के लिये सिकराय क्षेत्र में भूमिगत जल का सर्वेक्षण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

27. ग्रामीण इलाकों में सरकार द्वारा कुओं को गहरा करने में बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री नानूराम (आसीन्द):

28. परासोली एनीकट के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल (खण्डार),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

29. विधान सभा क्षेत्र खंडार जिला सवाई माधोपुर में कृषि विकास के लिये ट्यूब वैल तथा पम्पिंग सेट लगाये जाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

30. उजाड़ नदी पर लघु सिचाई योजना के तहत एनीकट बनवाने बाबत चर्चा के लिये।

31. सांगोद तहसील में भूमि के कटाव को रोकने हेतु किये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वसूली की जाने से ग्रामीण कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

32. दीगोद तहसील में कालीसिंध एवं चम्बल के कारण बहुत बड़ी तादाद में कृषि भूमि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

का तेजी से कटाव हो रहा है, अतः उ रोकने हेतु शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने बावत चर्चा के लिये।

33. कोटा जिले की सांगोद तहसील में अनेक छोटे-छोटे जल स्रोत हैं उनका सर्वे भी हो चुका है उन पर शीघ्र लघु सिंचाई योजना प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

34. तहसील सांगोद में कुओं को गहरा करवाने बावत चर्चा के लिये।

श्री **नानालाल** (राजसमंद):

35. उदयपुर जिले के कुरज गांव के पास बनास नदी के तट बंधों की मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **बहादुरसिंह** (दानपुर):

36. राज्य सरकार दानपुर क्षेत्र में छोटे-छोटे एनीकट बंधवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

37. राज्य सरकार गाव बगेरी, नवाखेड़ा, कलयारी में लघु सिंचाई के लिये तालाव बनवाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

38. राज्य सरकार लघु सिंचाई योजना के माध्यम से गांव दानपुर, वारी व रन्जीया दानपुर में तालाब बनाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

39. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तालाव बनवाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री **फतेसिंह** (कुशलगढ़):

40. राज्य सरकार सज्जनगढ़ तालाव को बनाने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

41. राज्य सरकार गांव हिम्मतगढ़ कारमी में तालाव वनाने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

42. राज्य सरकार गांव वसुनि ग्रामलीवाला तालाव को बनवाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

43. राज्य सरकार गांव कलींजरा में तालाव बनाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

44. राज्य सरकार ग्राम वगायचा फूलपुरी में एनीकट बनाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

45. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र की मोर (हिरन) नदी पर एनीकट बनवाने में असमर्थ रही इस हेतु चर्चा के लिये।

46. राज्य सरकार अधूरा तालाब खानसेरा को पूर्ण करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

47. राज्य सरकार गांव मोटापाड़ा तथा वडलीवाड़ा नाका में तालाबड़ बनाने असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री **छोगाराम बकोलिया** (रेवदर):

48. सिरोही जिले के सिंचाई विभाग द्वारा मंजूरशुदा कामों को शुरू नहीं करने एवं शिथिलता वरतने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

49. फुलेरा क्षेत्र के सिंचाई के कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली):

50. करोली निर्वाचन क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वे हेतु विभाग द्वारा उपेक्षा बरते जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

51. तहसील बोंली, मलारना डूंगर के पास में करीबन 30 या 40 ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

52. प्रतापगढ़ तहसील में प्रस्तावित तालाबों के निर्माण एवं अन्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक):

53. टोंक जिले के कुओं और तालाबों को गहरा कराये जाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये ।

54. तुकर्या, ललवाडी, सीदडा तथा बिडोली में एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन):

55. झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर बनाई जावे इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा):

56. लघु सिंचाई योजना का मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

57. अलवर जिले में तालाब बनवाने व कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) :

58. पंचायत समिति, नैनवां, जिला बूंदी क्षेत्र के सभी छोटे-छोटे खालों एवं नालों को रोक कर सिंचाई के लिय एनीकट निर्माण करने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) :

59. ट्यूब वेल बनाकर कृषि हेतु समुचित सिंचाई व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) :

60. सिंचाई हेतु जैसलमेर में नये ट्यूब वैल बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

61. ट्यूब वेल एनीकट एवं छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री सी.एल. कंवरिया (दूदू) :

62. लघु सिंचाई हेतु कुओं को गहरा कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) :

63. चूरू जिले में भूमिगत जल का सर्वे

(76)

(श्री रेवतराम) चौधरी

करवा कर ट्यूब वैल्स निर्माण कराये जाने बावत चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

64. मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र के ग्राम सेमलीहाट पछंटा, नागन्याखेड़ी, रामपुरियापाल और सरड़ा के पास वाले तालाबों की सर्वे कराई जाकर सिंचाई हेतु निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र के अन्तर्गत गुलेंडी समीप, गोपालपुरा ग्राम, हुरैत्या समीपवर्ती नाला, देवखोह समीपवर्ती नाला समरोल समीपवर्ती नाला, रीछड़ी ग्राम समीपवर्ती नाला, पट्टीग्राम समीपवर्ती नाला पर एनिकट निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):

66. बाड़मेर जिले में लघु सिंचाई हेतु ट्यूब वैल निर्माण कराये जाने बावत चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) :

67. जिला डूंगरपुर में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर):

68. जिला डूंगरपुर में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

69. लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कुण्ड बनाने के सम्बंध में चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमू):

70. नागल भरडा के पास एनीकट बनाने के सम्बंध में चर्चा के लिये ।

श्री अहमद बख्श सिंधी (जोधपुर):

71. ग्राउन्ड वाटर विभाग में रिग मशीनों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

72. तहसील प्रतापगढ़ की जो 10 लघु सिंचाई के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है उनकी उपादेयता को देखते वे तत्काल आरम्भ कराने बावत चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

73. नागौर जिले का भू-जल सर्वे कराकर भूमिगत जल हेतु ट्यूब वैल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

लच्छूराम (मण्डावा) :

74. राज्य सरकार भूमि संरक्षण के लिये समुचित व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

75. राज्य भूमि सरकार लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

76. भू-संरक्षण की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

77. ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं तथा तालाबों को गहरा करने तथा कमी वाले स्थानों पर नये कुए तथा तालाबों के निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

78. भूमिगत जल साधनों के सर्वेक्षण व जल कार्य में तीव्रता लाने हेतु चर्चा के लिये।

79. बरसाती नालों व छोटी नदियों पर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

80. राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहाँ भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा है वहां वांछित एवं पर्याप्त संख्या में नलकूप न बनवाये जाने से उन क्षेत्रों को सहज संभावित सिचाई के साधन से वंचित रखे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) :

81. बरवास पंचायती क्षेत्र में चली ग्रामनाला को बंधवाकर उसका पानी सिचाई हेतु उपयोग में लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) :

82. लघु सिंचाई योजनाओं को गति देने हेतु अण्डर ग्राउण्ड वाटर का उपयोग करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहर थाना) :

83. मनोहरथाना पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत नदियों की देहों पर सिचाई सुविधा बढ़ाने एवं यथास्थान एनीकट का निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण) :

84. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की सिचाई हेतु कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

85. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिये ट्यूब वैल हेतु सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

86. जोधपुर जिले में छोटे तालाबों की अभी तक मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. जोधपुर क्षेत्र में जवाई व हेमावास बांधों से सिचाई हेतु पानी की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है आज मांगों पर विचार-विमर्श करने का अंतिम दिन है। अतः आज 4-30 बजे तक मुखबन्द करके सभी वाद-विवाद बन्द कर दिया जावेगा। उसके बाद बाकी जो मांगें हैं, उन्हें पारित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः आज 4 बजे तक माननीय सदस्यों की ओर से चर्चा होगी और 4 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा। 4-30 बजे तक सभी वाद-विवाद मांगों पर समाप्त हो जायेगा। अतः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि 2 घंटे का समय बचता है इसलिये समय का भाषणों में ध्यान रखें। यह आपसे प्रार्थना है।

(78)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । प्रस्तुत माननीय उप-मंत्री जी ने कर दी है तो क्या जवाब भी वही देंगे ? मैं जानकारी आपसे चाहता हूं ।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री): जॉइंट रेस्पांसिबिलिटी का सवाल है । वे उप मंत्री हैं सिंचाई के, शायद आपको पता नहीं हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक-एक के पास इतने डिपार्टमेंट हैं कि पता ही नहीं लगता कि किसके पास क्या है ।

श्रीमती कमला : बोलने का सवाल है । मंत्री यहां उपस्थित है । वे सक्षम हैं ।

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें । माननीय सदस्य ।

श्री सुरेन्द्र व्यास ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों पर चर्चा करते समय मैं, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ललितकिशोर चतुर्वेदी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि वे बड़े योग्य मंत्री थे, वे बड़े प्रभावशाली थे । उन्होंने विभाग को पर्सनल प्रोपर्टी समझा और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये और जितना अपनी पार्टी के लिये वे उसका प्रयोग कर सकते थे किया । राजस्थान के इतिहास में मैं समझता हूं कि ऐसा योग्य, ऐसा प्रभावशाली मंत्री आज तक नहीं हुआ होगा जिसमें एक विभाग के ऊपर इतना कंट्रोल किया इसमें कोई शक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष में माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदी जिस आर. एस. एस. के हैं उस आर. एस. एस. ने कोई भी कमरा नहीं बनाया होगा, किराये का कमरा लेकर उन्होंने स्वयं सेवक रखे और किराये के कमरे में ही सब काम चलता था, और शाखा लगती होगी कहीं मैदान पर । लेकिन ढाई वर्ष के अन्दर उन्होंने 3 आर. एस. एस. के भवन खड़े कर दिये । जयपुर में जो न्यू कालोनी है वहां पर है जिसमें लगा है कम से कम पांच लाख रुपया । इसी तरह कोटा के अन्दर आर. एस. एस. का भवन खड़ा किया उदयपुर के अन्दर आर. एस. एस. का भवन खड़ा किया । मैं पूछता हूं कि इतनी राशि कहां से आयी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की बात तो छोड़िये जयपुर डिवीजन से मालूम पड़ जायेगा । जयपुर डिवीजन की सीमेंट जयपुर के आर. एस. एस. के भवन में लगी, कोटा डिवीजन की सीमेंट कोटा के आर. एस. एस. के भवन में और उदयपुर डिवीजन की उदयपुर के भवन में । उसकी सीमेंट की जांच करा लें तो उससे मालूम पड़ जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति है कि वैसे सुनने में आता है कभी कभी चर्चा सामने आती है कि राजकीय अधिकारी राजकीय कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत कामों के लिये घर पर रखते हैं । लेकिन ऐसा ध्यान में नहीं मिलेगा कि मंत्री जी के यहां रहे हों । मैं चार्ट बता सकता हूं ड्यूटी चार्ट में ड्यूटी वाकई मिनिस्टर रेजिडेंस लिखा हुआ है । पदमसिंह दिनांक 1-3-78 से अपाइन्टेड मिनिस्टर रेजिडेंस श्री राम सिंह 1-4-78 से मिनिस्टर रेजिडेंस और रामकिशन 1-4-78 से मिनिस्टर रेजिडेंस । इस प्रकार के कई और कर्मचारी हैं . . . . .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आगे भी पढ़ जाइये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस प्रकार के कई कर्मचारी हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : और बता दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो आप बता दें । यह तो आपका रिकार्ड मौजूद है ।

(व्यवधान)

इन्होंने आर. एस. एस. के लोगों को अनियमित तरीके से रखा । रखकर के आप समझिये एक विपिन था । इसको 1-4-78 को बेलदार बनाया । 1-10-78 को मेट बनाया और 1-5-79 को मुंशी बना दिया । साल भर में इन्होंने तीन प्रमोशन कर दिये । सामान्यतया एक एम्प्लाइज को 10 साल लगते हैं । उसको कट शार्ट करें तो दो साल लगते हैं । एक एम्प्लाइज नहीं है, कई हैं । एक चन्द्र प्रकाश को भी 1-11-78 को चौकीदार बनाया । 1-1-79 को मेट और 1-4-79 को मुंशी । मेरे पास पूरे एग्जाम्पिल हैं । ललितकिशोर चतुर्वेदी चाहें तो हम यह पूरा चार्ट उनको दे देंगे । मैं सदन के सामने यह नहीं चाहूंगा कि पूरा पढ़ कर सुनाऊं । यह सब आर. एस. एस के वर्कर हैं । यह ठीक है आर. एस. एस. के वर्कर हैं उनको संरक्षण देना था तो देते आप लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी को आपने जिस तरह से इस्तेमाल किया । प्रोटेक्शन आप गवर्नमेंट को देते वहां तक भी ठीक था । लेकिन गवर्नमेंट के अन्दर आपने रिक्रूट कर लिया । रैपिड प्रमोशन दे दिये । साल भर के अन्दर तीन प्रमोशन दिये । यह सारा, अध्यक्ष महोदय, किया गया है । एक स्वास्तिक क्रेशर है कोटा के अन्दर । मैं चाहूंगा कि चर्चा के अन्दर ललितकिशोर चतुर्वेदी भाग लें । वह सदन को इसके बारे में जानकारी कराने का कष्ट करेंगे । यह स्वास्तिक क्रेशर किसका था, उस स्वास्तिक क्रेसर से वहां पर रोड़ी की खरीद के वर्बल इन्सट्रक्शन बाकायदा हो गये । जितने इरिगेशन के काम कोटा के अन्दर चले हैं उनमें रोड़ी वास्तिक क्रेशर से खरीदी गई है वह या तो कोई इनके सम्बन्धी हैं, यह तो यही बतायेंगे । इनके अपने विभाग के अन्दर छापरवाड़ा के अन्दर ढाई लाख की रोड़ी पड़ी हुई हैं । मैटीरियल यूज नहीं किया । 70% से 80% मैटीरियल और मशीनरी जो पर्चेज की वह पड़ी हुई हैं. उसको यूज नहीं कर रहे हैं । इन्होंने डी. पी. सी. बैठाई । डी. पी. सी. बैठाकर इन्होंने अपने हिसाब से पोस्ट को मैनूपुलेट किया । नम्बर आफ पोस्ट का आर्डर, डिटरमिन कर दिया, अधिकारियों के नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा । लेकिन जिस तरह से ट्रांसफर किये एक आदमी का ट्रांसफर करा दिया दौसा, से करप्शन के चार्जेज थे एफिडेविट लिये गये कि यह आदमी करप्ट है और एक महीने में ही उसको बड़ियां डिवीजन में लगा दिया । एक महीने में क्या वह करप्ट नहीं रहा, यह मेरी समझ में नहीं आता । मास्टर प्लान भरतपुर का बनाया । मास्टर प्लान भरतपुर का बना कर बाण गंगा और गम्भीरी नदी का पानी लेकर उसका इरिगेशन कर दिया । इनडेन्टेड इरिगेशन भरतपुर में होता है । अब कन्जर्व इरिगेशन उसमें कैसा होगा वह नाकामयाब होगा वेस्टेज आफ वाटर है ।

अध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर काम करने के लिए एक आर्डर निकाला चीफ इन्जीनीयर के यहां से । मैटीरियल की सेंक्शन की गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई जरूरत

(80)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं है। टैक्निकल सैंक्शन तो गवर्नमेंट सैंक्शन के बाद होती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका आर्डर चीफ इन्जीनियर ने निकाला :

"In the current year's budget provison for certain works has been mentioned by the Government, but their administrative approval has not so far been accorded by the Government for one reason or the other; and in the absence of administrative approval, the technical estimates also might not have been sanctioned. Therefore, in order that there may not be any lapse of the budget provision, all the tenders, which are sent to this office for sanction, may be disposed of irrespective of the fact that administrative approval for these works is still awaited from the Government."

यह सब पैसा कोटा के लिए निकाला, अध्यक्ष महोदय, यह सब पैसा कोटा के अन्दर खर्च हुआ है। सर्वे के लिये अलाटमेंट आफ फण्ड हुआ 78–79 में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। यह आर्डर निकाला है इन्होंने 28 दिसम्बर 78, को और पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन के अन्दर खर्च कर दिया। विदाउट अथोरिटी जो एलोकेशन हो गया सर्वे के लिए उसका इन्होंने कन्स्ट्रक्शन के लिए खर्च कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक गम्भीर मसला है। यह आरोप प्रत्यारोपों का मसला नहीं है। इसके अन्दर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है आज सिंचाई विभाग में इन्होंने गिन-गिन कर एक-एक आदमी को छोटे से छोटे आदमियों को हटाया और उनका ब्रेन वाश करके अपने आदमियों को लाकर बिठाया। अध्यक्ष महोदय, 1979 के पालियामेंट के इलेक्शन में इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सिंचाई विभाग में इलेक्शन के दौरान बिना किसी सैन्क्शन के बिना किसी प्रपोजल के जहां मर्जी आई वहां मिट्टी डलवाना शुरू कर दिया। बंधों का काम करवाना शुरू कर दिया, पत्थर डलवाना शुरू कर दिया पैसा खर्च किया अनाप शनाप। इसी तरह से जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिलें। अध्यक्ष महोदय, यह दुख का विषय है कि चूंकि वहीं मशीनरी जमी हुई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अन्दर कुछ तबदीली नहीं आ सकी और यह हमारे मुख्य मन्त्री जी की सहृदयता है कि वहीं मशीनरी चलती रही। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी जैसे विधान सभा के चुनावों में इन्स्ट्रक्शन देते थे उसी तरह से काम होता आया था। हमारी कमजोरी मान रहे हैं, हमारी कमजोरी है या सहृदयता है यह बात छोड़िये लेकिन जो भैरोंसिंह जी कहते थे कि नाक से निकलवा लूंगा तो वह हमारी कमजोरी है। वर्ना आप नाक से निकलवाते या नहीं निकलवाते, पर हम तो सच्ची बात है जरूर निकलवा लेते कि जितना पैसा आपने कमाया है आपने इकट्ठा किया है तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग का पूरा ओवर आल चेकअप होना

(श्री सुरेन्द्र व्यास) चाहिये और जिस अफसर को उस वक्त हटाया था उसको वापस रखना चाहिये मेरिट के ऊपर। मैं यह नहीं कहता हूं हो सकता है किन्हीं अफसरान को उन्होंने ठीक लगाया हो, उन सबको हटा दिया जाय किन्तु ठीक तो उन्होंने लगाया ही नहीं, इन्होंने अपने रिजीम में ठीक काम किया ही नहीं। दूसरे मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ डाकुमेण्ट्री प्रूफ हैं। चलिये वैसे चालू चार्जेज और काऊन्टर चार्जेज तो लगते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं, जिनमें एवीडेन्स की जरूरत नहीं है बाई डाकूमेन्ट इट सैल्फ प्रूव हो जाता है, उसमें गवर्नमेन्ट को कार्यवाही करनी चाहिये। यह जो आर. एस. एस. के भवन बनाए हैं इन्होंने तीन, इसके अन्दर अनियमितता पाई जाये तो मैं यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा इनके खिलाफ एक्वीजीशन कार्यवाही की जाय। इल्लीगल आर. एस. एस. के भवन बनाकर गवर्नमेंट के पैसे से सीमेन्ट को उन्होंने डाईवर्ट किया है। आज इन सब की जांच करके एक्वीजीशन की कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यही आप से निवेदन करना चाहूंगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि सारे मामले की जांच करनी चाहिये, culprits should be brought to the dock.

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. भवन बनाने के लिए पैसा खर्च हुआ, क्या यह गवर्नमेन्ट का पैसा था या दो नम्बर का पैसा था ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह गवर्नमेन्ट का पैसा था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो बहुत गम्भीर चार्ज है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जायेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मेम्बर को आप कहें कि वह बैठे रहें। जायें नहीं। हम कलई खोल कर रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल बैठे रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। काफी समय हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त करता हूं। ... माडर्नाइजेशन डिपार्टमेन्ट, जयपुर के अन्दर सीमेन्ट डाइवर्ट हुआ है। इसकी आप जांच करालें। जैसा कि श्री गोटेवाला ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी लोकोक्ति है "जान है तो जहान है" और मैं इससे भी आगे जो लोकोक्ति हो सकती है वह "जल है तो जहान है" जल के बिना न तो मानव के जीवन का आधार ऊपर उठ सकता है और न किसी राष्ट्र की और प्रदेश की उन्नति आगे हो सकती है विशेषतया ऐसे प्रदेश की कि जहां मरु भूमि लगभग हजारों और लाखों वर्ग मील में फैली हुई है। एक मात्र अगर हम जीवन की प्रगति की आशा करते हैं तो कर सकते हैं विशेषकर बिलकुल ठण्डे दिल से, ठंडे मन से, प्रसन्नचित से हम सोचें आखिर हमारी क्या

(श्री राज बहादुर)

नीति हो और क्या हमारा कार्यक्रम हो कि जिसके द्वारा हम इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। मैं बहुत संक्षेप में यहां की स्थिति बयान करना चाहूंगा और वह स्थिति यह है कि हमारे पास तीन रिवर बेसिन सोर्सेज हैं, एक लूनी सिस्टम है, मैं सारी नदियों के नाम गिनाने नहीं जाऊंगा, दूसरा श्रोत माही और साबरमती सिस्टम हैं, ये दोनों वेस्टर्न क्षेत्र में हैं और एक गंगा बेसिन है जिसमें चम्बल आती है, बनास आती है और अन्त में इनका पानी बे-ग्रॉफ-बंगाल में गिरता है। हमारे प्रदेश के अन्दर की रेनफाल के द्वारा पानी की जो उपलब्धि है, कुल मिलाकर 15 मिलियम एकड़ फीट की होती है। और यह हमारी फिजिकल बाउण्डरी के अन्तर्गत है जिसका एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन है वह लगभग 8 मिलियन एकड़ 12 फीट लगभग 7 मिलियन एकड़ फीट का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। हमारे पास जो भूमि लैण्ड है वह देश की कुल लैण्ड का 13.1 प्रतिशत है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज है एक परसेन्ट, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो साधन हैं उनका पूरा उपयोग भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा विकास कैसे होगा? और जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हों तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं रहता कि पड़ोसी प्रदेशों से बातचीत करें, उनसे समझौता करें आदान प्रदान करें, उन्हें इस बात के लिये कहें कि आखिरकार यह केवल राजस्थान का ही वाल नहीं है यह देश की भूमि के उचित संभव व उपयोग का सवाल है। इश्यू क्या है, इश्यू यह है कि हमारे यहां जितनी भी कल्टीवेबल लैण्ड है, 66.2 मिलियन एकड़, उसमें से मुश्किल से जो इस्तेमाल होती है 36 मिलियन से ऊपर है और 28.5 मिलियन एकड़ ऐसी है जिसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता क्योंकि एक बूंद भी पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिये यह इस सदन का दायित्व है, शासन दल का दायित्व है, कि वह खुली आंखों से, बहुत चिन्ता के साथ इस बात को देखें कि आखिर सरकार का इस सम्बन्ध में सोचना क्या है उसको भविष्य के लिये इसमें विजन क्या है? इस पीढ़ी को लाभ मिले या नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम पानी के लिये वारिसें मोहताज न कर जायें, उनके लिये कुछ बनाकर जायें, यह हमारी चेष्टा होनी चाहिये। मैं यह विनती करूंगा कि इसको इस सन्दर्भ में देखें कि राजस्थान में इस सम्बन्ध में अब तक क्या हुआ है और क्या हो सकता है। 1955 में एक समझौता हुआ, मैं पहले रावी-ब्यास में उपलब्ध पानी पर जाता हूं। वैसे कुल मिलाकर हम पानी पंजाब से ले सकते हैं, हरियाणा से ले सकते हैं, यू. पी. से ले सकते हैं, और मध्य प्रदेश से ले सकते हैं। किन्तु रावी-ब्यास का पानी तो हमारे लिये यह कमिटेड था, 1955 में समझौता हुआ उसके अनुसार। इन नदियों से कुल 15 मिलियन एकड़ फीट में पानी अवेलेबल था, उसमें से राजस्थान के बांट में से हिस्से में 8 मिलियन एकड़ फीट पानी आया। आज, स्थिति जो भी है, जो भी नेट वर्क हमें बना पाये हैं नहरों का चेनल का-राजस्थान कैनाल योजनायें जहां हमें 8 मिलियन एकड़ मिला था 1955 से, इन 25 वर्षों में हम केवल चार मिलियन एकड़ फीट का ही इस्तेमाल कर पाये और अभी कोई आसार दिखाई नहीं देते कि अगले 10,15 वर्षों में हम इस पानी को पूरा इस्तेमाल कर पायेंगे। 25 वर्ष तो निकल गये, दोष दे दीजिये पिछली कांग्रेस सरकारों को, जनता पार्टी की सरकार को तो

(श्री राज बहादुर)

दोष दे दीजिये, लेकिन आज परस्पर दोष देने या छिद्रान्वेषण करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। आज भी मुख्य बात यह है कि हम अब भी क्या करने जा रहे हैं अब भी कुछ क्या करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ यह सुनकर कि राजस्थान नहर के निर्माण में सीमेन्ट और कोयले की चोरियों की बात चल रही थी, मुझे भी इन काण्डों की याद आती है। बड़ी-बड़ी सुर्खियां में निकला था, सब कुछ कोयले और सीमेन्ट की चोरियों के बारे में। पिछले वर्ष की ही बात को लीजिये 32 करोड़ हमको पिछले साल मिला था, राजस्थान नहर योजना पर निर्माण कार्यो के लिये उसमें से हम 24 करोड़ ही खर्च कर पाये, 8 करोड़ लेप्स हो गया, यह प्रगति है यह परफोर्मेन्स है। किसने क्या किया है, कितनी चिन्ता की है, कितनी दक्षता, एफीशियन्सी का प्रमाण दिया है यह जाहिर है। फिर भी मैं विनती करूंगा, जो साधन है, जो धन उपलब्ध होता है वह भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो कौन दोषी है इसका? मैं विनती करूंगा कि हरियाणा हमसे बहुत छोटा है, उसकी हमसे कोई तुलना नहीं, न राजस्थान के बराबर आबादी है, न साधन है, न क्षेत्रफल है। लेकिन जो उनका अपना पानी था, पंजाब का और हरियाणा का झगड़ा शुरू हुआ, केन्द्रीय सरकार के द्वारा 76 में उसके अनुसार उनके सम्मिलित हिस्से में से आधा आधी उनको हरियाणा को और आधा पानी पंजाब को दिया गया।

इस पर भी झगड़ा चलता रहा, लेकिन टाइम नहीं खोया हरियाणा ने, उसने यह किया कि सारा पानी भाखड़ा में ले लिया, सतलज यमुना लिंक बनाकर उसका उपयोग कर यह योजना बनाई 122 किलोमीटर की यह सतलज यमुना लिंक की थी पंजाब में शेष बनती थी, हरियाणा में एक नई नहर बना ली। हमारे यहां जब झुन्झुनू और चूरू में लिफ्ट सिंचाई लगाने की बात आई तो यह कह दिया कि इसमें खर्च बहुत होगा, हमें इतना खर्च नहीं करना चाहिये। हरियाणे वालों ने 90 मीटर की लिफ्ट के लिये सौ करोड़ खर्च कर दिया और हम अभी सोच ही रहे हैं कि झुन्झुनू को लिफ्ट सिंचाई से दे या नहीं। खेद की बात तो यह है कि इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। गंगा यमुना की बात तो छोड़ दीजिये, वह दूर है। पूरब में हूं, उसकी यहां बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपराधी माना जाता हूं। मुझे तो नहीं लगता लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कुछ छोटी बात कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन गंगा के पानी का थोड़ा उपयोग भी रेगिस्तान में करेंगे फिर से सरस्वती प्रवाहित करने जैसा होगा। यह बात नहीं सोची जाती, सेन्ट्रल का जो वाटर कमीशन है उसने स्कीम बनाकर दी है। हमारे राजस्थान के इन्जीनियर्स ने गंगा लूनी लिंक स्कीम बनावाकर तैयार की है। किसी ने दिलचस्पी ली? किसी ने कुछ नहीं कहा उसके विषय में। देखा भी नहीं उस ओर। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बंसीलाल जी जब यह सतलज यमुना लिंक कैनाल की योजना क्रियान्वित कर सकते हैं तो मैंने सोचा राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है, झुन्झुनू, चूरू और भरतपुर में पानी आ सकता है, भरतपुर का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे भरतपुर का नाम लेते कुछ लोगों को शायद कंपकंपी आती है, इसलिये मैं नहीं कहता हूं। लेकिन 8 मिलियन में से हमें भी मिलता जो आसानी से मिल सकता है। तो झुन्झुनू, चूरू और भरतपुर को राहत मिलती।

(84)

(श्री राजबहादुर)

पहले सिर्फ तीन हजार क्यूसेक्स पानी ही ले सकते थे और जो हरियाणा के तीन केनाल सिस्टम बनाने गये हैं, चक्रवर्ती सिस्टम, इन्दिरागांधी सिस्टम और जवाहरलाल नेहरू सिस्टम, वे उनसे झुन्झनूं चूरू में भी पानी ले सकते थे, वहां मरू भूमि को हरा भरा बना सकते थे। इस सम्बन्ध में मैंने विनती की, हां हूं हुई, जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उनसे भी प्रार्थना की, श्री भैरोंसिहजी शेखावत, चीफ मिनिस्टर थे, ललित किशोर चतुर्वेदी, सिंचाई मंत्री थे, सतीश चन्द्र जी भरतपुर के ही रहने वाले हैं। वहां उनका जन्म हुआ, तीनों को पत्र दिये, उनका जो उत्तर आया, ललित किशोर जी का उत्तर–

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो आया कम से कम।

श्री शीश राम ओला : झुन्झुनू का नाम लिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री श्रीराम गोटेवाला: नाम लेने से राजी हैं।

श्री राज बहादुर : धन्यवाद आपने दिया, आप बड़े चतुर हैं, आप उत्तर और प्रत्युत्तर भी तो कर सकते हैं। मांग तो कर सकते थे उस पानी की। मैं सब कुछ मानता हूं, कृपा करके जो मैं करूणा भरे स्वर से बोल रहा हूं उसको सुन तो लें कम से कम। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, एक अच्छे लोक जीवन की, जैसी कल्पना है इसको कार्यरूप में परिणित करने की समस्या है, यह ललित किशोर जी का लैटर का अंश पढ़ा रहा हूं, तथापि इसका अध्ययन कर वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा यह केन्द्रीय मंत्री को लिखा 28-6-79, उसके बाद पत्र आया भैरोंसिंह जी का। श्री भैरोंसिंह जी ने उत्तर दिया कि—

"Regarding water allotted to Rajasthan from Ravi Beas. I am looking into the matter."

सतीशचन्द्र जी ने भी इनको चिट्ठी लिखी दोनों को चिट्ठी लिखी जिनकी नकल एक तरह की है। सतीशचन्द्र जी ने सन् 1969 में लिखा था। उन्होंने पूरा नोट भेजा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि बातें हो जाती हैं, स्कीम बन जाती है लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। कार्यवाही जब तक नहीं होगी, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं।

मैं आपसे विनती करूं कि राजस्थान का हल क्या है, सिंचाई के हिसाब से। हम यह है कि सारा स्रोत इस्तेमाल कर लें तो भी आप पूरे नहीं दे सकेंगे। और क्षेत्र को तो क्या एक बहुत बड़े क्षेत्र को पानी इस संबंध में अगर हम दूसरे प्रान्तों का मुकाबला करें तो देखिये हमारी स्थिति क्या है। पंजाब का कल्चरेबल एरिया जो है उसका 99.2 पर्सेन्ट काश्त में है और उसमें से 53 पर्सेन्ट में सिंचाई होती है। हरियाणा में 90.4 पर्सेन्ट एरिया में काश्त होती है कुल जो कल्टीवेबल एरिया के उसमें है, सिंचाई के अन्दर आता है उसका 44.2 है। उत्तर प्रदेश में 82.2 पर्सेन्ट क्षेत्र काश्त के अन्दर आ चुका है और 29.7 पर्सेन्ट में सिंचाई होती है। राजस्थान के 56.5 पर्सेन्ट में काश्त है लेकिन सिंचाई कुल 8.45 पर्सेन्ट में होती है। यह सिचुएशन हमारी है।

दूसरी बात, आल्टरनेटिव क्या है, जैसी मैंने विनती की, इश्यू आपने क्या लिया है। क्या 28.5 मिलियन एकड़ राजस्थान की धरती जो खेती में आ सकती है, पानी के बिना बगैर काश्त के और एकदाने के उत्पादन-

(श्री राजबहादुर)

के पड़ी रहेगी ? यह इश्यू खड़ा करिये और कहिये कि पानी पहुंच सकता है और उसको आप खाली वहां पड़ा रहने देंगे ? 28.5 मिलियन एकड़ में अगर एक टन भी अनाज हो, या आधा टन भी पैदा हो तो आप सोच सकते हैं कि कितना उत्पादन हो सकता है। यह प्लानिंग कमीशन के सामने क्यों एक गम्भीर इश्यू खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कभी इश्यू बनकर नहीं गया। वरना इसकी अनदेखी नहीं होती और उसके बाद दूसरा प्रश्न यह भी है कि जो बेसिक प्राब्लम है, जैसे जहां खुशहाली की; गरीबी मिटाने की, रोजगार बढ़ाने की क्या, उसके लिए आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे ?

अब मैं आपसे विनती करूंगा यमुना और गंगा के बारे में। लेकिन गंगा के बारे में पहले विनती करूंगा। बाद में यमुना के बारे में। टोटल वाटर . . .

श्री अध्यक्ष : काफी हो चुका है।

श्री राजबहादुर : इसलिए जरूरत से एक सैकिन्ड भी ज्यादा नहीं लूंगा। आप जब कहेंगे समाप्त कर दूंगा। जब आप मौका देंगे तब कह लूंगा। मैं अन्तर प्रदेशीय सवाल या स्थिति में जा रहा हूं। जो देश की सिचुएशन है वह देख लें। गंगा में से 49.4 मिलियन हैक्टेयर, हजारों मीटर पानी मिल सकता है। तो जहां तक इसमें से पानी का उपयोग किया गया है, वह है लगभग 18 मिलियन हैक्टेयर मीटर जो इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके बाद गंगा-कावेरी लिंक जो योजना है, गंगा से कावेरी तक पहुंच गयी। गंगा के पानी को नर्मदा के जरिये से, गोदावरी के जरिये से, कृष्णा के जरिये से कावेरी तक पहुंचाया जा रहा है तो ऐसी योजना बनाई गई है। और हम गंगा को, अपने घर के पड़ोस से लाने को तैयार नहीं हैं। जबकि स्कीम बनी हुई है। योजना बनी हुई है, दोनों पक्षों का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा ताकि मैं जो कुछ विनती कर सकूं, वह सारे सदन की बात मानी जावे तो बात यह है कि गंगा के पास जो पानी है वहां फ्लड सीजन होता है जब 4 थाउजेंड क्यूबिक मीटर फ्लो होता है। उसमें से यदि पानी लिया जाये तो 2 जगह से हमको लेना होगा। एक बिजनौर हो सकता है कि उस दोनों जगह नदी क्रास करती है। इसी नदी को क्रास करने के बाद पानी आता है। सीधा सोनीपत के पास, वहां से रोहतक के पास और भिवानी के पास होता हुआ झुंझुनू से लेकर जालौर तक पानी जा सकता है।

दूसरा यह हो सकता है कि नरोरा पर जहां बैराज मौजूद है। नरोरा में भी 1,133 क्यूबिक मीटर पर सैकिण्ड पानी मिल सकता है। उसके हिसाब से आप सीधी कैनाल ले आइये। आपको एक जगह कठिनाई होगी वह पानी सीधा कामां तक आ सकता है, कामां से आगे यह स्कीम आपकी बनी हुई है। पता नहीं इस सम्बन्ध में कभी जानकारी क्यों नहीं ली गयी। मैं इन दोनों रावी और व्यास के बारे में तथा गंगा और यमुना के बारे में विनती करूंगा आपसे कि इस पर सोचा जाय और निरन्तर ध्यान दिया जाये। अगर यह नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। राजस्थान को दो साल में, ढाई साल में अकाल का मुंह देखना पड़ता है उससे बचने का प्रयास कभी तो करना होगा ?

अब मैं आता हूं जो फ्लड प्रोटेक्शन का मामला है। वहां भरतपुर के लिये जो मास्टर प्लान बनाया गया है। उसके बारे में कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। मैं आपसे कहूंगा कि आपने

(श्री खज्जबहादुर)

कोई टेक्निकल सर्वे सोइल का, मिट्टी का सर्वे नहीं करवाया। मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। यह बदकिस्मती है कि मुख्य मंत्री जी तक मेरी बात नहीं पंहुच पाती है। किसी शायर ने कहा है "तू न आये तो तेरी आवाज तो आया करती"। मैं कह रहा हूं कि उनका स्वयं का जिला है उनको देखना चाहिए कि जो स्कीम है उसमें कहां तक कुछ गहराई से कार्य हुआ है। वहां भूमि बहुत अच्छी है और पानी भी मिलता है बांध भर कर इनन्डेशन स्कीम से। अब उसको कन्वर्ट करने का प्लान बना है। उसके अनुसार एक बांध बनाया जाये महुआ के पास टुडियान में, एक बन्ध बनाया जावे बयाना के ऊपर गंभीर पर। अव्वल तो दोनों जगह ऐसी है जहां हजारों एकड़ बहुत नदियां की उपजाऊ जमीन हैं। वह पानी की डूब में आयेगी। इसमें एक बात और है। भरतपुर की जमीन में साल्ट है और साल्ट उस भूमि में बहुत है, नमक वहां पर बहुत है। लेकिन वहां पर पानी का जो बहाव आता है और बांध भरे जाते हैं उससे तो साल्ट का जो कन्टीम्प्ट है धरती में वह कम हो जाता है और अगर यह पानी नहीं बहेगा तो साल्ट बहेगा ही नहीं। बड़ी खुशी की बात है धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। मैं फिर से प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी आप से कि मुख्य मंत्री जी जो मास्टर प्लान बना है वह देख लें। क्योंकि उसमें यह भी आवश्यकता है कि हमारा जो बांधों का सिस्टम है। इस इनूनडेशन की बजाय फ्लो कैनाल हो गयी उसके करने से साल्ट कन्टेन्ट तो नहीं बढ़ जायेगा। आज अगर आप देखें तो बयाने के अन्दर बन्ध बनाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। आज तो फ्लड फ्लो प्रोटेक्शन में क्या होता है तो उसके नाम से कुछ कि मिट्टी डाली जाती है और हर बरसात में वह मिट्टी बह जाती है।

मैं आपसे इतना कुछ कहूंगा कि यदि कोई खर्चीली स्कीम होती है, सिंचाई की तो मैं इसको दोहराऊंगा कि इसकी आवश्यकता है। कहा जाता है कि खर्चा बहुत होता है। मैं आपसे विनती करूं कि खर्चा कितना होता है। आप कांउट करिये। झुंझनू की स्कीम 90 मीटर की है या गंगा यमुना की है या रावी की है। उसमें खर्चा करने के बाद आप इम्प्लाई-मेंट देते हैं। आप सारे स्थल को हरा भरा बनाते हो, आप कृषि योग्य बनाते हो और प्रोटेक्शन देते हो, बेरोजगारी के खिलाफ जाहिर बात यह है कि अगर आप कन्वेन्शनल रास्ता ही चाहेंगे तो आप कोई समस्या हल नहीं कर सकते। आपको अगर सिंचाई को बढ़ाना है, तो कन्वेन्शनल से नान कन्वेन्शनल मैथड पर आना पड़ेगा। आपको बसिन टू बेसिन जाना पड़ेगा। अगर हमारे को गंगा बेसिन का पानी मिल सकता है तो लेना चाहि चाहे नये तरीके अपनाने पड़ें। अब हम पुराने ढर्रे के साथ नहीं चल सकते। पुराने दिमाग, पुराने विचार और पुराने तरीके से काम करेंगे तो नयी चुनौतियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। एडमुन्ड बर्क का एक प्रसिद्ध कथन है कि—

"minds and big empires small edu not go togather"

उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा "with petty minds, convention out of date thinking we cannot face new challenges."

मैं आपसे विनती करूंगा और कुछ लघु सिचाई के बारे में कहूंगा कि नियम जो गृहस्थ का ता है वह यह है कि कम से कम खर्चे में

(श्री राजबहादुर)

अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय। उसका फायदा लिया जाय। लेकिन यहां की नीति रही है कि यहां कम से कम खर्च में लाभ मिल सकता है वहां तो हमारा काम नहीं होता है। होता वहीं है जहां खर्चा बहुत हो, बरसों लगें। फिर भी काम न हो। माफ करना, मैं क्षेत्रीय भावना से नहीं कह रहा हूं। इस भावना से कह रहा हूं कि कम से कम खर्च में और कम से कम समय में अधिक से अधिक काम हो और लाभ हो फिर खर्चीले काम भी हो सकते हैं जो आय उससे होती है उससे सभी काम हो सकते हैं।

मैं यह बात नलकूप, ट्यूब वैल खोदने की रिग्स के विषय में कह रहा हूं। पूर्वी राजस्थान में जहां पानी की सतह ऊंची है आसानी से कम खर्च में ट्यूब वैल, नलकूप बन सकते हैं। वहां पर्याप्त संख्या में रिग्स भेजने चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ दिया जावे। वहां भी काम हो किन्तु पूर्वी क्षेत्र की भी अनदेखी न की जावे। मैं विनती करूंगा कि इस बात को भी देखा जाए और एक बात कहकर अपने निवेदन को समाप्त करूंगा। वह यह है कि दो बार, तीन बार घोषणा हो चुकी है और जनता पार्टी सरकार ने भी की थी कि गंगा-यमुना का पानी हमको मिल रहा है, और 3 अप्रेल, 1979 के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मैंने पढ़ा है जिसको कल मैंने दुबारा चैक किया उसमें ललित किशोर चतुर्वेदी का वक्तव्य था कि उसमें 200 लैक्स यानि 20 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलने वाला है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: डिमांड्स पर बयान था।

श्री राजबहादुर: आपका बयान था। आपने कहा था, डिमांड्स पर हुआ था या किसी और संदर्भ में, मैं फिर बीच में कह रहा हूं कि अब फिर यह महत्वपूर्ण विषय इस चीज को कहीं बैक नम्बर में न रख दिया जावे, आपका दूसरा उपाय नहीं है। आप समझ जायं, मत करिए, आप शायद मनके कहेंगे कि वहकी-वहकी बात कर रहे हैं गंगा का पानी कहां मिलेगा, लेकिन उसके सिवा राजस्थान का उत्थान नहीं है। आप चाहते हैं कि सच्चाई के साथ मरू भूमि को हरा भरा करें, आप चाहते हैं कि सैकड़ों वर्ष का अभिशाप दूर हो, आप चाहते हैं कि जीवन की क्वालिटी इम्प्रूव हो तो निश्चित रूप से पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा और फिर दोहराऊंगा कि जान है तो जहान है, किन्तु जल है तो जान है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने दो तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे लेकिन दो कटौती प्रस्ताव तो सूची में ही नहीं आए। शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका संबंध डिमांड संख्या 48 व 38 से नहीं होगा। एक तो मेरा कटौती प्रस्ताव यह था कि जो छोटे सिंचाई के बन्धे अकाल के समय में या डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत थे और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की मेन्टीनेन्स में नहीं हैं, पिछले साल भयंकर बाढ़ से ग्रस्त हो गए थे, उनकी मरम्मत नहीं की गई है। इसलिए मरम्मत की जानी चाहिए उसका एडवर्स इफेक्ट प्रॉडक्शन पर पड़ता है और कुओं पर पड़ता है। इसका संबंध क्यों नहीं इस मांग संख्या से समझा, मुझे मालूम नहीं।

दूसरा कटौती प्रस्ताव यह दिया था, जोधपुर में पेयजल की योजना की क्रियान्विति से सिंचाई क्षेत्र में क[...] होने से उत्पन्न

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थिति पर चर्चा। इसका सही संबंध सिंचाई विभाग से था क्योंकि बेसिकली जो हेमावास और जवाई के बन्धे हैं, दोनों बन्ध सिंचाई के बन्धे हैं और उनसे वाटर सप्लाई स्कीम चालू की गई है और भविष्य में वर्ल्ड बैंक की भी सहायता से चालू की जाने वाली है वह इसलिए कि उसका स्त्रोत नहीं है। आज पी एच. डी. के बाद में इसका सीधा संबंध इरिगेशन से था। इरिगेशन का एरिया तेज होगा, जवाई हेमावास के कमाड एरिया में निश्चित तौर से उसका असर पड़ेगा, दोनों नहीं आए। इसलिए तीन कटौती प्रस्तवों में से एक कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्योंकि अन्तर्राज्यीय योजनाओं के संबंध में सदन में चर्चा सोमवार को होने जा रही है इसलिए आज निवेदन नहीं करूंगा।

मेरा मुख्य कटौती प्रस्ताव है राजस्थान नहर से लिफ्ट ईरिगेशन योजनाओं के संबंध में। जैसी कि, अध्यक्ष, महोदय, राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान केनाल अभी दूसरे स्टेज में चल रही है और इस पूरी राजस्थान नहर परियोजना की लंबाई 649 किलो मीटर है उसमें से 204 किलोमीटर तो यह पंजाब और हरियाणा से चलती हुई नहर आई, हमारे राजस्थान में प्रवेश किया जिससे कोई सिंचाई नहीं हुई। 189 किलोमीटर राजस्थान के अन्दर इसका निर्माण किया जाकर अब इसकी लम्बाई 393 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। यह दूसरे स्टेज में प्रवेश कर चुकी है जिसकी लम्बाई 256 किलो मीटर है। यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय सैकिण्ड स्टेज के संबंध में चर्चा चल रही थी और राजस्थान नहर परियोजना सेकिण्ड स्टेज में प्रवेश कर रही थी, उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस राज्य सरकार के सम्मुख यह प्रश्न आया था कि क्या सैकिण्ड स्टेज प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का चेंज किया जाए या नहीं और करने से लाभप्रद है या नहीं, करने से क्या फायदे हैं और नहीं करने से क्या नुकसान है। इस संबंध में राज्य सरकार ने विचार किया और राज्य सरकार ने इसलिये विचार किया था कि नेशनल कमीशन आन ईरिगेशन ने जो 1972 में अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि किसी भी सिंचाई की योजना से अगर एक्सटेन्सिव ईरिगेशन होता है और समाज के ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलता है, ज्यादा लोगों के लिये लाभप्रद है तो इस प्रकार की योजना ली जानी चाहिए। इसी को आधार मानते हुए नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर ने मार्च, 1974 में जो अंतरिम रिपोर्ट दी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है। उनकी अंतरिम रिपोर्ट डेजर्ट डवलपमेंट के संबंध में उन्होंने विस्तृत इस बात की चर्चा की है कि राजस्थान का जो डेजर्टइलाका पूरे देश का थार डेजर्ट है, इस डेजर्ट एरिया के लोगों की बहुत बड़ी समस्यायें हैं, अकाल होते रहते हैं, जल स्त्रोत नगण्य हैं, इसलिये अगर कोई भी जल का स्त्रोत इस क्षेत्र में आ सकता है तो केवल दो उनके सामने स्त्रोत हैं: एक स्त्रोत है राजस्थान केनाल की लिफ्ट ईरिगेशन की योजना और दूसरा माही का पानी जिसको अभी कडाना डेम में इम्पाउन्ड किया जा रहा है। 1966 के समझौते के अनुसार उस पानी से जालौर और बाड़मेर की हमेशा जो अकाल की विभीषिका है, उसका परमानेन्ट हल निकाला जा सकता है। दोनों सिफारिशें उन्होंने की हैं। इसके आधार पर राज्य सरकार ने इस पर विचार किया। नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर

(श्री परसराम मवेरणा)

की रिपोर्ट और उसके सुझाव जब राज्य सरकार के सामने आए तो राज्य सरकार ने 1975 में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में राजस्थान के प्रतिनिधि भी थे और भारत सरकार के प्रतिनिधि भी थे। उस कमेटी के चेयरमैन इस देश के जाने माने इंजीनियर कंवर सेन बनाए गए। उनसे यह भी परामर्श लिया गया कि वे पोज के मार्फत वे कन्सल्टेशन कर सकते हैं और कन्सल्टेशन करने के बाद में रिपोर्ट दें कि क्या लिफ्ट योजनायें फिजीवल हैं या नहीं, और वे अगर फिजीवल हैं तो उस संबंध में राज्य सरकार को को क्या करना चाहिए। कंवर सेन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वेपोज को मई, 1975 में दी और 6 दिन बाद वेपोज ने रिपोर्ट को एन्डार्स करते हुए राज्य सरकार को 15-5 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि लिफ्ट इरिगेशन योजनायें फिजीवल हैं। वे योजनायें इस एरिया में लाई जानी चाहिए रेगिस्तानी इलाके में और उसके लाने के संबंध में उनकी क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी एरिया सिंचित किया जा सकता है, कितना एरिया पास्चर डवलपमेंट के लिए है, कितनी पानी की समस्यायों के हल के संबंध में ये योजनायें कारगर साबित होंगी।

मुख्य मंत्री ने थोड़े दिन पहले यहां पर घोषणा की थी, सदन में नहीं सदन के बाहर भी कई बार इस बात की घोषणा की है कि जो प्राब्लेमिटक विलेजेज हैं वर्षों से 24000 उनको 5 वर्षों में पीने का पानी मुहैया कर देंगे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी इलाके में जहां कि जमीन के नीचे पानी नहीं है, अगर पानी का स्रोत नहीं है तो यह आपके लिए असंभव है कि आप पानी की व्यवस्था कर सकें। राजस्थान के डेजर्ट के अन्दर बहुत ऐसे इलाके हैं जहां मीलों तक पानी फ्लोराइड युक्त है, पानी इतना कड़वा है कि पीने के बाद चिड़िया भी मर जाती है, ऐसी हालत में जब तक लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं का काम हाथ में नहीं लेंगे तो डेजर्ट और रेगिस्तानी इलाके में पानी की समस्या भयंकर उसी तरीके से बनी रहेगी। इसलिए लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं को तुरंत हाथ में लिया जाए, राज्य सरकार इस संबंध में विचार करे।

पुर्नविचार का मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कांग्रेस राज्य सरकार के सामने कंवर सेन समिति की रिपोर्ट आई और वेकपोज में टेक्निकल गाइडेन्स और उसके साथ-साथ नेशनल कमीशन आने एग्रीकल्चर ने भी जो सुझाव दिये। इन सभी को देखते हुए नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर ने यह सुझाव दिया जो कि उनके परा 4-30 पर है।

"The Irrigation Commission recommended that—

'The policy should be to benefit as large a section of the community as possible and, at the same time, enable farmar to obtain reasonable yields. Surface irrigation system should be designed to work compact blocks, the blocks being dispersed over a large area to benefit large number of farmers. The number of irrigations can be fewer

(90)

(श्री परसराम मदेरणा)

within the area required for maxim:m yields.'

We are in agreement with this policy and recommend that this should be applied to the desert area within limits of economic viability. It has been pointed out that introduction of irrigation facility in areas brings prosperity not only to the irrigators but all round to the people of the area in various forms. Keeping this policy in view and because of insufficient stable flow area in Rajasthan Canal Command as proposed in the project report, it is necessary to spread the benefit of irrigation to certain lift areas."

उनके कहने का मतलब यह था कि इरिगेशन कमीशन और नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने यह सुझाव दिया कि राइट साइड केनाल में फ्लो इरिगेशन का जो एरिया है उसमें सैन्ड ड्यून्स अधिक है, वह इतने अधिक हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर लैण्ड लेवलिंग करने में बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा, लिफ्ट इरिगेशन से जो एरिया इरिगेशन का होगा या उसके दूसरे जो बेनिफिट होंगे जैसे केटल कन्जर्वेशन या ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटीज, इन सभी को देखते हुए कोस्ट आफ इरिगेशन इतनी ज्यादा होगी कि हमारा काश्तकार उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इसलिये सोशल जस्टिस को देखते हुए लिफ्ट इरिगेशन को लागू किया जावे। तो, अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने सन् 1976 में इस रिपोर्ट पर विचार किया और सभी तरह से विचार करने के बाद राजस्थान सरकार ने तय किया कि राजस्थान केनाल में इरिगेशन की इन्टेंसिटी 110 प्रतिशत होती है उसको कम किया जाना चाहिये। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, लिफ्ट इरिगेशन जब चालू की जाती है तो 110 इन्टेंसिटी से एग्रीकल्चर ठीक नहीं होता। राज्य सरकार ने बहुत सोच समझ कर, अध्यक्ष महोदय, इस योजना को लागू किया। चूंकि सोशल जस्टिस डिमाण्ड करती है सोशल बेनिफिट डिमाण्ड करती है, क्योंकि एरिया ड्रोट प्रोन एरिया है इसलिये इसके स्थायी हल के लिये, अकाल के स्थायी हल के लिये, पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिये निपटाने के लिये कोई रास्ता इसके अलावा नहीं कि हमारे यहां पर लिफ्ट इरिगेशन को हाथ में लिया जावे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह भी विचार किया कि इस डेजर्ट एरिया में कोई दूसरा पानी का स्त्रोत ही नहीं है, पीने का पानी ही नहीं है इसलिये इस योजना के हाथ में लिया जावे जिससे कि परमानेन्ट ड्रोट प्रोन एरिया है उसका सोल्यूशन निकल सके। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इस एरिया में लगातार पड़ने वाले अकाल के कारण पहले ऐसा होता था कि जब कभी अकाल होता तो जब कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था तब यहां के लोग यहां से, खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर के रहने वाले पाकिस्तान के अन्दर शक्कर की तरफ निकल जाते थे। पर जब से पाकिस्तान का निर्माण हो गया तब से जब यहां पर अकाल पड़ता है तो यहां के लोग अपने मवेशी को

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकर 800 मील तक चले जाते हैं इस इलाके से दूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ। अध्यक्ष महोदय, मवेशी के माइग्रेशन के दौरान मवेशियों की मार्टेलिटी भी हो जाती है इसलिये यह आवश्यक हो गया कि इस सम्बन्ध कुछ न कुछ किया जाय। इसी के लिये राज्य सरकार ने इस पर विचार किया कि लिफ्ट ईरिगेशन को हाथ में लिया जावे। इस पर विचार किया और फिर जून, 1976 में यह निर्णय लिया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्री कंवर सेन समिति के मार्ग दर्शन में वेपोज द्वारा तैयार की गयी अप्रोच रिपोर्ट पर विचार किया गया। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तकनीकी एवं आर्थिक फिजीबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट द्वारा सिंचाई को मोटे रूप से स्वीकार किया गया। परन्तु इससे परियोजना के वर्तमान द्वितीय चरण के कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि मुख्य मन्त्री से निवेदन किया जावे कि वे इस सन्दर्भ में भारत सरकार के योजना आयोग से आवश्यक विचार-विमर्श करें। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जून, 1976 में मुख्य मन्त्री ने वाटर कमीशन, गवर्नमेंन्ट आफ इण्डिया और प्लानिंग कमीशन आफ इण्डिया से विचार विमर्श किया। उसके बाद में अक्टूबर, 76 में यह केबिनेट में निर्णय लिया गया कि 90 मीटर की हाइट के ऊपर पांचों ईरिगेशन की योजनाओं पर कार्य को प्रारम्भ किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, केबिनेट की स्वीकृति देने के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहूंगा कि कंवर सेन रिपोर्ट के अनुसार हमारी राज्य सरकार ने 4 एस. ई. के सर्किल क्रियेट किये और इसका डिटेल्ड सर्वे कराया। अध्यक्ष महोदय, हर एस. ई. के नीचे चार-चार एक्स. ईएन. दिये गये और हर एक्स. ईएन. के नीचे चार चार असिस्टेन्ट दिये गये ईरिगेशन के। इतना ईरिगेशन का बड़ा स्टाफ रखा गया और करीब 60–70 लाख रुपये खर्चा हुआ इसके बाद में जो भी फिजीबिलिटी सर्वे रिपोर्ट द्वारा हमारे सामने आई उस पर राज्य सरकार ने जून, 1976 में निर्णय लिया। यह बात मैं पहले कहना भूल गय था, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने निवेदन की। बाद में अक्टूबर, 76 में केबिनेट में निर्णय लिया गया। लिफ्ट ईरिगेशन योजनाओं को हमारे यहां पर हालांकि हम 110 और 120 मीटर की हाइट पर नहीं ले जा सकते क्योंकि वह इकानोमिकली फिजीबल नहीं होती और इस पर इतना ज्यादा खर्चा होता कि हमारे काश्तकार इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते ये इसलिये हमने निर्णय लिया बीच की जो 90 मीटर हाइट की सिंचाई योजना है उसको हाथ में लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब जनता पार्टी का शासन आया और जब कभी कुछ बोलने का अवसर उधर बैठ कर हुआ चाहे वह गवर्नर महोदय के अभिभाषण के वक्त हो, चाहे वह बजट के भाषण के वक्त हो, चाहे सिंचाई की डिमान्ड पर हो, सदन में जब कभी मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं लिफ्ट ईरिगेशन की योजना के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार को बराबर निवेदन करता रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करता रहा कि आप लिफ्ट ईरिगेशन की योजनाओं को तिलान्जली मत दीजिये। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार ने यह तो कभी नहीं कहा कि हम इसको तिलान्जली नहीं देना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहते लेकिन बाद में धीरे-धीरे मुझे यह मालूम हुआ कि यह योजना अब खटाई में पड़ गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं खटाई में पड़ने की बात इसलिये कह रहा हूं कि उस वक्त की पालिटिकल पार्टीज के नेताओं को उस वक्त की सरकार ने आमन्त्रित किया, मुझे तो आमन्त्रित नहीं किया क्यों नहीं किया इसका कारण तो मैं नहीं कह सकता हूं, तत्कालीन सिंचाई मन्त्री जी भी जानते हैं, उनके बारे में अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी यहां पर चर्चा की, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह बात कही और यह निर्णय लिया कि केवल जहां पर कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी है वहां राजस्थान केनाल से लिफ्ट द्वारा चैनल लाई जावे और जो पीने के पानी की कमी है उसको दूर किया जावे। इसमें खर्चा भी कम होगा। करीब उसमें 26 या 27 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, लिफ्ट इर्रिगेशन में खर्चा ज्यादा होता है। अध्यक्ष महोदय, इसको हाथ में लिया जाय। इस योजना से जोधपुर में पीने के पानी की कमी को दूर किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में पीने का पानी जवाई और हेमावास नहर से आता है। जवाई और हेमावास नहर से 30 क्यूसेक्स पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, पीने के पानी का कन्जम्पशन अधिक होने से यह नहर छोटी पड़ती है और दूसरे रास्ते में सीपेज भी बहुत होता है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के इलाके के आस पास के इलाके में पीने का पानी नहीं है, जो भी पानी है आस पास के इलाकों में वह कड़ुवा है इसलिये यह पानी आने से पीने के पानी की समस्या हल हो जावेगी। इसलिये यह निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय तो ले लिया लेकिन बाद में मुझे यह जानकारी मिली कि इस निर्णय को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है और अभी तक स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जोधपुर को जो पानी पीने का मिल रहा है वह जवाई और हेमावास दोनों से मिल रहा है। जवाई और हेमावास का जो कमान्ड एरिया है वहां पानी सप्लाई किया जाता है वह फिलकरिंग रहता है। कमान्ड एरिया में पानी का कम स्टोरेज होता है इसलिये राज्य सरकार ने शाही स्कीम को हाथ में लेने की बात सोची। शाही स्कीम से ज्याद से ज्यादा और पानी मिलेगा वह पानी 1500,1600,1800 एम. सी. एफटी. मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इतनी लम्बी टनल लाई जायगी जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। उससे पानी जोधपुर को मिलेगा। वह योजना केवल जोधपुर के लिये ही है। 2500 एम. सी एफटी. का रिजर्वायर रहेगा। मतलब शाही स्कीम से जवाई और हेमावास कमान्ड एरिया से इर्रिगेशन के स्टेबलाइजेशन, इम्प्रूवमेन्ट की बात जो हमने सोची थी वह धूमिल हो गयी। इससे ज्यादा पानी नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर 16-17 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। जनता सरकार ने पाइप लाईन लाने की जो योजना बनाई है वह मैं समझता हूं कि एक तुगलक की योजना है। हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिये स्वीकृति भी दे दी हो, तो इस पर

(श्री परसराम मदेरणा)
तुरन्त विचार किया जावे। जोधपुर के ही पानी का केवल प्रश्न नहीं है, जोधपुर के उत्तर में आस पास पचपदरा, लूणी तहसील के गावों में भी नीचे पानी नहीं, कोई पानी का स्त्रोत नहीं है केवल कड़ुवा पानी है। वहां रीजनल पाइप लाइन से पानी दिया जावे। जोधपुर में ऐसी सूरत में 2500 एम. टी. एफटी. का प्रावधान करके दूसरे जो इलाके हैं, खास तौर से पाली और जोधपुर के बीच में रोहत व उसके आस पास के गांवों में पीने का पानी बहुत ही कड़ुवा है इसलिये यह आवश्यक है कि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को हाथ में लिया जाना चाहिये।

मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करूंगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय लिया था वह राज्य के हित में और दूसरे हित में, सभी मुद्दों को देखते हुए लिया था। लिफ्ट इरिगेशन के संबंध में जो मामला लम्बे अर्से से विचाराधीन पड़ा हुआ है, जो हमें प्राग्रेस रिपोर्ट राजस्थान नहर की दी गयी है इसके पेज 2 पर आखिरी दो लाइन यह हैं "राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव पर द्वितीय चरण में 5 जलोत्थान योजनाएं आरम्भ की गयी थीं जो कि विचाराधीन हैं।" अब, अध्यक्ष महोदय, यह योजनायें कब तक विचाराधीन रहेंगी ? सैकिण्ड स्टेज की ड्रिब्यूटरीज का कन्स्ट्रेक्शन बराबर चलता रहा तो जो खर्चा, नहरों के कन्सट्रेक्शन में होगा इसके आधे खर्च का उपयोग लिफ्ट इरिगेशन योजना के अन्दर किया जा रहा था। जो रिपोर्ट है वह महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत देने की योजना सोची गयी है इसको तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करते हुए मेरा एक कटौती का प्रस्ताव और है सिंचाई विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्टेट के पानी के बारे में और अपने हक के बारे में चर्चा कर रहे थे। यमुना, गंगा, सतलज, रावी और व्यास का शेयर हमको पूरा मिले, इस संबंध में चर्चा की और कहा कि इसमें हमारा हक है वह हमको मिले। अध्यक्ष महोदय, यह इन्टर-स्टेट मामला है। एक स्टेन्डर्ड निर्धारित कर दिया उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह निवेदन करूंगा कि जनता सरकार ने अपने कार्यकाल में एक चीफ इन्जीनियर की नियुक्ति की थी। इन्टर स्टेट के जो मैटर्स हैं उनका मानीटरिंग करने के लिए, और हमारा इन्ट्रेस्ट सेव करने के लिए एक चीफ इन्जीनियर की दो साल तक उन्होंने नियुक्ति की। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 25 तारीख को सदन में इस पर चर्चा होने वाली है, अन्तर्राज्यीय मामलों के संबंध में जितने भी मैटर्स हैं उसके संबंध में, और राज्य सरकार के उसमें लैप्सेज रहे हैं उनके सम्बन्ध में उस दिन चर्चा करूंगा। दो साल तक यह चीफ इन्जीनियर रहे उनके जिम्मे क्या काम दिया, जनता सरकार ने क्या दो साल तक उनको घर बैठे तनख्वाह दी ? कोई फंक्शन इस तरह के चीफ इन्जीनियर को नहीं दिये गये और देते तो निश्चित तौर से जो हमारे राइट्स थे उस संबंध में वह सतर्कता बरतते और राज्य सरकार को हमेशा इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आगाह करते रहते, लेकिन उन्होंने दो साल तक एक टैक्स पेयर की मनी का शेयर वेस्टेज किया।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इन्होंने चीफ इन्जीनियर की पोस्ट क्रियेट की उसके बाद में कोई भी उनको कार्य नहीं देकर अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाया, इस संबंध में भी कार्यवाही करें। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने भी समय समय पर इसका एतराज किया है कि यदि आपने चीफ इन्जीनियर की पोस्ट क्रियेट की है तो सपोर्टिंग स्टाफ दिया जाकर जो अन्तर्राज्यीय मामले उलझे हुए हैं उन मामलों को देखने के लिए चीफ इन्जीनियर को सक्षम बनाया जाना चाहिए लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं किया गया, जिनकी सबसे ज्यादा जानकारी माननीय सदस्य जो कोटा से आते हैं, और जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, को इसलिए मेरा यह चार्ज है कि उन्होंने पब्लिक फण्ड का इस तरह से वेस्टेज किया दो साल के लिए, उसकी जांच करायी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि लिफ्ट इर्रीगेशन योजनाओं को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किये जाने के संबंध में राज्य सरकार पुनर्विचार करे और विचार ही नहीं करें तुरन्त निर्णय लेकर इन योजनाओं को प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के मनोनयन-पत्र वापस लेने की अवधि में वृद्धि

श्री **खेतसिंह राठौड़** (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के चुनाव के नामांकन पत्र वापस लेने का समय दिनांक 22 अगस्त, 1980 के एक बजे तक और बढ़ा दिया जाय।

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यदि निर्वाचन आवश्यक ही हो, तो दिनांक 23 अगस्त, 1980 को करवाया जाय।

श्री **अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कटौती प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार को कुछ सुझाव अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सिंचाई के विषय को लेकर आज सदन में चर्चा चल रही है मेरी यह धारणा है कि राजस्थान जैसे प्रदेश जिसमें स्वयं के पानी की बहुत कमी है, में सिंचाई के साधन में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो जल अपने यहां उपलब्ध है उस जल का हम पूरा पूरा उपयोग करें, उसे किसी भी दृष्टि से वेस्ट नहीं जाने दें। सब प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता है ताकि हमारे नदी और नालों का जल राजस्थान की सूखी धरती की प्यास बुझा सके। दूसरी ओर जल की अत्यधिक कमी होने के कारण हमारा यह प्रयत्न भी होना चाहिये कि जिन नदियों में हमारा भाग है उन नदियों के जल का हम अपना पूरा भाग केन्द्रीय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सरकार से आग्रह करके अविलम्ब राजस्थान की धरती पर ला सकें ।

माननीय अध्यक्ष, महोदय पहले जो बात मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है राजस्थान के जल का पूरा उपयोग, इस दृष्टि से मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं । जो भी परियोजनायें सिंचाई की राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले वह परियोजनायें अल्प समय में समाप्त होनी चाहिए ।

(3.00 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पीठासीन)

जितना जल्दी उस परियोजना का लाभ राजस्थान की जनता को मिल सकती है । उतना ही राजस्थान की जनता का भला हो सकता है । उस काम को करने के लिये हमको समयबद्ध कार्यक्रम की योजना बनानी होगी । परियोजना का काम अल्प समय में हो सकें इस दृष्टि से योजनाओं को पूर्ण करने के लिये समयबद्ध योजना बने, इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, 1977 में 15 मध्यम सिंचाई योजनायें और 81 लघु सिंचाई योजनायें ऐसी थीं जो शायद हमको विरासत में मिली थीं । यह योजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हुई थी । 67 से 77, मैं आपके सामने इसलिये कहना चाहता हूं कि परियोजना में एक वर्ष की देरी होती है तो 2500 एकड़ की एक वर्ष में सिंचाई नहीं होती है और एक करोड़ का नुकसान उत्पादन की दृष्टि से होता है । चौथी योजना से इस प्रकार की स्थिति हमको मिली । मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं यह बात सच है पिछले 2½ वर्षों में 6 मध्यम योजनायें और 70 लघु योजनायें हमने पूरी कीं । जिनको सवाई माधोपुर जिले में जाने का मौका मिले वह देखेंगे कि शायद हिन्दुस्तान के नक्शे में एक रिकार्ड होगा । हमारे यहां के अधिकारियों को मैं उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा । एक योजना बनी, इतने अल्प समय में बनकर तैयार हो जाय और उसी तरह विभिन्न आवंटन राशि का इस तरह करने की जरूरत है कि हम जो परियोजना हाथ में लेते हैं वह फेज प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी पूरी हो सके ।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस्सी, गोसुन्दा, कोठारी स्टेज टू, हरिश्चन्द्र सागर भीम सागर यह परियोजना जारी हैं इसके लिये जितना यथेष्ट प्रावधान इस वर्ष में किया जाना चाहिये वह नहीं किया गया है, यह फिर स्टेगर कर रही हैं । स्टेगर करने का दुष्परिणाम हम पिछले वर्षों में देख चुके हैं । भीम सागर, शायद 47 में इसका विचार आया था, 54 में कुछ काम शुरू हुआ । 1967 में इसका काम प्रारम्भ हुआ शायद उससे पहले ही हो गया । आज दस गुणा कीमतें बढ़ गई हैं । मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ परियोजनाओं की चर्चा मैंने आपके सामने की है, इनका प्रावधान बढ़ाया जाय । अगला फेजिंग ऐसा हो जिससे वह परियोजना पूरी होकर उस क्षेत्र की जनता, वहां के किसानों के लिये उपयोगी हो सके । इसीलिये मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, इस वर्ष के बारे में विशेषरूप से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 5 महीने समाप्त हो गये । कहीं ऐसा न हो कि बजट में किया हुआ प्रावधान यूटीलाइज न हो सके । सिंचाई का मामला बड़ा नाजुक मामला है । ऐसा लगातार होता रहा है ।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

किया जाता रहा है। वर्ष के अन्त में फाइनेन्शियल टार्गेट पूरा करने के लिये एक प्रकार से अपव्यय करके फाइनेंशियल टार्गेट पूरा करने की कोशिश की जाती है। पिछले तीन वर्षों में हमने प्रयत्न किये। अल्प समय में खतम करने वाले फेज्ड प्रोग्राम के फिजिकल टार्गेट तीन महीने में क्या होंगे, प्रत्येक महीने में कितने करने होंगे इसकी कोशिश की गई। स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि 5-6 महीने गुजर गये हैं, 5-6 महीने का एक बहुत बड़ा समय होता है। कहीं ऐसा न हो कि इतना बड़ा प्रावधान एक्जास्ट कर जाय, फाइनेंशियल टार्गेट पूरे करने में और फिजिकल टार्गेट आपके पूरे न हो पायें। बाकी 6 महीने हैं, व्यवस्था करने की जरूरत है

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का पूरा उपयोग हो उसके लिये मास्टर प्लान बनाना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले दो तीन वर्षों में इस दृष्टि से कुछ ठीक हुआ। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चर्चा की थी। भरतपुर से आने वाले विधायक ने चर्चा की, मैं इससे इनकार नहीं करता जो फ्लड की स्थिति होती है वह कितनी तबाही मचाती है। हमने उसको रोकने के लिये भरतपुर में खर्च किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो फ्लड का मास्टर प्लान भरतपुर का बना है उसमें जितना पानी भरतपुर के लिये आवश्यक है उतने का ठहराव किया जाना चाहिये। इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, यानी हम जैसा चाहेंगे, जितना पानी लेना चाहेंगे लेंगे, जितना भरतपुर के लिये आवश्यकता होगा लेंगे। इसलिये भरतपुर को नुकसान पंहुचाने के लिये मास्टर प्लान बना है ऐसी बात नहीं है। सरकार इसकी दुबारा जांच करवा सकती है। पिछले वर्षों में दिशा देने की कोशिश की गई, मास्टर प्लान बना। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि झालावाड़ जिले में इनन्शन है। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर कुछ जिले हैं इतनी बड़ी वाटर पोटेंशियलिटी है मास्टर प्लान बने नहीं। पिछले वर्षों में कुछ कोशिश की गई है। आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मास्टर प्लान वाली बात मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं क्योंकि पानी बहुत कम है। एक एक बून्द पानी का उपयोग करना है। इसलिये कहा है मास्टर प्लान बनाइये। इनन्डेशन के लिये जितना पानी जरूरी है, फ्लड को रोकना है। एक्सट्रा पानी का फ्लडिंग करना है। पानी का उपयोग किया जाय। इसके पीछे यह मूल भावना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि नर्मदा नहर जो राजस्थान में पानी लायेगी उसकी चर्चा और सरदार सरोवर की चर्चा करने का परसों मौका मिलेगा। लेकिन सिरोही से गुजरात में बहने वाली नदियां हैं, पश्चिमी बनास और वाकल का पानी वापस उस नहर में डाला जा सकता है। उस पानी का उपयोग बाड़मेर और जालोर जिले के लिये किया जा सकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज चर्चा का विषय नहीं है। डिस्प्यूटेड जो मैटर्स हैं क्योंकि हमारे यहां पानी की कमी है इसलिये उसको पूरा करने के लिये इनको तय करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त करने के लिये पिछले तीन वर्षों में कुछ प्रयास किये गये थे। माही बेसिन, लूणी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बेसिन है, इसका भी विचार किया जाना चाहिये। गंगा, यमुना और चम्बल पिछले तीन वर्षों में इनके बेसिनों को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा उस बात का विचार करें। इससे हमारे यहां के पानी का पूरा उपयोग हो सकेगा।

पिछले वर्ष मन में विचार था उदयपुर नगर में एक सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर है जिनका हैडक्वार्टर वहां है वे जाखम डाइवर्शन का काम देखते हैं। दो योजनायें और आ गई चित्तौड़ जिले की। हमने पिछले वर्ष सोचा एक जिले में इतना काम नहीं है अगर सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर का ट्रान्सफर करके चित्तौड़ लगाया जा सके तो सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर की जगह भी होगी और चित्तौड़ को भी फायदा होगा। डूंगरपुर के लिये वहां एस. ई. है। कैसे योजना बने, काम का अधिक से अधिक विस्तार कैसे हो, इस काम को इस तरह से किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने के लिये सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर, जिनका बहुत अधिक काम डूंगरपुर जिले से संबंधित और आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। का ट्रान्सफर वहां किया जाना चाहिये बांसवाड़ा में एडीशनल चीफ इंजीनियर, उदयपुर में सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर और एक चित्तौड़ में करके इस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज अखबारों में आया है सावन-भादों नाम की योजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें बिलकुल डूबत नहीं होगी, शायद ऐसा अवसर नहीं आया होगा कि जो बांध बनेगा उसमें जमीन नहीं डूबी हो लेकिन यह पहला बांध होगा जिसमें जमीन नहीं डूबेगी। किसी एक व्यक्ति का खेत डूबने वाला नहीं है। ऐसी अच्छी योजना का आज ही अखबारों में शुभ समाचार पढ़ने को मिला। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये प्रारंभ में पांच लाख की प्रारम्भिक स्वीकृति इस बजट में मुहैया करने की कोशिश करें। बहुत अधिक लोगों को फायदा मिलने वाला है। कम खर्च में जिस प्रकार की यह योजना बनने वाली है उससे बहुत बड़ा सहारा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, लिफ्ट योजनाओं द्वारा पानी के उपयोग के लिये निवेदन करना चाहूंगा। लिफ्ट के कामों को दो भागों में बांटना है। एक ऐसी है जो छोटी लिफ्ट योजनायें है जिसमें 10-5 फीट पानी को ऊंचा ले जाना पड़ता है और एक ऐसी लिफ्ट योजना है जिसमें बहुत ऊंचाई पर पानी ले जाना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं चम्बल को आप देखें चम्बल काम्पलैक्स में 7 लाख एकड़ का भाग मिला है और अभी 5 लाख 72 हजार 121 एकड़ में पानी का उपयोग कर पा रहे है तो इस बचे हुए पानी का अपव्यय हो रहा है या मध्य प्रदेश में जा रहा है। यह किसी दृष्टि से उचित नहीं है। जो मूल योजना बनी थी वह 1 लाख 10 हजार एकड़ के लिये बनी थी लेकिन क्या हुआ? पिछली बार कोशिश की थी। कोशिश करने के बाद 12 हजार 500 एकड़ के लिये पानी को केवल 10 फीट 12 फीट ही ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसकी एक योजना बनाकर योजना आयोग को भेजी गई है। एक एकड़ में 1100 रुपये के खर्च का एस्टीमेट था और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

रेकरिंग खर्चे भी यदि मिलायें तो 2500 रु. खर्चे के आते हैं जब कि माही में 5000 रु. का खर्च आता है। यह लिफ्ट योजना इतनी सस्ती है, इसलिये मेरा निवेदन है इन लिफ्ट योजनाओं को लिया जाय। इस बार केवल 30 लाख का प्रावधान किया गया है जब कि इसमें एक करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है ताकि प्रारम्भिक काम इस नाते से किया जा सके और पानी का उपयोग पूरा पूरा कर सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं दूसरे लिफ्ट योजना की जो चर्चा है सचमुच उसमें पानी देने का खर्चा ज्यादा होगा। कहां से लाना होगा, कैसे व्यवस्था होगी यह मुख्य मंत्री जी करेंगे किन्तु जैसा अभी परसराम जी कह रहे थे, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, गंगा, यमुना के पानी को केवल 10 मीटर उठाया जाय तो 27.6 लाख एकड़ भूमि हमारे कमाण्ड एरिया में बढ़ सकती है। ये कौनसे जिले होंगे अलवर, भरतपुर, चूरू, नागौर, बीकानेर, पाली- सारे रेगिस्तानी इलाके हैं। हमने स्कीम बना कर भेजी है। आज वह स्कीम यों की यों ही पड़ी है और, सभापति महोदय, शायद झगड़ा भी करना पड़े। इसके लिये मैं परसों निवेदन करूंगा।

सिंचाई क्षेत्र में जैसा हुआ है इस बार खर्चा बढ़ा है और जितना प्रावधान करना चाहिये था, उतना नहीं किया गया है प्रायोरिटी सब कुछ दी है बिजली और सिंचाई को किन्तु सिंचाई का जितना प्रावधान बढ़ाना चाहिये था, नहीं बढ़ा।

लघु सिंचाई के बारे में मेरा निवेदन है पिछली बार 8.9 करोड़ का पूरा खर्चा हुआ। अगर 20 पर्सेन्ट प्राइसेज में इन्फ्लेशन हुआ तो 9.5 करोड़ चाहिये लेकिन इस बजट में केवल 6.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष से भी कम है। आप मध्यम सिंचाई योजनाओं की बात न करें किन्तु लघु सिंचाई योजना तो हमारे प्रदेश का आधार है इसके बिना काम नहीं चलेगा। मेरी अपील है यह जो प्रावधान किया गया है यह उससे बहुत कम है। 20 पर्सेन्ट प्राइसेज बढ़ रही हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को निवेदन है टौंक में 6 कार्यक्रम दिये हुए हैं और डेढ़ लाख का प्रावधान रखा है झालवाड़, जालौर, कोटा में 6 पर्सेन्ट कम कर दिये हैं। अलवर और अजमेर में कई तालाब हैं उनको भी नहीं लिया गया लेकिन वहां केवल मोरियों का काम करके भी इस वर्ष व्यवस्था की जा सकती है। पिछले वर्ष भी की थी। उससे अलवर और अजमेर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है इस प्रकार की कोई योजनायें नहीं ली गई हैं। अलवर में हरसोरा बांध है उसके लिये राजस्थान सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी पूरा करके समयबद्ध उपयोग करेंगे तो अधिक लाभ होगा 9.24 लाख का प्रावधन है एक ही वर्किंग सीजन में पूरा हो सकता है। किन्तु प्रावधान इतना कम किया गया है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। आधुनिकीकरण के लिये 8 करोड़ की आवश्यकता है लेकिन उसमें भी 4 करोड़ से काम चलाया गया है। मेरा जो निवेदन है जो बजट में प्रावधान किया गया है वह इस दृष्टि से बहुत कम है।

पिछले दो-ढाई वर्षों में हमने प्रयत्न किया था लेकिन आज भी खराब स्थिति है गान्धी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सागर की। मध्यप्रदेश ने बंध खड़े कर लिये 5 मिलियन एकड़ फीट पानी को उसने जब्त कर लिया अगर गांधी सागर में पानी नहीं ले जायेंगे तो बिजली का बंधा होगा पानी का क्या होगा ? इसलिये काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार जो इन्टेरसेप्शन हैं उनको रोका जाना चाहिये । मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं

श्री सभापति : सरकार का उत्तर चार बजे शुरू होगा हर दल से लिस्ट आई है । आपने 25 मिनट ले लिये हैं . . . .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंग कैनॉल की रिपेयर्स का सवाल है इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है । पिछली वार 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया इस बार कम प्रावधान है। इसको पास करवाइये इसके पीछे पड़िये कहीं ऐसा न हो कि ऐसा मौका आ जाय कि जो आज अन्नदाता है इस प्रकार का सारा क्षेत्र है गंगानगर जिसके कारण और प्रदेशों की आंखें उस पर लगी रहती हैं । मेरी आपके माध्यम से अपील है मैं उस बारे में अभी चर्चा नहीं करना चाहता ।

मैं एक दो बातों की चर्चा करना चाहता हूं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी सीमेन्ट की चर्चा की है । उन्होंने कहा संघ के तीन कार्यालय बने। उसमें कोई तकलीफ नहीं है किन्तु मैं उनकी जानकारी के लिये बताऊं कि 1977 के पहले ही वे बन चुके थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब सरकार आपके पास है एक एक की जांच कराइये, मैं कोई संकोच नहीं करूंगा । मैं आह्वान करना चाहता हूं चेलेन्ज करना चाहता हूं इस बात के लिए केवल राजनैतिक आधार नहीं है । श्रीमन्, जीवन मूल्य लेकर हम खड़े हुये हैं, राजनैतिक आधार और जीवन मूल्यों की हम स्थापना करना चाहते हैं । पिछले तीन वर्षों में इस उम्मीद से कुछ करने की हमने कोशिश की है । उन्होंने जितने आरोप लगाये हैं, मेरा कहना है सरकार आपके पास है, सबकी जांच करें । सब बातों को लेकर जांच कराइये मुझे कुछ नहीं कहना है । हां, जो एक सूचना मैंने इस नाते से दी थी, जो उन्होंने जानकारी दी थी कि इनमें सीमेन्ट चला गया है, स्वास्तिक की चर्चा की । मैं तो इसका नाम जानता भी नहीं हूं। इन्होंने यहां कहा था, स्वास्तिक या क्या था

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : इर्रीगेशन के निर्माण जितने भी कोटा जिले के अन्दर हुए , वह विदाउट एग्जिस्टेन्स

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खैर मैं उसका नाम भी नहीं जानता मुझे उसकी जानकारी नहीं है । मैं आह्वान करता हूं चेलेन्ज करता हूं एक एक बात की जांच की जाय ।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : 1977 के बाद आर. एस. एस. भवन का निर्माण हुआ है और यहां जयपुर के अन्दर

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात पूर्व में कह ली।

श्री **सुनीलकुमार विश्नोई** : सभापति महोदय, ये चुनौती दे रहे हैं। ये कि पिछले मैं वहां करता हूं · ·

(व्यवधान)

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : हां, खुले आम चुनौती · · · ·

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : अगर एक भी पैसे का, वैसे तो जो आरोप उन्होंने लगाये हैं उन्हें भी एक दम पता नहीं। उन्होंने कहा यह जनता पार्टी ने किया, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। केवल पर्सनल केवल मात्र · · · ·

(व्यवधान)

श्री **सुनीलकुमार विश्नोई** : डिपार्टमेन्ट के कितने आदमी गये थे, आपके घर पर काम करने ?

श्री **सभापति** : कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान न डालें, आप।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : वैसे तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति उस समय भी थी, तब भी थी और आज भी है। कई घर के काम मुझे हाथ से करने पड़ते थे। इस प्रकार से बेगार प्रथा को लेना मैं निन्दनीय समझता। मैं चेलेन्ज करना चाहता हूं। काम करने के लिए कोई अधिकारी लगाया गया हो तो मुझे पता नहीं है लेकिन इससे मेरे सम्बन्ध नहीं हैं · ·

(व्यवधान)

श्री **सभापति**: अब आप समाप्त करें। मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : और इस नाते से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अन्त में एक बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सिंचाई का प्रावधान बढ़ाइये, यह बहुत आवश्यक है। ये प्रावधान पिछले वर्षों के हिसाब से बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए देवास की चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि फिर शायद समय नहीं आयेगा। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, उनके और मेरे इतने मतभेद हैं कि देवास योजना को आज के पीस रेश्यो की कैटेगरी की सिंचाई में कभी नहीं लिया जा सकता। उसको पेयजल के लिए लेना आवश्यक है। बीच में जो राजनैतिक उत्तर दिया गया कि सिंचाई और पेयजल के हम भी चक्कर में फंसे रहे आप उस चक्कर में नहीं फंसे। पहले उसको केवल पेयजल से सम्बन्धित करें तभी मामला बनेगा। देवास सैकिण्ड स्टेज पर बनी हुई है। इसको पीने के पानी के लिये लेने की आवश्यकता है।

इन्हीं बातों को कहते हुए मैं समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति**: श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री **हीरालाल देवपुरा** (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की डिमाण्ड के ऊपर कई

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और कई वरिष्ठ सदस्यों ने भी, खास तौर से बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री इस सरकार के रहे हैं, अपने विचार सदन के समक्ष रखे । सभापति महोदय, यह सही है कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की धरती पर खेती के लिए जितना पानी हम अधिक से अधिक उपलब्ध करा पायेंगे, उतना ही लाभ होगा । राजस्थान का विकास औद्योगिक दृष्टि से जहां हम आवश्यक मानते हैं वहीं यहां के काश्तकारों को लाभ देने के लिए सिंचाई के साधन जब तक उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक चहुंमुखी विकास की बात हम जो करते हैं वह नहीं हो पायेगा । यह मैं मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज जो पानी के स्रोत हैं वह चाहे हमारे धरातल के हों, चाहे भूमि के नीचे आये हुए पानी के हों .....

(3.26 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

और चाहे अन्तर्राज्यीय वार्ता करके दूसरी नदियों का पानी यहां लायें, उस हिसाब से हम राजस्थान के अन्दर 38 लाख एकड़ भूमि पर पानी ला सकेंगे । इससे अधिक हम जमीन में पानी ला नहीं सकेंगे । आज जो भी कुछ राजस्थान के अन्दर खेती है, उसमें से केवल 18 पर्सेन्ट पर सिंचाई हम कर पा रहे हैं । 38 लाख एकड़ भूमि पर हम पानी लायेंगे, उसको भी अगर हम करते हैं तो भी सिंचाई 23 या 24 पर्सेन्ट से ज्यादा हो नहीं पायेगी ।

आज जो स्थिति हमारे राजस्थान की है, जो अन्तर्राज्यीय विवाद हैं या अन्तर्राज्यीय हमारे पास नदियां लगी हुई हैं, उसको तो हम 25 तारीख को बात करेंगे । सभापति महोदय, मैं उस सम्बन्ध में तो 25 तारीख को मौका मिला तो निवेदन करूंगा लेकिन हमने यह माना है कि राजस्थान के अन्दर जो हमें पानी चाहिए, चाहे वह धरातल के ऊपर बहता हुआ पानी हो और चाहे अन्डर-ग्राउन्ड वाटर हो, आज भी हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम लगभग 5 लाख 60 हजार एकड़ भूमि पर उसका उपयोग कर सकते हैं तो उसका उपयोग करने में तो हमें तत्परता बरतनी चाहिए । मैं मानता हूं कि जितने भी हम पानी का उपयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभ हमको मिल सकेगा और जल्दी समय में मिल सकेगा । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और यह सही भी है, सभापति महोदय, विकास के काम की बात जब हम करते हैं और खास तौर से इरिगेशन की बात करते हैं तो जो आसान काम हैं, जल्दी, उनका उपयोग हो सकता है और ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है, पर जल लायेंगे तो जैसा हमने यह देखा है राजस्थान का कुछ भाग ऐसा है जो दुर्गम है, बहुत ही ऊंचा नीचा है, पहाड़ी हिस्सा है ।

रेगिस्तानी इलाके की यहां बात की गयी । मैं पहाड़ी इलाके की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपके

102

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का, जिनके पास सिंचाई विभाग भी है। आज जो आदिवासी पहाड़ों में बसते हैं, जिनके पास छोटी-छोटी होल्डिंग हैं, बहुत छोटे-छोटे खेत हैं, उनके यहां पर बड़े-बड़े बांधों से, बड़ी-बड़ी योजनाओं से काम नहीं चलने वाला। बड़े से बड़े बांध तो वहां उपयोगी होते हैं जहां आप बड़ी कोई योजना बना कर लाभ दे सकें। यहां पर बड़ी छोटी-छोटी योजनायें ही लाभदायक साबित होंगी। मैं उदाहरण के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अन्दर अकाल राहत कार्यों के द्वारा जो छोटे-छोटे खेतों के लिए जो छोटे-छोटे बांध बने हैं, आज वे बहुत लाभदायक साबित हो रहे हैं। उन छोटे-छोटे बांधों से वहां के गरीब आदिवासियों के जीवन के अन्दर एक आशा की झलक दीखने लगी है। उनके खेत में भी पानी आया और मैं भी अपने खेत से दो फसल लेने लगा हूं। आज इस बात की आवश्यकता है कि वहां छोटे-छोटे बंधों को बांधा जाय लेकिन, सभापति महोदय, सबसे बड़ी अड़चन आती है, बंधों के लिए नार्म्स बने हुए हैं, उन नार्म्स को अगर आज की स्थिति में लागू करते हैं और उनके आधार पर चलते हैं तो गरीब इलाकों के अन्दर उन पहाड़ी इलाकों के उन गरीब लोगों के खेतों में पानी लाने का स्वप्न हम कभी नहीं देख सकते; सोच भी नहीं सकते। इसलिये नार्म्स को बदलने की जरूरत है। हमारा बैनिफिट कास्ट रेश्यो 1:1.45 के आधार पर है। ऐसा हम मानते है उस इलाके के अन्दर यह बैनिफिट कास्ट रेश्यो चल नहीं सकता। 1:1 के लिए हमने उसको तय किया हुआ है। 1 : 1 की सैंक्शन कैसे हो सकती है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1 : 1 के ऊपर भी अगर जायं, अगर रेश्यो को ऊपर हम नहीं ला सकते, क्योंकि आज के नार्म्स वही हैं जो आपके बने हुए हैं, आज कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन बहुत बढ़ गयी है और उस कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन के आधार पर अगर हम वालेटियर डिस्कस करने जायेंगे, यह कहा जाएगा कि 1 : 2 के रेश्यो के अन्दर जो कुछ भी पैदा होता है उसकी कीमत आंकी जाती है। आमदनी के हिसाब से कीमत आंकते हैं तो जो पैदावार की कीमत आएगी तो उसके साथ-साथ कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा है उसको भी आंकें। उसका तालमेल बिठाने के लिए अगर पुराने हिसाब से बिठायेंगे तो वह तालमेल नहीं बैठेगा और 1 : 2 का रेश्यो कभी नहीं बैठ सकेगा। जब यह नहीं बैठेगा तो कभी बांध बंध नहीं सकेंगे। मैं तो यहां तक भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय बेनिफिट कास्ट रेश्यो से इक्वेट करते हैं तो जो उसकी भौतिक उपलब्धियां हैं जितना अनाज उससे पैदा होगा उसका कितना पानी पीने के काम में लिया जाएगा उसको भी आप को देखना होगा। बांधों से जो इनडायरेक्ट प्रोफिट होता है सोसायटी को जो फायदा होता है और बांधों पर जितनी कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन आती है उसका चौगुना फायदा दूसरी चीजों के अन्दर होता है। इसलिए बेनिफिट कास्ट रेश्यो में उसके अन्दर देखने की भी जरूरत है। उसको एक वास्ट दायरे के अन्दर सोचने की जरूरत है। सोशल बेनिफिट और सोसायटी को जो उससे लोंग रन में बेनिफिट होते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। इन सब बातों को अगर देख कर चलेंगे तो ही छोटे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

छोटे बांध बन सकेंगे । बांध को बनाने से जो वाटर लेवल बढ़ता है उससे कुओं से सिंचाई के साधन ज्यादा होते हैं । कुओं के अन्दर पानी बढ़ जाएगा तो उससे किसानों को लाभ होता है । उस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या हल होती है । कुओं से पीने का पानी मुहैय्या हो जाता है उससे उस क्षेत्र की कई समस्यायें हल हो जाती हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, आप भी उसी क्षेत्र से आने वाली हैं, आपको स्वयं मालूम है कि जो छोटे-छोटे बांध बने हैं उससे फोरेस्ट की पैदावार भी बढ़ी है । जो पहाड़ियां बिल्कुल पहले नंगी थीं, वे पहाड़ियां छोटे-छोटे बांध बन जाने से आज हरी भरी हो गई हैं । इससे फोरेस्ट का लाभ हुआ है । इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बेनिफिट कास्ट रेश्यो को इक्वेट नहीं करें । उस क्षेत्र में बांध बन जाने से आपके कई पर्पज सर्व हो जाते हैं । उस क्षेत्र के अन्दर कई बातों का फायदा होता है । पैदावार बढ़ाने के हमको कई साधन मिल जायेंगे और रास्ता दिखेगा, सभापति महोदया । मैं तो यहां तक कहता हूं कि गरीब और आदिवासी इलाकों के अन्दर ये सब शर्तें खत्म कर देनी चाहिए । आज हम जब अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बने हुए छोटे-छोटे बांधों को देखते हैं और उनसे होने वाले लाभों को देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन बांधों के बनने से बहुत ज्यादा फायदा होता है । इरिगेशन का बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा और उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा । लेकिन हमने इस दृष्टि से कभी सोचने की कोशिश नहीं की । आज हमारी कई स्कीमें हैं, डी. पी., ए. पी. की स्कीमें हैं, एस. एफ. डी. की स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर के माध्यम से आपको पैसा मिलता है । इन सब चीजों को देख कर चलें तो उस क्षेत्र के अन्दर, उस इलाके के अन्दर उस काम को लें तो काफी लाभ मिलेगा और ये काम किये जा सकेंगे ।

सभापति महोदया, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि आज ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि बुलेटिन एप्लाई होगा लेकिन एक खास बात कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी, जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, लिफ्ट इरिगेशन का जिक्र कर रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर लिफ्ट इरिगेशन को धक्का अगर लगा है, छोटी लिफ्ट इरिगेशन को अगर धक्का लगा है तो उनके शासन काल में लगा है । राजस्थान के कांग्रेस शासन में 76 में लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में एक निर्णय लिया गया था कि छोटी लिफ्ट इरिगेशन पर जो सिंचाई की दरें आती हैं उन सिंचाई की दरों और फ्लो इरिगेशन की दरों में फर्क नहीं होना चाहिए । दोनों की एक ही दरें होनी चाहिए । यह फैसला सरकार ने किया था लेकिन इस शासन के अन्दर यह फैसला कर दिया कि लिफ्ट इरिगेशन योजना वहीं पर चलाई जायगी जहां पर नो प्रोफिट नो लोस के आधार पर चलाई जाय । इसके ऊपर जो रेकरिंग एक्सपेंडीचर आता है उस रेकरिंग एक्सपेंडीचर के आधार पर जो खर्चा बनता है वह सारा का सारा खर्चा किसानों से वसूल किया जाय । सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति हमारी रही तो राजस्थान में लिफ्ट इरिगेशन हो नहीं सकता । नदियों का पानी लिफ्ट करके

104

(श्री हीरालाल देवपुरा)

खेतों में ला नहीं सकते । इससे पैदावार में बाधा पड़ेगी । आज लिफ्ट इर्रिगेशन की बात करते हैं तो जो बड़े-बड़े बांध बंधे हैं, उन पर कितना खर्चा आया है । जैसा भूतपूर्व माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने कहा था कि एक बांध पर छः हजार रुपया पर एकड़ खर्चा आता है। छः हजार रुपया तो आपने ले लिया, उसके ऊपर जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसको भी छोड़ दें तो भी छः हजार रुपये का जो ब्याज है वह छः सौ रुपये साल का लेना पड़ेगा । उसको आप एड करते हैं । उसको आप क्यों भूल जाते हैं इसके आधार पर लिफ्ट इर्रिगेशन का खर्चा आता है । राजस्थान के अन्दर जो लिफ्ट बनी हुई हैं और करीब सौ लिफ्ट बनाई थीं मुझे खयाल है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बनाई गई थीं, उन पर मेक्जीमम खर्चा आया था वह पन्द्रह सौ रुपया पर एकड़ था । पन्द्रह सौ रुपयों का मतलब है कि 150/- रुपया साल का ब्याज होगा । रेकरिंग एक्सपेंडीचर अगर चार सौ रुपया साल का खर्चा आएगा तो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस बांध के ऊपर छः हजार रुपयों का रेकरिंग एक्सपेंडीचर जोड़ा जाता है तो भी वह ब्याज की रकम से ज्यादा नहीं पड़ता है । सोर्स आफ इर्रिगेशन को तो आप सब्सिडाइज करते जा रहे हैं और लिफ्ट के द्वारा पीने का पानी देना चाहते हैं उसको आप सब्सिडाइज नहीं करना चाहते हैं और उस खर्चे को किसानों पर डालना चाहते हैं । इसलिए, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 76 के अन्दर इस कांग्रेस की सरकार ने जो फैसला किया था कि लिफ्ट इर्रिगेशन की, जो छोटी लिफ्ट इर्रिगेशन की सिंचाई दरें है वे सिंचाई की दरें फ्लो इर्रिगेशन के हिसाब से होनी चाहिए। इस तरह से अगर लिफ्ट इर्रिगेशन को चलाते हैं तो चम्बल का पानी किसान के खेत पर जाएगा, बनास का पानी किसान के खेत पर जाएगा, साबी और माही का पानी किसान के खेत पर जाएगा और लिफ्ट इर्रिगेशन राजस्थान में चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको सीरियसली लें और इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ें । लिफ्ट इर्रिगेशन की दरों की तत्काल घोषणा करें । यह डिसीजन लिया हुआ है पहले से और उसी आधार पर इसको देखा जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, यहां पर देवास योजना की चर्चा हुई थी । देवास योजना के बारे में यह कहा जाता है कि देवास की योजना पीने के पानी के लिए बनाई गई थी और इसका इर्रिगेशन से सम्बन्ध नहीं है। मोटे तौर पर देखा जाय तो लगता ऐसा ही है कि उदयपुर को पीने का पानी देने के लिए यह योजना बनाई गई थी । लेकिन, सभापति महोदया, हमको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आज पिछोला से, फतेहसागर से, उदय सागर से इर्रिगेशन होता है, सिंचाई होती है आज उदय सागर से सिंचाई होती है। देवास योजना की सैकिंड स्टेज की बात कहना चाहता हूं । नम्बर वन फेज तो कम्पलीट हो चुका है लेकिन सैकिंड फेज और थर्ड फेज की बात कहना चाहता हूं इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर को पीने का पानी तो किसी भी हालत में देना पड़ेगा और औद्योगिक विकास के लिए आप लोगों को पानी देना पड़ेगा । वह पानी के स्रोत उदयपुर में पिछोला लेक है, फतेहसागर लेक है, उदयसागर लेक ही हो सकती है । क्या उसका इर्रिगेशन पर असर नहीं पड़ेगा ? अगर आप

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, औद्योगिक विकास के लिए इसको करते हैं तो निश्चित रूप से इरिगेशन पर भी असर पड़ने वाला है । देवास योजना को केवल पीने के पानी के लिए क्यों माना जाता है ? देवास योजना का पानी पिछौला लेक में, फतेह सागर लेक में और उदय सागर में जाएगा तो वह पानी पीने के काम में आएगा और वहां इरिगेशन के लिए भी पानी दिया जा सकेगा । तो इसके बारे में सिंचाई विभाग को सोचना चाहिए और देवास की सैकिंड और थर्ड स्टेज को कम्पलीट करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे खेद है कि इस बार इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदया, देवास के फेज सैकिंड और थर्ड फेज के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि लोगों में विश्वास बने कि जो योजना बनी हुई थी जिस योजना के लिए काफी सर्वे हो चुका था, उस योजना को पिछली सरकार, आने वाली सरकार और अभी की सरकार भूली नहीं है और बराबर काम चलाएगी । आज लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है । जो योजनाएं बनी थीं उन योजनाओं को छोड़ते चले जाने से लोगों का विश्वास उठता है, उस विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। आप टोकन मनी तो इस साल के बजट में दीजिए ताकि लोगों को विश्वास बंधे कि इस साल प्रोवीजन हमारे लिए नहीं किया गया तो भी निश्चित रूप से अगले साल इस योजना को जरूर हाथ में लिया जाएगा ।

सभापति महोदया, राजस्थान कैनाल की लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में दो मिनट में कुछ बातें कहना चाहूंगा । काफी विस्तार से भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य परसरामजी मदेरणा साहब ने कहा है और बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है । मैं अब ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि ये लिफ्टें पिछली सरकार ने स्वीकृत की थीं और उस वक्त यह घोषणा की गई थी कि राजस्थान कैनाल के फेज दो और तीन के अन्दर जो टोटल इरिगेटेड एरिया आता है उस एरिया में कोई कमी नहीं होगी और इस लिफ्ट इरिगेशन से एडीशनल इरिगेशन होगा । हम चाहते हैं और हमने यह कहा था कि 90 परसेन्ट कैनाल की इन्टेंसिटी को करें तो राजस्थान कैनाल से भाखरा कैनाल के अन्दर, गंग केनाल के अन्दर और दूसरे सब एरियाज में एकदम 90 पर्सेन्ट इरिगेशन का और 90 पर्सेन्ट इन्टेंसिटी का आधार लेकर इरिगेशन करते हैं तो इस लिफ्ट इरिगेशन के ऊपर जो प्रपोजल दिए हैं वह प्रपोजल दिए जा सकते हैं और 90 पर्सेन्ट इरिगेशन के आधार पर वहां इरिगेशन की जा सकती है और पीने का पानी इन इलाकों को दिया जा सकता है । परन्तु हमने कर क्या रखा है ? हमने इसकी पद्धति के लिए किया हुआ है कि जहां पानी अधिक है वहां मैक्जीमम इन्टेंसिटी देकर छोटी-छोटी जमीनों को ज्यादा से ज्यादा पानी देकर पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं । हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए केवल लिमिटेड लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण लिमिटेड लोगों को फायदा पहुंचाने का नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा दृष्टिकोण विकसित दृष्टिकोण होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने का होना चाहिए । आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सकते हैं। आज एक रुपये की जगह सवा रुपया और डेढ़ रुपया देने की बात करते हैं लेकिन आज जिसको कुछ नहीं मिलता है अगर उसको बारह आना दिया जाता है और दूसरों को भी बारह आना मिल जाता है तो आपको क्या नुकसान है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान कैनाल से होने वाली पांच लिफ्टों में से एक तो हमने शुरू कर दी लेकिन चार लिफ्टें जो बाकी हैं एक चूरू वाली, एक कोलायत वाली, एक गजनेर वाली और एक फलोदी वाली इन चारों लिफ्टों की स्वीकृति हो चुकी है उसके लिए प्रावधान कर दिया जावे और चारों लिफ्टों को चालू किया जावे। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

(3.40 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, वह यह कि अभी कहा गया कि गांधीसागर के केचमेंट के अन्दर .5 मिलियन एकड़ फीट पानी मध्यप्रदेश सरकार ने बंधे बनाकर रोक लिया। अध्यक्ष महोदय, .5 मिलियन एकड़ फीट ही नहीं कोटा से आने वाले माननीय सदस्य गांधीसागर से हमारी अपेक्षा ज्यादा नजदीक हैं वह भूल रहे हैं कि It is not point five million acre feet. लेकिन यह वन मिलियन एकड़ फीट पानी है। दस लाख मिलियन एकड़ फीट पानी मध्यप्रदेश ने रोक लिया और वह कहते हैं सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह पानी गत तीन सालों के अन्दर रोका गया। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां बंधे बना दिये। कांग्रेस सरकार इसके लिये लड़-झगड़ रही थी। मैं इरिगेशन मनिस्टर था तब इसके बारे में मीटिंग हुई थी, हमने फैसला किया था दिसम्बर में कि केचमेंट के अन्दर दोनों सरकार बिना एक दूसरे की सलाह के, रजामंदी के कोई बांध नहीं बांधेंगी। तब आप कहां चले गये थे? माननीय भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, ललितकिशोरजी जो, आज यह बात कह दी, उस वक्त इनकी नाक के नीचे, इनकी आंखों के देखते हुए वहां मध्य प्रदेश सरकार ने बांध कर दस लाख मिलियन एकड़ फीट पानी रोक लिया आज गांधीसागर में केवल 16 फीट पानी है। कल्पना कीजिये दशा क्या होने वाली है राजस्थान की। सिंचाई की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से क्या हालत होगी- जिस गांधीसागर में जहां हमको 62 फीट पानी चाहिये उसके अन्दर 16 फीट पानी है। क्या उम्मीद करें हम कि हमारे यहां 62 फीट पानी होगा? गांधी सागर को कहां ले जाते हो। राणा प्रताप सागर से आपको बिजली नहीं मिलेगी। जवाहर सागर से आपको बिजली नहीं मिलेगी। कोटा बैराज से जो सिंचाई होने वाली है मध्य प्रदेश की सिंचाई नहीं होगी और राजस्थान की सिंचाई भी नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश वालों को क्या नुकसान है। उन्होंने तो पानी ऊपर से रोक लिया। इधर की सिंचाई को उन्होंने उधर से निकाल लिया। लेकिन राजस्थान को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की आप जांच करायें कि किसकी गलती से यह बात हो गई है। जांच कराने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे उसके अनुसार एक्शन लिया जाये। भविष्य के लिये इस बात सतर्क रहा जाये कि उस

(श्री हीरालाल देवपुरा)

केचमेंट के अन्दर कोई बांध नहीं बंधे । नहीं तो यह गांधीसागर खाली हो जायेगा । न ही आप बिजली ले पायेंगे राजस्थान के अन्दर और न हमें सिंचाई के लिये साधन मिल सकेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करता हूं और अन्तर्राज्यीय नदी विवादों पर और पानी के विवाद पर 25 तारीख को होने वाली बहस में बोलने का मौका मिला तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा ।

श्री **अध्यक्ष** : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, आज सरकार की ओर से चार बजे उत्तर प्रारम्भ होगा इसलिये जिन दलों की ओर से माननीय सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया है, उन्हें मैं अवसर दे रहा हूं। वह पांच-पांच मिनट से अधिक का समय नहीं लेंगे । जनता जे.पी. की ओर से श्री देवीसिंह या यदुनाथसिंह आपस में तय कर लें ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : अलग-अलग दल के हैं । वह लोकदल के हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री देवीसिंह । कृपया, पांच मिनट से अधिक का समय न लें ।

श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को एक विश्वस्त सूचना, जो मुझे मिली है देना चाहता हूं । चेयरमैन आर.सी.पी. का अभी एक क्षेत्र का दौरा हुआ । वहां उन्होंने आपस में यह विचार किया कि जैसे भी हो मेन कैनाल को ज्यादा से ज्यादा खींच कर और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने रखें, जिससे अपने को प्रशंसा-पत्र मिल जाये और जो तनख्वाह बढ़ने वाली है वह बढ़ जाय और उसका काम धीरे-धीरे होता रहे । सबसे पहले तो मेन कैनाल की लम्बाई है, उसको जल्दी से जल्दी खींच कर सरकार के सामने रखें ताकि इसका प्रशंसा-पत्र, योग्यता प्रमाण-पत्र ले सकें । इसके लिये मुख्य मंत्रीजी विशेष तौर से ध्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल क्षेत्र के लिये अर्ज करना चाहूंगा । राजस्थान कैनाल एरिया में जो कन्सेट्रेशन है, वहां पर क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग आर.सी.पी. ने खोल रखा है । उसके अन्दर जैसा नहर का निर्माण होता, उस नहर में मिट्टी जो पहले ऊंट गाड़ों से या दूसरे साधनों से डाली जाती है, उसके अन्दर सही ढंग से जिस हिसाब से कम्प्रेशन होना चाहिये, वही नहीं होता है । जो ईंटें लगायी जाती हैं, वह ईंटें कच्ची होती हैं और उसका नतीजा आपके सामने आया है । आर.डी. 357 के ऊपर मेन कैनाल टूट गई है । यह मेन कैनाल मोहनगढ़ क्षेत्र तक जायेगी । उसका पानी लोगों को मिलने वाला है । इससे हजारों आदमी प्यासे मरेंगे, जब-जब नहर टूटेगी, इससे किसानों को, ग्रामीणों को प्यासा मरना पड़ेगा । इसके लिये सरकार की जिम्मेदारी होगी । इसके लिये मेरा निवेदन है कि क्वालिटी कन्ट्रोल पर विशेष निगरानी रखी जाये । उनको हिदायत दी जाय । निर्माण कार्य में जो ईंटें लग रही हैं, जो मिट्टी डाली जा रही है, उसके ऊपर विशेष निगरानी रखी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा गांवों के अन्दर एक गांव से सटती हुई जमीन को

(श्री देवीसिंह भाटी)

अलाट किया जा रहा है । आज आवादी भूमि काटी जा रही है उस विभाग से जैसे जैसे आवादी वढ़ रही है, लोग-बागों को मकान वनाने के लिये जगह नहीं है, और आबाद गांव से सटती हुई जमीन को अलाट किया जा रहा है, ऐसे अलाटमेंट वन्द किये जायें । वरना गांव में आपस में लोगों में झगड़े खड़े होंगे और सरकार के सामने वड़ी परेशानी आयेगी । दूसरे उपनिवेशन क्षेत्र में यह पावन्दी लगा रखी है कि ग्राम पंचायत पुराने आवासीय भूखण्डों पर जो आवासीय मकान वने हुए हैं, उनके पट्टे जारी नहीं कर सकती है । मेरा निवेदन है कि जो पुराने मकान बने हुए हैं, उनके लिये ग्राम पंचायत को अधिकार दें, जिससे पुराने कदिमी वासिन्दा हैं, उनको अपने अधिकार मिल सकें ।

दूसरे वहां जैसे उपनिवेशन क्षेत्र मे पुराने खसरा नम्वर काफी वड़े-वड़े बीघा के हैं कोई चार सौ-पांच सौ बीघा के हैं । चक बन्दी के दौरान जो मुरव्वा वन्दी हो रही है, उसके अन्दर पटवारी और तहसीलदार मुख्य कर्ता-धर्ता होते हैं, उनकी मर्जी पर यह होता है कि किस काश्तकार को कहां फिट करें । मेरा निवेदन है कि जो काश्तकार जहां पर काश्त कर रहे हैं, उनको उस भूमि पर यह ब्जा मिलना चाहिये ।

चौथा मेरा निवेदन था, उपनिवेशन क्षेत्र में जो जमीनें राजस्थान नहर के निर्माण के दौरान अवाप्त की जा रही हैं, जैसे नहर बन रही है, सड़क बन रही है, भट्टों का निर्माण हो रहा है तो काश्तकारों की जब जमीनें अवाप्त करते हैं उसके पहले उनको जो नोटिस दिया जाना चाहिये था कि आपकी जमीन नहर में, भट्टों में, सड़क के दौरान आ रही है और इसकी एवज में तुरन्त जमीन आपको दूसरी मिलेगी । परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है, आज पांच-पांच साल हो गये हैं, कई-कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी सारी की सारी भूमि नहर में, सड़क में, भट्टों में आई और आज उनके पास एक बीघा भी काश्त करने के लिये जमीन नहीं है । लिहाजा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करके जो जमीन नहर में अवाप्त की गई है उसकी एवज में जमीन या मुआवजा दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये; माननीय सदस्य । समय हो गया ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवदन करना चाहूंगा जैसे नहर जो पूर्ण होती है और जो काश्तकार वहां आउटलेट लेना चाहता है उसके लिये काश्तकारों को अधिकारियों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है । वह दरख्वास्त देता है कि हम यहां पुराने काश्तकार हैं और यह चक है इसके अन्दर पानी लेंगे । तो उसके आउटलेट की जो भी व्यवस्था है उनके मौके को. लेवल को देख कर, जहां काश्तकारों को, सुविधा हो वहां उसको आउटलेट दें । उसके अन्दर जो प्राथमिकता देनी चाहिये वह दें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह ।

श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और कृषि के लिये सिचाई मुख्य आधार है । हमें यह प्रयास करना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये और कृषि में प्रति एकड़ अधिक से अधिक पैदावार ले सकने के लिये सिंचाई जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें उतनी बढ़ाना

(श्री यदुनाथसिंह)

बहुत जरूरी है। इसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। समय की कमी है। इसलिये मैं थोड़े से में अपने सुझाव देना चाहूंगा।

आज जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं उनके लिये यह प्रबन्ध किया जाय कि वह निश्चित समय में पूरी हो सकें। समय बढ़ता जाता है इनफ्लेशन और महंगाई की वजह से उनकी कीमत बढ़ती जाती है। उनकी कास्ट ग्रॉफ कन्स्ट्रक्शन बढ़ती जाती है इसलिये कड़ी व्यवस्था की जाये जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं वह समय पर पूरी हों। इसके साथ ही छोटी योजनाएं हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि उनका रिजल्ट जल्दी आता है उनमें हाथ के हाथ रिजल्ट मिलने लग जाता है। इसलिये छोटी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

अब भरतपुर में जो फ्लड आता है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वास्तव में भरतपुर में सिचाई विभाग का जो भी नाम है वह फ्लड कंट्रोल ही है। 1947 में जितना एरिया सिंचित होता था उसमें 1-2 प्रतिशत बढ़ोतरी ही हुई है और जो भी पैसा खर्च होता रहा है, जो मिट्टी खोदी, डाली गई है वह सारी पानी में बह गई। ऐसा कोई परमानेंट काम नहीं हुआ जिससे कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाय। पिछली सरकार ने 9 करोड़ रुपये भरतपुर में खर्च किये। मास्टर प्लान बनाया गया लेकिन उसके पास होने के पहले ही 9 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गये। उस 9 करोड़ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भारी घोटाला है। इसमें बहुत शिकायतें की गई। भू.पू. सांसद, रामकिशन जी जनता शासन से पूर्व पीपों के नाम से मशहूर थे पीपा बने हैं, और अब पीपे से ड्रम बन गये। उनकी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक गाड़ी प्रजेंट की गई। 9 करोड़ के ठेके उन्हीं के लड़के या चहेतों को दिये गये। इसमें शिकायतें भी की गई लेकिन उन शिकायतों पर पिछली सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। शायद इसलिये कि उस समय यह मशहूर था कि राजस्थान में दो मुख्य मंत्री काम करते हैं एक भैरोंसिंह जी और दूसरे पं. राम किशन जी। इसलिये ध्यान नहीं दिया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस में फूट होते ही आज मुख्य मंत्री तो कम से कम एक ही राजस्थान में काम कर रहा है।

इसके साथ-साथ मैं भरतपुर के फ्लड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। महुवा के पास वाणगंगा और गंभीरी नदी पर दो डेम बनाये जायं इससे इरिगेशन भी होगा। नदबई कुम्हेर, भरतपुर में वाणगंगा नदी में बाढ़ हमेशा आती है और जहां जयपुर से भरतपुर रोड पर मोलोनी काजवे पुलिया है, उसकी वजह से सारी बाढ़ आती है। उसके लिये दो तीन वर्ष से हमेशा कहते हैं कि इस स्थान पर पुल नहीं बनाया गया तो यह बाढ़ भरतपुर और कुम्हेर में आती रहेगी चाहे जितना पैसा खर्च करते रहो गम्भीरी नदी जैसा नाम से ही लगता है, बहुत तेज चलती है और बाणगंगा में भयंकर सिल्टिंग होता है जिसकी वजह से हर दिन कोर्स बदलती रहती है। इसलियं इसकी साइडों में मोलोनी से खेडली सड़क तक एक स्कीम भी बनाई कि इसको मार्जिनल बैंक बनाया जाय, जिससे नदबई, कुम्हेर तक मन चाहा पानी न जाय लेकिन वहां भी पं. रामकिशन जी की मेहरबानी हुई, क्योंकि वहां पर उनकी इल्लीगल जमीन है

(श्री यदुनाथ सिंह)

इसलिए इस डैम को उन्होंने बिचवाड़ी गांव के पास में होकर निकालना चाहा जो कि वहां से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह नदी गंगा, यमुना जितनी नदी दूर नहीं है कि 2-3-4 किलोमीटर दूर मार्जिनल बैंक बनाया जाय। इसलिए वहां पर जो नदी है साइडों में जमीन है वह खाली पड़ी हुई है वहां पैदावार नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुम्हेर, भरतपुर, नदबई में पर्मानेंट फ्लड सोल्यूशन के लिए मार्जिनल बैंक नदी के पास बनाया जाय। इसका 3-3, 4-4 बार सर्वे भी हुआ। कभी वह सर्वे फिट माना जाता था। उसमें किसानों की जमीन न जाय और यह काम भी हो जाय, इस ओर ध्यान दें।

अब मैं हमारे यहां कुम्हेर और नदवई के एरिया, जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हैं, के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बड़ी विडंबना है, एक तरफ लोग पानी में डूब रहे हैं दूसरी तरफ पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं। जो पानी के लिए तरस रहे हैं उनको पानी दिया जाय। हमारे यहां पथैना कैनाल का पता नहीं, किन आदेशों से पानी बन्द करने के आदेश दियें हैं। उसमें से खुर्रमपुर कैनाल निकलती है। इस पथैना कैनाल का ज्यादातर पानी खुर्रमपुर कैनाल होकर आता है। उसको आगे बढ़ाया जाय। मास्टर प्लान मंजूर करने के निवेदन के साथ मैं आशा रखता हूं आप भरतपुर को सदैव की बाढ़ से बचाने में सफल होंगे।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री **यदुनाथ सिंह** : और जो बाणगंगा पर फ्लड आया उसके कारण 9 लाख रुपये मुआवजे के बांटे और ऐसे आदमियों को बांटे जिनकी जमीन भी उसमें नहीं आई है। एक बीघा जमीन उसमें आई है तो दो बीघा, या दस बीघा का मुआवजा दिया गया है। तो, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसी तरह बड़े बड़े घोटालों में आपका पैसा बरबाद होता रहा तो इस तरह की योजनाओं का कोई फायदा नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकते हुए भरतपुर को सिंचाई खण्ड बनायें।

श्री **अध्यक्ष** : श्री नानूराम कुमावत।

(अनुपस्थित)

श्री मोहन मोदी।

अब आगे समय नहीं है। माननीय सदस्य, मजबूरी है।

एप्रोप्रियेशन बिल है। श्री मोहन मोदी आखिरी वक्ता होंगे।

(व्यवधान)

श्री **शीशराम ओला** : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ टाइम बढ़ावें, हमें अपने क्षेत्र के बारे में कहना है।

श्री **बुलाकीदास कल्ला** : हमारी भी कुछ समस्याएं हैं।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। कुछ माननीय सदस्यों की मांग है इसके बारे में सरकारी पक्ष की ओर से क्या राय है?

सदन की कार्यवाही

मुखबन्ध प्रयोग के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुखबंध का प्रयोग अगर साढ़े पांच बजे करें और एक घण्टा बढ़ा दें तो बहुत उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : मुखबंध का प्रयोग साढ़े पांच बजे से होगा लेकिन फिर भी बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची काफी लंबी है। 5 या 7 मिनट से अधिक कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलें।

श्री मोहन मोदी।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इंसान की जिन्दगी में पानी काफी महत्वपूर्ण है सिंचाई के लिये और पीने के लिये। हमारी नदियों का जो पानी, पहाड़ी एरिया का जो पानी बह करके फ्लड के रूप में जाता है वह नुकसान पहुंचाता है। उसको छोटे बांधों के जरिये रोका जाना चाहिये। बड़ी-बड़ी स्कीमों का भू.पू. सिंचाई मंत्री जी ने जिक्र किया है। मैं आपको छोटे-छोटे बांधों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। छोटे-छोटे बांधों से सिंचाई में तो लाभ होता ही है कुओं में भी पानी का स्तर बढ़ता है और पीने के लिये पानी उपलब्ध होता है। इसलिय मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र नीम का थाना का क्षेत्र है, सीकर जिले में नीम का थाना और रामगढ़ दो तहसीलें हैं जहां छोटे-छोटे बांधों की योजना बनाई जा सकती है, इससे सिंचाई में फायदा हो सकता है और पीने के पानी की दिक्कत दूर हो सकती है। जीपलाटां, दीपावास, भगोट, ग्वाले का बास, इस तरह की योजनाओं के बारे में आपको निवेदन कर रहा हूं। मंत्री महोदय ध्यान देकर इन योजनाओं को चालू करवायें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सीपेज की व्यवस्था करें तो बहुत ज्यादा पानी बेकार जाता है वह बेकार नहीं जायेगा और सिंचाई में लाभ होगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की पहाड़ी एरिया होने से बड़ी दिक्कत है। आपको वहां कुओं को गहरा करना चाहिये। अभी अकाल के समय में मैंने कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार को लिखा था कि मशीनों की व्यवस्था की जाय जिससे कुओं को गहरा करवाया जा सके, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की मशीनों की व्यवस्था आप करवायें जिससे पीने के पानी की दिक्कत न रहे।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं बांधों के बारे में यह देश की संपदा है। इसके बारे में और भी सदस्यों ने कहा है कि सीमेंट चोरी हो जाती है। जब सीमेंट चोरी जायेगी तो उसका नतीजा क्या होगा। उसकी जगह मिट्टी बजरी लगेगी।

(4.00 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

इससे बांध कमजोर होंगे। अब मैं आपको पिछले महीने जो बांध बना है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही वह बांध बनाया गया और इस बार उसमें सीपेज हो गया। पानी निकलने लगा। तहसीलदार ने मौका देख कर 4–5 मील की दूरी पर जो गांव है

(112)

(श्री मोहनलाल मोदी)
उनको खाली कराने के आदेश दे दिये। परन्तु उन सारे गांव वालों ने मिल कर मिट्टी की बोरियां रात के दो बजे तक डाली और उस को टूटने से बचाया।

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, कितना बड़ा खतरा गांव वालों को हो गया परन्तु गांव के लोगों ने मिल कर उसका मुकाबला किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था करें।

नीम का थाना, सीकर जिले में जनता पार्टी की सरकार ने अपने जो कार्यकर्त्ता थे उनको ही ठेका दिया। जो एक्स. ईएन. खण्डेलवाल है, हनुमान खण्डेलवाल, वह सूर्य नारायण चौधरी, जो भू. पू. उद्योग मंत्री थे, का नजदीकी है उसको वहां पर भेजा गया। एक तरफ एक्स. ईएन. उनका है और दूसरी तरफ उसके द्वारा जो ठेके दिए गए वे उनके ही कार्यकर्त्ताओं को दिए गए तो उन बांधों की क्या स्थिति बनेगी, यह आप सोच सकते हैं, सभापति महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो काम कराये गये हैं उनकी आप जांच करावें। विशेष रूप से यह जांच करावें कि उनकी भराई के अन्दर कितनी कच्चाई है। जो सीमेन्ट दिया गया है, उसकी भी जांच करायी जावे। अभी भूतपूर्व सिंचाई मंत्री महोदय कह रहे थे, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई जिक्र किया, इसकी वे जांच कराने को तैयार हैं। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे अगर जांच कराना चाहते हैं तो जनता पार्टी के भूतपूर्व उद्योग मंत्री की जांच करावें तो वहां पर 50 लाख रुपये का गबन मिलेगा। जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़े कलंक की बात है उनमें थोड़ी भी हिम्मत हो तो वे स्वयं आगे आकर कहें कि इसकी जांच कराई जावे। मैं मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे निश्चित रूप से इसकी जांच कराएंगे तो यह मालूम होगा कि जनता पार्टी के शासन काल में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कितना देश का इन्होंने सत्यानाश किया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो मैंने गांवों के नाम बताएं हैं उनके अन्दर विशेष ध्यान देकर बांधों की योजना बनाएं। छोटे छोटे बांध बनाएं और सीकर जिले को इर्रिगेशन में मदद करने के लिए कोई नहर से पानी देने की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि उससे सीकर जिले को काफी लाभ होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अकाल के टाइम में सिचाई की वजह से लोगों ने राहत महसूस की है। उपज अच्छी तादाद में पैदा हुई। परन्तु बिजली नहीं होगी तो सिचाई किस प्रकार होगी। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन छोटे-छोटे बांधों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा कर, महत्व देकर इनको बनाया जावे।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : सभापति जी, 1975 में जवाहरलाल नेहरू कैनाल का काम शुरू हुआ। झुंझनूं जिले को यदि कहीं से सिंचाई के लिए पानी मिल

(श्री शीशराम श्रोला)

सकता है तो वह सोर्स केवल जवाहरलाल नेहरू कैनाल ही हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू कैनाल में से राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार ने दो हजार क्यूसेक पानी मांगा था और उसमें से 0.12 क्यूसेक स्वीकार किया गया। हरियाणा के उस वक्त के मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल ने राजस्थान सरकार को लिखा था कि यदि आप अपना हिस्से का पैसा नहर के निर्माण में देते हैं तो इस नहर का कार्य शुरू किया जाए। इससे राजस्थान के सीकर झुंझुनू और चूरू जिले के कुछ हिस्सों को पानी मिल सकेगा, अन्यथा उतनी ही क्षमता की नहर बनेगी जिससे मेरे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। राजस्थान के हिस्से का पैसा नहीं मिला और राजस्थान के लिए नहर नहीं बन सकी। वह कागज मौजूद है। वह केवल कागज पर ही रह गई उसके आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि उस वक्त राज्य सरकार इस नहर के निर्माण में जो हिस्सा राजस्थान को देना चाहिए था वह दे देती तो झुंझुनू जिले की साढ़े तीन एकड़ भूमि, चूरू जिले की राजगढ़ तहसील और सीकर जिले के कुछ हिस्से में सिंचाई हो सकती थी। इसका सर्वे भी हुआ। इस प्रकार झुंझुनू जिला सिंचित हो सकता था। उसे वंचित रखा गया। स्थिति यह है कि झुंझुनू जिला एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां कि हरियाणा के तीन जिले साथ साथ लगते हैं—महेन्द्रगढ़, भिवानी और हिसार। इन क्षेत्रों में पानी 350-400 फीट की गहराई में जाने पर मिलता था वह भूमि आज नहर से सिंचित होती है। झुंझुनू जिले के लोग बिलकुल ही उसके पास रहते हैं वह देखते हैं कि ये हरियाणा के गांव हैं और फिर अपने गांव की तरफ देखते हैं जहां पानी का निशान नहीं है। तीन, चार वर्षों से वहां पर अकाल पड़ा और हमारे पड़ोस में अच्छी फसल हो रही है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और झुंझुनू जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके प्रान्त के लोगों में इतनी हीन-भावना हो गई है कि वे यह समझते हैं कि वे किस देश के नागरिक हैं? उनके पास की भूमि में जहां पानी काफी नीचे था आज वहां पर नहर से सिंचाई हो रही है और हमारे खेतों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। आज कोई व्यक्ति हरियाणा की ओर देखता है और फिर हमारी तरफ देखता है तो यह पाता है यह क्षेत्र सूखा है, डेजर्ट है और यही राजस्थान है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल से झुंझुनू जिले की भूमि को सिंचित करने के लिए पानी दिया जाए। इससे दो लाभ हैं। एक तो यह है कि वहां के खेतों में बहुत बड़ा राष्ट्रीय धन है। उसके लिए पानी की अति आवश्यकता है। बड़ी तादाद में उसको पानी चाहिए।

जो कापर प्रोजेक्ट है, उसको ताम्बा निकालने के लिए गांव के कुओं से पानी दिया गया है। इससे उस क्षेत्र के कुओं का पानी इतना गहरा हो गया है कि कुएं बेकार हो गये हैं कुएं में पानी नहीं है। जहां पहले पानी 70 फीट पर था आज वह 100 फीट पर चला गया है। इसलिए वहां के कुएं सूखे पड़े हैं। गांव के काश्तकार जिन कुओं से सिंचाई करते थे वे बिलकुल ही बेकार हो गये हैं। उनकी जमीन में सिंचाई नहीं होती है। दूसरे वहां पानी नहीं मिलने से जो कारखाने की क्षमता है, जितना ताम्बा उसको पैदा करना है,

(114)

(श्री शीशराम ओला)

वह पानी की कमी से उतना ताम्बा पैदा नहीं कर पाता है। तीसरे वहां पर आए दिन अकाल पड़ता है और अच्छी से अच्छी भूमि झुंझुनू जिले की डेजर्ट बनती जा रही है। टीले बनते जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि-कोण से भूमि की उपज काश्तकार की रीढ़ की हड्डी है। लगातार तीन साल से झुंझुनू जिला अकाल की चपेट में है। आपको ताज्जुब होगा कि 60-65 रुपये क्विन्टल कुट्टी वहां पर बिकी है। अब अगर किसी के पास 10 पशु है तो वह 65 रुपया प्रति क्विन्टल चारा लेकर अपने मवेशी को जीवित नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में यदि वहां नहर आती है तो उधर काफी पानी बरबाद होता है। वहां पानी की कोई समस्या नहीं है बल्कि पानी ज्यादा है, बाढ़ आती है और इधर पानी की एक एक बूंद के लिये वहां की भूमि तरसती है। और अन्तर क्या है? बहुत थोड़ा है। एक खेत से खेत का अन्तर है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो कागज पर योजना है यह कागज पर न रहे और यह क्रियान्वित हो। मैं मुख्य मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि झुन्झुनू जिले को जवाहर लाल नेहरू नहर लाकर पानी दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं दो मिनट और लूंगा, सभापति महोदय।

और कहीं से भी झुन्झुनू जिले को पानी सिंचाई के लिये मिलने वाला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, झुन्झुनू जिला, जो हरियाणा के बोर्डर पर है, आपके प्रान्त की रक्षा करता है। देश पर जो आक्रमण होता है उसमें झुन्झुनू जिले के हजारों नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं। विदेशी सेनाओं से जो आक्रमण होता है उसको रोकता है। अगर आपने झुन्झुनू जिले की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा तो एक दिन ऐसा आ जायेगा जिस दिन आपकी सुरक्षा सेनाएं कमजोर हो जायेंगी। झुन्झुनू जिला सबसे अधिक फौज में सैनिक देता है, देश की रक्षा के लिये उनके पास खाने के लिये कुछ नहीं रहेगा तो वहां का नौजवान इतना कमजोर हो जायेगा कि देश की सुरक्षा के लिये फिट नहीं रहेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री से पुनः पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जवाहर लाल नेहरू नहर लाकर पानी दिया जाय।

मुझे दुख तो इस बात का है कि पिछले साल तक बजट में झुन्झुनू जिले का नाम आता था। लेकिन अब इस साल झुन्झुनू जिले में सिंचाई के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जनता पार्टी के व्यक्ति ललित किशोर चतुर्वेदी भूतपूर्व सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे, बड़ी डींग हांक रहे थे कि हमने यह किया वह किया। राजस्थान की सभी नदियों पर करोड़ों रुपयों के बांध बनाये हैं। वह बांध कहां बनाये। इसी प्रकार से हमारे झुन्झुनू जिले में सीकर की बाउन्ड्री से खेतड़ी तहसील से पानी की नदी जाती थी। उस नदी के पानी को रोक कर हरियाणा सरकार ने बांध बनाया है। उसके द्वारा हजारों बीघा की सिंचाई करते हैं। यह हमारे लिये कितनी हल्की बात रही। दूसरे हमारे पानी का उपयोग करें, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सके। हरियाणा के पास पंजाब से पानी आता है। और भि

(श्री शीशराम ओला)
कई जगह से आता है, रावी, व्यास, सतलज, से आता है। हमारे यहां के पानी का वे उपयोग करें तो यह सिंचाई विभाग और हमारी सरकार के लिये कितनी निन्दनीय बात है। उससे सारी जमीन को पानी पिलाया जा सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा जब तक आप गौर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब देरी करने से काम नहीं चलेगा। झुन्झुनू जिले के जो किसान हैं वे हरियाणा में जाकर रहना पंसद करेंगे, अगर उन्हें पानी नहीं दिया गया तो। धन्यवाद।

श्री समापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल। सात मिनट में समाप्त करें।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : माननीय सभापति महोदय, आज लिफ्ट सिंचाई पर काफी चर्चा हुई है। माननीय देवपुरा जी ने लिफ्ट सिंचाई की जोरदार वकालत की है। मुझे दुःख है कि वे 5 साल तक सिंचाई मंत्री रहे किन्तु लिफ्ट सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया और नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धान्त को समाप्त नहीं किया। करोड़ों रुपये की स्कीम राजस्थान में बनी परन्तु इसको चलाने में ज्यादा खर्च आता है इसलिए करोड़ों की स्कीम असफल हो गयी और लिफ्ट इर्रिगेशन चालू नहीं हुआ। करोड़ों रुपया बरबाद कर दिया गया पर नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धान्त को नहीं तोड़ा। नो प्रोफिट नो लोस का जैसा आपका सिद्धान्त है आज होल इर्रिगेशन का हिसाब लगाया जाय तो 6 हजार रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है और लिफ्ट इर्रिगेशन पर 2500 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है यह जो 3500 का खर्च बचा इसके ब्याज से ही लिफ्ट इर्रिगेशन के रेकरिंग खर्चे को वहन किया जा सकता है। पर यह किसी ने सोचा नहीं और लिफ्ट इर्रिगेशन से राजस्थान को महरूम रखा और नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धान्त को राजस्थान के ऊपर लाद दिया गया। जनता सरकार ने इस काम को हाथ में लिया और भूतपूर्व सरकार के नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धान्त को तिलांजली देकर लिफ्ट इर्रिगेशन की रेट तय की और यह किसी भी कीमत पर फ्लो इर्रिगेशन से ड्योडी नहीं जाता है। उस समय किसी को लिफ्ट इर्रिगशन के बारे में कोई बात समझ में नहीं आती थी तो हरियाणा गवर्नमेन्ट की ओर ही नजर कर लेते। वहां लिफ्ट इर्रिगेशन की रेट और फ्लो इर्रिगेशन की रेट बराबर है। समय का हिसाब लगाया जाय तो लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम एक वर्ष में बन कर तैयार हो जाती है और फ्लो इर्रिगेशन की स्कीम कई वर्षों में बन कर तैयार होती है। इन वर्षों में यदि सिंचाई हो जाती तो उसका कुल मिलाकर काफी लाभ होता, किसान को लाभ होता, देश को लाभ होता तो हम यह अनुमान लगा सकते है कि यह कितनी लाभकारी है।

मान्यवर सभापति महोदय, यह लिफ्ट सिंचाई की स्कीम कम से कम समय में और कम व्यय में तैयार होने वाली स्कीम है। जहां कई ऐसे बड़े दूह है, ऐसी कई नदियां है, जहां बांध बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और वहां का पानी बेकार जा रहा है। यदि वहां भी यह शुरू कर दें तो किसानों को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। इसमें खर्च कम होता है। हालांकि देखने में खर्च ज्यादा होता है लेकिन एक्सपेन्सेज के हिसाब से लागत का अनुमान यदि हम लगायें

(118)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

और ब्याज का अनुमान लगाय तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है । मेरी कान्स्टीट्यूऐंसी में परवन पर एक सर्वे हुआ, 90 फीट की लिफ्ट है उसमें 17 हजार एकड़ जमीन पानी पियेगी और खर्चा होगा केवल साढ़े तीन करोड़ का, बी. सी. रेश्यो होगा 2. 5;1 जब कि यह 1.5 पर्याप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसको अभी तक मजूरी नहीं दी गयी है और यह स्कीम यहां ही पड़ी हुई है, चीफ इन्जीनियर आफिस में सी. डब्ल्यू. सी ऑफिस में भेजी नहीं है । इन योजनाओं को जितनी जल्दी क्रियान्वित किया जायेगा, उतना ही किसानों के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा । हमारे यहां कोटा-झालावाड़ में कई बांध हैं, नदियां हैं जिनका पानी बेकार जा रहा है, वेस्ट जा रहा है । वहां से लिफ्ट स्कीम एक वर्ष में क्रियान्वित की जा सकती है और उससे हजारों एकड़ में सिंचाई हो सकती है । जब तक यह कहना नहीं छोड़ा जायेगा कि लिफ्ट सिंचाई स्कीम में ज्यादा खर्चा होता है, रेकरिंग एक्सपेन्सेज ज्यादा होते हैं तब तक यह लिफ्ट सिंचाई की स्कीम सफल नहीं हो सकती है ।

माननीय सभापति महोदय, लिफ्ट सिंचाई का नाम सुन कर अधिकारियों को बहुत परेशानी होती है । अधिकारी कहते हैं कि हमको इसका बड़ा कटु अनुभव है । लिफ्ट सिंचाई में हम करोड़ों रुपया बरबाद कर चुके हैं ? किन्तु लिफ्ट सिंचाई की स्कीम सफल नहीं हुयी है । लिफ्ट सिंचाई की स्कीम को नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धान्त ने सफल नहीं होने दिया । जनता सरकार ने इस नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया, इस कारण सिंचाई की गुंजाइश बढ़ गयी है । मेरा ऐसा सुझाव है कि इस लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को हाथ में लिया जाये, इसके लिये बजट में प्रोविजन किया जाये तो इससे किसानों को राहत मिल सकती है उनका विकास हो सकता है ।

हमारे कोटा जिले में ऐसे कई दूह हैं, जहां नदी के बहाव की जरूरत नहीं है, दूह हैं भीलों के दूह हैं जहां पर हजारों एकड़ की सिंचाई हो सकती है। इसका सर्वे किया जाये और कोटा में लिफ्ट इरिगेशन प्रारम्भ किया जावे । जिनका यह दुराग्रह है कि लिफ्ट सिंचाई की स्कीम बड़ी खर्चीली है सरकार उसका खर्चा वहन नहीं कर सकती, दो चार स्कीम यदि बना कर जो इरिगेशन चार्जेज तय किये हैं, उस हिसाब से यदि वसूल किये जाये तो मैं समझता हूं कि फ्लो इरिगेशन पर जितनी पर एकड़ हम सब्सिडी देते हैं उससे कम सब्सिडी लिफ्ट इरिगेशन पर देने की आवश्यकता पड़ेगी । यदि फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन की सब्सिडी की तुलना करें तो लिफ्ट इरिगेशन सस्ती सिद्ध होती है । इस कारण लिफ्ट इरिगेशन को अब तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । फ्लो इरिगेशन से जहां कहीं लाभ है वहां हानियां भी बहुत हैं । हम चम्बल से सिंचाई की बात करते हैं । आज चम्बल का इतना पानी खराब जा रहा है कि लोगों के खेत खराब हो रहे हैं ।जब तक हम स्केअरसिटी क्रियेट नहीं करेंगे तब तक पानी का प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। प्रापर यूटिलाइजेशन का मतलब यही है कि हमको वहां लिफ्ट इरिगशन योजना प्रारम्भ करनी चाहिए । चम्बल की जब स्कीम बनी थी तब ओरिजिनल स्कीम में लिफ्ट सिंचाई स्कीम थी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जब उसकी स्कीम बन कर गई है तो केवल 10 करोड़ रुपये में, सभापति महोदय, 1 लाख 33 हजार एकड़ जमीन की सिचाई हो सकती है। 5 लाख एकड़ जमीन सिंचित होती है, अब तक जिस पर अरबों रुपया खर्च हो गया है दस करोड़ रुपये में 1 लाख 23 हजार एकड़ जमीन सिंचित होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी साल भर पहले तक तो 14 लाख एकड़ जमीन ही सिंचित होती थी।

ऐसी योजना है, जिसमें कम समय में सिंचाई हो सकती है। इसको तुरन्त हाथ में लेनी चाहिए। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री राधेश्याम, माननीय सदस्य, सात मिनट में बात समाप्त करें। आरम्भ करें।

श्री **राधेश्याम** : माननीय सभापति महोदय, मैं सभी किसान भाइयों की ओर से बोलते हुए, इस डिबेट में भाग लेते हुए, अपने कुछ सुझाव माननीय मुख्य मंत्री को दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री साहब से निवेदन है कि गंग कैनाल, बीकानेर कैनाल जिसको बोला जाता है, उसके लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं रखा गया, जबकि गंगानगर जिले की इतनी उसको जीवन दात्री कहते हैं। 50 साल पूर्व गंग कैनाल बनी थी इस वक्त उसकी इतनी दयनीय हालत है कि अगर उसको एक साल तक नहीं सम्भाला गया तो मेरे ख्याल में वह जिला सारा बंजर हो जायगा और वहां देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मेरा नम्र निवेदन है, चीफ मिनिस्टर साहब और राज्य सरकार को आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंग कैनाल को महत्व दें क्यों कि वह इस तरह के महत्व की चीज है कि 300 करोड़ रुपये की आमदनी हर साल हम वहां से उठाते हैं। 300 करोड़ रुपया कोई मामूली बात नहीं है। सारा पंजाब का इलाका और सिर्फ एक गंग कैनाल की वजह से गंगानगर जिला, यह इक्वल है, गंगानगर जिला और सारा पंजाब एक जैसा आता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस चीज के बारे में, इस स्कीम के बारे में कि इसको बजट में लिया जाय, प्रोविजन रखा जाय और उसके कर्मचारियों के साथ, जिले के एम. एल. एज. के साथ एक मीटिंग की जाय और इसको सुचारू रूप से दुबारा नया रूप दिया जाय।

साथ ही मैं भाखड़ा के लिए निवेदन करूंगा कि भाखड़ा में एक हमारा चैनल है जिसको खोलने से काफी एरिया, लाखों एकड़ भूमि को हम सिंचाई दे सकते हैं। तो भाखड़ा का जो लिंक है वह इस तरह से बन जाय, उस लिंक को खुलवाने की भी कृपा करें।

इस तरह से एक हमारे यहां सिद्धमुख कैनाल है जिसकी सन् 54 से लेकर आज तक स्कीम ही बन रही है लेकिन पीने तक का पानी लोगों को सप्लाई नहीं हो सका। तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह सारी स्कीम, यह गंग कैनाल और सारा एरिया जो है इस वक्त राजस्थान को 70 पर्सेन्ट अनाज सप्लाई अकेला गंगानगर जिला ही कर सकता है। तो कैनाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं हो कमाई जहां से हो रही है उसे

(श्री राधेश्याम)

छोड़ दें। उसकी तो मेन्टीनेन्स करनी है सिर्फ।

मेरा यह भी निवेदन है कि सब सिंचाई योजनायें जो चल रही हैं वह इसी तरह चलें और सबकी तरफ ध्यान दिया जाय। विशेषकर मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि गंग कैनाल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय नहीं तो एक साल के बाद उसकी दयनीय हालत हो जायगी।

साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल की जो लिफ्ट है, उसके बारे में काफी लोग बोल चुके हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यह निवेदन करूंगा कि लिफ्ट कैनाल स्कीम को भी चालू रखा जाय और जो भारी घोटाले हुए हैं हजारों टन सीमेन्ट हजारा टन लोहा, हजारों टन कोयले के और पिछली सरकार जो कुछ काले कारनामें कर गई है उसकी जांच करवाने की भी कृपा करें। उसकी जांच करवाने की भी....

(व्यवधान)

क्या साहब ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राधेश्याम : माननीय मंत्री महोदय, अभी फर्मा रहे थे, भूतपूर्व मंत्री महोदय गंगानगर गये थे तो एक ही दिन मे एजीटेशन से घबरा करके वहां से तो आप भाग गये और पूरी गंग कैनाल देख भी नहीं सके इसलिए मेरा नम्र निवेदन है वैसे तो मैं हाउस में नया हूं, हो सकता है बोलने में कोई कमी भी रहे लेकिन मेरी भावना जो है वह गंगानगर जिले की पब्लिक की भावना है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से पुरजोर अपील करता हूं कि जिस समय आप लोग सूरतगढ़ पधारे थे तो मैडम के आदेश से आपने यह कहा था कि आप गंगानगर के ज्यादा से ज्यादा केन्डीडेट जिताइयें और मैं गंगानगर का वारिस खुद बनूंगा। मैं पूर्व की वह बात इसलिये याद करवाना चाहता हूं कि आप उस बात को शायद भूल न जायें। आपसे गंगानगर के इलाके को बड़ी आशायें हैं। वह रह न जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री मेघराज।

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं समय का ध्यान रखूंगा। मैं आपके माध्यम से अपने इलाके के बारे में बताना चाहूंगा। 30 साल तक एक ही पार्टी की सरकार रही। यह मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भी 30 साल तक आदिवासियों का नाम लेती रही लेकिन उनके लिये कुछ नहीं हुआ, सभापति महोदय, जिस इलाके से मैं आया हूं वह क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। आज यहां बैठे हुए हम सिंचाई की बात करते हैं। सभापति महोदय, उस इलाके में आज तक कोई सड़क नहीं बनी है, न ही कोई और रास्ता है। सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि हम कैसे जायेंगे। क्या सुर

(श्री मेघराज तावड़)

पर सामान रख कर ले जायं या हवाई जहाज से जाकर कुए खोदे कितने बड़े शर्म की बात है ।

सभापति महोदय, कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे छोटी छोटी नदियों पर बांध बनाये जायं। एनीकट बनाये जायें नालों को नहीं बांधेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी । मुझे ताज्जुब होता है; वह भी पहले सिंचाई मन्त्री रह चुके हैं । उन्होंने आदिवासी इलाके में क्या कराया था, आज वहां पर पीने का पानी नहीं है । नेशनल हाई वे पर अभी तक हैण्डपम्प भी नहीं लगे हैं । कोई व्यवस्था नहीं है । मैं तो आरोप लगाता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, आप भी उस इलाके में उन्हीं की तरह सिंचाई की योजना बनाने जा रहे हैं । आप जो कह भी रहे है, वह भी कागजों में ही नहीं रह जायगा । मैं चाहूंगा, यदि आप आदिवासी इलाके का वास्तव में भला करना चाहते है, माननीय मुख्य मंत्री जी पिछड़े वर्ग से छोटे तबके से आ रहे है, वास्तव में गरीब तबके को ऊपर उठाने की बात है तो वह सबसे पहले पिछड़े आदिवासी इलाके को बैलगाड़ी में बैठकर जाकर देखें । उसके बाद दिमाग में योजना आये उसको क्रियान्वित कराया जाय ।

श्रीमान्, मेरे इलाके में जो तालाब है, गोगुन्दा में नांवां और जालिया तालाब है, उनका सर्वे हुआ लेकिन पता नहीं किन कारणों से सर्वे बन्द कर दिया गया । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तालाब नहीं बांधा गया तो गोगुन्दा में पानी की कमी हो जाएगी । जमीन बंजर हो जाएगी। वाकल, कोटड़ा मांडोली यह दो इलाकों को कवर करता है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह देवास योजना है । देवास योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी और कांग्रेस सरकार ने बन्द की । जनता पार्टी का जब राज आया तो कांग्रेस के माननीय सदस्य बैठे हैं; इन्होंने निवेदन किया कि देवास योजना शुरू की जाये । मुझे शर्म आती है, यह कहने की आज आपका राज है तो क्यों नहीं की देवास योजना शुरू की जाये । केवल इस क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चल सकता । मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी पहाड़ियाजी से कि उस योजना को पूरा किया जावे ताकि यह इलाका भी हरा भरा हो सके ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य

श्री मेघराज तावड़ : मेरे दल का समय है, सभापति महोदय ।

श्री सभापति: दल का सवाल नहीं, समय का सवाल है, माननीय सदस्य

श्री मेघराज तावड़ : साठ फीट कैनाल टूटी हुई है, आज होता यह है कि आगे कैनाल पहुंचती जाय और देश का पैसा लगता जाय, इससे काम नहीं चलेगा ।

लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन गरीबों को वहां पर जमीन दी गई है उस जमीन को न समतल करने की व्यवस्था है और न वहां पर पानी दिया जा रहा है। जब तक उनकी जमीन को समतल नहीं किया जायेगा और पानी नहीं दिया जायेगा तब तक यह आपकी योजना बेकार ही रहेगी इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नहर के किनारे के लोगों को पानी देने के लिये नालियां बनाई जाय और वह जमीन नीलाम नहीं करके जो छोटे किसान है, गरीब हैं, हरिजन हैं कमजोर तबके के लोग हैं उनको

(120)

(श्री मेघराज तावड़)
दी जावे। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): How many minutes, Mr. Chairman.

श्री सभापति : पांच मिनट माननीय सदस्या ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, यों तो कुदरत ने राजस्थान के लिये काफी उदारता बरती है, लेकिन पानी के मामले में बड़ी बेइन्साफी और कन्जूसी से काम लिया है। सारे हिन्दुस्तान में जितनी बरसात होती है उसकी एक पर्सेन्ट राजस्थान में होती है। जब कि हमारे यहां का जो एरिया है वह हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है, लेकिन पानी मिलता है एक हिस्सा। इसलिए हमें यहां की आकाश से गिरी हुई एक एक बून्द पानी को मोती समझ कर उसका उपयोग करना चाहिये। इसी मामले को देखते हुए शायद हमारे बुजुर्गों ने बरसात के पानी को जमा करने के लिये योजनायें बनाई थी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि बरसात में गिरे हुए एक एक मोती को संभाल कर हमारे तालाबों, बांधों और खजानों में जमा करने का प्रयत्न करें ।

समय कम दिया है इसलिए मैं केवल लघु सिंचाई के ऊपर ही राय देना चाहूंगी। राजस्थान का एक ऐसा भाग है जो पहाड़ी इलाका है, उसमें जोतें बहुत छोटी हैं। भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि छोटी-छोटी जगहों पर पाल बना दी जाय तो पानी को रोका जा सकता है और उससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। यही उस इलाके की गरीबी को हटाने का एक मात्र साधन है ।

मैं पांच मिनट में निवेदन करूंगी। इसमें तीन चार दिक्कतें बताई जाती है, पहली बात तो यह है कि फण्ड्स कम हैं। पुराने तालाब, जो पीढ़ियों से बने हुए हैं देखरेख भी जरूरी है, नहीं तो उनका पानी रिस कर नीचे चला जाता है नये जो बनाये जाते हैं वे भी जिस ढंग से बनाये जाते हैं कि चार पांच साल में उनकी मरम्मत करनी पड़ती है और उनकी उपयोगिता घट जाती है। इसलिए पहली बात तो यह है कि इस बारे में उदारता पूर्वक फण्ड्स की व्यवस्था करनी चाहिये ।

दूसरी बात, जो नहरें बनी हुई हैं उनकी खस्ता हालत है, कच्ची, पक्की है इसलिए जो पानी आता है वह बह कर रिस कर बर्बाद हो जाता है जिस पानी को पाने के लिये किसान लालायित रहता है उसको वह बहता हुआ देखता है, तो उसकी आंखों से खून बरसने लगता है। पानी बर्बाद हो रहा है यह उससे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए नहरें पक्की कराई जानी चाहिये। चाहे पत्थर से चाहे सीमेन्ट से ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जब तालाब बनाये जाते हैं तो हिसाब लगाया जाता है कि खर्च कितना आयेगा और उससे आमदनी कितनी होगी। अगर आमदनी होती है तो छोटे- छोटे तालाबों को मन्जूरी दी जावे।

सबसे बड़ी अड़चन यह पड़ी हुई है एक तालाब को बनाने से पांच छः गांवों को फायदा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हो सकता है लेकिन वह नहीं बनाया जाता इन्जीनीयर की टेक्निकल राय के हिसाब से। फेमिन में जो बेनिफिट कास्ट रेश्यो के हिसाब से काम होता है, न मालूम किस तरीके से हिसाब लगाया जाता है। केवल मोटे तौर पर कहा जाता है कि इतना खर्चा होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बेनिफिट कास्ट रेश्यो, जैसा कि अभी देवपुराजी ने बताया, में कुछ और बातें भी जोड़ दें तो उससे आमदनी बढ़ सकती है। आप उसमें फिशरीज डाल दीजिये, उससे आमदनी बढ़ जायगी, फिशरीज में खेती से भी अधिक आमदनी होती है। लेकिन सैकड़ों तालाब बन गये, फिशरीज उनमें नहीं डाली जाती हैं। ... में ज्यादा टाइम नहीं लगी।

दूसरी बात, बेनिफिट कास्ट रेश्यो देखते हुए यह भी देखना चाहिये कि फेमिन में कितना रुपया खर्च किया जाता है। तालाब बनाये जायेंगे, सिंचाई होगी तो अकाल नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि अगर एक इलाके में इस रेश्यो को हटा दिया तो दूसरे इलाके में भी हटाया जाना चाहिये।

इन सब बातों को देखते हुए संक्षेप में मेरा यही कहना है कि इस रेश्यो को हटा दिया जाय और नहीं हटाया जाय तो इसको सोशल बेनिफिट्स के हिसाब से देखा जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह दो मिनट में, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें झुन्झुनूं जिला एक विशेष स्थान रखता है। मैं आपके माध्यम से मेरे जिले की कुछ विशेष समस्याओं की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे जिले की आंखें हरियाणा की तरफ लगी हुई हैं क्योंकि हमारा जिला तीन तरफ से हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में तीनों तरफ खुशहाली और हरियाली दिखाई देती है परन्तु जब वापस लौटते हैं तो हमारे यहां सूखा ही सूखा दिखाई देता है। माननीय सभापति महोदय, जब से यह योजना बनी है तब से हमारे यहां जवाहरलाल कैनाल लाने की योजना बनी थी परन्तु पता नहीं क्या कारण हुआ, तत्कालीन मुख्य मन्त्री, माननीय श्री हरिदेवजी जोशी जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय, माननीय शीशरामजी ओला ने कहा, को एक पत्र लिखा था बंशीलालजी ने, परन्तु तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेवजी जोशी ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि उस पानी की एक बूंद भी उदयपुर में नहीं पहुंचती थी, मैं यह उन पर आरोप लगाता हूं इसकी जांच की जावे कि इतने वर्षों तक राजस्थान के इस इलाके को क्यों योजना से वंचित रखा गया। माननीय सभापति महोदय, आज जो हमारे मुख्य मन्त्री हैं उन पर मैं आरोप तो नहीं लगा सकता क्योंकि उनको आये अभी अल्प काल ही हुआ है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो कलंक इनकी पिछली पुरानी कांग्रेस सरकार ने लगाया है उसको धोकर भागीरथ बनें और हमारे जिले और आस पास के जिले का उद्धार करें, जिससे राजस्थान प्रदेश का भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज आप देखिये कि हमारा क्षेत्र तीन चार जिलों से घिरा हुआ है सीकर, झुन्झुनूं, चूरू और नागौर उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

भूमि सिंचित नहीं हो पाती है क्योंकि विजली हमारे यहां नहीं है । हमारा जो विजली के उत्पादन का ग्रार. ए. पी. पी. II यूनिट वह सीमित हैं उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा जो रावत भाटा का राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट है वह अभी काम नहीं करता, इसके लिए मैं बजट भाषण पर सामान्य वाद विवाद के वक्त निवेदन कर चुका हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था; उसको जल्दी बनवाया जाय ।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जवाहर लाल नेहरू कैनाल ला सकते हैं उसके लिए चेष्टा की जाये ताकि वह जो तीन चार जिले हैं उनकी सम्पन्नता बढ़े ।

इसके वाद, मेरे क्षेत्र में कारली नाम की एक नदी है जो झुंझुनूं सीकर से होती हुई गुजरती है । वह बहुत विनाश करती जाती है । जैसे कि ब्रह्मपुत्र भारत वर्ष का शोक है उसी तरह से यह नदी भी इस क्षेत्र का शोक है । अगर उस पर बान्ध बना कर उसके पानी का उपयोग किया जाय तो वहां की लाखों एकड़ भूमि को विना किसी ज्यादा खर्च के सम्पन्नता में बदला जा सकता है । सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार का चैलेंज है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सम्पन्नता हो ।

(4. 41. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

तो कारली नदी पर बांध बना कर, जवाहर लाल नेहरू नदी पर बान्ध बनाकर उपकार करें । हमारे क्षेत्र का किसान, हरियाणा की तरफ देखता है तो उसकी आंखें उसमें डूब जाती है न केवल भविष्य में इस बांध के द्वारा सम्पन्नता बढ़ेगी बल्कि किसानों के आत्मा में आशा का बिन्दु पड़ेगा । मैं यही कहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह हमारे क्षेत्र की योजना को पूरा करावें ताकि इन्हें इस प्रदेश के इतिहास में भागीरथ नाम से जाना जावे ।

श्री अध्यक्ष: श्री अनंगकुमार ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं झालावाड़ जिले के अन्दर जैसे कि पूर्व में भूत पूर्व सिंचाई मंत्री ने कहा वाटर पोटेंशियल काफी है । वहां 30 वर्ष में एक पैसा खर्च नहीं किया गया है। जो वाटर है, वह सारा बेकार चला जाता है । तीन वर्ष के अन्दर हरिशचन्द्र सागर, भीम सागर के ऊपर काम शुरू करवाया लेकिन इस वर्ष जो बजट दिया गया है वह इतना कम है, अध्यक्ष महोदय, जो काम शुरू करवाया गया, जिस गति से वह काम करवाया जा रहा है और जो समय दिया जा रहा है उस समय के अन्दर वह नहीं बन सकेगा यदि निश्चित समय के अन्दर पूरा नहीं होता है या एक-दो वर्ष अधिक लगते हैं तो काश्तकारों को जो सुविधा मिलने वाली थी वह सुविधा नहीं मिल पायेगी । इसका निश्चित रूप से हमारे कृषि के ऊपर असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो योजनायें उस जिले के अन्दर चल रही हैं । समय के हिसाब से उनकी गति को तेज किया जाये और जो समय निर्धारित किया गया है उसमें वह कार्य पूरा हो जाय ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वहां पर इस समय छोटी योजनायें लागू की गई हैं लेकिन आज भी यह स्थिति है कि 95

(श्री अनंगकुमार जैन)

प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है वहां पर, अध्यक्ष महोदय, कई नदियां हैं जिनके ऊपर बांध बनाया जाय तो निश्चित रूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं मनोहर थाना, जिसके ऊपर काम शुरू किया गया, सर्वे के काम को पूरा करायें और सर्वे करने के बाद वाटर कमीशन से मंजूरी कराई जाय। यह ऐसी योजना है जिससे उस जिले की लाखों एकड़ भूमि सिंचित होगी और वहां के काश्तकार को सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जो लघु सिंचाई योजनायें है, ऐसी कई योजनायें है जो यदि वहां पर शुरू की जायें तो जो वहां पर पानी बेकार चला जाता है, उसका ठीक ढंग से प्रयोग होगा और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। साथ ही जो खर्चा होगा, वह कम होगा और वहां की जनता को, काश्तकार को फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर जो सर्वे डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, अध्यक्ष महोदय, उसकी गति है, वह बहुत धीमी है। वहां पर जितने सोर्सेज वाटर के हैं उनके सर्वे की गति को तेज किया जाये। जो विभिन्न स्रोत पानी के हैं उनका सर्वे कराया जाये और जो स्कीम लागू की जा सकती है उन स्कीम को शीघ्र लागू किया जाये तो झालावाड़ का अधिकांश हिस्सा सिंचित हो सकता है। इससे काश्तकारों को निश्चित रूप से फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला पिछले 30 वर्षों से लगातार इस तरह से उपेक्षित रहा है। 30 वर्ष से सिंचाई की तरफ कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिला सिंचाई की दृष्टि से उपेक्षित रहा है। जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है उन जिलों को विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर जो वाटर है उस पर ध्यान दिया जाय जिसके माध्यम से वहां जल्दी सिंचाई हो सके। इस तरह से एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। वहां जो पानी के स्रोत हैं उनका सरकार को सर्वे करना चाहिए। उन स्कीम्स को लागू करने के लिए जो समय तय किया जाये उसमें उन स्कीमों को पूरा किया जाये। अक्सर होता यह है कि स्कीम काफी लम्बे समय बाद पेश की जाती है और बाद में उसका समय तय किया जाता है। पहले बजट की कमी से या फिर दूसरे कारणों से उसका समय बढ़ता जाता है। तो जो स्कीम 5 वर्ष में पूरी होनी चाहिए वह 8 वर्ष में पूरी होती है। इस समय जो वहां पर स्कीम चल रही है उसके अन्दर काम धीमी गति से चल रहा है। वह स्कीम जल्दी पूरी की जाय ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर जालौर की सिंचाई का जो स्रोत है उसके बारे में थोड़ा बहुत निवेदन करना चाहता हूं। वैसे जालौर जिला एक पिछड़ा जिला है। पिछड़ा जिला होने के नाते वहां पर बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी फालतू 12 महीने बहता रहता है। वह पानी गुजरात में जाता है। जैसे, जैतपुरा नदी, बरगाम नदी और सूखड़ी नदी, ऐसी अनेक नदियां हैं जो जालौर जिले में हैं। उनका पानी 12 मास बहता है परन्तु

(श्री रतनाराम चौधरी)

उस नदी पर एक बांध बना हुआ नहीं है जिसके कारण से पानी गुजरात में जाता है। इसलिए उस पर अगर एक बांध बना दिया जावे तो उससे 15-20 हजार एकड़ में सिंचाई हो सकती है। अगर गुजरात में पानी जाने से रोका जाय तो काफी तादाद में सिंचाई हो सकती है।

हमारे जालौर जिले में वैसे करीब 50 प्रतिशत जो कुएं हैं उनमें पानी भी है और 50 प्रतिशत कुओं में पानी की कमी है। इस हिसाब से पानी रोक दिया जाए तो कुओं के पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी। इसलिए कृपा करके जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर जो नदियों का फालतू पानी गुजरात जा रहा है उसको रोकें तो जालौर जिले को ज्यादा से ज्यादा फायदा सिंचाई का मिल सकता है।

दूसरे, रानीवाड़ा क्षेत्र में आर.ई.सी. की स्कीम्स चल रही हैं इस क्षेत्र में ट्यूब वैल्स की बहुत बड़ी गुंजाइश है जैसे करड़ा, कोटड़ा और सासोर वगैरह क्षेत्र। वहां गहरा पानी भी है ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल्स वहां खुदवाये जायं तो काफी एरिया में सिंचाई के साधन बन सकते हैं। वैसे वहां बिजली आ गई है, आर.ई.सी. स्कीम भी चल रही है इसलिए ट्यूब वैल्स के कनेक्शन्स मिलने में दिक्कत नहीं आने वाली है।

जैतपुरा नदी पर दो तीन साल पहले सर्वे भी हो चुका है। उसके बाद में न मालूम वह मामला कैसे खटाई में पड़ा हुआ है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जैतपुरा नदी का अविलम्ब सर्वे पूरा करवा कर इस नदी पर बांध बनवाने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेसिंह।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में बता दिया है और उस पर प्रकाश डाला। मैं भी संबंधित योजनाओं पर खास तौर से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ क्षेत्र गुजरात और मध्य प्रदेश की सरहद से लगा हुआ है। शुरू से अब तक राज्य सरकार ने उस इलाके को न तो राजस्थान का समझा न गुजरात का समझा, न मध्य प्रदेश का समझा। तो मैं चाहता हूं कि उस इलाके में जो भी रिग्स के द्वारा छोटे-छोटे तालाब बने हुए हैं उसमें काफी पैसा खर्च हुआ है लेकिन वह अधूरे हैं। उसको पूरा कराया जाए तो उस इलाके में अकाल की स्थिति जो सामने आती है वह हमेशा के लिये नहीं आएगी। वह इलाका हमेशा अकाल की चपेट में रहता है, कम वारिश में फसल सूख जाती है और अधिक और अतिवृष्टि के कारण फसल बरबाद हो जाती हैं। वह क्षेत्र पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में बड़े बांध जैसे माही नदी के बांध, गंगा जमुना बांध की जो नहरें निकलती हैं वहां आती हैं। वहां पर कई स्कीम्स लागू हो सकती हैं। वहां छोटे-छोटे तालाब बनाए जायं छोटे-छोटे एनीकट्स बनाए जायें। मेरा यह सुझाव है कि मध्यप्रदेश और गुजरात से होती हुई बनास नदी निकलती है, वहां पर अगर लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाए उसका सर्वे कराकर तो उस इलाके में कुछ एरिया सिंचित हो सकता है और

(श्री फतेसिंह)

वहां जो समस्यायें बनी रहती हैं, वह समस्यायें हमेशा के लिये दूर हो सकती हैं जैसे गुजरात सरकार ने अभी अनास नदी में लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की है जहां पर उन्होंने दामोद ताल का जालौर की ओर लम्बी स्कीम बनाकर कई इलाकों में उस नहर को फैलाया है, लिफ्ट योजना में पाइप्स लगाकर सिंचाई के साधन जुटाए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ इलाके में सिंचाई की दृष्टि से छोटे-छोटे तालाब एनीकट्स बनाकर उस इलाके को हरा भरा करें। मतलब मेरा नारा है कि पाताल छोड़ो, आकाश बांधो। उस तरह का नारा अगर सरकार मान ले तो हमारा नारा बिल्कुल सफल हो सकता है। हमारे उस नारे को पूरे क्षेत्र में राज्य में हम बुलंद कर सकते हैं जैसे पाताल छोड़ो उस हिसाब से तालाब नहीं बन सकते हैं वहां पर पानी के स्रोत का पता लगाकर कुओं को खोदा जाए और कुओं के जरिए खेती कराई जाए और नदी नाले बनाने जैसी स्थिति है वहां तालाब बनाये जायं। इस बारे में मैं कह रहा था कि पाताल छोड़ो, आकाश बांधो, हर खेत को पानी दो, हर हाथ को काम दो। उस प्रकार इस नारे को अगर सरकार मान लेगी तो उस इलाके के अन्दर बहुत बड़ी खुशहाली होगी। हमारे मुख्य मंत्री के बारे में भी हमारे क्षेत्र की जनता जानेगी कि उन्होंने कुछ काम किया, ऐसा न हो कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने भी जैसा सौतेला व्यवहार रखा आज भी यह सरकार वैसा ही व्यवहार रखे तो विकास के बारे में वहां की जनता को नाराजगी महसूस करनी पड़ेगी। मेरे कटौती प्रस्ताव में कई तालाब ऐसे हैं कालींद्रा, कुशलगढ़, सारनी, हिम्मतगढ़, सज्जनगढ़ और कई छोटे-मोटे तालाब अधूरे हैं, उनको सरकार हाथ में लेकर पूरा कराये तो उस इलाके की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। नहीं तो शुरू से अब तक हमारे क्षेत्र से जो भी आने वाले माननीय सदस्य रहे हैं, उन्होंने इस विधान सभा में कई बार सवाल उठाया होगा कि हमारे इलाके में अकाल है तो यह अकाल जैसी बात हम करते रहते हैं हमारे लिए यह शर्म जैसी बात है। इसलिए मैं इस सरकार को आगाह करता हूं कि हमारे इलाके से हमेशा के लिए अकाल के शब्द को हटाने के लिए सरकार विचार करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरराम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सदन का समय। . .

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ा दिया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बढाया नहीं है। 5½ बजे मुखबंद का प्रयोग होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि आज की कार्यवाही की समाप्ति तक सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री परसराम मदेरणा : मुखबंद का प्रयोग होगा। उसका निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : 5¼ बजे मुखबन्द पहले ही निर्धारित किया है 5½ बजे सभी मांगें प्रस्तुत

126

(श्री अध्यक्ष)

कर दी जायेगी। 5½ बजे की दिन में व्यवस्था दे दी थी। प्रारम्भ कीजिए।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री **अमराराम चोधरी** (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बातें कही हैं उनसे मुझे मालूम हुआ कि उनके क्षेत्र में बहुत सी नदियां हैं, नहरें हैं और उनके क्षेत्र में लाखों रुपये की पैदा होती है लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जिस जिले से मैं आता हूं वह रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहां पर कभी भी सिचाई साधनों के बारे में किसी भी सरकार ने, पिछली सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। पहले भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे पूरे जिले में सिर्फ एक छोटा सा मेड़ी बांध है। दूसरी जगह बड़े-बड़े बांध होंगे पर मेरे जिले में एक भी नहर नहीं है। मेड़ी बांध है वह पहाड़ों के बीच में है उसकी केपेसिटी बढ़ाई जा सकती है; बहुत सा पानी फालतू जाता है और गांवों को नुकसान भी होता है उस पानी से खेत भी खराब होते हैं। यदि मेड़ी बांध की केपिसिटी बढाई जाए, उसकी दीवार की ऊंचाई बढ़ाई जाए तो उसके अन्दर बहुत सा पानी आ सकता है और उसके पेटे में गांव मांग़ला, नाचना और इसके अलावा लूणी नदी के बाहर के गांव हैं उनमें नहर के द्वारा पानी आ सकता है लेकिन इस बारे में कभी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है। वैसे राजस्थान नहर जैसलमेर तक आएगी एक बार योजना मंत्री बाड़मेर आए थे, उन्होंने यह बात कही थी कि यह राजस्थान नहर नाचना से होती हुई तिलवाड़ा तक जाएगी। ऐसी उनकी योजना थी लेकिन अभी भी ऐसी योजना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि नाचना से राजस्थान नहर जो जैसलमेर को आ रही है, उसमें से एक शाखा छोटी सी नहर हमारे बाड़मेर जिले में आ जाए, निकाली जाए, इसकी एक योजना बनाई जाए तो हमारी सिंचाई के अलावा पीने के पानी की समस्या है वह भी हमेशा के लिए दूर हो जायगी। नाचना से लेकर बाड़मेर तक पूरा इलाका ऐसा है जहां पानी नहीं है। थोड़ा बहुत पीने का पानी लूणी नदी के आस पास के गांवों में है लेकिन फसून्ड से लगाकर मेरे क्षेत्र तक पूरा रेगिस्तान ही है। इस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आपस में बातचीत नहीं करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री **अमरा राम चौधरी** : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर को नाचना से धोरीमन्ना तक बढ़ाया जाय। इस योजना को अगर आप बढ़ायेंगे तो मेरे क्षेत्र पचपदरा में और उसकी तहसील के गांवों में हजारों मन गन्ना और धान पैदा हो सकेगा। माननीय सदस्य ताज्जुब करेंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि आप यहां पर बातें करते हैं कि गंगानगर में लाखों मन गन्ना पैदा होता है लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे पचपदरा क्षेत्र में भी पहले बहुत गन्ना होता था आज भी हमारे यहां पर गांवों में पुराने पहलू मौजूद हैं। जहां पर गन्ना होता था इसका कारण शायद यह होगा कि जोजरी नदी वहां पर पहले बहती थी, अभी भी उसका पानी कभी-कभी आता है। अध्यक्ष महोदय, जोजरी नदी वह है जो कि जोधपुर से लूणी के बीच एक स्टेशन है सलावास जहां पर

(श्री अमरराम चौधरी)

एक छोटासा पुल बना हुआ है उस पुल के नीचे वह नदी बहती है। पिछले साल जब फ्लड आया तब उसका पानी हमारे यहां पर आया था। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जोजरी नदी के पानी को रोका जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र के आस पास के गांवों में पीने का मीठा पानी लोगों को हाथ आये, इससे हमारे इलाकों में खेती भी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि जोजरी नदी के पानी को रोकने की किसी प्रकार की योजना बनायी जाय इससे हमारी पचपदरा तहसील के गांवों में और जोधपुर तहसील के करीब 80 गांवों में हजारों मन गन्ना और धान पैदा हो सकेगा। आप जो गंगानगर की जमीन के उपजाऊ होने की बात कह रहे हैं मैं कहता हूं हमारे यहां की जमीन इतनी उपजाऊ है कि गंगानगर जिले की जमीन हमारी जमीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वहां पर हजारों मन गन्ना और चावल पैदा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके की जमीन ऊबड़ खाबड़ नहीं सभी जगह पर समतल जमीन है वहां पर इस योजना को लागू करने से हजारों एकड़ समतल जमीन पर खेती हो सकती है और काश्तकारों का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। इसलिये इस पानी को रोका जाय। इस नदी को चालू करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें। मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं उनका आभारी हूं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि अन्य मांगों की तरह सिंचाई विभाग की मांग पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार के अगर सुझाव आते रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को काम करने में आसानी रहेगी। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हमें आपके हर सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको सालाना योजना में या पंचवर्षीय योजना में शामिल कर क्रियान्वित किया जाय। श्रीमन्, यह आवश्यक नहीं है कि हर सुझाव हम इसी साल में ही ले लें। कई सुझाव ऐसे भी हो सकते हैं जो इस साल की योजना में लिये जा सकते हैं कुछ सुझाव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इस साल की योजना में लिया जाना संभव नहीं हो सकता है तो उनको आगे पंचवर्षीय योजना में लिया जा सकेगा। अगर इस पंचवर्षीय योजना में उनको नहीं लिया जा सकता तो हो सकता है इसके अगले पंचवर्षीय योजना में उसका उपयोग हो सके। इसलिये सारे सुझावों का संकलन कर उनका हम प्रोसेसिंग करायेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जावें इन सुझावों पर अमल किया जाता रहे।

माननीय सदस्यों ने राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की है। मैं उनसे सहमत हूं। हमारा यह राजस्थान अगर सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित अधिक से अधिक हो सके, तो हमारा ऐसा मानना है कि राजस्थान आत्म निर्भर हो ही जायेगा। आज कई बार हमको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है वह न होकर हम दूसरों को भी अनाज दे सकते हैं। श्रीमन, बहुत सारी

(128)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

खेती बाड़ी केवल सिंचाई पर निर्भर करती है। श्रीमन्, हमारे यहां ऐसी स्थिति है कि अच्छी बारिस हो जाय तो हम खुशहाल हो जाते हैं और कभी अकाल का प्रकोप हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें दोनों ही तरफ से परेशानी रहती है कभी अतिवृष्टि होती है तो अधिक कठिनाई हो जाती है और कभी अनावृष्टि से हमें कठिनाई हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने का एक ही तरीका है कि हमारे सिंचाई साधन हों। उसके साथ-साथ अकाल और बाढ़ की विभीषिका हमें तंग करती है उनसे भी हमें छुटकारा मिल सके। श्रीमन्, पिछली सरकारों ने, चाहे वह सरकारें कांग्रेस पार्टी की हों चाहे दूसरी पार्टी की सरकार रही हो इस सिलसिले में सभी जरूरी प्रयास किये। उसका नतीजा है कि आज राजस्थान के अन्दर करीब 38 लाख हेक्टेअर जमीन में सिंचाई होती है। हमारी सिंचाई क्षमता है उससे अभी 18 लाख 55 हजार हेक्टेअर जमीन ऐसी है जिसमें सिंचाई की जा रही है और अभी भी 19.45 लाख हेक्टेअर भूमि सिंचित करने की क्षमता हमें प्राप्त करनी है। श्रीमन्, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह सिंचाई क्षमता हम सन् दो हजार तक प्राप्त कर सकें। इसके लिये बहुत बड़े धन की आवश्यकता तो होगी, टेक्निकल नो-हाउ की जरूरत भी होगी इसके लिये बहुत सारा मैटीरियल चाहिये और बहुत बड़ा जन सहयोग चाहिये क्योंकि जहां एक तरफ कई स्थानों पर बांध बनाने पर सिंचाई की सुविधा तो प्राप्त होती है पर कई भाइयों को परेशानी होती है, कई गांवों को वहां से उठाना पड़ता है। सरकार की कोशिश रहती है कि कम से कम परेशानी वहां पर बढ़ाने वाली होनी चाहिये। उसके लिये भी प्रावधान है उनकी मदद की जाती है, वहां मदद दी जाती है। श्रीमन्, इसलिये मैं इन बातों के विस्तार में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें किसी की असहमति नहीं हो सकती है। हम सभी यही चाहते हैं कि सिंचाई की सुविधायें अधिक से अधिक बढ़ाई जायं, अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधायें जुटाई जायं। श्रीमन्, चाहे वह वृहत्त सिंचाई योजनायें हों, चाहे मध्यम वृत्त सिंचाई योजनायें हों, चाहे लघु सिंचाई योजनायें हों हम तो यह चाहते हैं कि यह योजनायें बराबर चलती रहें, काम चलता रहे। एक तरफ जहां राजस्थान में सिंचाई की सुविधायें बढ़ायी जायं दूसरी तरफ जैसा कि मैंने निवेदन किया राजस्थान वह रेगिस्तान है जिसके लिये राजस्थान को कई बार हिन्दुस्तान के बाहर भी जाना जाता है, उसको हम खुशहाल और हराभरा बना सकें। श्रीमन्, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि कितनी सिंचाई कब होगी, कितना पैसा खर्च होगा। मैंने पहली बार जो बात आपको निवेदन कर दी वह यह है कि मैं इस बात से सहमत हूं और सरकार भी इस बात से सहमत है कि जितना जल्दी हो सके सिंचाई की सुविधायें जिस तरह से भी हो सकें उपलब्ध हमें करानी चाहिए।

पहली कठिनाई का जिक्र मैंने निवेदन किया कि वित्तीय साधन सीमित हैं। हमारी कोशिश होगी कि धीरे-धीरे करके अपने ही साधनों से और जितना हो सके भारत सरकार से साधन लेकर के इन योजनाओं को आगे बढ़ायें। मैंने दूसरी कठिनाई का निवेदन किया कि कई गांव उठाने पड़ते हैं उन भाइयों को समझायें, बुझायें। तीसरी कठिनाई जो माननीय सदस्य हमारे ध्यान में लाये हांलाकि सरकार के ध्यान में पहले से ही है और सरकार के सामने रही है, वह है बेनिफिट कास्ट रेश्यो

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

फार्मूला बनाकर सिंचाई विभाग वाले चलते हैं जिसके तहत नार्मली अगर वेनिफिट होता है तो उस स्कीम को लिया जाता है वरना उसे नॉन-वेनीफिशियल कह कर रिजेक्ट कर दिया जाता है ।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा वह भी सही है कि ट्राइवल एरिया के अन्दर जो पहाड़ी इलाका है वहां यह फामूला लागू नहीं करना चाहिए । मैं उनकी सूचना के लिए वता रहा हूं कि यह फामूला वहां लागू नहीं होता है । वहां तो 1:1 का फामूला लागू किया जाता है । इसके वावजूद भी वहुत सारी योजनायें, जो कि वननी चाहिए, नहीं वन पाती हैं क्योंकि अव तक का जो फामूला है उसमें कई सुविधायें, जो सिचाई योजनाओं से मिल जाती हैं, को नहीं आंका जाता है । यह ठीक ही कहा गया कि मछली का उत्पादन इसमें होता है उसको नहीं आंका जाता, सॉइल इरोजन में फायदा होता है उसको भी नहीं आंका जाता है और आस-पास के क्षेत्रों में कुओं में जो पानी वढ़ जाता है उसको भी नहीं आंका जाता है। इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं, श्रीमन्, इस फार्मूले पर फिर से विचार किया जाय और इसको वदला जावे जिससे कि ऐसी योजनायें, जिनको कि अलाभकारी कह कर छोड़ दिया जाता है, भी हाथ में ली जा सकें । मैं अभी उसके सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता । इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि इस पर हम विचार करेंगे । हमारी मंशा यह है कि इस फामूले में कुछ तब्दीली कर दी जाय, कुछ संशोधन कर दिया जाय क्योंकि न केवल आदिवासी क्षेत्रों में वल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी कई ऐसी योजनायें हो सकती हैं जो आज चाहे लाभप्रद नहीं लगती हों लेकिन उनका वहुत लांग टर्म कॉस्ट रेश्यो निकाल कर फायदा सोचा जाय तो शायद लाभकारी ही होगी । इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि हम इसके ऊपर विचार करके संशोधन करने की वात सोचते हैं ।

श्रीमन्, इस वात का भी सुझाव दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रावधान सिंचाई की सुविधाओं के लिए रखा जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एरिया इरीगेट होना चाहिए मैं जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं कि इस साल के अन्दर कोई साढ़े नौ लाख एकड़ और भूमि सिंचित हो सके इस वात की व्यवस्था की जा रही है । छठी पंचवर्षीय योजना में भी लगभग 9·3 लाख हेक्टेयर एडीशनल जमीन और सिंचित हो सके इस वात की व्यवस्था का प्रावधान करने की वात हम सोच रहे हैं । इसीलिए इसमें लगने वाला पैसा जो अव तक पिछली साल के अन्दर कुल मिलाकर 60 करोड़ 57 लाख रुपया खर्च हुआ था इस साल का प्रावधान हमारा 75 करोड़ 3 लाख का है जो कि लगभग 15 करोड़ ज्यादा रुपया सिंचाई के लिए रखा है ।

इसी प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना के लिए भी मुझे आपको जानकारी देनी है वह यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना लगभग 184 करोड़ 97 लाख रुपये की थी । अव छठी पंचवर्षीय योजना 184·97 करोड़ के मुकावले 540 करोड़ रुपये की वननी चाहिए ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी योजना ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : छठी पंचवर्षीय योजना ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : 540 करोड़ रुपये की ?

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** : हां, मैं छठी योजना की ही चर्चा कर रहा हूं। श्रीमन् मैं जानता हूं यह प्रावधान भी इतना नहीं है कि हम सन्तोष कर सकें लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि हमारे सीमित वित्तीय साधनों में से जितना हम निकाल सकें उतना हमने प्रस्ताव किया है। हमें पूरी आशा है कि योजना आयोग और भारत सरकार के सहयोग से हमारी योजना मंजूर होगी और इसको हम क्रियान्वित कर सकेंगे।

श्रीमन्, फ्लड की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की और कहा गया कि इसके लिए बहुत कम प्रावधान रखा जाता है। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया फ्लड को रोकने से न केवल फ्लड रुकता है बल्कि उसके साथ ही साथ हमारी कोशिश यह है कि उससे हमको सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होने चाहियें। इसलिए पिछली साल का प्रावधान था 2 करोड़ 19 लाख का और इस साल का प्रावधान 3 करोड़ का है। इसी प्रकार से पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान 3 करोड़ 5 लाख रुपये का हुआ था इस साल का प्रावधान प्रस्तावित है वह 40 करोड़ रुपये का है जिससे कि आने वाले फ्लड को रोका जा सके।

श्रीमन्, कई माननीय सदस्यों ने गंगा, यमुना की चर्चा की और खास तौर से हमारे नेता, श्री राजबहादुर जी ने की। वह भाषण देकर चले गए, कई माननीय सदस्य चले जाते हैं। आप हमें तो बुलाते रहते हैं लेकिन अपनी ही परम्पराओं को याद नहीं रखते हैं। परम्परा यह है कि जो कह कर जाय उसको उत्तर सुनने के लिए भी हाजिर रहना चाहिए। जी हां, मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिए कह रहा हूं। मुझे कह कर चले गये थे . . .

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : परम्परा यह भी है कि विरोधी पक्ष के लोग बोलें तो सत्ता पक्ष के नेता को भी सदन में उपस्थित रहना चाहिए। यह भी परम्परा है, याद होनी चाहिए।

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया**: सुनते तो आपको जानकारी हो जाती। मैं बराबर यहां था और साढ़े नौ बजे आ गया था मुझे जुखाम तेज था, बैठ नहीं सकता था उसके बावजूद भी मैं 4 बजे आ गया था। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इन्फेक्शन आपको फैलाता इसलिए मैं बैठा हुआ था।

गंगा और यमुना के पानी को किस प्रकार से हम उपयोग में ला सकें यह केवल हमारे ऊपर ही निर्भर नहीं करता बल्कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से भी इसमें मदद लेनी पड़ती है। दो योजनायें, जिनसे चूरू और झुंझुनूं के अन्दर लगभग हमारी $4\frac{1}{2}$ लाख एकड़ का इलाका सिंचित हो सके, हमने बना कर भेजी है जो कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन के सामने विचाराधीन है।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, अलवर और भरतपुर के लिए भी एक केनाल के एक्सटेन्शन की योजना बना कर भेजी जा चुकी है जिससे लगभग 3 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। इसकी भी रिपोर्ट बना कर भेजी जा चुकी है। हमें ऐसी आशा है कि बहुत शीघ्र भारत सरकार और योजना आयोग इस पर विचार करेगा और मंजूरी देगा।

श्रीमान्, गंग केनाल की मरम्मत की

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

भी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की, वाकई वह बहुत चिन्ता का विषय है क्योंकि काफी सिल्टिंग उसमें हो चुका है। मैं गंग केनाल गया था। मैंने खुद ने आंखों से देखा था, आवश्यकता है, उसकी मरम्मत होनी चाहिये। लेकिन, श्रीमन्, जैसा आप जानते हैं कि यह योजना 1927 में बनी थी, पूरी हो गई थी और 116 किलो मीटर लम्बी है जिसमें से 99 किलो मीटर पंजाब में है राजस्थान में केवल 17 किलो मीटर का क्षेत्र आता है जिससे सिचाई का पानी मिलता है। इसलिये री-लाइनिंग इसकी करने के लिये पंजाब से बात करनी पड़ती है। पंजाब ने एक नया प्रस्ताव हमारे सामने रखा है, राजस्थान सरकार के सामने रखा है कि एक कामन केनाल बनाई जाय जिससे राजस्थान को और पंजाब को पानी आता रहे। अगर इस प्रस्ताव को मन्जूर कर लिया जाता है तो हमको डर इस बात का लगता है कि पंजाब वाले सारा पानी ले लेंगे, राजस्थान में पानी नहीं आने देंगे। इसलिये हमने भारत सरकार को लिखा हुआ है। पंजाब के मुख्य मंत्री जी से वार्ता करने का हमारा इरादा है। हम आशा करके चलते हैं कि पंजाब वाले इस कठिनाई को समझेंगे कि राजस्थान सूखे की स्थिति में चला आ रहा है उस पर कोई दबाव न हो।

श्रीमन्, इसी प्रकार से उदयपुर की नदियों की चर्चा हुई। कई नदियों के जलों को डाइवर्ट करके कोई सुरंग से, कोई बांध बनाकर उदयपुर के तालाबों को पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। यह इतनी छोटी-छोटी होंगी कि उदयपुर को पानी नहीं मिल सकता है। इसलिये दुबारा इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि सर्वेक्षण करने के बाद किस तरह से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है इस पर विचार करें। मैं आशा करता हूं कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसको गहराई के साथ सोचेंगे। केवल छोटी-छोटी योजना बना कर जो कि लम्बी रहे, तो उपयोगी नहीं हो सकती। उसके बजाय एक वृहन्त योजना बने जिससे पीने का पानी मिल सके....

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : सुखाड़िया जी का बड़ा आग्रह है।

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** : मैंने अखबार में पढ़ा है, पत्र भी आया है। विचार कर रहे हैं। सुखाड़िया जैसे वरिष्ठ नेता कोई बात रखते हैं तो ज्यादा ही गम्भीरता से विचार किया जायगा। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की मन्शा यह है कि जितना जल्दी हो सके इस योजना को हाथ में लें।

श्रीमन्, यह मैंने कुछ बातें आपसे मेजर, मध्यम और माइनर इर्रीगेशन के बारे में कीं। छोटी सिचाई योजनायें भी कुछ पूरी हो चुकी और कुछ चल रही हैं। 108 लघु सिचाई योजनायें विभिन्न बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। उसमें 48 योजनायें भूमि विकास द्वारा, 8 लघु सिचाई योजनायें भू-जल विभाग द्वारा, 18 सिचाई योजनायें विशिष्ट योजना मण्डल द्वारा। इसकी चर्चा मैं इसलिये कर रहा हूं कि इनका भी एक महत्व है।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : विशिष्ट योजना मण्डल ?

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : यह विशिष्ट योजना मण्डल कौन सा बन गया ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : विशिष्ट योजना सर्वेक्षण ।

लघु सिंचाई योजनाओं का अपना एक महत्व है । यदि बड़ी योजना नहीं बन सके, मध्यम योजना नहीं बन सके, लघु सिंचाई योजना के जरिये ही अगर हमें पानी उपलब्ध हो जाता है तो किसी प्रकार हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिये ।

इसी प्रकार से अकाल राहत के जरिये लगभग 111 काम हाथ में लिये हुए हैं । हमें आशा है इसकी पूर्ति शीघ्र हो जायगी । जैसा मैंने निवेदन किया लघु सिंचाई योजना के जरिये 2700 कुओं का निर्माण, 1500 कुओं को गहरा करना, 4500 पम्पिंग सैट का लगाना, इस प्रकार से कोई 1 लाख 80 हजार मीटर लम्बी पक्की नालियां, 225 पाइप डालने की योजना है । इसके जरिये भी कई योजनायें पूरी हो सकेंगी . . .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 225 पाइप कहां डालेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसका विस्तृत विवरण आपको मिल जायेगा । श्रीमन् . .

श्री अध्यक्ष : केवल 2 मिनट का समय शेष है मुखबन्द लगने में ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : गांधी सागर के अन्दर छोटे-छोटे बान्ध बनाने के बारे में चर्चा हुई । श्रीमन्, राजस्थान सरकार ने पहले से ही भारत सरकार के जरिये अपना प्रोटेस्ट भेजा हुआ है । इसकी चर्चा विस्तार से परसों होगी इसलिये इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कोशिश यही होगी कि राजस्थान का हक किसी तरह से न मारा जाय और इसीलिये पंजाब, हिमाचल से जो झगड़ा है, अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं इसकी चर्चा हम परसों करने वाले हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, को धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इन योजनाओं के अलावा कोई योजना हमारे नोटिस में लाई जायगी तो उस पर विचार किया जायगा । इस बात की कोशिश की जायगी यथा सम्भव उन पर काम पूरा हो सके ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष 1.55 लाख एकड़ एरिया में सिंचाई बढ़ाई जायगी, फिर आपने हैक्टेअर कहा उसको । तो इस वर्ष जो सिंचाई में सुविधा बढ़ाई जायगी 1.5 लाख हैक्टेअर है या एकड़ है ?

एक माननीय सदस्य : पहले वाला एकड़ दूसरे वाला हैक्टेअर ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कहीं ऐसा न हो, 6 साल की हो, एक साल की बोल गये हों । इसको करेक्ट करवा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

मांग संख्या 46 व 38 का पारण

मांग संख्या—46

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46, सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,64,72,59,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या—38

प्रश्न यह कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1981

(श्री अध्यक्ष)
को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,36,55,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,10,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,39,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,33,93,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,66,37,000 रुपये तक कि राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,14,33,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,27,88,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

134

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,65,80,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,81,89,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,73,01,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,25,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,66,60,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,26,98,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मलित है, प्रदान की की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,72,07,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त

(श्री अध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,17,59,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,22,14,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाल व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,25,84,000 रुपये तक की राशि जिसमे लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावें ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन-सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,33,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,99, 32,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,03,77,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,70,88, 000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को

136

(श्री अध्यक्ष)
समाप्त होन वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,03,46,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,20,64,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27—पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 43,54,98,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित , प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31—पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,06,06,00 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,26,25,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,09,86,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ?

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखानुदान सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,20,42,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,33,05,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,20,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 82,50,01,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,47,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की अवमानना

श्री मदनसिंह दांता, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य द्वारा सदन की अवमानना

एक सूचना

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि आज अपरान्ह करीब 12 बज कर 03 मिनट पर श्री मदनसिंह दांता, भूतपूर्व विधायक, सदन के दक्षिणी द्वार से सदन के प्रांगण में प्रवेश कर गये और उन्होंने कुछ नारे लगाये और पर्चियां फेंकी इस प्रकार उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई और जब वे बाहर जाने लगे तो प्रहरियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया मैंने श्री दांता को अपने चैम्बर में बुला कर उनसे यह जानना चाहा कि उन्होंने यह कार्यवाही क्यों की ?

श्री दांता ने मुझे बताया कि देश में जो विषम परिस्थितियां व्याप्त हैं, उनकी ओर तथा सदन में प्रवेश करने की व्यवस्था चुस्त हो, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये उन्होंने सदन में प्रवेश किया। उन्होंने अपने कृत्य के लिये खेद प्रकट किया है। माननीय श्री दांता भूतपूर्व विधायक हैं और सदन के विशेषाधिकारों से भलीभांति परिचित हैं अतः मैं यह प्रश्न सदन के निर्णयार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपको इधर ढूंढ रहा था ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर । कृपया शान्त रहें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस प्रकार की घटना पहली बार ही हुई है । सन् 52 से लगातार इस सदन में कई बार ऐसी बातें तो हुई हैं कि दर्शक दीर्घा से लोग पर्चे फेंके लेकिन हाउस के अन्दर आज से पहले कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अन्दर नहीं आया । यह पहली बार है कि इस प्रकार की घटना हुई है । घटना काफी गम्भीर है । मैंने भी माननीय श्री दांता साहब से मिल करके मालूम किया था । मुझे ऐसा मालूम हुआ, उनके हाव भाव, उनकी बातचीत से कि कुछ वे संतुलन खोए हुए से लगते हैं । यह कार्यवाही अच्छी नहीं कही जा सकती । इससे निश्चित रूप से सदन की गरिमा में फर्क आया है । फिर भी मेरा यह निवेदन है कि उन्हें आज की कार्यवाही समाप्त हो तब तक के लिए सजा दी जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है लेकिन इसके रूल्स बने हुए हैं । आपने जो बात कही उसके अनुसार मुख्य सचेतक महोदय को इतना सतर्क होना चाहिए कि सदन में उस बात का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता किसको सजा देनी है या नहीं देनी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव ही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर इसको प्रस्ताव कहेंगे, तो मैं आपत्ति तो प्रकट नहीं कर सकता लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि यह प्रस्ताव की परिभाषा में नहीं आता है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने घटना का विवरण दे दिया । उसके बाद में सजा क्या होनी चाहिये, उसके बारे में उन्होंने कह दिया । इसलिए यह इसमें आ गया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके एक्चुअल वर्ड यह है कि मेरा ऐसा सुझाव है । उन्होंने सजेशन दिया है । हाउस सजेशन पर नहीं चलता । एक आदमी को आप सजा दे रहे हैं । उसकी सारी व्यवस्था है, नियमों में व्यवस्था है, कानून में व्यवस्था है सारी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए । मुख्य सचेतक को चाहिए कि इस बात का प्रस्ताव रखें । आखिर यों ही कहने से काम नहीं चल सकता । बहुमत के आधार पर सुझाव और प्रस्ताव दोनों को मिलाना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस परम्परा की दुहाई दे रहे थे उस परम्परा के अनुसार सुझाव नहीं, प्रस्ताव सदन में आना चाहिए । प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए रूल्स रिलेक्स करवाना पड़ेगा । अधिकार है अध्यक्ष महोदय को कि प्रस्ताव किस प्रकार से पेश किया जाय, कितने समय का नोटिस दिया जाय लेकिन ऐसी कई बार ऐसी इन्वेंचुलिटी आ जाती है कि जिसके अन्दर तुरन्त प्रस्ताव पेश करना पड़ता है । व्यवस्था यह है कि रूल्स के अन्तर्गत मुख्य सचेतक महोदय पहले इस बात के लिए प्रस्ताव रखें कि रूल्स जिनमें प्रस्ताव मूव करने की प्रक्रिया है शिथिल करने के लिए सदन से अनुमति प्राप्त की जाय । पहले वह अनुमति प्राप्त करें, उसके बाद में प्रस्ताव रखें । मैं समझता हूं कि रूल्स साफ हैं । मेरे पास में इस समय किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको कोट करके यह बता सकता हूं कि आखिर जितने भी रूल्स हैं उनको रिलेक्स करने के बारे में, उस में प्रावधान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचेतक महोदय को सबसे पहले इस बात का अधिकार लेना चाहिए था सदन से कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, सदन जब अधिकार दे दे, उसके बाद में प्रस्ताव रखना चाहिए। यदि यह साधारण सा ज्ञान भी नहीं है उसके बाद भी आप रिलेक्सेशन देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (नावां): अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने जो श्री मदनसिंह जी दांता के लिए प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं भी जो सुझाव हैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। ठाकुर मदन सिंह जो दांता अभी तक जन जागरण पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जन-जागरण पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आप लोगों को जगाया है, टाइम वैसे ही पूरा हो रहा है, इसलिये सजा देने की तो कोई बात नहीं है। उनको बाइज्जत छोड़ दिया जावे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां ।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, यह फैसला जो है पहले मैंने सुझाव दिया था और इस समय भी अपना सुझाव पेश करूंगा। अभी जो हमारे साथी ने निवेदन किया है कि यह पहला मौका है कि सदन के अन्दर घुस करके पर्चे फेंके नारे लगाये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले भी मौका आया था हमारे सदन में ऊपर से दर्शक दीर्घा से पर्चे डाले गए थे, लेकिन क्योंकि यह भूतपूर्व एम. एल. ए. रह चुके हैं, सदन में बैठे होंगे इसलिए यह वाक्या किया और अपनी जगह पर आकर के किया इसमें और उनमें फर्क है। भूतपूर्व विधायकों ने यहां आ करके जो हरकत की उसके बारे में मेरा सुझाव है कि जो आपने सुझाव दिया कि वह सदन के अन्दर आ करके माफी मांग लें, तो ज्यादा बेहतर है ।

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप महोदय ।

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि यह सुझाव है। सजेशन का प्रश्न नहीं है वह प्रस्ताव ही है। फिर भी मैं प्रस्ताव के रूप में रख देता हूं, अध्यक्ष महोदय। यह सदन संकल्प करता है कि जो

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इजाजत कहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष: मैं इजाजत देता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें या नहीं दें मैं समझता हूं कि यह इजाजत देने का सवाल नहीं है। आपसे इजाजत मांगें तभी तो इजाजत देंगे। आप इजाजत दे किसको रहे हैं वह इजाजत मांग नहीं रहे है और इजाजत दे रहे हैं। वे मूव तो करें कि मैं इजाजत मांग रहा हूं। आप प्रस्ताव प्रस्तत करने की इजाजत मांगिये।

श्री अध्यक्ष: इजाजत तो तभी हो गई जब शुरू में मूव किया ।

श्री खेतसिंह राठौड़: इजाजत का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है, सदन के सामने हुआ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हाउस की प्रोसिडिंग्स पुरानी उठा कर देखें। हाउस ने बहुत लोगों को सजा दी है ।

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप सारे रूल्स और अभी तक की रूलिंग्स को देखें । अगर क्वेश्चन इतना सा है कि आप किसी को सजा दें या नहीं दें, किसी ने सदन का अपमान किया या नहीं किया, यह अलग से मैटर है । क्वेश्चन यह है कि किसी को सजा देने की प्रक्रिया, जो व्यवस्था आज तक हाउस की बनी रही है उसका उल्लंघन करना चाहते हैं या नहीं ? प्रक्रिया सीधी है । आप यह इमीजियेटली मूव करें कि ऐसी इवेंचुअलिटी पैदा हो गई है जिसमें तुरन्त मोशन मूव करना है । सदन को अधिकार है, उस अधिकार की व्यवस्था नियमों में दी हुई है । उस व्यवस्था के अनुसार ही पहले मुख्य सचेतक रूल 306 के अन्तर्गत आपसे और सदन से इस बात की अनुमति मांगें कि मैं मोशन मूव कर रहा हूं, उस मोशन के लिए जितना समय चाहिए नोटिस देने का वह नहीं दे पा रहा हूं, इस तरह की इन्वेंचुअलिटी है कि मुझे मोशन मूव करने की अनुमति दी जाय । सदन अनुमति दे । अनुमति दी जाती रही है लेकिन आज उस प्रोसिजर को क्यों दूर किया जा रहा है, प्रोसिजर से क्यों डेवियेट किया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें मोशन को मूव जो मुख्य सचेतक महोदय ने किया था उस . .

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारी बात को सुनें, फिर आप जो भी व्यवस्था दें, वह शिरोधार्य है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई इस हाउस का सदस्य कण्टेम्प्ट करता है तो आप बातचीत करने के बाद में या शहादत लेने के बाद, पूछताछ के बाद, जब सदन को अवगत कराते हैं, उसके बाद यह सदन की रेगूलर सीटिंग नहीं है । यह सदन कोर्ट के रूप में बैठा हुआ है । जब कोर्ट के रूप में है तो सदन के अन्दर दूसरे जो प्रोसिजर सदन में कार्यवाही के अन्तर्गत प्रयोग में लाये जाते हैं । यह इस प्रकार की कार्यवाही फिर नहीं होगी । यह सदन पूरा कोर्ट है इसलिए अभी मैं समझता हूं कि जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैंने फैसला कर दिया, आपने कुछ फैसला नहीं किया, यह सदन ने फैसला उस दिन किया था, आपके सुझाव को मान लिया था, लेकिन सदन अब कोर्ट के रूप में बैठा हुआ है ऐसी सूरत के अन्दर सदन के अन्दर जो। कुछ भी प्रोसिजर है मोशन लाने का, उसके अनुसार पहले लाना चाहिए था वह फार्मूल तरीके से नहीं लाये । उन्होंने पढ़ा नहीं है लेकिन निश्चित रूप से चीफ व्हिप महोदय, ने एक प्रस्ताव रखा था सदन के सामने कि आज की सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक माननीय सदस्य को यह सजा दी जाय । यह सजा यह कोर्ट दे रहा है, सदन जो बैठा हुआ है कोर्ट की हैसियत से बैठा हुआ है । मुख्य सचेतक महोदय ने जो मोशन रखा वह बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर मोशन था, लेकिन अगर क्लियर नहीं भी मानते हैं, माननीय सदस्य कहते हैं कि उसमें कुछ कमी रह गई है सह कल्प शब्द इस्तेमाल करने की दृष्टि से सदन के सामने फार्मूल मोशन रखने के लिए तो ये तैयार हो गए । जैसा आपने पहले कहा कि उन्होंने मोशन रखा है और मोशन की अहमियत को देखते हुए कि ये माननीय सदस्य थे, सदन के पहले और आज सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन इससे पहले हाउस के सदस्य रह चुके हैं उनको इस बात की

(श्री परसराम मदेरणा)

अनुमति दी जाती है विधान सभा सचिवालय के द्वारा कि वह लाबी में आ सकते हैं। लाबी में आने की इजाजत है। वह आदमी अन्दर घुस जाय, ऐसा उनको नहीं करना चाहिये। उनको खेद है और जब खेद है इस बात पर तो आज जो सजा दी जा रही है चीफ व्हिप महोदय के द्वारा, यह उचित सजा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने जो सदन को सूचना दी, उसमें आखिरी पैराग्राफ में निवेदन किया, चूंकि श्री दांता भूतपूर्व विधायक हैं और सदन के विशेषाधिकारों से भली भांति परिचित हैं, अतः मैं यह प्रश्न सदन में निर्णयार्थ, प्रस्तुत करता हूं यह मैंने कहा था। इसके ऊपर उन्होंने मोशन रखा। उस पर आपका यह ऐतराज था कि यह रेगूलर मोशन नहीं है। उसके पश्चात् वह संशोधित, एक फार्मल रूप के अन्दर संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं उसकी इजाजत देता हूं, क्योंकि यह सब कार्यवाही ब्रीच आफ प्रिविलेज की सदन के समक्ष हुई है, इसके दूसरे प्रोसिजर हैं, नोटिस देना पड़ता है, गवाहियां रिकार्ड करनी पड़ती हैं, वह लम्बा प्रोसिजर होता है, जब सदन के समक्ष कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है, तो सदन को यह अधिकार है। सीधे जब घटना की पूरी सूचना दे दी जाती है तो सदन उस वक्त उस पर विचार के लिये तैयार हो जाता है। सदन में यह प्रक्रिया अपनायी गयी है। उस वक्त प्रस्ताव आता है सामने, प्रस्ताव पर बहस होती है, उसके पश्चात् सदन निर्णय कर लेता है। तो मैं समझता हूं, कोई किसी तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ हो, अथवा आसन को यह जरूरत महसूस हुई हो कि इसमें कोई नियमों का रिलेक्सेशन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, ऐसी परिस्थिति अभी नहीं हुई है और अभी तक जो कार्यवाही चल रही है, वह नियमानुसार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपने अपनी व्यवस्था में एक बात कही है।

श्री अध्यक्ष: वह बात यह है कि आज राइजिंग आफ हाउस तक की सजा है। इसमें देरी और हो रही है। खैर कहिये जो फर्माना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा संकल्प तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ कहना चाहते हैं। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी व्यवस्था में एक बात कही है कि मैंने उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी या जो कुछ आपने कहा है, आपका सार यह है कि उसमें कन्सेन्ट इम्पलाइड है वह यही मानकर चलते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मैंने तो यह साफ कहा है ना, चूंकि मैंने ... ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने व्यवस्था देते समय जो कहा है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था में यह नहीं कहा कि कन्सेन्ट इम्पलाइड है, बिलकुल क्लियर हुआ पहले, उसके पहले आखिरी पैराग्राफ की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था। उसमें मैंने यह कहा था, चूंकि श्री दांता भूतपूर्व

(श्री अध्यक्ष)
विधायक है, सदन के विशेषाधिकारों से भली-भांति परिचित हैं। अतः मैं यह प्रश्न सदन के निर्णयार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री अध्यक्ष: उस पर उन्होंने मोशन पेश किया। मोशन क्योंकि फार्मल, जिस लैंग्वेज में होना चाहिये था उसमें नहीं था उसमें डिफेक्ट था, आपने ऐतराज किया। उन्होंने रेगूलर रिजोलूशन के रूप में रखा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: और आपने अनुमति दे दी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अनुमति की तो अभी कार्यवाही चल रही है। अतः वह पेश...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, अनुमति प्रस्ताव रखने की तो दे दी ना, मैं यही कहना चाहता हूं। आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् जो पुरानी परम्पराएं हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मुझे इस सदन का सदस्य रहने का सौभाग्य पिछले कई सालों से मिला है। यहां पर कई दफा ऐसी घटनाएं हुई हैं जब दर्शक दीर्घा से किसी ने पर्चे फेंके हैं या नारेबाजी की है। कस्टडी में लेने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आसन सदन को सूचित करता है कि यहां इस प्रकार की घटना हुई है। उस घटना के बारे में विवरण यहां मिल जाता है। उसके उपरांत हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्य सचेतक सुझाव के रूप में अपना प्रस्ताव पेश करते हैं। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए। उसके उपरांत कई माननीय सदस्य कभी-कभी फार्मल तरीके से कह देते हैं कि सात दिन की सजा ज्यादा है या एक दिन की सजा दी जानी चाहिये, तीन दिन की सजा दी जानी चाहिये। अगर आप नियमों के हिसाब से चलें, अध्यक्ष महोदय, तो यहां बहुत से ऐसे नियम हैं, जिनका शख्ती से पालन नहीं होता है, सदन के अन्दर नियम और परम्पराएं दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आप संशोधन की बात कहें, श्रीमन्, तो संशोधन नहीं माना जायगा। जब सात दिन का मेरा प्रस्ताव है, मान लीजिये मैं प्रस्ताव लाता हूं उस परिभाषा के तहत प्रस्ताव मुझे लाना पड़ेगा। कभी संशोधन प्रस्ताव पेश किये जाते हैं कि इस सजा को घटाकर सात दिन की जगह तीन दिन की कर दिया जाय तो क्या स्थिति बनेगी ? श्रीमन्, मैं कह रहा हूं, जो परम्पराएं सदन की हैं, उन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह बिलकुल उचित है और विरोधी पक्ष के माननीय नेता जो इस बारे में आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं वह खाली कानून की लड़ाई हो सकती है। सदन की परम्पराओं को देखते हुए माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह बिलकुल उचित है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप क्या ऐतराज बता रहे थे मैंने अनुमति दी उसमें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह पूछ रहा था, आपने इस प्रस्ताव पर अनुमति दे दी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रस्ताव की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
अनुमति रूल 306 में दे सकते हैं। रूल 306 आप पढ़िये आपको अनुमति देने का अधिकार नहीं है। सदन को अनुमति देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऐसा नहीं है। आप गलत रूल कोट कर रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जल्दी जल्दी में कागजों में मिला नहीं है। मास्टर आफ रूल्स हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं विरोधी पक्ष के नेता महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप दांता साहब से दुश्मनी पाल रहे हैं। आप उनकी सजा बढ़ा रहे हैं, बैठ करके।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेजेज के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया हमारे नियमों में दी हुई है, वह इस प्रकार है:—

Question of privilege : A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the Committee thereof,

158. Notice of question of privilege.—A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day, the question is proposed to be raised, if the question raised is based on a document the notice shall be accompanied by the document.

159. Conditions of admissibility of the question of privilege—

(1) not more than one question shall be raised at the same sitting.

160. Mode of raising a question of privilege—

(1) The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : Provided further that the speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege at any time during the hours of sitting after the disposal of questions.

यह प्रक्रिया जो पहले की प्रक्रिया है; वह लागू होती है। केवल उन परिस्थितियों में जब कन्टेम्पट हाउस के सामने कमिट नहीं हुआ हो; लेकिन यह सब कुछ होते हुए स्पीकर को अन्ततोगत्वा यह अधिकार है:—

Provided further that the speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matters allow a question of privilege to be raised at any time during the

(१४४)

(श्री अध्यक्ष

course of sitting after the disposal of questions.

अब चूंकि यह गिरफ्तार है, माननीय नागरिक, इसलिये इनको शाम को कहां रखें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अनुमति दें। आपने जो रूल्स कोट किये हैं, वह बिलकुल इसमें एप्लीकेबल नहीं हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, आपने कोट कर दिये, बहुत अच्छा किया, सदन को पूरी जानकारी मिली, आप केवल उस प्रोविजो का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें लिखा है:

"Provided further that the speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

आप इसके अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन यह तो क्वेश्चन केवल आपको टाइम को डिसाइड करने का है। आप किस समय अनुमति दें, केवल टाइम डिसाइड करने का है।

श्री अध्यक्ष : आप इंसिस्ट यह कर रहे हैं कि यदि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस में हुआ हो तो उसके लिये भी पूर्व सूचना नियम 157 में देनी होगी। मैं समझता हूं, यह बिलकुल आवश्यक नहीं है। जब सदन के समक्ष ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ हो तो उसमें सदैव जो प्रक्रिया आज अपनाई गई है वही प्रक्रिया अपनाई गई है। उसका आप रिकार्ड निकाल लीजिये, उसमें यही प्रक्रिया उचित है, दूसरी प्रक्रिया लागू नहीं होती।

पिछले सत्र के अन्दर भी इसी तरह का प्रश्न आया था उस वक्त भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी को सुन लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, उन व्यवस्थाओं के बारे में जो परम्परा रही हैं सदन में। मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, आपने विरोधी पक्ष के नेता की बात सुन कर, उस पर तो व्यवस्था दे दी। मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर कोई व्यवस्था नहीं दी। सदन की जो पूर्व परम्पराएं हैं उनको उठा कर देख लीजिये सदन की हमेशा परम्परा रही है कि विरोधी पक्ष के नेता कानून का सहारा लेकर, नियमों का सहारा लेकर, इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनकी काबलियत पर शक नहीं है, कभी आप परम्परा का हवाला देते हैं, कभी नियमों का हवाला देते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सभी नियमों का सदन में पालन हो रहा है ? क्या इस सदन की पूरी कार्यवाही, जीरो आवर नियमों के अन्तर्गत चल रहे हैं, एडजोर्नमेंट मोशन नियमों के तहत चल रहे हैं ? कट मोशन्स पर नियमों के तहत लोगों को बोलने दिया जा रहा है ? क्या परम्पराओं के आधार पर सदन चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बारे में व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, विधि मंत्री जी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पता नहीं, हंसने का क्या रिवाज है ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
सनते नहीं आप और हंसते हैं। सदन की गरिमा कायम रखनी चाहिये आपको और आप हर बात पर हंस देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। जब से सन् 52 से सदन एग्जिस्टेंस में आया है, मैं हमेशा सदन का सदस्य रहा हूं तब से बीसों बार ऐसा हुआ है जबकि इमीजिएटली ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है जैसा पिछली बार भी मैंने कहा था हाउस के सामने ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है उस समय ब्रीच आफ प्रिविलेज को हाउस इमीजिएटली डील करता है और जो कोई दोषी होता है उसको उसी वक्त सज़ा दी जाती है। सदन के नेता या कोई भी मूव करता है कि ऐसी कार्यवाही की जाय, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। रूल्स को रिलेक्स करने की हमेशा कार्यवाही होती रही है। यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि रूल्स का रिलेक्सेशन होता है हमेशा, अब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिये, यह गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

जितने भी नियम लिखे हुए हैं वे उस स्थिति के लिये हैं जब कोई माननीय सदस्य ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाये। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न सदन की तरफ से अध्यक्ष ने विचारार्थ रखने के लिये कहा है। हाउस के सामने यह घटना घटी है इसलिये इसमें प्रक्रिया जो पहले अपनाई गई थी और आज अपनाई गई है, वह बिलकुल ठीक है। अन्य कोई माननीय सदस्य यदि लिखित में पेश करता तो यह आवश्यक होता कि नियमों के अन्तर्गत लिख कर देते और चूंकि जैसा कि मैंने अपनी सूचना में कहा है कि यह कमिट हुआ है, इसलिये इमीजिएटली इसको विचारार्थ लिया जाय। उस हिसाब से किया गया है। किन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं है, न कोई किसी नियम के रिलेक्सेशन की इसमें आवश्यकता है। जो प्रस्ताव लाया गया है वह केवल सजा कितनी हो और क्या हो, यह सदन तय करेगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

एक **माननीय सदस्य**: श्री भैरोंसिंह शेखावत की सीट के नीचे स्प्रिंग लगी हुई है इसलिए बैठा नहीं जाता, उसे निकलवाने की व्यवस्था करें।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्षजी, विरोधी दल के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि नकारात्मक विरोध, नाकारा लोग करते हैं। आप अच्छे आदमी हैं, नाकारा की पंक्ति में जाने की कोशिश बहुत करते हैं। सकारात्मक विरोध कीजिये।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी व्यवस्था दें वह हमें स्वीकार करनी पड़ेगी लेकिन आज आपने एक नई बात और शुरू कर दी। आपने यह शुरू कर दी कि प्रस्ताव मैंने अपनी तरफ से रखा।

श्री **अध्यक्ष**: प्रस्ताव का मैंने नहीं कहा।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(146)

एक माननीय सदस्य : विरोधी दल के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन की तरफ से उत्तर आ रहा है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

इसमें स्थिति ऐसी है कि यदि अन्य कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि अमुक घटना घटी है उसके कारण सदन अथवा दूसरे किसी माननीय सदस्य के प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है तो उसकी फार्मेलिटी में जाना पड़ता है। लेकिन यदि घटना सदन के समक्ष हुई है और माननीय सदस्यों ने देखी है इस स्थिति में उसमें इस तरह तजवीज को जाती है घटना की मैंने सूचना दी इसलिये जितने भी प्रोसिजर 157, 158 लिखे हुए हैं वे एप्लीकेवल उस स्थिति में नहीं होते जबकि घटना यहां हुई है और अध्यक्ष ने उस घटना की सूचना आपके सामने प्रस्तुत की है। आखिर में इसमें लिखा है कि सदन इसके ऊपर विचार करे। तो यह ओरिजनल मोशन ही है। अब जो विचार के लिये मोशन आ रहा है उसमें यह है क्या तजवीज की जाय, सजा कितनी दी जाय। इसका मोशन दे रहे हैं। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन नहीं है। यह तो सजा के लिये मोशन दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके इस प्रश्न पर कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन है। अब उस व्यवस्था को आप ही बदलेंगे तो दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नही। बदलने का सवाल नही है। मैंने जो कुछ कहा है, लिखित में कहा है। चूंकि श्री दांता भू.पू. विधायक हैं और सदन के विशेषाधिकारों से भली भांति परिचित हैं। अतः मैं यह प्रश्न सदन के निर्णयार्थ प्रस्तुत करता हूं। यह मैंने लिख कर दिया है। अब आप प्रस्ताव ला रहे हैं कि उसको क्या दण्ड दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 163 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें है :—

"The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee of Privilege or in the House."

श्री अध्यक्ष : यह मैं सलाह दे सकता हूं कि इसमें इतनी सजा दो, कम दो या ज्यादा दो, इस संबंध की बात है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसमें डाइरेक्शंस में तो सारी बात आ गई।

श्री माणकमल मेहता :— The Chair is competent to give all the directions.

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में जो पूर्व में व्यवस्था दी गई उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उस समय भी ऐतराज आपने किया था । यह 26 अप्रेल, 58 को श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि जयपुर के दैनिक पत्र "नवयुग के संपादक के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उक्त पत्र के सम्पादक से संपर्क किया गया । संपादक ने विशेषाधिकार की अवहेलना को स्वीकार किया है और लिखित रूप से क्षमायाचना की है । श्री अध्यक्ष ने इस पर सदन का अभिप्राय जानना चाहा कि क्या सदन की अनुमति है कि उसे ड्राप कर दिया जाय ? आपने इस पर ऐतेराज उठाया ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) ने अपना सुझाव देते हुए यह कहा कि सदन का निर्णय जानने के लिये एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिये । इसके लिये माननीय अध्यक्ष मुख्य मंत्री को आदेश दें कि वे इस प्रकार का मोशन सदन में मूव करें और सदन अपना निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष : यही तो हम कर रहे हैं । आप इससे इन्कार कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

यह गंभीर विषय है । कानून और प्रक्रिया के विषय में चर्चा हो रही है । आगे भी अपने काम में आएगी ।

श्री शिवचरण माथुर : इसी मसले पर अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है ।

पूरी बात सुन लीजिए ।....

इस पर श्री अध्यक्ष ने ऐसा मोशन अनावश्यक बताते हुए कहा "वोट लेने का प्रश्न होता तो जरूर लेते लेकिन सदन की परम्परा रही है, मैं आपको बता दूं कि लोक सभा में जो कार्यवाही हुई है उसमें भी ऐसा ही हुआ है । वहां पर फार्मल मोशन नहीं लाया गया, हाउस की सेन्स ली गई । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हाउस की सेन्स ले ली है ।" अतः मूल घटना के अभाव में विशेषाधिकार प्रश्न प्रस्तुत करने की सम्मति दे दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह डिफरेन्ट है । मैं आपके माध्यम से पहले यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा, अगर हाउस को इस तरह से कन्ट्रोल करेंगे, हम कोई बात उठावें और सारे माननीय सदस्य बोलना शुरू कर दें तो आप इसका कैसे फैसला करेंगे ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य बोल रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह गंभीर मसला है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भी वही गलती कर रहे हैं । विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री महोदय हाउस में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि हाउस में यह परम्परा हो कि कोई भी माननीय सदस्य बोलें तो विघ्न पैदा किया जाए । आप जो परम्परा डालेंगे वह हमें तो स्वीकार करनी पड़ेगी हमें हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है । जिस तरह का यह अहम मसला है, उस मसले पर बीच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
में टोका टोकी से काम चलने वाला नहीं है, हम उससे भाग कर नहीं जाने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको निवेदन किया है यह गंभीर मसला है। इसमें प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं। उनके इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है ऐसे मामले आगे भी आते रहेंगे विपक्ष के नेता महोदय को यदि कोई ऐतराज है तो उसको आप शांति से सुनिये। आप लोगों को भी अवसर दूंगा। आप अपनी बात कहें। शांति से चर्चा हो। यह न हो कि इधर से उधर से माननीय सदस्य कटु वचनों का प्रयोग करें, फिर उस पर विवाद खड़ा हो, गर्मा गर्मी आये सदन में ऐसा नहीं होना चाहिये, माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। आपको भी अवसर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस रूलिंग को यहां पर उद्धृत किया है उसे वह स्वयं ही पढ़ लें। वह रूलिंग प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने के पहले की है यह केवल नोटिस दिया था। आप पढ़ लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : यह नहीं है। आज की घटना और भी स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा धैर्य रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है नवयुग के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था, उसकी एडमिसिबिलिटी के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय ने नवयुग के सम्पादक से बात की और उन्होंने खेद प्रकट किया। उसके बाद इस क्वेश्चन का एडमिशन नहीं हुआ। यहां एडमिशन का प्रश्न नहीं है कि उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की माननीय अध्यक्ष अनुमति देते हैं या नहीं, अनुमति देने की प्रक्रिया में सम्पादक ने इस प्रकार की स्थिति मंजूर कर ली और इस कारण से वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां आज स्थिति दूसरी है। मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि सदन में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं को लेकर हम पूरी प्रक्रिया के अनुसार आचरण नहीं करते, अगर आज यह बात कही जाय कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस नहीं दिया है नोटिस में इतना समय चाहिए, मैं भी जानता हूं कि उतना समय नहीं है। नोटिस लिखित में नहीं दिया जाय इस बात को भी मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें नोटिस समय में नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस विधान सभा ने अपने नियम बनाए हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रख कर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जब भी इस प्रकार कि कोई असाधारण घटना हो जाय तो रूल्स को रिलेक्स करने के लिये अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले ली जाय वह अनुमति दे दी जाती है उसके बाद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दुर्भाग्य से इस प्रकार व्यवस्था आज नहीं हो। पहले आपकी व्यवस्था थी, 157 से 160 तक रूल कोट किये रूल्स कोट कर यह सदन को बताने की चेष्टा की कि यह है विशेषाधिकार का प्रस्ताव है। विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूल 160 के अन्दर जो प्रोविजो 2 है इसमें आपको इस प्रकार का अधिकार है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था रूल 160 के प्रोविजो में दे रहे हैं या आपको रूल 306 के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है उसके अन्तर्गत दे रहे हैं। आपने यह भी कह दिया कि सुझाव रूप में, जानकारी के रूप में मैंने रखा है, आपके इन शब्दों में लेना चाहते हैं कि आपने जानकारी के रूप में सदन को दी है। तो जानकारी के साथ ही यह तो आज तक की परम्परा रही है कि उस जानकारी के साथ ही मुख्य सचेतक प्रस्ताव रखते हैं। उसके साथ ही सदन के अन्दर अध्यक्ष महोदय से उस प्रस्ताव को रखने की अनुमति प्राप्त करते हैं। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव रखा जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी विपत्ति इस समय आकर खड़ी हो गई जिस विपत्ति में अध्यक्ष महोदय से अनुमति नहीं ली जा रही है। वह अनुमति के लिए मूव करेंगे, आप हाउस से पूछेंगे, हाउस अनुमति दे देगा। उसके बाद ही प्रस्ताव रखा जायगा और प्रस्ताव पारित हो जायगा।

श्री **शिवचरण माथुर** : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

श्री सुरेंद्र व्यास।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य का विषय है कि विरोधी दल के नेता महोदय चार दफा खड़े हो गये और रूल 306 को रेफर कर रहे हैं पर यह नहीं बता रहे हैं कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है कि रूल सस्पेण्ड करने का सवाल आता है। जब तक कोई रूल का वायलेशन नहीं हो तब तक रूल सस्पेण्ड करने का सवाल ही नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, रूल 161 को रेफर कीजिये आप स्पीकर डिसाइड करता है कि किसी मैटर की प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय या हाउस डिस्पोज आफ कर सकता है। जब हाउस डिस्पोज आफ कर सकता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सूचना दी कि माननीय श्री मदनसिंह हाउस में घुस आए और उन्होंने हाउस का कन्टेमट किया उसके आधार पर सदन ने काग्नीजेन्स लिया, सदन के सामने घटना घटी और आपने उसको सदन के सामने पेश कर दिया। नियम 161 के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय, आपने इस हाउस को यह मामला सौंप दिया कि वह इसको रेफर करे। रूल 106 में यह रिजोलूशन पेश कर दिया श्री खेत सिंह ने उसके अन्दर 15 दिन का नोटिस होना चाहिए : One minute, Sir. "A member other than a minister who wishes to move a resolution, shall give fifteen clear days' notice of his intention and shall, together with the notice submit the text of the resolution which he wishes to move :

Provided that the speaker may allow it to be entered in the list of business

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

with notice shorter than fifteen days.

Any time you can allow it, Sir.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : There should be a notice···

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल 295 में माननीय भैरोंसिंह जी रोजाना यहां पर सूचना देते हैं राइटिंग में सूचना देना आवश्यक है। लेकिन स्पीकर उसको रिलेक्स कर सकते हैं परमिट कर सकते हैं वर्बली भी उनको आप अलाउ कर देते हैं। लेकिन परम्परा का प्रश्न नहीं, पहले तो यह प्रश्न है कि कौन से रूल का वायलेशन है जब रूल का वायलेशन नहीं है तो रूल को सस्पेण्ड करने का सवाल ही नहीं आता आपने मैटर दिया हाउस के अन्दर और हाउस के अन्दर प्रद्युम्नसिंह बोले। उनकी पहली आपत्ति है उस औचित्य का हो सकता है। पहले सुझाव जो प्रस्तुत किया that was not in order. इसलिए रिजोलूशन मूव कर रहे हैं। इसके बाद उस पर डिबेट हो सकती है। यह आप निश्चित करेंगे। बाद में कोई यह कहे, सजा कम है, सात दिन की सजा होनी चाहिए। मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं। वह भी अमेंडमेंट प्रॉपर नहीं होता जब तक राइटिंग में नहीं होगा। उस वक्त कोर्ट की हैसियत में बैठा हुआ है, यह हाउस कोर्ट की हैसियत से बैठ कर सब मेम्बर अपने-अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फाइनल नहीं है क्योंकि Resolution has to come before the house and that resolution must come from Chief whip of the Congress party. वह रिजोलूशन आ रहा है। इसमें विवाद का विषय नहीं है। आज से पहले भी ऐसा होता रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि रिजोलूशन पेश करने की अनुमति दी जाय इसके विरोध में अगर कुछ कहना है तो वह कहें या किसी नियम के बारे में आपत्ति करनी है तो उसको बतावें कि कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय खेतसिंह जी एक स्पष्टीकरण कर दें, यह रिजोलूशन है या मोशन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी चर्चा हो गयी है। अब मैं विरोधी दल के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि आप इसको समाप्त करें। सभी ने अपनी बात कह दी है। विपक्ष के नेता ने अपनी इण्टेलिजेन्स का परिचय दिया, सब ने दिया।

(व्यवधान)

इस विषय पर अच्छी डिबेट हो गयी है। इसके ऊपर लोगों ने अपने विचार रखे जैसा उनकी योग्यता थी उस योग्यता का परिचय दिया। मेरा निवेदन है कि संकल्प की भाषा पर जरूर चर्चा हो। जैसा सुझाव दिया कि स्पेसिफिक संकल्प होना चाहिये था। यह रिजोलूशन है यह सुझाव के रूप में पेश कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको आदेश दें कि स्पेसिफिक इस मामले को लेकर सामने आयें। उन्होंने तो एक केजुअल भाषा के अन्दर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कह दिया। अब इस चर्चा को समाप्त करके आप चीफ व्हिप महोदय को आदेश दे दें वे जो कहना चाहे कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो रिजोल्यूशन है, यह वारन्ट है। यह जो मूव करेंगे। वह आपके आदेश के बिना आया है। लेकिन जब तक इस पर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निर्णय हुआ है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वीकार कर लिया गया है...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : He may put resolution in the House.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

ऐसा है कि जो गलत फहमी खड़ी हो गयी है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज या सदन की मर्यादाओं का हनन का प्रश्न है तो उसको किस तरह उठाया जाय। अपने यहां पर नियमों के अन्दर नियम 157 से लेकर 168 तक ब्रीच आफ प्रिविलेज के जो प्रश्न आयें उसको कैसे निपटाया जाय यह प्रक्रिया दी हुयी है। यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसको लिखित में देना होता है, समय दिया हुआ है उस समय में हो उसके बाद अध्यक्ष उस पर निर्णय देगा कि उसकी अनुमति है या नहीं। तो यह प्रक्रिया उस स्थिति में लागू होती है जब ब्रीच आफ प्रिविलेज सदन के सामने नहीं हुआ हो और कहीं अन्य जगह हुआ हो। यह लम्बी चौड़ी प्रक्रिया इसलिये दी है कि जो फायफलस... मैटर्स हैं वह सदन के सामने न आ जायं इसलिये यह प्रक्रिया दी है। लेकिन मान लीजिये सदन के समक्ष ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ हो, तो आपका यह कहना कि उस स्थिति में भी 157 वाला और वह सब नियम कानून लागू होगा और अध्यक्ष के लिये लाजिमी होगा, यह रूल 306 या कौन सा रूल बताया उसके नीचे आसन को अधिकार है वह रूल का रिलेक्सेशन कर सकते हैं और अन्य किसी प्रक्रिया को उसके द्वारा अपनाया जा सकता है।

तो प्रश्न यह है कि प्रथम जिस तरीके से ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न को यहां पर रखा गया वह नियमानुसार है या नहीं? नम्बर एक प्रश्न जो आपका ऐतराज है वह यह है। नम्बर दो यह है कि क्या किन्हीं नियमों में ढील देनी पड़ेगी, आसन को जो माननीय दाता को हम कोई सजा तजवीज करते हैं। आपका कहना यह है कि इसमें नियमों में छूट देने की आवश्यकता होगी अध्यक्ष जी को। मेरे कहने का आशय यह है कि पहले जब ब्रीच आफ प्रिविलेज सदन के समक्ष हुआ हो, तो जो उसकी जांच पड़ताल करने के लिये कि ऐसा वैसा मामला प्रिविलेज के तौर पर आ नहीं जाय कहीं अकस्मात ही वह प्रस्तुत न कर दिया जाय इसलिये वह प्रक्रिया रखी गयी है। ताकि आसन और सैक्रेटेरियट अपने आपको उसकी वैधता के बारे में और उस घटना की सच्चाई के बारे में जांच पड़ताल कर ले उसके बाद इजाजत दे। उसके लिये वह प्रक्रिया है। जब कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है चाहे सदन का या किसी माननीय

152

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य का। लेकिन आज जो घटना हुयी है वह सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष हुयी है और इसके लिये यह जरूरी नहीं। मान लीजिये कि कोई माननीय सदस्य इसके लिये लिख कर के पेश ही नहीं करते कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है। यह भी सवाल हो गया कि कोई देते ही नहीं तो क्या वे छूट सकते थे? नहीं छूट सकते थे। यहां पर जो भी कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी आसन की है कि नियमों का पालन हो। यहां पर नियमों के प्रतिकूल, परम्पराओं के प्रतिकूल उन्होंने प्रवेश किया और सदन की कार्यवाही के अन्दर बाधा डाली तो उस स्थिति के अन्दर आसन, जो आपका प्रतिनिधित्व करता है, का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह आपके समक्ष जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है वह रखें और उसके ऊपर सदन से या माननीय सदस्यों से अनुमति लें, कि मैं क्या निर्णय लें, उनके लिये क्या सजा तजबीज करनी है। जैसा मैंने पहले ही कहा है; इसके अन्दर जो नियमों की छूट की बात करते हैं, विपक्ष के नेता महोदय, इसमें कोई नियमों में छूट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके सपोर्ट में मैं Practice and Procedure of Parliament by M. N. Kaul and S. K. Shakdhar को रेफर करता हूं:

"If contempt is committed in the immediate presence of the House, the contemner may not be heard. He is taken into custody immediately by the Watch and Ward Officer and detained for the minimum time necessary for in terrogation. The contemner may apogiloze and the House may be pleased to accept it and let him off. If the contemner has to be punished, it can be done by the House only. For this purpose, a motion is moved by the Minister of Parliamentary Affairs. The motion may specify the period of imprisonment and the place or jail where the accused is to be lodged."

तो ठीक वही प्रक्रिया अपनायी गयी। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ। आसन ने आपको सूचित कर दिया कि यह हुआ है और अब आपको इसको सजा तजबीज करनी है। इन नियमों के अनुसार जैसा कि सदैव सत्तारूढ़ दल के चीफ व्हिप होते हैं वे हमेशा प्रस्ताव प्रस्तुत करते आये हैं ऐसी हमारी मान्यता और परम्परा रही है। इसलिये मैंने इजाजत दी उनको। आपने ऐतराज किया है कि यह फार्मल रूप में होना चाहिये यह बिल्कुल दूसरी बात है कि जहां तक किसी व्यक्ति या नागरिक की स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो उसमें जितनी भी फार्मेलिटी है वह पूरी होनी चाहिये। इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन वह जो आपका ऐतराज था कि इसमें प्रक्रिया अपनायी नहीं गयी है, नियमों का हनन हुआ है। नियमों का आपने माना कि आसन इन नियमों में रिलेक्सेशन कर सकता है। लेकिन मेरा इसमें निर्णय यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि इन नियमों में रिलेक्सेशन हो। क्योंकि पूर्व में जो प्रक्रिया अन्य रूल्स में बताई गयी है उसका मतलब यह है कि अन्यत्र कहीं घटना हुई हो इस तरह के प्रश्न सदन के सामने नहीं आ जायं जो वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हो। इसलिये यह प्रक्रिया दी गयी है। चीफ व्हिप महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास: रूल कौन सा सस्पेण्ड कराना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: इसलिए इन दोनों बातों से मैं

(श्री अध्यक्ष)
सन्तुष्ट नहीं हूं। चीफ व्हिप महोदय को अब मैं निवेदन करूंगा कि नियमानुसार प्रस्ताव है, वह प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: प्रस्ताव क्या है आप सुना दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल 306 को रेफर करते हैं आप रूल कौन सा सस्पेन्ड कराना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी चीफ व्हिप के रूप में कार्य करते हुये करीब 8 साल का तजुर्बा है। इन 8 सालों में कई वार ऐसे प्रस्ताव मैंने पेश किये हैं। कभी भी इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं हुई और हमेशा मैं संकल्प पेश करता हूं उस पर हाउस विचार करता है, जो निर्णय होते हैं उसके अनुसार कार्यवाही होती रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके आपकी जो ख्वामख्वाह की कन्फ्यूजन की आदत है उसको छोड़ें। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं उसे मन्जूर करिए।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको मदनसिंह दांता कहता है जिन्होंने आज दिन के 12 बजकर 3 मिनट पर...

श्री अध्यक्ष: कितने बजकर 3 मिनट पर?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 12 बजकर 3 मिनट पर।

12 बजकर 3 मिनट पर सदन सभा भवन में दाखिल हुए और विपक्ष के नेता को कुछ पर्चे दिये, कुछ बोले उस पर वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तत्काल उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने घोर अपराध किया है और वे सदन के अपमान के दोषी है।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि उक्त मदनसिंह दांता को सदन की आज की कार्यवाही समाप्त होने तक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : एक दिन की सजा ! आन राइजिंग आफ दी हाउस।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। इन्होंने जो पहले प्रस्ताव रखा था, उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने केवल भाषा में सुधार किया है।

एक माननीय सदस्य : आपकी चार आने भर बात तो मन गई ना आपकी बारह आने भर बात .....

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक संशोधन पेश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ना।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा निवेदन है कि श्री मदनसिंह दांता दो बार सदन के सदस्य रह चुके हैं और वैसे वह बहुत भावुक आदमी हैं। जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय उन्होंने सब

154

(श्री मोहनलाल मोदी)
कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया था। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस सजा को क्षमा में बदल दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें कोई लम्बा भाषण नहीं होंगे। करीब-करीब क्षमा कर ही दिया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ठाकुर श्री मदन सिंह दांता की सजा के मामले में मैं आपसे यह जानकारी चाहूंगा। क्या ठाकुर श्री मदन सिंह दांता ने आपके सामने कोई वक्तव्य दिया है ?

श्री अध्यक्ष : जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह यदि आप हमको पढ़कर सुनायेंगे तो हम अपने विचार ठीक से रख सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। वह दो पृष्ठों का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि आपने यह विषय सदन के सामने विचारार्थ रखा है कि ठाकुर श्री मदन सिंह दांता को कितनी सजा दी जाय या उनको दोष मुक्त किया जाय। उन्होंने क्षमा याचना भी की है। हम यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो यह अपराध किया है, जिसको हम अपराध कहते हैं, उसके पीछे उनका क्या भाव था। यानि कोई वह वास्तव में मर्यादा को भंग करने के . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब आप किसी अपराधी के लिए यह निर्णय करें कि उसको कितनी सजा दी जाय। कितनी कम की जाये या नहीं की जाय तो यह विचार करना होगा कि उसके पीछे उनका क्या भाव था, उसके पीछे उनका क्या मोटिव था, उसमें क्या सेंसरिया था जिसके लिए उन्होंने यह अपराध किया है। जैसा कि आप फर्मा रहे हैं कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि आपके सामने बड़ी एक स्थिति रहती है। तो सजा देने से पहले, निर्णय से पूर्व हम उसको सुनना चाहेंगे जो कुछ उन्होंने आपको कहा है। उससे यह पता लगेगा कि अपराध करने के पीछे उनकी भावना क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उनका बयान पढ़कर सुना देता हूं :-

"मैं मदनसिंह पुत्र गंगासिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति राजपूत, भू. पू. सदस्य, राजस्थान विधान सभा, निवासी दांता, जिला सीकर बयान करता हूं कि जब सदन की कार्यवाही चल रही थी उस समय बिना किसी की अनुमति के मैंने सदन के प्रांगण में प्रवेश किया। सदन में अनधिकृत प्रवेश करने के दो कारण

(श्री अध्यक्ष)

थे। मैं पिछले चार रोज से अनेक माननीय विधायकों को सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता था कि हमारे देश में हमारी फौजों और पुलिस के सिपाहियों को विदेशी तत्वों द्वारा गोलियां मारी जा रही हैं जिनकी जानकारी अनेकों समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में यह घटनाएं हो रही हैं। और मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार पर राजस्थान सरकार के जरिये जोर दिलवाना चाहता था कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इन घटनाओं से सम्बन्धित विदेशी तत्वों के नाम और जाति से देश को बताया जाय कि इन घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है। साथ में मैं यह भी चाहता था कि संविधान के आर्टिकल 352 में उल्लिखित वजूहात पर इमर्जेन्सी होनी चाहिएं और वह वजूहात बन चुके हैं और वह परिस्थितियां हमारे देश में मौजूद हैं। अतः इमर्जेन्सी लगा देनी चाहिए। किन्तु किसी माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए एक देश के जिम्मेदार नागरिक के नाते मैंने विधान सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कार्यवाही की। क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं था कि मैं विधान सभा के अन्दर जाऊं और मेरा भाव (विचार) पर्चियों के जरिये प्रकाशित करूं और कुछ कहूं। मैंने जो प्रहरी ड्यूटी पर नियुक्त थे उनको यह कहा कि आपको सार्जेण्ट साहब बाहर बुला रहे हैं, कोई विशेष घटना हो गई है। और इसलिए मुझे यह मौका अन्दर घुसने का मिल गया और मैं अन्दर चला गया तथा साथ ही साथ यहां की शिथिलता की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और मैंने यह साबित कर दिखाया जो कि मैं साबित करना चाहता था। मुझे यह जो प्रवेश का प्रवेश-पत्र मिला हुआ है। इस प्रवेश-पत्र को भी मैं सही रूप में बनवाना चाहता था कि भूतपूर्व एम.एल.ए. सभी जगह लॉबी में घूम सकते हैं तो मैंने यह समझा कि मैं अन्दर भी क्यों नहीं जा सकता हूं। मैं भारत के संविधान में गीता और रामायण की तरह विश्वास करता हूं। मैंने इसका सम्पूर्ण अध्ययन किया है और इसमें पाया कि इसमें भारत का नागरिक सदन के प्रांगण में नहीं जा सकता हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विधान सभा के नियम भी इसी के आधार पर बने हुए हैं, इसको भी मैं जानता हूं। मैं विधान सभा की प्रतिदिन की कार्यवाही देखता हूं तो मुझे प्रतीत होता है कि कोई भी माननीय सदस्य इन नियमों और विधान का पालन सही रूप में नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है कि विधान सभा के अन्दर जनसंघ ने सत्याग्रह किया है, जो कि नियमों के विरुद्ध था। मैंने विधान सभा के प्रांगण में, सदन में शराब पिये हुए माननीय सदस्यों को भी चैक किया है जो नित्य प्रति पीते थे और विधान सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते थे। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि विधान सभा में संविधान और नियमों का पालन अगर माननीय सदस्य ही नहीं करेंगे तो आम नागरिक ही क्यों करे।

विधान सभा के अन्दर सम्पूर्ण गलीचों को पान थूक-कर खराब कर दिया है। दूसरे सदस्य सिगरेट भी अन्दर नहीं पीयें। यह अनुचित है। इन सब नियमों में और भारत के संविधान के आर्टिकल 356 और 365 के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के नागरिक और विधायकों को चलना चाहिए तब ही सही ढंग से जन-

(श्री अध्यक्ष)
तान्त्रिक तरीकों में नागरिकों का विश्वास बन सकता है ।

इस घटना का मुझे खुद को खेद है, मैंने सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के लिहाज से सदन में प्रवेश नहीं किया और न सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का कोई मेरा इरादा ही था और न आइन्दा कभी बाधा डालूंगा परन्तु देशहित के लिए मुझे ऐसा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत पड़ी ।"

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : माफ किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : ये माननीय सदस्य पूरा कर लें अपना भाषण उसके बाद में कहो।

श्री भंवरलाल शर्मा : दांता के बयान के बीच में हमारे माननीय सदस्यों ने भी ताली बजा कर उनका स्वागत किया । उन्होंने जो बात कही है उसमें उनकी कोई मेन्टल या अपराधी प्रवृत्ति नहीं थी । जो कुछ बात उन्होंने कही है उससे निश्चित रूप से अपनी भावना प्रकट की है और अन्त में खेद प्रकट कर दिया है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि उनको क्षमा कर दिया जावे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अपराध गम्भीर है लेकिन सदन के माननीय भूतपूर्व सदस्य होने के नाते जैसा माननीय नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा, उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा और सरकारी सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी वे कस्टडी में है, पिछले छः–सात घण्टे से बराबर कस्टडी में बैठे हैं। यही सजा काफी है। जो कुछ होना था सो हो गया । इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर दें । जितनी सजा वह भुगत चुके हैं वही काफी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बातें नहीं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज ही मदनसिंह दांता से जब मिला मुझे ऐसा नहीं लगा कि वे मानसिक तौर से बीमार हैं। यह बात जरूर है कि उनके मन में बेचैनी है कि पूरे देश के अन्दर एक प्रकार से अराजकता हो रही है, साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। आज सदन के माननीय सदस्य, जो यहां बैठे हैं, उन प्रश्नों को नहीं उठा रहे हैं । मैं सोचता हूं, इसी पीड़ा की दृष्टि से सदन में घुसे। खासतौर से विधान सभा के अन्दर भी कोई सदस्य इस प्रकार न घुसें, वाच एण्ड वार्ड की दृष्टि से भी वे जरा सख्ती करना चाहते थे । खाली जगह थी, इसलिए वे घुस गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हो, सदन के अन्दर यह पहली घटना है,मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विधान सभा जब तक चल रही है श्री मदनसिंह दांता का यहां लाबी में या विधान सभा में आने का जो प्रवेश-पत्र है उसको निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री जी चर्चा को समाप्त कीजिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं । कई माननीय सदस्यों ने एक बात कही है वह बिना आधार के कही है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है । एक हृदय की इच्छा एवं भावना से उन्होंने कुछ भी किया है लेकिन उनके लिये यह कहें कि उनका दिमाग खराब है या पागल है, मैं समझती हूं कि उनका अपमान किया जा रहा है । मेडिकली उनकी कोई जांच करा ली गई है ? इस तरह से आरोप लगाना उनको बीमार साबित करना बहुत गलत है । यह शब्द वापस लिए जायं और माननीय दांता साहब को क्षमा किया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह मसला है । कस्टडी में है मदनसिंह दांता । जैसे यह प्रस्ताव किया गया है कि जब तक सदन की कार्यवाही समाप्त हो उस समय तक की सजा दी जाय । तो प्रेक्टिकली, माफ कर दिया जाय या सजा दी जाय, दोनों में कोई फर्क नहीं है।

(व्यवधान)

हर सूरत है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रेक्टिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है । इसलिये माननीय सदस्यों का यह कहना है कि माफ कर दिया जाय, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब इसको लम्बा करने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव कीजिये समाप्त करें । अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी ने मान लिया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा: अमेंड करके संकल्प दुबारा प्रस्तुत करना पड़ेगा अगर माफ करने की बात है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मोहनलाल मोदी ने संशोधन प्रस्तुत कर दिया, वह संशोधन सरकार ने मान लिया ।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति है कि उनको क्षमा दान दे दिया जाय ?

(स्वीकृत)

क्षमा दान दिया गया ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था । आपको हाउस की राय लेने से पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष: उनको रिहा कर दिया जाय ।

श्री हरिसिंह: मैं कुछ कहना चाहता था उसके बीच में आपने तुरन्त हाउस की राय ले ली । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, आसन द्वारा व्यवस्था दी गई है और हाउस ने राय दी मेरे साथ ज्यादती हुई है । मैं बोलना चाहता था, उस दौरान हाउस की राय नहीं ली जा सकती, मेरे को बोलने का पूरा अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : हाउस की राय हो गई, अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

158

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । उनका पाइन्ट आफ आर्डर है ।

(व्यवधान)

श्री मंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक विषय विचारार्थ सदन के सामने आया, उस पर विचार रखे गये और अन्त में आपने सदन की सहमति से निणर्य की घोषणा कर दी तो जो विषय निर्णित हो गया...

श्री अध्यक्ष: प्रोटेस्ट के तौर पर कई दफा कहते हैं । भैरोंसिंह जी ने कहा है निर्णय के बाद । आप कह दीजिये अपनी बात ।

श्री हरिसिंह: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से चीफ व्हिप ने प्रस्ताव पेश किया उस पर अमेंडमेंट आ गये । विधि मंत्री ने अपनी तरफ से अमेंडमेंट दिया मैं अपनी तरफ से नया अमेंडमेंट पेश करने वाला था । मेरा प्रोटस्ट यह है :

"When I was in a process of putting my amendment consent of the House can not be taken before that is in rooted."

श्री अध्यक्ष: आप केवल खड़े हुए थे और मेरी आई कैच नहीं हुई थी इसलिए कर दिया। आपकी सूचना होती कि मैं भी अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं तो आपको इत्तला देता लेकिन बहुत से माननीय सदस्य इच्छुक थे बोलने के लिए खड़े हो रहे थे काफी समय हो गया इसलिए चर्चा समाप्त कर दी । इतनी बात होती तो मैं आपको इजाजत भी देता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी ।

श्री हरिसिंह: मैंने जोर-जोर से कहा कि I want to move an amendment लेकिन आपने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष: मुझे खेद है, मैंने सुना नहीं। विधायी कार्य पुर: स्थापित किया जाने वाला विधयक ।

श्री हरिसिंह: अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। आपको यह व्यवस्था देनी पड़ेगी कि I have a right to move an amendment. I could not catch the eye of the Speaker, that is my misfortune. But I was bringing a very important point before this House.

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य की बात इम्पार्टेन्ट हो सकती है लेकिन उस सदस्य के लिए आई कैच करना लाजिमी है । प्रोटेस्ट करें अथवा लिखित में दें कि मैं अमेण्डमेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं मैंने निवेदन किया इसमें कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपको आपके अधिकारों से वंचित रख रहे हों । इसलिए इस प्रकरण को मेरे खयाल से यहीं समाप्त कर दिया जाय, काफी लम्बे समय से बहस चल रही थी ।

श्री हरिसिंह: एक सैकण्ड बोल दूं ।

मैं यह कहना चाहता था सजा हाउस की सीटिंग तक दी जाय या नहीं दी जाय, अगर इस हाउस द्वारा यह तय करा दिया जाय हल्ले गुल्ले में कि सजा माफ करी जाय तो यह परम्परा पड़ जायगी और आगे जाकर यह साबित करेंगे कि कोई कुछ कर सकता है तो माफ करने का मतलब होता है कि उनकी जो भावना पढ़ कर बताई है They are true. We will prove that they are true. If the House is ready

(श्री हरिसिंह)

to accept the charges which have been levelled against this House. This is the point I want to put. If they want to accept the charges which Maniya Datta Sahib has put before this House and the House says that the charges against the House are true.

श्री अध्यक्ष: इस देश के अन्य सदनों ने हमेशा विशाल हृदयता का परिचय दिया जब कि दोषी व्यक्ति ने क्षमा याचना की है। विशेषाधिकार आखिर विशेषाधिकार है, उनका उपयोग बहुत ही कम अवसरों पर किया जाता है। यह इन एडीशन या इन डेरोगेशन ऑफ ऑर्डिनेरी लॉ है। इसलिए हमेशा यह परम्परा रही है कि जब कभी खेद व्यक्त कर दिया और माफी मांग ली तब इस देश के सदनों ने विशाल हृदयता का परिचय दिया है। ऐसा कोई ही अवसर होगा जब क्षमा याचना के बाद कभी किसी को कोई सजा दी हो।

श्री हरिसिंह: उसमें यह जोड़ना पड़ेगा कि उन्होंने इस हाउस के खिलाफ में जो चार्ज लगाये हैं वे सत्य नहीं हैं। हम क्षमा देते हैं मैं भी इस फेवर में हूं कि क्षमा उनको दी जाय लेकिन charges levelled against this House should be....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Law of privileges is in addition and in derogation of ordinary law.

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

विधायी कार्य, पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22-8-80 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.00 बजे शुक्रवार; दिनांक 22 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(160)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लियोजा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राष्ट्रीयकृत निजी विद्युत् कम्पनीज के कार्मिकों को सेवा लाभ

622. श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में एक अध्यादेश के द्वारा सन् 1975 में निजी विद्युत कम्पनीज को राष्ट्रीयकृत किया गया था ?

(2) क्या उन कामगारों को पिछली सेवा का कोई लाभ मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के अध्यादेश " राजस्थान प्राइवेट इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग (अक्वीजिशन) आर्डिनेंस, 1975" दिनांक 21-4-1975 के तहत राज्य की तीन निजी विद्युत् कम्पनियों का अधिग्रहण दिनांक 23-4-75 से किया गया था ।

(2) उक्त अध्यादेश की धारा 11 के अनुसार इन कम्पनियों में कार्यरत कामगारों को कम्पनी के स्थानान्तरण की तिथि से मण्डल द्वारा नियुक्ति स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मण्डल की सेवा में ले लिया गया । इन कामगारों को पुराने वेतन का लाभ देते हुये स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सिफारिश किये गये नये पद की मण्डल की वेतन श्रृंखला में नोसनल आधार पर फिक्सेशन कर दिया गया । उन कामगारों को जो 1-5-1977 या इसके बाद रिटायर हुये हैं, उन्हें पिछली सेवाओं के आधार पर ग्रेच्युएटी का लाभ दिया गया है तथा जो कामगार 1-5-77 से पूर्व रिटायर हो गये हैं, उन्हें सम्बन्धित कम्पनी के नियमानुसार ग्रेच्युएटी का लाभ दिया गया है ।

गंगानगर जिला में यातायात में सुधार हेतु निजी बसेज कान्ट्रेक्ट करना

623. श्री **राधेश्याम** (गंगा नगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिला में राज्य पथ परिवहन निगम की काफी बसें टायरों की समय पर पूर्ति नहीं होने के कारण नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या सरकार गंगानगर जिला में निगम की बसों के चक्करों में वृद्धि एवं सुधार करने हेतु निजी वाहन मालिकों से बसेज कान्ट्रेक्ट पर लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी बसें ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । गंगानगर जिले में निगम की बसों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षकों व उप अधीक्षकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना

624. श्री **सुनील विश्नोई** (सूरत-

(श्री सुनील विश्नोई) गढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुलिस अधीक्षकों व उप-अधीक्षकों को निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध करा रखी है या उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराया नियमानुसार काटा जाता है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि हरियाणा व पंजाब में इन अधिकारियों को निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हां तो यह सुविधा राजस्थान में क्यों नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये हुए नहीं है । वेतन के अनुपात में 5 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत किराया काटा जाता है ।

(2) पंजाब एवं हरियाणा में केवल जिला पुलिस अधीक्षकों एवं वृत्ताधिकारी उप-अधीक्षकों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध है । राजस्थान में ऐसी सुविधा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जिला भीलवाड़ा में शिक्षकों का स्थानान्तरण

625. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पिछले दो माह में कितने स्थानान्तरण किये गये ? इनमें कितने सामान्य आदेश से किये गये और कितने स्वयं के आदेशों से ? ये स्थानान्तरण किस नीति के तहत किये गये ?

(2) उप-जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) के आदेश से पिछले दो माह में कितने स्थानान्तरण जिला भीलवाड़ा में किये गये ? इनमें से कितने सामान्य आदेश से तथा कितने स्वयं के आदेश से ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पिछले दो माह में कुल 65 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1. स्वयं के अधिकारों से 59
2. राज्यादेश से 6

इसके अतिरिक्त 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया ।

(2) उप-जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) ने पिछले दो माह में कुल 26 स्थानान्तरण किये । जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1. राज्यादेश से 1
2. स्वयं के आदेश से 25

पुलिस थाना बस्सी में दर्ज मुकदमा सं. 101/80

626. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा-महल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक

(श्री भंवरलाल शर्मा)
1 जून, 1980 को पुलिस थाना बस्सी जिला जयपुर में मुकदमा नं. 101/80 पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो किन-किन धाराओं के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह सही है कि मेडीकल ज्यूरिस्ट की राय में अभियोगी को चोटें गंभीर तथा धारदार हथियार से पंहुचाई गई है ?

(3) क्या प्रथम सूचना में अधिकांश अभियुक्त गणों के नाम लिखा दिए गए हैं? वर्तमान में मुकदमें में क्या कार्यवाही हो रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । धारा 147/148/149/323/324 ता. हि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । अनुसंधान जारी है ।

थाना गडरा रोड क्षेत्र के अपराधी श्री मोहकमसिंह को पकड़ना

627. श्री अमीन खां (शिव): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला के थाना गडरारोड में श्री परसाराम मेघवाल को श्री मोहकम सिंह भाटी द्वारा लूटा गया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री मोहकमसिंह को आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री मोहकमसिंह के खिलाफ गिराब थाना में भी कोई वारदातें दर्ज हैं ? यदि हां, तो उनमें वह कभी पकड़ा गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) इस बारे में पुलिस में कोई सूचना दर्ज नहीं कराई गई । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(2) जी नहीं । उसे दो बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है ।

(3) जी हां । उसके विरुद्ध इस थाने में दर्ज तीन मुकदमों में से दो मुकदमों में गिरफ्तार किया जा चुका है । एक मामला झूंठा पाया गया था ।

निगम की बसेज में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था

628. श्री धोपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की कुल संख्या में से खराब पड़ी बसों की संख्या कितनी हैं ? कितनी बसों के साथ प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है ? खराब गाड़ियों को कब तक ठीक कराया जायेगा ?

(2) परिवहन निगम को गत तीन वर्षों में कितना लाभ या हानि हुई है और वर्तमान सरकार उसे सुधारने की दिशा में क्या प्रयास करने जा रही है ?

उत्तर

(1) निगम के पास 2254 वाहनें थीं जिनमें से 512 वाहनें मार्ग पर संचालन योग्य

(यातायात मंत्री)

नहीं हैं। समस्त नयी वाहनों के साथ प्राथमिक चिकित्सा मंजूसा उपलब्ध कराया जाता है तथा पूर्व की वाहनों के लिए नये प्राथमिक चिकित्सा मंजूसाओं का क्रय कर आगार को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

मार्ग वंचित वाहनों को संचालन योग्य बनाने के लिए टायर ट्यूबों का क्रय विशेष प्रयासों के अन्तर्गत किया जा रहा है जिनकी उपलब्धि से शनैः शनैः टायर ट्यूबों के अभाव में मार्ग वंचित वाहनों की संख्या में कमी आ रही है। रख रखाव व कल पुर्जों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है व प्रयास यह है कि अधिक से अधिक वाहनें शीघ्राति शीघ्र ठीक की जाकर संचालन में लायी जाय।

(2) निगम को गत 3 वर्षों में निम्न लिखित हानि हुई है :-

1977–1978 164.18 लाख रुपये
1978–1979 163.33 लाख रुपये
1979–1980 429.74 लाख रुपये

घाटे की पूर्ति हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं:-

1. नई नियुक्तियों और पदोन्नतियों पर अंकुश।

2. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने हेतु निगम मण्डल द्वारा मितव्ययता समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट आना अपेक्षित है।

3. परफोरमेन्स बजटिंग प्रणाली लागू की गई।

4. राजस्व चोरी की रोकथाम हेतु वाहनों की निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है तथा अनाधिकृत वाहनों की रोकथाम के लिये न्यायिक दण्डनायक एवं पुलिस मशीनरी को सक्रिय किया गया है।

मंगल सीमेन्ट फैक्ट्री मोडक के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा

629. श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मंगल सीमेंट फैक्ट्री, मोडक (कोटा) के लिए अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा उक्त फैक्ट्री से सरकार ने ले लिया है लेकिन सन् 1975 में भूमिहीन किसानों की आवंटित भूमि का सरकार द्वारा न तो मुआवजा ही दिया गया है और न ही अन्यत्र वैकल्पिक भूमि ? सरकार किसानों को अब कब तक मुआवजा दे देगी और अब तक मुआवजा नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत मुआवजा पाने के हकदार कृषकों के मुआवजे की राशि मैसर्स मंगलम सीमेंट लि. से प्राप्त की गई है। सन् 1975 के आवंटी, गैर खातेदार होने से उनके मुआवजे की राशि राज्य सरकार द्वारा कम्पनी से प्राप्त नहीं की गई है। आवंटियों को भूमि में खातेदारी अधिकार न होने के कारण वे नियमानुसार मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। इसलिये मुआवजा नहीं दिया गया है।

भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 में भूमि के बदले भूमि दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए खातेदारों को भूमि का नियमानुसार मुआवजा ही चुकाया जाता है। अतः एवजी भूमि उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(उद्योग मंत्री)

कुल 133 कृषकों की भूमि अवाप्त की गई थी, उनमें से अब तक 83 कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका है। 28 कृषकों को खातेदारी अधिकार प्राप्त न होने से मुआवजे का हक नहीं बनता है। एक कृषक की मृत्यु हो जाने से तथा अन्य 21 द्वारा सूचना के बावजूद भी मुआवजा लेने से इन्कार करने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया।

जी नहीं। मामला राज्य सरकार के राजस्व विभाग में विचाराधीन है।

रामगंज कालोनी, अजमेर में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना

630. श्री **भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि "रामगंज कालोनी" अजमेर जो पिछड़े वर्ग के लोगों की बस्ती है, उसमें नगर परिषद् या नगर विकास न्यास द्वारा कोई भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं? यदि हां, तो आवश्यक सुविधाएं कब प्रदान की जायेंगी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

सिंचाई विभाग कर्मचारी फेडरेशन के मांग पत्र पर कार्यवाही

631. श्री **भैरूंलाल** (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने राजस्थान राज्य सिंचाई विभाग कर्मचारी फेडरेशन के 12 सूत्री मांग-पत्र पर दिनांक 16-6-78 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और समिति ने सितम्बर, 78 में अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया था? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों तथा इस पर अब सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(2) क्या पिछली सरकार ने 14 सितम्बर, 1979 को सिंचाई श्रमिकों के मान्यता प्राप्त फेडरेशन के साथ उनके 12 सूत्री मांग-पत्र पर निर्णय लिया था? यदि हां, तो क्या इस निर्णय को लागू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार उन निर्णयों को कब से लागू करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। फेडरेशन की 12 मांगों में से 4 मांगों पर निर्णय लिया जाकर आदेश जारी कर दिये गये हैं। 3 मांगें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। शेष मांगें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमों में संशोधन न होने एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय भार वहन न किये जाने की स्थिति में अस्वीकृत कर दी गयी हैं।

(2) जी हां, बैठक दिनांक 18-9-79 को हुई थी। वस्तु स्थिति प्रश्न के भाग (1) में स्पष्ट कर दी गयी है।

जयपुर में हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

632. श्रीमती **उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् जयपुर में सफाई

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर्मचारियों की विगत हड़ताल किस मुद्दे को लेकर हुई और कुल कितने दिन चली ?

(2) उक्त हड़ताल के दौरान बाहर से आये सफाई कर्मचारियों पर कुल कितना खर्च हुआ ?

(3) क्या उक्त हड़ताल के दौरान इकट्ठा हुआ मलबा हटा दिया गया है ?

(4) उक्त हड़ताल को समाप्त करने के लिये क्या समझौता किया गया ? कृपया समझौते की शर्तें सदन के पटल पर रखें।

(5) उक्त समझौते के कारण परिषद् पर कितना अतिरिक्त व्यय भार पड़ा ? क्या सरकार द्वारा परिषद् को उक्त अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 32 दिन चली। जिन मुद्दों को लेकर हड़ताल हुई वह मांग पत्र में वर्णित है व सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बाहर से बुलाए गए सफाई श्रमिकों पर कुल 2,28,500/- रु. व्यय हुआ था जिसमें 1,67,500/- श्रमिकों की मजदूरी व 61,000/- रु. उनके आवागमन पर का व्यय था।

(3) अधिकांश मलबा उठाया जा चुका है।

(4) समझौते की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) समझौते के फलस्वरूप 16,44,706/- रु. का अतिरिक्त भार पड़ा। इसे परिषद् स्वयं वहन करेगी।

जयपुर नगर परिषद् सफाई मजदूर कांग्रेस

दिनांक 5-4-80

सेवा में,
श्रीमान् प्रशासक महोदय,
नगर परिषद्, जयपुर।

विषयः—नगर परिषद् में सफाई कार्य करने वाले कर्मचारियों का मांग-पत्र, यदि 14 दिवस में मांग पूरी कर लागू नहीं की गई तो सफाई मजदूर कांग्रेस हड़ताल करेंगे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हम जयपुर नगर परिषद् सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से परिषद् में कार्य करने वाले सफाई मजदूरों का निम्नलिखित मांग-पत्र आपकी सेवामें प्रस्तुत कर आशा करते हैं कि आप यथा शीघ्र सफाई मजदूरों की मांग पूरी करवाने की महति कृपा करेंगे अन्यथा हम 14 दिवस पश्चात् संघर्ष करेंगे जिसमें हड़ताल भी शामिल है।

1. राणावत वेतन श्रृंखला भुगतान राज्य के समस्त कर्मचारियों को हो चुका है; किन्तु सफाई मजदूर कांग्रेस के बार-बार अनुरोध करने पर भी अभी तक सफाई मजदूरों को फिक्सेशन

(स्वायत शासन मंत्री)

कर इसका भुगतान परिषद् द्वारा नहीं किया गया है। अतः दिनांक 1-9-68 से राणावत वेतन श्रृंखला का भुगतान तुरन्त करवाया जावे।

2. कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले सफाई मजदूरों को न्यूनतम मूल्य के आधार पर भूखण्डों का शीघ्र आवंटन करवाया जावे तथा विकास की योजना के अन्तर्गत सड़कें, पार्क, स्कूल, सीवर लाइन तथा नल व बिजली की समुचित व्यवस्था करवाई जावे।

3. इसी प्रकार इन भूखण्डों का आवंटन कर परिषद् ने सफाई मजदूरों से कीमत वसूल करली हैं। उनके कब्जे शीघ्र दिलवाये जाव और निर्माण आज्ञा भी परिषद् द्वारा प्रसारित करवाई जावे तथा अर्थ अभाव के कारण सफाई मजदूरों को जो भवन निर्माण में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं उनके देखते हुये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की व्यवस्था करवाई जावे और परिषद् के बजट में भी अन्य विभागों की भांति 60 माह का वेतन भवन निर्माण के लिये दिये जाने हेतु बजट में स्वीकृत कराया जावे।

4. परिषद् में सेवारत सफाई मजदूरों को ग्रेच्युएटी भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत दी जावे साथ ही पेन्शन व्यवस्था भी लागू फरमाई जावे।

5. जयपुर नगर की सीमा वृद्धि एवं वढ़ती हुई आबादी को देखते हुये सफाई मजदूरों की सफाई कार्य के लिये और वृद्धि की जावें।

6. सफाई कार्य के लिये आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जावे और कचरा ढोने के वाहनों की वर्तमान में जो कमी हैं उनकी पूर्ति के लिये आधुनिक वाहन खरीदे जावें।

7. शेष रोजनदारी पर कार्य करने वाले सफाई मजदूरों को महिलाओं सहित तुरन्त स्थाई करवाया जावे। मिडिल पास सफाई मजदूरों को जमादार और चपरासियों के पदों पर तथा मैट्रिक तथा इससे ऊपर पढ़े लिखे तथा टेक्निकल हैण्ड सफाई मजदूरों को योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जावें।

8. सफाई मजदूरों की जो भी वकाया राशि नगर परिषद् में हैं उसके ऐरियर का भुगतान तथा वर्तमान में अनाज क्रय करने के लिये 500/- रु. की अग्रिम धनराशि दिलवाई जावें।

9. गर्म वर्दी के साथ गर्म पैन्टों की व्यवस्था करवाई जावे।

आशा है मांग-पत्र स्वीकार कर हमें संघर्ष व हड़ताल जैसे कदम के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

(छगन लाल डन्डोरिया) (बन्शीलाल फ्रांसिस)
महामंत्री अध्यक्ष

जयपुर नगर परिषद् सफाई मजदूर कांग्रेस

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर परिषद्, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय राज. सरकार, जयपुर।

ह. ह.
महामंत्री अध्यक्ष

(स्वायत्त शासन मंत्री)

समझौता प्रपत्र

प्रबन्ध प्रतिनिधि :— 1. श्री मदन लाल गुप्ता, प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर।
2. श्री हरि शंकर शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद, जयपुर।

श्रमिक प्रतिनिधि :— जयपुर नगर परिषद सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारी:—

1. श्री बंशीलाल फ्रांसिस, अध्यक्ष।
2. श्री कन्हैया लाल सारवान, उपाध्यक्ष।
3. श्री छगन लाल डन्डोरिया, महामंत्री।

विवाद का संक्षिप्त विवरण—

चूंकि नगर परिषद सफाई मजदूर कांग्रेस ने दिनांक 3-6-80 को मांग-पत्र प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर को प्रस्तुत किया।

चूंकि इस मांग-पत्र को समझौता वार्ता में लेकर विभिन्न तिथियों पर समझौता वार्ता के द्वारा विवाद को हल करने का प्रयास किया गया।

चूंकि समझौता वार्ता में इस विवाद का हल नहीं निकलने पर राज्य सरकार को असफल समझौता वार्ता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया।

चूंकि इसके उपरान्त भी समय-समय पर समझौता वार्ता के प्रयास अलग-अलग स्तर पर किये जाते रहे हैं।

चूंकि समय समय पर हुई वार्ता के परिणाम स्वरूप तथा आज दिनांक 10-7-80 को समझौता अधिकारी, राजस्थान के समक्ष हुई समझौता वार्ता के परिणाम स्वरूप समझौता सम्पन्न हुवा जिसकी शर्तें निम्न है :—

मांग	समझौते की शर्तें
1. ता. 1-6-61, 1-9-68 व 1-9-76 की वेतन शृंखला के पेटे भुगतान हो (बकाया धन राशि)	1. इस मांग के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि जिन सफाई कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है उनको छोड़कर कानूनन जिनको दिया जाना वाजिब है, उन सफाई कर्मचारियों को 250 रु. प्रत्येक व्यक्ति को तथा जिन व्यक्तियों को 250 रु. पहले पिछले माह (मई, 80) में दिया जा चुका है उन्हें 125 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से फिक्सेशन के पेटे तुरन्त दिया जाना तय किया गया। यह भी तय किया गया कि फिक्सेशन व ग्रेड इन्क्रीमेंट का कार्य चार माह में सम्पूर्ण हो जावेगा। जब तक फिक्सेशन नहीं होगा इस राशि को नहीं काटा जावेगा। यह

(168)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

250 रु. की रकम तारीख 1-9-76 से पहले स्थायी कर्मचारियों को ही दी जावेगी ।

2. जो कर्मचारी स्थायी हैं उनको अनाज अग्रिम राशि मिले ।

2. यह मांग मंजूर की गई कि जो कर्मचारी नियमित वेतन श्रृंखला में होंगे उनको नियमानुसार अनाज अग्रिम की राशि मिलेगी ।

3. न्यू गेंग में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करना (मलेरिया गेंग सहित)

3. मलेरिया गेंग के 26 कर्मचारियों को तथा वे कर्मचारी जिनको 240 दिन पूरे हो गये हैं उनको लैबरलाज के अनुसार दिनांक 21-7-80 से स्थायी माना जावेगा ।

4. डेली वेजेज कर्मचारी जिनको काम से बिठाया गया है, हमेशा के लिये काम पर रखा जावे ।

4. इसके सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि राजस्थान के स्वायत्त शासन मन्त्री श्री हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर का निर्णय इस सम्बन्ध में सर्वमान्य होगा । मन्त्री महोदय यह निर्णय 15 दिन में दे देंगे एवं तब तक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत वे सभी सफाई कर्मचारी जो दिनांक 1 जून से हटा दिये गये थे वे तुरन्त काम पर ले लिये जावेंगे और नगर परिषद् में सफाई कार्य करते रहेंगे ।

5. तीन वर्षों की बकाया वर्दी सभी को दिलाई जावे ।

5. मांग इस तरह स्वीकार की गई कि प्रत्येक महिला सफाई कर्मचारी को दो साल की वर्दी में चार साड़ी, चार पेंटीकोट व चार ब्लाउज दिये जावेंगे । पुरुषों को जो नियमानुसार ड्रेस मिलती है वह भी दो साल की मिली है, वह जिनकी बकाया होगी दे दी जावेगी । सभी सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अपनी-अपनी वर्दी पहने काम करेंगे ।

6. ग्रेच्युएटी, पेंशन लागू की जाय ।

6. राज्य कर्मचारियों की तरह परिषद् कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने सम्बन्धी प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है । अतः राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार 3 महीने के अन्दर कार्यवाही करने के लिए परिषद् सहमत है ।

7. सफाई कार्य के लिये सामान, जैसे फावड़ा, तसला, पंजा, हाथ गाड़ी दी जावे ।

7. जिन कर्मचारियों के पास सफाई उपकरण उपलब्ध नहीं हैं उनको एक माह में दे दिये जावेंगे ।

(स्वायत शासन मंत्री)—

8. सीवर गैंग के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स व आधुनिक उपकरण दिये जावें।	8. जो कर्मचारी गटर लाइन का काम करेंगे उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जावेगा एक्सीडेंटल बीमा परिषद् द्वारा अपने खर्चे से करवाया जावेगा व आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध करवा दिये जावेंगे।
9. 17 वर्ष से बकाया वेतन-वृद्धि (ग्रेड इन्क्रीमेंट) का भुगतान।	9. इसके बारे में तय किया गया कि एक अलग सेल बनाकर 4 माह के अन्दर-अन्दर फिक्सेशन का काम पूरा करवा दिया जावेगा।
10. जयपुर की 17 लाख की आबादी मानते हुए नगर निगम (कारपोरेशन) घोषित किया जावे।	10. यह प्रश्न विचाराधीन है।
11. भिश्ती कर्मचारियों की वृद्धि की जावे।	11. आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावेगी।
12. वैक्सिनेशन कर्मचारियों को साफा सहित व चपरासी घोषित किया जावे।	12. वैक्सिनेशन कर्मचारियों को साफे एक माह की अवधि में दे दिये जावेंगे।
13. हड़ताल अवधि की हाजरी मानी जाय।	13. इस मांग के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि हड़ताली कर्मचारी इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर भीतर शहर को इस हड़ताल के दौरान मलवा एवं गन्दगी से साफ कर देंगे। इस सम्बन्ध में यूनियन ने इस बात की भी जिम्मेदारी ले ली है कि यूनियन के पदाधिकारीगण इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण शहर की सफाई हर स्थिति में एक सप्ताह के भीतर-भीतर करा देंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि इस अवधि का वेतन समस्त सफाई कर्मचारियों को जो कि हड़ताल में सम्मिलित थे स्थायी या अस्थायी व पटेल, जमादार (मस्टर रोल) के इंस्पेक्टर, ड्राइवर, वैक्सिनेशन के मलेरिया के व गृह कर शाखा के आदि को वेतन दिया जावेगा और हड़ताल का यह समय विशेष सवैतनिक अवकाश माना जावेगा। यह भी तय किया गया कि इस हड़ताल के दौरान कुछ भी बदले की भावना से प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। गिरफ्तार सफाई कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से छोड़ने व उनके विरुद्ध

(स्वायत्त शासन मंत्री)

लगाए गये केसेज भी सरकार की तरफ से वापस ले लेने में परिषद् को कोई आपत्ति नहीं होगी। हड़ताल के दौरान यदि किसी की सेवा निरस्त की गई है तो उन्हें पुनः सेवा में लिया जावेगा।

यह समझौता नगर परिषद् प्रशासन एवं सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठकर अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुवा है तथा दोनों पक्ष यह भरोसा दिलाते हैं कि इस सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पैदा हुवा तो वे आपसी बातचीत के द्वारा हल करेंगे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखेंगे। श्री बंशीलाल फ्रांसिस, अध्यक्ष एवं श्री छगनलाल इन्डोरिया, महा मंत्री, जयपुर नगर परिषद् सफाई मजदूर कांग्रेस, जयपुर ने उपरोक्त समझौता होने के फलस्वरूप दिनांक 11-7-80 से हड़ताल समाप्ति की घोषणा की।

समझौता आज दिनांक 10-7-80 को जयपुर में सम्पन्न हुवा।

प्रबन्ध प्रतिनिधि:—

ह. मदन लाल गुप्ता
प्रशासक

ह. हरिशंकर शर्मा
आयुक्त,

गवाह :— 1. ह. रामजीलाल सराड़िया
2. ह. जमना प्रसाद जैदिया

श्रमिक प्रतिनिधि:—

1. अध्यक्ष ह. वंशी लाल फ्रांसिस
2. उपाध्यक्ष ह. कन्हैया लाल सारवान
3. महामंत्री ह. छगन लाल डंडोरिया

ह. उत्तमचन्द जैन,
संयुक्त श्रम आयुक्त एवं समझौता
अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

जयपुर नगर परिषद् सफाई मजदूर कांग्रेस

सेवा में, दिनांक 3-6-80

श्रीमान् प्रशासक महोदय,

नगर परिषद्, जयपुर।

विषय:—आपने समझौता भंग किया, हम हड़ताल करेंगे।

संदर्भ : समझौता दिनांक 18-5-80

महोदय,

आश्चर्य के साथ हम मजबूर होकर यह पूर्व सूचना आपको दे रहे हैं कि आपने दिनांक 18-5-80 का समझौता पूरा नहीं किया, अब हम विवश होकर दिनांक 11-6-80 से हड़ताल पर चले जायेंगे। जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं।

अस्थाई कर्मचारियों को तुरन्त महिलाओं सहित पुनः कार्य पर लिया जावे। कार्य करने के आधुनिक उपकरण तुरन्त उपलब्ध करवाये जावें।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्दियां जो 78-79 की बाकी हैं तथा 79-80 की एवं 80-81 को तुरन्त वितरण की जावें और इसमें यह ध्यान रखा जावे कपड़े का सैम्पल (नमूना) पहले यूनियन प्रतिनिधियों से स्वीकृत करवाया जावे ।

उपरोक्त समझौते के अनुसार जो अस्थाई कर्मचारी स्थाईकरण से वंचित रह गये हैं तुरन्त स्थाई कर एरियर का भुगतान किया जावे तथा पूर्व में जो कर्मचारियों को स्थाईकरण मिला है उनके स्थाईकरण की दिनांक से मकान किराया एवं अन्य सभी देय भत्ते दिये जावें । इसके अतिरिक्त, जो सफाई मजदूर स्थाई वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उनको अनाज क्रय करने हेतु अग्रिम नहीं मिला है, तुरन्त दिया जावे ।

बहुत रोष के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि काम कर ईमानदारी से कहीं कचरा आदि एकत्रित करें तो नागरिक पीटते हैं और सम्बन्धित निरीक्षक या अधिकारी का कहना ना मानें तो निरीक्षक व अधिकारी पीटते हैं पीटते समय उनको यह भी ध्यान नहीं रहता कि ये मजदूर हैं या मजदूर प्रतिनिधि । कृपया स्पष्ट रूप से समझ लें कि यदि कोई नागरिक मजदूर को पीटेगा तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी और यदि किसी अधिकारी ने मजदूर पर हाथ उठाया या मजदूर प्रतिनिधि पर हाथ उठाया या अभद्र व्यवहार किया तो मजदूर व मजदूर प्रतिनिधि मिलकर हड़ताल करेंगे ही किन्तु उस अधिकारी की भी निष्पक्ष रूप से जांच करवाने के लिये मांग करेंगे ।

भिश्ती कर्मचारियों की संख्या नगण्य है कृपया बढ़ाई जावे ।

पूर्व समझौते के अनुसार वैक्सिनेशन कर्मचारियों को साफे सहित वृद्धि का भुगतान किया जावे । इसके साथ ही सीवर गैंग कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स एवं सफाई के आधुनिक उपकरण गैस मास्क सहित सारे ही आधुनिक उपकरण दिये जावें ।

संस्था के किसी भी अध्यक्ष या मंत्री की चाहे वो भूतपूर्व हो या वर्तमान या स्वर्गवास पर समस्त सफाई मजदूरों का वेतन सहित पूरे दिवस का अवकाश घोषित किया जावे । इसके साथ ही हरिजनों के मसीहा डाक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस दिनांक 14 अप्रेल का सवैतनिक अवकाश घोषित किया जावे । हम हैं आपके ।

ह. अध्यक्ष ह. महामन्त्री

माधोपुर गांव में श्री बैजनाथ गूजर की हत्या

633. श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30-9-79 की रात्री में झालरापाटन के पास माधोपुर गांव में श्री बैजनाथ पुत्र श्री प्यारा जी गूजर की किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या करदी जिसकी रिपोर्ट समय पर पुलिस में की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि थाना अधिकारी ने श्री बैजनाथ के मरने के पहले बयान नहीं लिये और दो चार बार बुलाने पर भी नहीं आये ?

(3) क्या यह सही है कि इस बारे में श्री राम प्रसाद बोहरा, भूतपूर्व विधायक ने दो बार प्रधान मंत्री, राज्यपाल महोदय तथा

(श्री अनंग कुमार जैन)
इन्सपेक्टर जनरल पुलिस को भी शिकायतें की परन्तु असली मुजरिमों को न पकड़ कर दूसरे मुजरिमों को पकड़ा गया ?

(4) क्या सरकार इस मामले में सी. आई. डी. द्वारा जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना में दो अभियुक्त नामजद थे।

(2) जी नहीं। प्रथम सूचना प्राप्त होते ही थानाधिकारी अस्पताल पहुंचे परन्तु उससे पूर्व ही श्री बैजनाथ की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बयान नहीं लिये जा सके।

(2) भूतपूर्व विधायक ने शिकायत की थी। सही अभियुक्तों के विरुद्ध ही चालान प्रस्तुत किया गया है।

(4) अपराधी का चालान किया जा चुका है। मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अब सी. आई. डी. द्वारा पुनः तफतीश कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समितियों के प्रधान पदों का चुनाव

634. श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार पंचायत समितियों में प्रधान के पदों के शीघ्र चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो प्रस्तावित प्रक्रिया के बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र।

(2) जी हां। यथासम्भव शीघ्रतीशीघ्र।

टीकड़ ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करना

635. श्री **रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर पंचायत समिति के टीकड़ ग्राम में आदिवासी एवं सैनिक परिवारों की प्रमुखता के कारण सैकेन्ड्री के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति के प्रस्ताव पंचायत समिति, जिला परिषद तथा विद्यालय निरीक्षक ने भेजे थे ? यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव सरकार को कब प्राप्त हुये और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि विगत सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के टीकड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश को रोक दिया था ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो क्या सरकार के समक्ष क्रमोन्नति का प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या इसे इस वर्ष क्रियान्वित करने की मंशा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस टीकड़ विद्यालय में सैनिक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की अधिकता है ? यदि हां

173

(श्री रतनलाल ताम्बी)

तो इनकी कितनी 2 संख्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

(4) क्या यह भी सही है कि इस विद्यालय में आदिवासी एवं सैनिक छात्राओं की भी संख्या अधिक है ? यदि हां, तो कितनी 2 संख्या है, और सैकेन्डरी स्कूल के अभाव में छात्राओं को 5 मील देवली साइकिलों पर प्रतिदिन आना-जाना पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि वहां की जनता ने पिछली सरकार के समक्ष भी विद्यालय की क्रमोन्नति की मांग की थी, और जनता की मांग राजनैतिक कारणों से स्वीकार नहीं की गई ?

(6) क्या यह सही है कि इस वर्ष इस विद्यालय की क्रमोन्नति करने के आदेश सरकार द्वारा देने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विद्यालय को क्रमोन्नत करने के बारे में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं। विद्यालय क्रमोन्नत करने के सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) जी हां, अनुसूचित जाति के 48 तथा अनुसूचित जनजाति के 244 विद्यार्थी हैं। इनमें से 49 विद्यार्थी सैनिकों के हैं।

(4) आदिवासी छात्राओं की संख्या 13 है। जिनमें से 5 छात्राएं सैनिकों की है। इसके अलावा 3 अन्य छात्राएं भी सैनिकों की है, लगभग 30 छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिये देवली जाते हैं।

(5) जी हां। किन्तु मांग के अस्वीकृत करने के कारणों की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(6) क्रमोन्नत करने के सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ईस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

व्यापारिक संस्थानों से वसूल की जाने वाली पानी की दरें

636. श्री **जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)**: क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जलदाय विभाग द्वारा व्यापारिक संस्थानों से पानी की क्या दर चार्ज की जा रही हैं और उक्त दरें कब से लागू हैं ? कृपया, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने 17 मार्च, 1979 को कोई विज्ञप्ति प्रसारित कर व्यापारिक संस्थानों को परिभाषित किया है ? यदि हां, तो कृपया विज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह भी सही है कि व्यापारिक संस्थान की इस परिभाषा में शिक्षण संस्थाएं शामिल नहीं है ? यदि हां, तो फिर भी शिक्षण संस्थाओं से पानी की दर व्यापारिक संस्थान के अनुसार लिये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ, जयपुर के सचिव ने जलदाय विभाग की इस नीति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन शिक्षा विभाग तथा जन स्वास्थ्य विभाग को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(174)

(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)[1]

(5) क्या सरकार शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर जल प्रदाय करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जलदाय विभाग द्वारा व्यापारिक संस्थानों से पानी की दर 1.50 पैसे प्रति एक हजार लीटर चार्ज की जा रही है। इसमें निर्धारित तिथि तक जमा कराने पर 20 पैसे प्रति रुपया की छूट दी जाती है। यह दर दिनांक 1-4-79 से लागू है। आदेश की सत्य प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विज्ञप्ति की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या प. 3(1) चि.स्वा. /(70) ग्रुप-4, दिनांक 17-3-79 में पैरा (क) (2) के अन्तर्गत सम्मिलित व्यापारिक संस्थानों की परिभाषा में किसी भी प्रकार के व्यवसाय हेतु स्थित कार्यालय की परिभाषा में शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित माना गया है। अतः इन संस्थानों से व्यापारिक संस्थानों के अनुसार पानी की दर ली जा रही है।

(4) जी हां। ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है तथा इस पर निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–4)

क्रमांक:– प. 3 (1) चि. स्वा. / (70) ग्रुप- 4 जयपुर, दिनांक 17 मार्च 1979

विज्ञप्ति

राजस्थान के समस्त जल प्रदाय की विभिन्न वर्तमान दरों का अधिक्रमण करते हुये, राज्यपाल महोदय द्वारा जल वितरण करने हेतु निम्नलिखित दरें निर्धारत की जाती हैं जो अप्रेल, 1979 से समस्त राजस्थान में एक साथ प्रभावित होगी। मीटर किराया की दर पूर्ववत ही रहेंगी:–

नगरीय योजनायें

(क) मीटरवाली

1- घरेलू उपयोग 1.00 रु. प्रति हजार लीटर ।

2- व्यापारिक संस्थान द्वारा उपभोग 1.50 रु. प्रति हजार लीटर

व्यापारिक संस्थानों की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित है:–

(I) किसी भी प्रकार के व्यवसाय हेतु दुकान या कार्यालय ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(II) दूध विक्रेता जो गाय, भैंस, बकरी इत्यादि रखकर दूध बेचता हो।

(III) सिनेमा, थियटर, धर्मशालायएं, नर्सिंग होम, रेस्टोरेन्ट, हलवाई इत्यादि।

(IV) निमार्ण कार्य हेतु उपभोग।

3. औद्योगिक संस्थान द्वारा 2.00 रु. प्रति हजार लीटर उपभोग।

औद्योगिक संस्थानों की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(I) बड़ी एवं मिडियम औद्योगिक इकाइयां विकास आयुक्त (लघु उद्योग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित उद्योगों की सूची में सम्मिलित लघू उद्योग।

(II) होटल, बड़े मध्यम एवं लघु।

(III) मोटर गेरेज, वर्कशॉप।

(ख) फ्लेट रेट (बिना मीटर) —

(I) प्रति परिवार प्रति टेप	12.50 रुपये
(II) प्रत्येक अतिरिक्त टेप के लिए	5.00 रुपये
(III) प्रत्येक फ्लश सीट के लिये	2.00 रुपये

(क) व (ख) के बिल पर वर्णित नियम तारीख या इससे पहले बिल का भुगतान करने पर 0. 20 पैसे प्रति रुपया की रिबेट मिलेगी।

(ग) न्यूनतम प्रभार :–

नल की साइज	दर
1/2"	12.50 रु.
3/4"	16.00 रु.
1"	20.00 रु.
1/1/2"	30.00 रु.
2"	40.00 रु.
3"	50.00 रु.
4" और ऊपर	60.00 रु.

बिल पर वर्णित नियम तारीख या पहले बिल का भुगतान करने पर 0.20 पैसे प्रति रुपये की रिबेट मिलेगी।

ग्रामीण योजनायें

(क) प्रति परिवार प्रति टेप	10.00 रु.
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त टेप के लिये	4.00 रु.
(ग) प्रत्येक अतिरिक्त फ्लश सीट के लिये	2.00 रु.

(176)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

बिल पर वर्णित नियम तारीख या इससे पहले बिल का भुगतान करने पर 0.20 पैसे प्रति रुपये की रिवेट मिलेगी ।

यह वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या 207/ वि. अ./ 79, दिनांक 6-3-79 के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

आज्ञा से
ह.

(वी. आई. राजगोपाल)
आयुक्त एवं शासन सचिव ।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-
1. ....
2. मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

ह.
(ओ. पी. मित्तल)
सहायक शासन सचिव ।

सेवाओं में नियोजन हेतु अपेक्षित मूल निवास प्रमाण -पत्र

637. श्री **राम किशोर मीना** (सिकराय) : क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य सरकारी विभागों में नौकरियों हेतु आवेदन करने में मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, जिला दण्डनायक, उप जिला दण्डनायक द्वारा जारी किया गया ही अधिकांशतः वैध माना जाता है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इन प्रमाण-पत्रों को जिला दण्डनायकों । उप जिला दण्डनायकों से प्राप्त करना कठिन तो है ही साथ ही साथ उपरोक्त अधिकारियों के कार्यालय इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने में भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं? यदि हां, तो इस ओर सरकार क्या सुधार करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां । चूंकि इन अधिकारियों को सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है ।

(2) कठिनाई एवं भ्रष्टाचार के मामले सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं । अगर भ्रष्टाचार की वास्तविक शिकायत प्राप्त होगी तो भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जावेगी ।

कृषक सेवा सहकारी संस्थायें

638. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा),
क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रामसिंह बिश्नोई) करेंगे :—

(1) राज्य में कृषक सेवा सहकारी संस्थाओं की संख्या कितनी है व इनके गठन के संबंध में सरकार की क्या नीति रही है ? उक्त संस्थाएं जिस उद्देश्य से गठित की गई हैं उसमें इन्हें कहां तक सफलता मिली है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में पुनर्विचार कर रही है ?

(2) इन संस्थाओं में स्टाफ पेटर्न्स क्या है ? इन संस्थाओं में नियुक्त प्रबन्ध चालक जो व्यावसायिक बैंकों से संबंधित हैं, उनको सहकारी संस्थाओं संबंधी कार्यों व नियमों की अनभिज्ञता के कारण संस्था क्षेत्र के ग्रामीणों व सदस्यों को पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे प्रबन्ध संचालकों को हटा कर सहकारी विभाग के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) इन संस्थाओं की तुलनात्मक दृष्टि से गठन के बाद हुई प्रगति को सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) राज्य में 6 कृषक सेवा सहकारी संस्थाएं हैं । यह संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में प्रगति कर रही है ।

(2) इन संस्थाओं का स्टाफिंग पेटर्न्स भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जो संलग्न है । जी नहीं । प्रतिनियुक्ति पर आने वाले प्रबंध संचालक कृषि स्नातक होते हैं, जिन्हें कृषि एवं बैंकिंग के ज्ञान के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है अतः इनके स्थान पर सहकारी विभाग के कर्मचारियों को इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(3) इन संस्थाओं के गठन के बाद की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखे गये हैं ।

(178)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तारांकित प्रश्न सं.

STATEMENT SHOWING PROGRESS OF F.S.S.

			MFMBERSHIP					
S. No.	Name of F. S. S.	Year	Small Farmer	Marginal Farmer	Agricultural Lab.	Village Artisans	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hingli F.S.S.	77–78	–	–	–	–	–	1825
		78–79	709	658	–	42	628	2030
		79–80	742	688	–	48	673	2151
2.	Pipar City F.S.S.	77–78	–	781	–	–	2188	2859
		78–79	218	637	–	20	2141	3016
		79–80	272	767	–	38	2218	3295
3.	Kotri	77–78	892	997	–	90	827	2746
		78–79	1104	1123	–	94	947	3268
		79–80 As on 31-3-80	1148	1141	–	94	984	3367
4.	Barsar	77–78	137	203	41	159	508	1048
		78–79	202	303	21	235	508	1339
		79–80 (As on 31.3.80)	227	336	113	244	508	1428
5.	Thanala	77–78	242	–	73	–	797	1112
		78–79	291	–	28	–	843	1232
		79–80 (As on 31.3.80)	323	–	157	–	858	1338
6.	Balesar	77–78	176	311	51	–	211	749
		78–79	223	425	75	–	243	986
		79–80	245	529	94	–	289	1157

638 की सूची

FOR THE LAST THREE YEARS (RUPEES IN LACS)

			Loans advanced						Total loans advanced	
Govt.	Other	Total	Short term		Medium term		Long term		Number	Amount
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75	1.11	1.86	1540	4.94	46	0.28	33	1.57	1624	7.49
.75	1.38	3.13	1808	11.69	90	1.83	75	3.58	1968	17.56
.76	1.70	2.46	2458	5.88	96	2.15	33	1.50	2587	0.94
.25	2.40	3.25	207	1.85	–	–	–	–	207	1.85
.85	3.65	3.90	354	3.24	30	0.26	35	1.25	419	5.33
.85	3.98	4.73	389	3.83	128	3.44	80	4 73	597	12.00
.75	2.40	3.15	1987	11.12	309	4.38	198	9.67	2445	25.17
.75	2.65	3.40	3453	14.24	448	4.98	297	12.54	4193	31.74
.75	2.76	3.51	3679	15.76	311	5.38	272	13.36	4292	34.50
.52	1.00	1.52	272	1.67	270	6.50	–	–	542	8.17
.52	1.49	2.61	346	2.06	484	13.62	–	–	830	15.95
.52	2.62	2.54	416	2.40	555	14.70	9	1.67	980	18.17
.50	0.96	1.36	405	3.31	250	5.70	–	–	653	9.68
.50	1.25	1.75	390	4.27	338	8.22	–	–	728	12.40
.50	1.42	1.92	511	5.51	450	10.42	–	–	961	15.93
–	0.40	0.40	406	3.46	57	2.08	–	–	463	6.54
–	1.65	1.65	238	11.68	102	0.45	–	–	340	18.13
–	1.67	1.67	320	20.72	139	9.16	1	0.3	460	30.24

(180)

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

स्टाफिंग पैटर्न

भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

1. प्रबन्ध संचालक	1	
2. लेखाकार	1	
3. क्लर्क	5	
4. वाचमेन चपरासी	5	
5. सुपरवाइजर फील्ड	1	
तकनीकी एवं सुपरवाइजरी फील्ड स्टाफ		
सुपरवाइजर	10	
कृषि प्रसार अधिकारी	1	
ग्राम सेवक	2	(राज्य के कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं।)
ब्रान्च आफिस स्टाफ		
लेखाकार कम गोदाम कीपर	1	
वाच मेन	1	

———

तहसील बनेड़ा में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना लागू करना

639. श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार कितने प्रतिशत ग्राम विद्युतिकृत हैं ?

(2) सबसे कम प्रतिशत कौन सी तहसील का है ?

(3) क्या सरकार बनेड़ा तहसील में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में तहसीलवार ग्रामों के विद्युतिकरण का प्रतिशत निम्न प्रकार से है:–

क्र सं.	तहसील	आबाद ग्रामों की तुलना में विद्युतिकरण का प्रतिशत
1.	आसीन्द	53.80%
2.	हुरडा	100%
3.	शांहपुरा	68.46%
4.	जहाजपुर	48.80%
5.	माण्डल	39.50%
6.	बनेड़ा	25.92%
7.	भीलवाड़ा	91.05%
8.	रायपुर	56.81%
9.	सहाड़ा	51.08%
10.	कोटड़ी	33.07%
11.	माण्डलगढ़	53.28%

(2) बनेड़ा तहसील में ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रतिशत जिले में सबसे कम है।

(3) जी नहीं। भू-जल सर्वेक्षण के आधार पर इस तहसील में कृषि कार्य हेतु उपयुक्त जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाना सम्भव नहीं है।

नगर परिषद् ब्यावर के जल विभाग के पास स्टाक का अभाव

640. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् ब्यावर के जल विभाग के पास 1½" पाईप 2" पाइप 3" पाइप 6" पाइप का बिलकुल स्टाक नहीं है ?

(2) यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कब तक करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करली जाती है। अतः किसी अधिकारी को जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

ग्राम देवरी मूंड (कोटा) के श्री हजारीलाल मीणा की नृशंस हत्या

641. श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा की

(182)

(श्री हरसहाय मीणा)
तहसील छीपाबड़ौद में देवरी मूड गांव के निवासी श्री हजारीलाल मीणा की दिनांक 19-6-80 को पुलिस द्वारा अमानुषिक ढंग से मार मार कर हत्या कर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 13-6-80 को थाना छीपाबड़ोद से आर. ए.सी. की टुकड़ी गश्त लगाने हरनावदा शाहजी की तरफ गई थी और कोरड़ा चौकी के सिपाही श्री शेरसिंह और श्री रजाकजी 19-6-80 को गश्त के साथ थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आर. ए. सी. की टुकड़ी एवं सर्व श्री शेरसिंह व रजाक सिपाही ने दिनांक 19-6-80 को श्री हजारी लाल आदिवासी की राइफलों से मार कर हत्या कर दी थी और मृतक के मुंह में शराब डाल कर हत्या के कारणों को छिपाने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप वहां अभी तक आतंक का वातावरण छाया हुआ है ?

(4) क्या इस हत्या की घटना से सम्बन्धित पुलिस चौकी कोरड़ा के सिपाही सर्व श्री शेरसिंह और रजाक तथा आर. ए. सी. की टुकड़ी के इन्जार्ज सहित सिपाहियों को अविलम्ब निलम्बित कर, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ? इस घटना के सारे ब्यौरे को सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इस संबंध में अभियोग नं. 31 दिनांक 20-6-80, धारा 304, 323, 34 ताह हि., थाना हरनावदा पर पंजीबद्ध होकर अनुसंधान जारी है। एस. डी. एम. छबड़ा भी इस मामले में जांच कर रहे हैं।

(2) गश्ती टुकड़ी आर. ए. सी. की न होकर आर्मड पुलिस की थी। पुलिस लाइन का कानि. रजाक ही गश्त में साथ था। कानि. शेरसिंह गश्त में साथ नहीं था।

(3) इस बारे में अभियोग का अनुसंधान एवं एस. डी. एम., छबड़ा द्वारा जांच जारी है।

(4) आर्मड पुलिस की गश्त पार्टी के इन्चार्ज, उप-निरीक्षक एवं कानि. शेरसिंह को निलम्बित कर दिया गया है। अभियोग का अनुसंधान व एस. डी. एम., छबड़ा की जांच जारी है। आरोप प्रमाणित होने पर ही गिरफ्तारी संभव होगी।

आबू पर्वत नगरपालिका में गैर-सरकारी सदस्य का प्रतिनिधित्व

642. श्री भूराराम (पिण्डवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका आबू पर्वत में केवल सरकारी अधिकारी ही सदस्य हैं और कोई भी गैर-सरकारी प्रतिनिधि नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है और गैर-सरकारी जन प्रतिनिधियों को बोर्ड में सरकार कब तक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका, आबू पर्वत के मनोनीत मण्डल में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य गैर सरकारी सदस्य भी मनोनीत हैं।

(2) उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये बोर्ड के सदस्यों को मनोनीत करने के प्रश्न पर विचार करना सम्भव हुआ तो किया जावेगा।

183

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 489 की सूची)

क्रम संख्या	नाम थाना	सन् 1976		1977		1978		1979		1980 जुलाई तक	
		सं.दु.	हैवी	सं.दु.	हैवी	सं. दु.	हैवी	सं.दु.	हैवी	सं.दु.	हैवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बीकानेर	4	2	6	3	2	1	2	1	1	—
2.	कोटगेट	19	6	34	12	20	8	24	10	15	6
3.	सदर	20	10	35	10	17	10	21	10	8	4
4.	नया शहर	3	3	9	6	3	3	6	—	4	4
5.	देशनोक	1	—	3	2	1	1	3	1	2	2
6.	नापासर	—	—	2	—	6	—	6	6	1	1
7.	चांदसर	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4
8.	लूनकरनगर	2	2	4	4	6	6	5	5	4	4
9.	महाजन	1	—	2	1	4	4	5	5	2	2
10.	छतरगढ़	1	—	1	1	5	3	3	2	3	3
11.	पूंगल	2	2	3	3	5	5	4	4	1	1
12.	नोखा	6	4	13	12	14	11	17	13	7	6
13.	गजनेर	1	1	5	5	3	3	3	3	5	1
14.	दियातरा	1	1	1	1	3	3	—	—	1	—
15.	बज्जू	3	2	5	1	5	2	1	1	2	2
योग	457	69	37	127	64	98	64	103	70	60	40

(184)

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 491 की सूचना)

(प्रतापगढ़ तहसील, जिला चित्तौड़गढ़ में पंजीबद्ध अपराधों का विवरण दिनांक 1-1-80 से 17-8-80 तक)

क्र. सं. 1	अपराध 2	केस न. 3		थाना 4	कार्यवाही पुलिस 5
1.	हत्या	83	दि. 20-4-80	प्रतापगढ़	चालान दि. 30-6-80 को किया
2.	,,	142	दि. 28-6-80	,,	जेर. तफतीश
3.	,,	33	दि. 17-4-80	अरनोद	जेर तफतीश
4.	,,	48	दि. 12-6-80	,,	,,
5.	,,	9	दि. 27-3-80	रठाजना	,,
6.	,,	24	दि. 30-4-80	सालमगढ़	,,
7.	,,	38	दि. 20-6-80	,,	,,
8.	,,	44	दि. 11-7-80	,,	,,
9.	,,	13	दि. 17-4-80	जाखम	,,
1.	चोरी	1	दि. 15-1-80	रठाजना	एफ.आर. अदम पता, दि. 28-2-80
2.	,,	2	दि. 25-1-80	,,	,,
3.	,,	5	दि. 17-2-80	,,	एफ. आर. अदम पता, दि. 31-3-80
4.	,,	6	दि. 18-2-80	,,	चालान दि. 31-3-80
5.	,,	17	दि. 26-5-80	,,	जेर तफतीश
6.	,,	2	दि. 9-1-80	अरनोद	एफ. आर. अदम, पता, ता. 30-1-80
7.	,,	34	दि. 20-4-80	,,	जेर तफतीश
8.	,,	7	दि. 8-1-80	प्रतापगढ़	एफ. आर. अदम पता, दि. 12-3-80
9.	,,	11	दि. 10-1-80	,,	एफ.आर. अदम वकूआ, दि. 30-1-80
10.	,,	15	दि. 17-1-80	,,	एफ. आर. अदम वकूआ; दि. 31-1-80
11.	,,	18	दि. 21-1-80	,,	एफ. आर. अदम पता, दि. 18-2-80
12.	,,	19	दि. 24-1-80	,,	एफ.आर. अदम पता, दि. 25-2-80
13.	,,	28	दि. 8-2-80	,,	एफ. आर. अदम पता, दि. 30-3-80
14.	,,	50	दि. 4-3-80	,,	एफ. आर. अदम पता, दि. 25-3-80

1	2	3	4	5
15.	चोरी	61 दि. 18-3-80	प्रतापगढ़	चालान दि. 29-3-80
16.	,,	69 दि. 25-3-80	,,	चालान दि. 7-4-80
17.	,,	76 दि. 10-4-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 20-5-80
18.	,,	77 दि. 10-4-80	,,	चालान दि. 25-4-80
19.	,,	101 दि. 18-5-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 30-6-80
20.	,,	108 दि. 25-5-80	,,	जेर तफतीश
21.	,,	120 दि. 15-6-80	,,	,, ,,
22.	,,	124 दि. 17-6-80	,,	,, ,,
23.	,,	125 दि. 17-4-80	,,	,, ,,
24.	,,	140 दि. 27-6-80	,,	,, ,,
25.	,,	143 दि. 1-7-80	,,	,, ,,
26.	,,	144 दि. 3-7-80	,,	,, ,,
27.	,,	151 दि. 7-7-80	,,	,, ,,
28.	,,	1 दि. 14-1-80	घमोमर	एफ. आर. अदम पता दि. 31-1-80
29.	,,	13 दि. 20-5-80	,,	जेर तफतीश
30.	,,	17 दि. 12-6-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 7-7-80
31.	,,	116 दि. 12-6 80	,,	जेर तफतीश
32.	,,	24 दि. 28-1-80	प्रतापगढ़	एफ. आर. अदम पता दि. 20-3-80
33.	,,	2 दि. 14-170	सालमगढ़	एफ. आर. अदम पता दि. 31-1-80
34.	,,	3 दि. 14-1-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 31-1-80
35.	,,	9 दि. 26-1-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 28-2-80
36.	,,	17 दि. 2-4-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 17-5-80
37.	,,	18 दि. 2-4-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 17-5-80
38.	,,	10 दि. 2-2-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 27-5-80
39.	,,	11 दि. 6-2-80	,,	चालान दि. 18-5-80
40.	,,	21 दि. 7-4-80	,,	एफ. आर. अदम पता दि. 15-7-80
41.	,,	41 दि. 26-6-80	,,	जेर तफतीश
42.	,,	8 दि. 8-3-80	जाखम	एफ. आर. अदम पता दि. 8-4-80

(186)

1	2	3		4	5
43.	चोरी	14	दि. 20-4-80	जाखम	जेर तफतीश
44.	,,	20	दि. 12-6-80	,,	,,
45.	,,	2	दि. 12-1-80	सुहागपुरा	चालान दि. 29-1-80
46.	,,	9	दि. 12-4-80	,,	जेर तफतीश
47.	,,	16	दि. 3-5-80	,,	,, ,, ,,
48.	,,	18	दि. 16-5-80	,,	,, ,, ,,
49.	,,	17	दि. 19-2-80	अरनोद	एफ. आर. अदम पता, दि. 28-3-80
50.	,,	59	दि. 11-3-80	प्रतापगढ़	चालान दि. 29-3-80
51.	,,	66	दि. 23-3-80	,,	एफ. आर. अदम पता, दि. 31-3-80
	डकैती	निल		निल	निल
	बलात्कार	निल		निल	निल

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 496 की सूची)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में खातेदारी अधिकार दिये हुए आवंटितियों की भूमि की बेचान की स्वीकृति दी गई की सूची—

क्रम सं.	नाम आवंटिती जिनको भूमि बेचान की स्वीकृति दी गई	चक नं.	मु. नं.	रकबा	श्रेणी	खातेदारी का दिनांक	बेचान का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री मोती सिह पुत्र बहादुरसिह वैद, सा. बीकानेर	मूल पत्रावली राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी के सिलसिले में भिजवाई गई है ।					
2.	श्री गलान रसूल पुत्र मिरजा, सा. चन्दड़ा	14 जेड डब्ल्यू	72/371	10)	64 मुस्लिम परिवार	22-2-78	9-6-78
3.	श्री सिकन्दर पुत्र अलादिता सा. चन्दड़ा	आर. डी. 7500	61/360	25)	,,	15-5-79	22-5-79
4.	श्रीमती करमभरी बेवा कासमद्दीन, सा. लवाना	8 एम. टी. बी.	51/359	24)	,,	27-1-76	3-6-78
5.	श्री हरीसिह पु. जोधसिह राजपूत, पोकरण	19 ए.एस.	236/469	25)	भू. पू. जागीरदार	11-12-73	11-12-73

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र दुले चन्द्र	4 एस.ए.डी.	162/347 163/347	50)	भू.पू. जागीरदार	15-9-73	15-9-73
7.	श्री मोती सिंह पु. बहादुरसिंह बैद; सा. बीकानेर	3 एन. डी.	254/481	25)	,,		16-10-78
8.	श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह	5 एम. एस. डी.	154/342 154/343	24) 24) 10 48) 10	,,	29-9-78	6-10-78
9.	श्रीमती श्याम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह	,,	154/342 155/342	49) ,,	,,	27-9-78	6-10-78
10.	श्रीमती गोपाल कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह	,,	154/343 155/343	50) ,,	,,	27-9-78	6-10-78
11.	श्रीमती कम्मोदेवी पुत्री काकरवा वेवा रामनारायण माथुर	4 एन. डी.	259/481 258/481	50) ,,	,,	7-11-78	8-11-78
12.	श्री खुशी मोहम्मद पुत्र लाडा, सा.	1 आर.पी.	157/373 156/373 157/314 158/374	25) 24) 9 24) 10 22) 4	1955 से पूर्व	7-6-78	7-6-78
13.	श्री भूराराम पुत्र पेमाराम, सा. चाडूवाली	4 बी.आर.एम.	213/375 215/171 213/376 213/379 214/376 213/375	65) 6	गैर दाखिलकार	12-2-79	8-3-79

14. मु. सुन्दर वेवा परसाराम, डवेली कलां	14 डी.वी.एस.	178/366 178/365 179/364 179/363	23) 16	गैर दाखिलकार	4-8-79	10-8-79
15. श्री रेलमल पुत्र स्यालदास खत्री, सा. बीकानेर	10 ए.	281/468	25)	नीलामी में खरीदशुदा	—	6-2-78
16. श्री मोहन खां पुत्र भूरेखां, मुसलमान, सा. बीकानेर	10 ए.	279/470	25)	″	—	6-2-78
17. श्री भवंरखां पुत्र रहमत खां, मुसलमान, सा. बीकानेर	10 ए.	281/468	25)	नीलामी	..	6-2-78
18. श्री भूरान खां पुत्र बख्तावर खां, बीकानेर	10 ए.	279/467	25)	″	..	6-2-78
19. श्री राजा बाबू पुत्र फेज मोहम्मद बीकानेर	10 ए.	280/468	25)	″	..	6-2-78
20. श्री भीलू खां पुत्र महताब खां, बीकानेर	10 ए.	275/467	23)	″	..	6-2-78
21. श्री चन्दन खां पुत्र भूरे खां, बीकानेर	10 ए.	277/467	25)	″	..	6-2-78

2	3	4	5	6	7	8
22. श्री वजीर खां पुत्र शंकर खां, बीकानेर	10 ए.	276।467	25)	नीलामी	—	6-2-78
23. श्री जमानुदीन पुत्र कालू खां, बीकानेर	10 ए.	289।467	25)	,,	—	6-2-78
24. श्री मोलाबख्श पुत्र शंकर खां, बीकानेर	10 ए.	278।467	25)	,,	..	6-2-78
25. श्री इब्राहीम पुत्र भूरे खां, बीकानेर	10 ए.	279।468	25)	,,	..	6-2-78
26. श्री जान मोहम्मद पुत्र शंकर खां, बीकानेर	10 ए.	279।469	25)	,,	..	6-2-78
27. श्री ममद खां पुत्र चिमन खां, बीकानेर	10 ए.	275।468	25)	,,	..	6-2-78
28. श्री देवकिशन पुत्र रामकिशन महेश्वरी, बीकानेर	17 ए.	305।451	25)	,,	..	22-4-78
		305।452	25) = 50)	,,	..	22-4-78
29. सर्व श्री चेतन प्रकाश पुत्र खेमचन्द एवं कृष्ण बलदेव पुत्र नानक चन्द अरोड़ा, श्री विजयनगर	17 ए.	309।453	25) = 50)	,,	..	29-4-78
30. श्री सुगनसिंह पुत्र बुद्ध सिंह	7 ए.	270।464 270।465 269।465	24) 20) 41) 3 481) 3	भूतपूर्व जागीरदार	20-4-77	13-7-78

31. श्री आलासिंह पुत्र सोहनसिंह श्री प्रीतमसिंह पुत्र केहरसिंह	19 ए.	311।446 310।446	50)	नीलामी में खरीदशुदा	28-6-78	16-9-78
32. श्रीमती शुभराज कंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत	25 ए.पी.डी.	305।403 305।402	50)	भूतपूर्व जागीरदार	..	30-9-78
33. श्रीमती सुशीलकवंर पुत्री उदयसिंह राजपूत	25 ए.पी.डी.	307।402 307।403	50)	,,	24-12-77	30-9-78
34. श्रीमती अजयकवंर बेवाह	6 के.एस.डी.	255।370 255।369	50)	,,	..	17-2-79
35. श्री श्याम विहारी लाल पुत्र लादूराम माथुर	3 ए.पी.एम.	301।419 302।392	50)	,,	6-3-79	20-3-79
36. श्री राजमोहरसिंह पुत्र चतुर्भुज सिंह राजपूत	5 ए.पी.एम.	226।392 227।392	50)	,,	..	7-3-79
37. श्री धूलाराम पुत्र लिखमा राम	17 ए.	307।452	25)	नीलामी में खरीदशुदा	..	5-5-79
38. श्री भागीरथ पुत्र धन्नाराम	17 ए.	308।452	25)	,,	..	55-7,9
39. श्रीमती दीपादेवी पत्नी चुन्नीलाल	20 ए.	312।451 312।451	25)	,,	..	5-5-79

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	श्री हजारी राम पुत्र मालू राम	17 ए.	311/454	24)	नीलामी में खरीदशुदा	—	5-5-79
41.	श्रीमती मूली देवी पत्नी पुरखाराम	20 ए.	312/452	25)	,,	—	5-5-79
42.	श्रीमती मानकंवर बेवा मानसिंह राजपूत	6 ए.	264/462	20)	भूतपूर्व जागीरदार	—	12-3-80
43.	श्री लालसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपूत	2 ए.पी.डी.	230/381 230/382	50)	,,	—	12-3-80
44.	श्री रघुवीरसिंह पुत्र मोती सिंह राजपूत	25 ए.पी.डी.	306/402 306/403	50)	,,	27-9-78	5-10-78
45.	श्रीमती परमेश्वरी देवी बेवा तिलोकसिंह अरोड़ा	10 ए.	276/468	25)	नीलामी में खरीदशुदा	29-6-77	6-10-78
46.	श्री शालिव हुसैन पुत्र आजाद	1 एल.एस.	288/403 288/404	50)	भूतपूर्व जागीरदार	1-7-75	..
47.	श्री माधोसिंह पुत्र मगनसिंह राजपूत	2 ए.पी.एम. 2 एल.एस.	307/414 306/414 286/402	20 III)2 22 I)3 5) 481)	,,	30-9-78	..
48.	श्री सिराजुहुसैन पुत्र	26 ए.पी.डी.	314/405 313/405	49 II)	,,	30-9-78	..

49. श्री करतारसिंह पुत्र वीरसिंह राजपूत	20 ए.	311/451	25)	नीलामी में खरीद शुदा	7-5-77	13-10-78
50. श्री पूर्णसिंह पुत्र नत्थूसिंह जटसिख, सा. रूपनगर	20 ए.	314/451	25)	,,	7-5-77	13-10-78
51. श्री सन्तोषसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह अरोड़ा	10 ए.	277/469	25)	,,	19-10-78	19-10-78
52. श्रीमती हुसैन बानो बेवा सफी मोहम्मद मुसलमान	5 ए.पी.एम.	305/425	25)	भूतपूर्व सैनिक	4-11-78	7-11-78
53. श्रीमती रतनी पत्नी श्री भंवरलाल अग्रवाल सां.	11 ए.	284/467	25)	नीलामी में खरीद शुदा	28-4-78	12-2-80
54. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र नन्द किशोर	7 एल. पी. एम.	275/361 276/361	50)	भूतपूर्व जागीरदार	..	6-12-72
55. श्री नन्दकिशोर पुत्र घासीलाल	7 एस. पी. एम.	275/359 276/360	50)	,,	..	6-12-72
56. श्री रणजीत मल पुत्र गम्भीर मल	2 बी. एल. डी.	192/381 193/382	50)	,,	..	6-12-78
57. श्री लाखाराम पुत्र लालाराम	2 एल. पी. एम.	264/361 264/363	50)	,,	6-12-72	6-4-73
58. श्री तख्तसिंह पुत्र रामनाथ सिंह	2 एल. पी. एम.	267/361 268/361	50)	,,	6-12-72	6-4-73

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	श्री राम किशोर पुत्र रामचन्द्र	2 एल. पी. एम.	265/363 266/363	50)	भूतपूर्व जागीरदार	21-10-72	30-4-73
60.	श्री राम वख्श पुत्र रामकरण मिर्धा	2 एल. पी. एम.	268/363 269/363	50)	,,	21-10-72	30-4-73
61.	श्री मगनी राम पुत्र पूसा राम	2 एल. पी. एम.	267/366 267/367	50)		22-10-72	30-4-73
62.	श्री गोविन्दराम पुत्र	3 एल. पी. एम.	265/364 266/365	50)	,,	22-10-72	30-4-73
63.	श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र मिर्धा	3 एल. पी. एम.	267/363 267/362	50)	,,	21-10-72	30-4-73
64.	श्री मोहब्बत सिंह पुत्र मर्गसिंह राजपूत	8 के. एस. टी.	261/370	25)	,,	16-5-73	17-5-73
65.	श्री घनश्यामसिंह पुत्र राजसिंह राजपूत	8 के. एस. टी.	259/370	25)	,,	16-5-73	17-5-73
66.	श्रीमती सम्पत कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह	8 के. एस. टी.	258/371	25)	,,	16-5-73	17-5-73
67.	श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी श्री राजसिंह	8 के. एस. टी.	260/371	25)	,,	16-5-73	17-5-73
68.	श्री नारायणसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह राजपूत	8 के. एस. टी.	259/371	25)	,,	16-5-73	17-5-73

69.	श्रीमती फूला धर्मपत्नी छोटूदान	2 डी. ए. एम.	223/398 227/398 226/398	25) 18) 7) 50)	भूतपूर्व जागीरदार	16-5-73	17-5-73
70.	श्रीमती रेसम कवंर पत्नी श्री मानसिंह, राजपूत, कासली	8 के. एस. डी.	257/370	25)	,,	13-5-73	15-5-73
71.	श्री सोभाग मल पुत्र सम्पतमल, पि. सरदार मल	2 बी. एल. डी.	192/378 193/378 193/379 193/380	50)	,,	23-10-72	10-6-73
72.	श्री भैरूसिह पुत्र आसंसिह, राजपूत सा. हनुमानगढ़	4 एस. टी. बी.	211/377 212/377	49 ।।।) 1	,,	19-8-74	13-12-74
73.	श्री गुलाब सिंह पुत्र जुगलसिंह	4,5 एस.टी.बी.	213/378 214/378	50)	,,	4-7-74	13-12-74
74.	श्री हरीसिंह पुत्र शेरसिंह, ओसियां	5 एस. टी. बी.	214/377 215/378	43।।) 3	,,	27-7-74	13-12-74
75.	श्री रिसालसिंह पुत्र उदयसिंह	3,4 एस. टी. बी.	209/380 210/380	50)	,,	4-7-74	13-12-74

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	श्री जगमाल सिंह पुत्र मगन सिंह राजपूत	4 एस. टी. बी.	211/380 212/380	50)	भूतपूर्व जागीरदार	4-7-74	13-12-74
77.	श्री रावतसिंह पुत्र आसूसिंह राजपूत, रामपुरा	3, 4 एस. टी. बी.	209/378 210/378	50)	,,	27-7-74	13-12-74
78.	श्री फूलसिंह पुत्र गंगासिंह	4 एस. टी. बी.	213/379 2 13/380	50)	,,	4-7-74	13-12-74
79.	श्री नारायण सिंह पुत्र शेरसिंह राजपूत, ओसियां	3,4 एस.टी.बी.	209/376 210/376	48) 4	,,	19-8-74	13-12-74
80.	श्रीमती बसन्त कवंर पत्नी भैरूंसिंह, राजपूत, हनुमानगढ़	4 एस. टी.बी.	211/378 212/378	50)	,,	27-7-74	13-12-74
81.	श्री चन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, राजपूत	4 बी.एल.डी.	201/377 202/377	50)	,,	27-5-74	13-12-74
82.	श्री अमरसिंह पुत्र देवीसिंह	4 बी. एल. डी.	202/376 199/374 201/376	57)	,,	15-5-74	13-12-74
83.	श्री नाहरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह,राजपूत	4 एम.टी.बी.	211/379 212/379	50)	,,	4-7-74	6-5-75

84. श्री ऋषिकेश पुत्र छोटूलाल शर्मा	13 पी.टी.डी.	257/346 268/346	50)	भूतपूर्व जागीरदार	15-5-74	7-10-78
85. श्रीमती केशर कवंर पुत्री दुलेसिह	8 बी.एल.डी.	204/393 205/393	50)	,,	28-2-75	16-10-78
86. श्री मोतीसिह पुत्र आसूसिह, राजपूत, बिलोचिया	11 बी.एल.एम.	209/409 209/410	50)	,,	16-6-75	20-10-78
87. श्री किशोरसिह पुत्र बालसिह राजपूत	2 पी.ए.एम.	224/399 224/400	47)	,,	8-8-78	7-11-78
88. श्री मदनसिह पुत्र मानसिह,राजपूत	8 बी.एल.एम.	205/404 206/404	50)	,,	6-10-78	8-11-78
89. श्री वीरसिह पुत्र जवसिह राजपूत	8 के.एच.डी.	257/369 258/359	50)	,,	21-5-74	17-2-79
90. श्री कुनाराम पुत्र बिरमा राम,जाट	3 एल.पी.एम.	265/362 266/362	50)	,,	—	17-5-79
91. श्री मोहनलाल दत्तक पुत्र श्री गणेशलाल, ब्राह्मण	3 एल.पी.एम.	266/361 265/361	50)	,,	9-11-75	8-5-79

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	श्रीमती गुलाब कवंर पत्नी सज्जनसिंह, राजपूत	5 बी.एल.डी.	203/381 203/382 204/382	50)	भू. पू. जागीरदार	..	19-5-79
93.	श्री तेजसिंह पुत्र सज्जन सिंह राजपूत, जयपुर	8 बी.एल.डी	208/394 209/394	49॥)	,,	..	8-6-79
94.	श्री रघुनाथसिंह पुत्र सज्जनसिंह राजपूत	8 बी.एल.डी.	208/392 209/392	50)	,,	..	8-6-79
95.	श्री गोविन्दसिंह पुत्र सज्जनसिंह, राजपूत	8 बी.एल.डी.	209/393 208/393	50)	,,	..	8-6-79
96.	श्री गुरुबख्शसिंह पुत्र गूजरसिंह अरोड़ा	20 ए.पी.डी.	281/402	20)	भाखरा भूमिहीन	27-9-78	19-6-79
97.	श्री रहीम खां पुत्र दुलेखां, मुसलमान	—	280/392	20)	,,	27-9-78	19-6-79
98.	श्री बचनसिंह पुत्र अनार्डसिंह	3 बी.एल.डी.	199/384 200/384	50)	भूतपूर्व जागीरदार	15-5-79	18-6-79
99.	मु. पानकवंर, बेवा रिडमल सिंह व मानसिंह, ओमसिंह पि. रिडमलसिंह	9 बी.एल.एम.	210/406 210/407	23॥) 24) 47॥)	,,	..	21-6-79
100.	श्री सुरेन्द्र सिंह महेन्द्रसिंह पि. शिव दानसिंह	9 बी.एल.एम.	209/406 209/407	24॥) 25) 49॥)	,,	..	21-6-79

101. श्री कल्याणसिंह पुत्र जोधसिंह, राजपूत	9 बी.एल.एम.	211/406 211/407	50	भूतपूर्व जागीरदार	..	21-6-79
102. श्री जीवराजसिंह वगैरह पि. जतनसिंह	9 बी.एल.एम.	210/408 210/408	24) 23) 47	,,	..	21-6-79
103. श्री मदनसिंह पुत्र रघुनाथसिंह, राजपूत	1 बी.एल.डी.	194/379 195/380	50)	भूतपूर्व जागीरदार	..	12-7-79
104. श्री जाफर अली पुत्र मोहम्मद अली, सा. बीकारा, बीकानेर	22 ए.पी.डी.	285/406 286/406 286/407	50)	,,	..	20-2-80
105. श्री खेतसिंह पुत्र आसूसिंह, राजपूत	3,4 एस.टी.बी.	209/379 210/379	50)	,,	.	26-2-80
106. श्री गोपालसिंह पुत्र अप्रतनसिंह	7 पी.टी.डी.	249/360 250/379	50)	,,	..	12-3-80
107. श्री सन्तोष मल पुत्र हमीरमल मेहता	15 एम. डी.	42/32	25)	कृषि स्नातक	..	8-5-79

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	श्रीमती प्रेमकवंर पुत्र महेन्द्रसिंह, राजपूत	5 एम. एस. डी.	156/342 156/343	49॥)	भूतपूर्व जागीरदार	27-9-78	5-10-78
109.	श्रीमती श्याम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह	5 एम.एस.डी.	154/342 155/342	49)	"	27-9-78	5-10-78
110.	श्रीमती गोपाल कवंर पुत्री महेन्द्रसिंह, राजपूत	5 एम.एस.डी	154/343 155/343	50)	"	27-9-78	6-10-78
111.	श्रीमती कमोददेवी वेवा रामनारायण, माथुर	4 एन.डी.	259/481 258/481	50)	"	7-11-78	8-11-78
112.	श्री अहमदद्दीन पि. मु. मी. वेवा उमर अहमद, मुसलमान, सा. रावतसर	10 ए. एम.	164/400	24)	64 मुस्लिम विस्थापित परिवार	27-6-79	12-7-79
113.	श्री नसीर अहमद पुत्र इमाम मोहम्मद, मुसलमान, सा. रावतसर	10 ए. एम.	164/401	23॥।)	"	27-6-79	12-7-79
114.	श्री सुमान पुत्र खुजावल, जाति लवाना, सा. नवा	10 ए. एम.	164/399	14)	"	27-6-79	12-7-79
115.	श्रीमती कुनणी वेवा नत्थुराम, जाट, सा. कुशवानी, तहसील झून्झुनूं,	13 डी.डब्यू. डी. 15 डी. डब्यू. डी.	211/3 211/11 190/32	15) 7) 3) 25)	वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित	27-8-79	29-8-79

116. श्री नाथू सिंह पुत्र राजसिंह, राजपूत, सा. मिराड	19 ए. एस.	237/461	25)	लद्दाख में मृत सैनिकों के आश्रित	19-7-79	23-7-79
117. श्री सन्तोषमल पुत्र हमीरमल जैन	15 एम. डी.	42/32	25)	कृषि स्नातक में	17-4-79	8-5-79
118. श्रीमती हरकंवर बेवा रायसिंह, राजपूत, डाबड़ी	19 ए. एस.	237/469	25)	नेफा लद्दाख में मृत सैनिकों के आश्रित	3-7-79	5-7-79

202

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 499 की सूची)

खंड एक की सूची

कोटा जिले के रामगंज मंडी एवं लाडपुरा तहसील में दिनांक 30-6-80 तक लगाये गये हैंड पम्पों की सूची :—

क्र. संख्या	गांव का नाम	हैंड पम्पों की संख्या	क्र. संख्या	गांव का नाम	हैंड पम्पों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	भगवान पुरा	2	25.	बनीवारिया	2
2.	बरोदिया	3	26.	बालकूद	3
3.	घूंनी	2	27.	चंतोली	2
4.	लखवा	1	28.	हथेला	3
5.	रेगबाड़ी	2	29.	रामपुरिया	3
6.	पीपल हेड़ी	1	30.	मोहनपुरा	2
7.	बोरावास	1	31.	कंवरपुरा	2
8.	चंदबाड़ी	2	32.	कूडाल	3
9.	जयपुरा	2	33.	खेड़ी	2
10.	हीरापुरा	1	34.	कोटड़ी	2
11.	मांडलिया	2	35.	संध्या खेड़ी	3
12.	धोलपुरा	3	36.	बोरड़ि	3
13.	रावथा	2	37.	अरेलिया	2
14.	रोजारी	1	38.	खेड़ारुघी	4
15.	गोपालपुरा	2	39.	फावा	2
16.	सिहपुरा	3	40.	नीबोडा	2
17.	भीलखेड़ी	1	41.	धालपुरा	3
18.	दादावाड़ा	2	42.	हमूरी	2
19.	कोटाला	2	43.	गणेश पुरा कलां	2
20.	पदमपुरा	1	44.	गुमानपुरा	2
21.	थोलपुरा	1	45.	बरडिया कलां	1
22.	दावारा	2	46.	सलारा	2
23.	धर्मपुरा	1	47.	चन्द्रपुरा	2
24.	कंवरपुरा	2	48.	रिंची	3

1	2	3	1	2	3
49.	बोरिना	2	75.	नलोटिया	3
50.	मदर्न पुरा	8	76.	देवली खुर्द	5
51.	रघुनाथपुरा	2	77.	बंधा	2
52.	सोहनपुरा	2	78.	उन्दवा	6
53.	डाकिया	3	79.	घोघखेड़ी	2
54.	रघुखेड़ी	3	80.	तेलियाखेड़ी	2
55.	बूधावा	3	81.	हेमलखेड़ी	2
56.	बूंदी	2	82.	हरिपुरा	[illegible]
57.	सोहनखेड़ी	2	83.	अमृत खेड़ी	1
58.	फतेहपुर	2	84.	कोलां	2
59.	सकली	3	85.	गोदिया	2
60.	मानपुरा	4	86.	अरनिया कलां	2
61.	पीपाखेड़ी	3	87.	अलोदा	4
62.	पेमाखेड़ी	2	88.	लखेरिया	3
63.	डीगाई	2	89.	रायखेड़ा	1
64.	झीरी	2	90.	राजखेड़ा	1
65.	भीरमण्डी	2	91.	उदपुरा	2
66.	गुडियाला	3	92.	अनोतिया	2
67.	तम्बोलिया	2	93.	भीमपुरा	1
68.	बरनखेड़ी	2	94.	नियामत खेड़ा	3
69.	बुरकली	2	95.	भोतवाड़ा	2
70.	अरनिया खुर्द	2	96.	खेडारुधा	1
71.	मण्डी मथाना	2	97.	बीयानियाखेड़ी	2
72.	पयाली	2	98.	खीराच	2
73.	वन्शीया हेड़ी	1			
74.	सीमलहेड़ी	2		कुल:—	215

(204)

खण्ड 3 की सूची

तहसील लाडपुरा एवं रामगंज मंडी में हैन्ड पम्प लगाने के लिये प्रस्तावितगांवों की सूची :—

क्रम संख्या	नाम ग्राम	हैण्ड पम्पों की संख्या	क्रम संख्या	नाम ग्राम	हैंड पम्पोंकी संख्या
1.	रंगपुर	7	10.	काडीठेरा	5
2.	किशनपुरा	3	11.	काम्डपुरा	5
3.	दासलाना	7	12.	खेरा जरापुरा	2
4.	खेडा	6	13.	राजपुरा	2
5.	दादर	6	14.	गधीफाली	3
6.	धाकड़ खेड़ी	6	15.	कमल पुरा	2
7.	भीमपुरा	6	16.	भीलू	2
8.	लाडपुरा कैथून	7	17.	गोला	2
9.	गलाना	6			

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 506 की तालिका)

अकाल राहत

क्र.सं.	नाम	एजेन्सी	गांव का नाम	कुल खर्च		कार्य की स्थिति
				अनाज	रुपये	
1	2	3	4	5	6	7
1.	शाला भवन	पं. लक्ष्मीपुरा	विजयपुरा	48.26	10465	अपूर्ण
2.	,,	,,	ढिढोरा	38.11	65725	अपूर्ण
3.	सड़क	,,	विजयपुरा	93.22	..	पूर्ण
4.	,,	रनोदरा	रनोदरा	54.00	..	अपूर्ण
5.	,,	पं. फूसादे	शहनावदा	79.40	..	पूर्ण
6.	,,	,,	डूंगरवी	89.07	..	पूर्ण
7.	,,	,,	शहनावदा 1/2	50.49	..	पूर्ण
8.	,,	,,	डूगरवी 1/2	28.04	..	पूर्ण
9.	कुआ	,,	मोरखूदना	42.66	2901	अपूर्ण
10.	सड़क	पं. करवाड़	करवाड़	79.52	..	पूर्ण
11.	सड़क	,,	,,	45.02	..	पूर्ण
12.	सड़क	,,	,,	46.23	..	पूर्ण
13.	सड़क	,,	,,	48.72	..	पूर्ण
14.	सड़क	,,	,,	54.93	..	पूर्ण
15.	खरंजा नं. 1	,,	,,	29.65	55.356	पूर्ण
16.	शाला	,,	लक्ष्मीपुरा	46.52/1/2	37.876	अपूर्ण
17.	खरंजा नं. 2	,,	करवाड़	5.87/1/2	1660	अपूर्ण
18.	सड़क	पं. श्यावदा	खेड़ली	65.33	..	पूर्ण
19.	सड़क	,,	श्यावदा	49.41	..	पूर्ण
20.	सड़क	,,	कगड़िया	21.76	..	पूर्ण
21.	कुआ	,,	विसवाई	18.59	9161	पूर्ण
22.	सड़क	पं. लुवावद	गोपालपुरा	69.88	..	पूर्ण
23.	सड़क	,,	,,	31.36	..	पूर्ण
24.	सड़क	,,	गोपेश खेड़ा	37.70	..	पूर्ण
25.	सड़क	,,	,,	83.80	..	पूर्ण
26.	बन्धा	,,	गोपेशपुरा	42.35	..	पूर्ण
27.	सड़क	,,	गोपेश खेड़ा	51.55	..	पूर्ण
28.	सड़क	पं. अयाना	अयाना से कमपुरा	102.82	..	पूर्ण
29.	सड़क	,,	,,	45.66	..	पूर्ण
30.	शाला भवन	पं. अयाना	पं. अयाना	51.74	6703.25	अपूर्ण
31.	कुआ	पं. वजदुपा	कथोदा	44.31		अपूर्ण
32.	सड़क	,,	कापोद	84.71	..	पूर्ण

206

1	2	3	4	5	6	7
33.	1/2	पं. पउदुपा	कापोद	41.90	..	पूर्ण
34.	शाला	,,	,,	8.83	1491.45	अपूर्ण
35.	हटमंदा	पं. पीपल्दा	पीपल्दा	100.69	..	अपूर्ण
36.	सड़क	,,	,,	89.90	..	अपूर्ण
37.	सड़क पं. बागचे	पं. बागचे	रामदरियागढ़	62.00	..	अपूर्ण
				1,993.11	53940.30	
38.	सड़क	पं. लुवावद	बाडोदी	49.92	..	पूर्ण
39.	फुटपाथ	,,	लुवावद	11.84	5675.00	पूर्ण
40.	सड़क पं.दुर्गापुरा	दुर्जनपुरा	दुर्गापुरा	118.60	..	पूर्ण
41.	1/2	,,	दुर्जनपुरा			
42.	1/2	,,	देव खड़ेली	39.92	..	पूर्ण
43.	सड़क	,,	,,	38.50	..	पूर्ण
44.	सड़क	,,	सावनिया	97.96	..	पूर्ण
45.	शाला	,,	दुर्जनपुरा	20.50	41.69	पूर्ण
46.	सड़क	,,	,,	42.45	..	पूर्ण
47.	शाला	पथवम्बूडिया	वम्बूदिया	119.62	18284	अपूर्ण
48.	कूर्ए	,,	रघुनाथपुरा	25.36	1404	अपूर्ण
49.	सड़क	मरुवम्बूदिया	वम्बदूरिया	131.40	..	पूर्ण
50.	सड़क	,,	,,		..	पूर्ण
51.	सड़क	पं. करावदा	ककरावदा	49.08	..	पूर्ण
52.	तलाई	,,	सीनोता	12.00	..	पूर्ण
53.	तलाई	,,	ककरावदा	19.25	..	पूर्ण
54.	सड़क 1/2	प. गेता	गैता	78.26	..	पूर्ण
55.	तलाई	,,	गैता	46.89	..	पूर्ण
56.	खरंजा	,,	गैता	31.13	..	अपूर्ण
57.	नौली	,,	गैता	17.84	..	अपूर्ण
58.	खेड़ली सड़क	पं. जलोदाख	खेड़ली	67.33	..	अपूर्ण
59.	सड़क 1/2	पं. गैता	,,	..		पूर्ण (अनाज शामिल)
60.	कुआ	पं. विनायका	गलेली	85.05	972 4160	पूर्ण
61.	कुआ	पं.विनायका	मगेना	64.64	5464.50	पूर्ण
62.	तालाब	,,	विनायका	47.88	..	पूर्ण
63.	तालाब	,,	,,	46.80	..	पूर्ण
64.	खरंजा	,,	,,	30.15	2574 432	पूर्ण
65.	शाला	पं. अयानी	अयानी	12.08	1827	अपूर्ण
66.	तालाब	,,	,,	32.25	..	पूर्ण
67.	सड़क 1/2	प्रेमपुरा	,,	64.16	..	पूर्ण
68.	सड़क 1/4	,,	,,	..	..	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
69.	सड़क 112	प्रेमपुरा	रघुनाथपुरा	38.53	..	पूर्ण
70.	तालाब	प्रयामी	कोपुरा	47.11	..	पूर्ण
71.	सड़क	,,	प्रयानी	76.73	..	पूर्ण
72.	सड़क	जोरावरता	कालव	81.90	..	पूर्ण
73.	सड़क	,,	खडेलीवेर	123.74	..	पूर्ण
74.	सड़क 112	,,	,,		..	पूर्ण
75.	कूप	,,	खडेलीवेर	34.10	4021.30	अपूर्ण
76.	शाला	,,	शामागपुरा	6.17	862.70	अपूर्ण
77.	सड़क	पं. तलाब	कोरा	80.40	..	पूर्ण
78.	सड़क	,,	बीराडो	79.66	..	पूर्ण
79.	खरंजा नं. 1	पं. खानोदी	खानोदी	40.70	69.98	पूर्ण
80.	खरंजा नं. 2	,,	,,	17.55	4030	पूर्ण
81.	खरंजा नं. 3	,,	,,	25.63	3316.15	पूर्ण
82.	खरंजा नं. 1	,,	,,	16.64	2416.10	पूर्ण
83.	खरंजा नं. 2	,,	,,	38.98	9058.54	पूर्ण
84.	घाट	,,	,,	11.27	1453.00	पूर्ण
85.	सड़क	पं. ढीपरी	खड़ली	42.28	..	पूर्ण
86.	,,	,,	प्राडागेला	41.80	..	पूर्ण
87.	,,	,,	श्रीपुरा	24.65	..	पूर्ण
88.	,,	,,	बाजारोद	42.49	..	पूर्ण
89.	,,	,,	प्राडागेली	42.57	..	पूर्ण
90.	,,	,,	खेडली टोडी	40.92	..	पूर्ण
91.	,,	,,	,,	19.20	..	पूर्ण
92.	,,	,,	खारंजातदी, ढीपरी	36.02	322.20	अपूर्ण
93.	सड़क	पं. मियाना	मियाना	85.08	..	पूर्ण
94.	सड़क	,,	नीमोली I	42.15	..	पूर्ण
95.	,,	,,	नीमोली II	49.59	..	पूर्ण
96.	,,	,,	नीमोली III	48.00	..	पूर्ण
97.	,,	,,	निमोली IIII	58.91	..	पूर्ण
98.	औषधालय	,,	निमोली	44.05	60.71	अपूर्ण
99.	सड़क	पं. बोखा	हथोली	44.25	..	पूर्ण
100.	शाला	,,	बोरदा	18.94	47.52	अपूर्ण
101.	सड़क	पंच माधोडाक बिहारीलाल	नीमसरा	85.09	..	पूर्ण
102.	खुरंजा	पं. रजोला	केशोपुरा	13.95	..	अपूर्ण
103.	कूप	,,	खोया	30.17	1792.25	अपूर्ण
104.	तलाई	पं. नोनरी	प्रामदत्त	12.24	..	अपूर्ण
105.	कूप	,,	खड़ेली	16.24	2788	अपूर्ण
106.	सड़क	प. गणेशगंज	चोपदा	17.72	..	पूर्ण
107.	तालाब	,,	,,	22.20	..	पूर्ण
108.	कूप	,,	झाड़ील	38.96	29.79	अपूर्ण
109.	कूप	,,	गोपेशगंज	63.51 5.00	6116.50	अपूर्ण
110.	सड़क	पं. जटवाड़ा	नटवाड़ी	63.06	..	अपूर्ण

(208)

1	2	3	4	5	6	7
111.	कूप	जठधाड़ा	शंकरपुरा	4.00	..	अपूर्ण
112.	सड़क	पं. बोगारी	गणेशा	63.00	..	अपूर्ण
			योग ..	5238.13	1,53,384.54	

नाम कार्य	पूर्ण	अपूर्ण	योग
शाला भवन	..	10	10
कुआ	3	9	12
औषधालय	..	1	1
खरंजा	6	4	10
बन्धा	1	..	1
तलाई	8	1	9
फुटपाथ	1	..	1
नाली	..	1	1
घाट	1	..	1
सड़कें	59	5	64
हाट मैदान	..	1	1
योग :	79	32	111

	अनाज	नकद
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय	28 एम.टी.	13,706.00

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 508 सूची)

वर्षवार सूची

वर्ष	प्रथम वर्ष बी. ई.	तृतीय-वर्ष बी. ई. डिप्लोमा-धारी	योग
1975-76	120	30	150
1976-77	120	30	150
1977-78	152	38	190
1978-79	181	39	220
1979-80	156	39	195

———

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 510 की सूची)

भाग–2 सम्बन्धित सूचना

(1) सरपंच ने ग्राम पंचायत कोलायत की रोकड़ दिनांक 23, 28, 29 व 30-6-79 में हस्ताक्षर नहीं किये हैं, सरपंच पंचायत का खर्च बिना बैठक बुलाये करता है।

(2) सरपंच श्री पूर्णाराम, राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 13(3)(4) में नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशित न होने के कारण अयोग्य रहा। खसरा नम्बर 10,24 व 26 में काश्त की भूमि को धनवान लोगों को एलोट की है।

(3) सरपंच श्री पूर्णाराम ने भूमि आवंटन में पंचायत अधिनियम की धारा 255 से 268 तक का उल्लंघन किया।

(4) आदर्श बस्ती में ग्राम के लोगों को जमीन नहीं देकर, अन्य शहर के 80 प्रतिशत लोगों को जमीन दी है।

(5) सरपंच श्री पूर्णाराम ने अपनी पत्नि, श्वसुर व सालों को जमीन का आवंटन किया है।

(6) एमरजेन्सी में 150–150 गज भूमि हरिजनों को आवंटन करने के सरकार ने आदेश दिये, किन्तु उसने सम्पन्न लोगों को जिनके पास जमीन है, को भू-आवंटन किया।

(7) सरपंच ने नाबालिग पुत्र को गोचरी में जमीन एलोट करवाई है।

(8) सरपंच ने हजारों रुपयों का यात्रा भत्ता उठाकर पंचायत कोष का दुरुपयोग किया। कोलायत मेला में नाजायज सामान खरीदा है।

(9) सरपंच श्री पूर्णाराम ने मड. केटडी में व कोलायत के स्कूल भवन में पानी के स्टेंड बनाये, खर्चा 50 प्रतिशत किया है।

(10) सरपंच ने परिवार के सदस्यों के नाम मस्टरोल में मांड कर रकम उठाई है।

———